खण्ड-331, अंक-6
गुरूवार, 23 चैत्र, शक संवत् 1900
(13 अप्रैल, 1978 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 331 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1978

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	743–746
प्रश्नोत्तर	747–788
बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से बिजली के तार की चिनगारी से ग्राम बेलौली भोजीपुरा, जनपद आजमगढ़ में किसानों के खलिहानों में आग लग जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	788-789
जिला बस्ती के कतिपय गांवों में भीषण अग्निकांड के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	789–790
वाराणसी में आरक्षण के विषय को लेकर छात्र संघर्ष के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	790
बांदा जनपद के थाना बिशैसा के अन्तर्गत एक गांव में सरोधरा तथा ग्राम मोटियारी की भेंदिया नामक हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	790 791
शाहजहांपुर के गन्ना क्रय-केन्द्र, जिनपुरा, निगोही तथा हरैली में गन्ना खरीद एका-एक बन्द हो जाने से किसानों को परेशानी के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	791
माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हो रही परीक्षाओं में केन्द्र व्यवस्थापकों द्वारा कथित भ्रष्टाचार तथा घूस लेने की शिकायतों के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	791–792
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1978 (सदन के पटल पर रखा गया)	792
उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, 1978 (सदन के पटल पर रखा गया)	793
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	793
कतिपय स्थानीय निकायों के निर्वाचन के स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	794–796
आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978 (पुरः स्थापित किया गया)	796
1978-79 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या 7 भू-राजस्व, अनुदान संख्या 41--दैवी आपदाओं के कारण सहायता तथा अनुदान संख्या 79 जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर (स्वीकृत) ..	796–834

विषय	पृष्ठ संख्या
आज श्री गुलाब सेहरा द्वारा सदन के संज्ञान में लायी गयी सूचना पर श्री सुखपाल पांडेय द्वारा की गयी टिप्पणी को कार्यवाही से निकालने की श्री अध्यक्ष की व्यवस्था	834–835
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	835 836
खतौली, जिला मुजफ्फरनगर में श्रीमती इन्दिरा गांधी की कार पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	836–841
जिला गोण्डा में लकड़बग्घों के आतंक के विषय पर नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	841–845
वाराणसी स्थित काशी विश्वविद्यालय के छात्र-संघ के अध्यक्ष तथा कतिपय छात्रों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में वक्तव्य	845–848
प्रदेश के विभिन्न जिलों की प्रति व्यक्ति औसत आमदनी में विषमता के विषय में दिनांक 4 अप्रैल, 1978 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 51 के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा	848–855
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1978 (पारित)	855–871
मत्स्यिां	873–879

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, 13 अप्रैल, 1978

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य 342

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्बुल रऊफ लारी, श्री
अब्बुल हफीज, श्री
अब्बुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
इसमाईल, श्री
ईशवत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नरायन, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पांडेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
कालीचरण, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्ण वीर सिंह कौशल, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
खयाली राम शास्त्री, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री

गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैय्या, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयराम, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
श्याम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हें लाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथू राम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुआंठा "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलबीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल 'सरोज', श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री

बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द्र, ठाकुर
मैनेजर सिंह, श्री
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज बृज राज सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
राम जी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरेश पांडेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम फेर कोरी, श्री

राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लालबत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नय्यर, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह निर्भय, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोभन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट :—गन्ना विकास मन्त्री, श्रीमती चन्द्रावती तथा विद्युत् मन्त्री, श्री रवीन्द्र किशोर शाही भी सदन में उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 13 अप्रैल, 1978

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

बस्ती जिले के ग्राम रुधौली के राजकीय नलकूप की बिजली की लाइन

**1-- दिवाकर विक्रम सिंह (जिला बस्ती)--

क्या माननीय विद्युत मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि राजकीय नलकूप संख्या 41 (बांसीग्रुप), ग्राम रुधौली, विकास खण्ड रुधौली, जनपद बस्ती का बी0 एल0 फार्म नलकूप विभाग द्वारा माह अक्तूबर-नवम्बर, 1977 में ही विद्युत् विभाग को दिये जाने के बाद भी आज तक बिजली की लाइन क्यों नहीं जोड़ी गई ? क्या मंत्री दोषी अधिकारी अथवा कर्मचारी को दण्डित करने का आश्वासन सदन को देने का कष्ट करेंगे ?

(माननीय विद्युत् मंत्री पत्रावली में उत्तर ढूंढ़ने लगे, जिससे कुछ विलम्ब हुआ।)

विद्युत् मंत्री (श्री रवीन्द्र किशोर शाही)--

दे रहा हूं उत्तर ।

श्री अध्यक्ष--

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर) आप लोग बैठिए ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

पांच मिनट तो ऐसे ही हो गये ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

प्रश्नगत राजकीय नलकूप संख्या 41 (बांसीग्रुप) का बी0 एल0 फार्म उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् को 18 अक्तूबर, 1977 को प्राप्त हुआ था, परन्तु ट्यूबवेल विभाग का कार्य पूर्ण न होने के कारण बिजली की लाइन का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका ।

इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यदि ट्यूबवेल विभाग का कार्य पूर्ण नहीं था, तो विद्युत् विभाग के द्वारा उन्हें कोई सूचना ऐसी दी गयी, बी0 एल0 फार्म क्यों जमा कर दिया गया ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, सिंचाई विभाग ने बी0 एल0 फार्म जमा किये । उसमें 41 और 42 दोनों के गये थे । जब बी0 एल0 फार्म जमा हो जाता है, तो निरीक्षण करते हैं कि आवश्यक चीजें पूरी हुई या नहीं । इस पर्टिकुलर केस में नलकूप भवन पूरा नहीं हुआ था । न वहां पर मशीन ही लग पायी थी । इसलिये कोई बिजली नहीं दी जा सकी ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मेरी जानकारी ऐसी है कि नलकूप का भवन नवम्बर के माह में ही पूर्ण हो गया था और मोटर शायद बैठाने में देरी हुई है । लेकिन वह भी जनवरी महीने के अन्त में पूर्ण कर दिया गया और जैसी मेरी जानकारी है, इसका प्राक्कलन बनाकर लाइन का, अधीक्षण अभियन्ता गोण्डा के यहां भेजा गया था स्वीकृति हेतु, लेकिन स्वीकृति न होने के कारण लाइन नहीं लगायी गयी । क्या माननीय मंत्री मेरी सूचना को सही मानकर जानकारी करायेंगे और यदि यह सही पाया जाय, तो दोषी कर्मचारी को दण्डित करने का आश्वासन सदन को देंगे ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जो सूचना मेरे पास है उसके अनुसार यह लिखा हुआ है कि अधिष्ठापन कार्य पूरा नहीं हुआ था । यह भी लिखा है कि 42 नम्बर का अधिष्ठापन कार्य पूरा हो गया था इसलिये इसको बिजली दे दी गयी । यह कहते हैं कि फरवरी, 1978 में 48 का कार्य पूरा हो गया था, तो विद्युतीकरण कर दिया गया । यह बात नहीं लिखी है । माननीय सदस्य की सूचना को आधार मानकर कि अधीक्षण अभियन्ता ने ऐसी उदासीनता बरती जिसके कारण उसका इलेक्ट्रिफिकेशन करने में विलम्ब हुआ, इसकी मैं जांच करवा लूंगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बी0 एल0 फार्म सिंचाई विभाग ने विद्युत् विभाग को दे दिया, उसके बाद उसकी जांच की गयी, तो वह सही नहीं पाया गया। तो विद्युत् विभाग ने सिंचाई विभाग को इस गलती की ओर कब ध्यान दिलाया ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, मेरे पास जो सूचना है, उसके अनुसार विद्युत् विभाग के पास 9 अप्रैल, 1978 तक केवल 12 बी0 एल0 फार्म अवशेष रह गये थे । राजकीय नलकूप संख्या 42 बी0 जी0 का उर्जन 15 फरवरी, 1978 को कर दिया गया था । 42 बी0 जी0 एवं 41 बी0 जी0 राजकीय नलकूप पास-पास ही स्थित हैं । यदि फरवरी, 1978 में 41 बी0 जी0 का कार्य अर्थात् अधिष्ठापन पूर्ण हो गया होता, तो उसका भी विद्युतीकरण, परिषद् द्वारा कर दिया गया होता । राजकीय नलकूप का अधिष्ठान अब पूर्ण हो गया है और आशा की जाती है कि इसका विद्युतीकरण 15 अप्रैल, 1978 तक कर दिया जावेगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । मैंने 41 बी0 जी0 के बारे में पूछा था कि कब-कब बी0 एल0 फार्म दिया गया और विद्युत् विभाग ने इसको कब अनुपयुक्त समझा । मैं जानना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग को विद्युत् विभाग ने इसके लिये कोई पत्र लिखा या नहीं लिखा ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, इसका तो उत्तर में ही उल्लेख है कि राजकीय नलकूप संख्या 41 (बांसी ग्रुप) का बी0 एल0 फार्म उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् को 18 अक्तूबर, 1977 को प्राप्त हो गया था, परन्तु ट्यूबवेल विभाग को कार्य पूर्ण न होने के कारण बिजली की लाइन का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका ।

श्री अध्यक्ष—

जब यह प्राप्त हुआ और ट्यूबवेल डिपार्टमेन्ट ने काम नहीं किया, तो विद्युत् विभाग ने उसकी सूचना कब दी ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

ऐसा होता है कि बी0 एल0 फार्म उन्होंने जमा कर दिया । जैसे-जैसे सामान होता जाता है, उसमें काम शुरू करते हैं । जहां पर सारा काम हो जाता है, हम कनेक्ट कर देते हैं । 15 अप्रैल इसमें तिथि दी गयी है । अधिष्ठापन कार्य अब पूरा हो गया है । मैंने पहले भी कहा कि अगर विद्युत् विभाग के किसी कर्मचारी द्वारा विलम्ब हुआ, यह अलग विषय है, इसकी जांच करा ली जायेगी ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

मेसर्स लक्ष्मी देवी शुगर मिल्स प्राइवेट लि०, छितौनी, देवरिया के मजदूरों का बकाया वेतन

*1—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या शासन को जानकारी है कि देवरिया जनपद में सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मी देवी शुगर मिल के मजदूरों का ग्यारह मास का वेतन बकाया है तथा वेतन न मिलने से मजदूर और उनके आश्रितों का जीवन संकटापन्न है ? यदि हां, तो वेतन न मिलने का क्या कारण है ? तथा कब तक भुगतान मिल जाएगा ?

श्रम मंत्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)—

मेसर्स लक्ष्मी देवी शुगर मिल्स प्रा0 लि0, छितौनी (देवरिया) में मजदूरों का फरवरी, 77 से अक्टूबर, 77 तक तथा फरवरी, 78 का दस माह का वेतन भुगतान हेतु अवशेष है जिसके कारण मजदूरों में असन्तोष है। यह चीनी मिल रिसीवरशिप में है तथा कलेक्टर, देवरिया इसके रिसीवर हैं। इस चीनी मिल की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है तथा बैंक द्वारा क्रेडिट लिमिट की आवश्यक स्वीकृति न मिलने के कारण मजदूरों का समय से वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है । रिसीवर को बकाया वेतन का भुगतान शीघ्रातिशीघ्र करने के आदेश दे दिये गये हैं। पूर्ववर्ती मालिकों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथा-समय संदाय) अध्यादेश के अन्तर्गत प्राभियोजन दायर करने के आदेश भी दे दिये गये हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने इस प्रतिष्ठान में रिसीवर की नियुक्ति कब की और रिसीवर के कार्यकाल में कितने दिनों का वेतन शेष रहा और उसके पहले जो उसके प्रबंध संचालक थे, उनके कार्यकाल में कितने दिनों का वेतन बकाया है और कुल कितनी धनराशि बकाया है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

श्रीमन्, रिसीवर मई, 1977 में नियुक्त हुआ था। जैसा कि मैंने बतलाया फरवरी, 1977 से अक्टूबर, 1977 तक का वेतन बाकी है । तो उस मालिक के जिम्मे फरवरी, मार्च व अप्रैल का जो बकाया है उसके लिए जो अभी नया आर्डिनेंस बनाया है, अब तो यह कानून बनने जा रहा है, उसकी कुर्की, जब्ती और गिरफ्तारी हो सकती है, इसके अन्तर्गत प्राभियोजन दायर करने का आदेश दे दिया गया है । उसके बाद की 6 महीने की तनख्वाह बाकी है । फरवरी, 1977 की 1 लाख 22 हजार 367 रुपया, मार्च, 1977 का 2 लाख 17 हजार 860, अप्रैल, 1977 का 1 लाख 12 हजार 973 रुपया है । चूंकि इन रकमों के लिए पहले के मालिक जिम्मेदार हैं, उनके विरुद्ध प्राभियोजन दायर हो गया है। मई में 57 हजार, जून में 64 हजार 90, जुलाई में 27 हजार 250 रुपया, अगस्त में 1 लाख 15

हजार 671 रुपया, सितम्बर में 1 लाख 17 हजार, 329 रुपया और अक्तूबर में 1 लाख 22 हजार 484 रुपया और कुल मिलाकर यह धनराशि 9 लाख 57 हजार 921 रुपए थी, जिसमें से ऊपर की रकम घटा दी जाय तो 4 लाख के करीब है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि फरवरी, मार्च और अप्रैल, 1977 अर्थात् 3 माह का वेतन उस प्रतिष्ठान के प्रबंध संचालकों के ऊपर है, जिसके लिए प्राभियोजन दायर किया गया है, तो उसी प्रकार से शेष 7 महीने का वेतन, जब से वह मिल सरकार के नियंत्रण में आई है, तो उन अधिकारियों के विरुद्ध कौन सा प्राभियोजन दायर किया गया है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

कारण यह है कि उसने शासन को लिखा है कि सरकार कैश क्रेडिट लिमिट के लिए गारन्टी दे। 80 हजार रुपए की सरकार गारन्टी दे चुकी है। फिर वहां के जिलाधीश ने लिखा है कि सरकार 1 लाख 20 हजार रुपए की गारन्टी दे ताकि तत्काल वेतन का भुगतान किया जा सके, उस पर कैबिनेट विचार कर रही है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

जो प्रतिष्ठान के मालिक हैं, उनके खिलाफ तो आप कुर्की, नीलाम आदि सब कुछ करेंगे। उसके बाद जब आपके रिसीवर हो गये, तो आपने लिखा कि फौरन भुगतान कर दो। तो आखिर आपने कौन सी व्यवस्था की है जिससे मजदूरों का भुगतान हो सके ?

श्री अध्यक्ष--

रिसीवर तो उनका है लेकिन कार्यवाही माननीय मंत्री जी को अपने ही खिलाफ करनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने इजाजत मांगी है।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मान्यवर, माननीय सदस्य का यह विचार है कि हम अपने ही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऊपर मुकदमा क्यों नहीं चलाते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

वे यह जानना चाहते हैं कि आपने क्या व्यवस्था की है और पेमेंट कब तक हो जायगा ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

जैसे ही हम बैंक को गारन्टी दे देंगे, 2 करोड़, 20 लाख की, स्वीकृति हो चुकी है, तत्काल ही वेतन भुगतान कर दिया जायगा।

श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, एक प्रश्न हमको करने दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष--

अब नहीं।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, मुझे एक सवाल [illegible] दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

अब नहीं। आप बैठ जाइये। यह आवश्यक नहीं है कि जिनका इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है, वह इस तरह से चीत्कार करें। मैं इस तरह से अनुमति नहीं दूंगा।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)--

मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये। आप इस तरह से सदन का समय नष्ट करते

(व्यवधान)

श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, यह हमारे क्षेत्र की बात है। मुझे एक प्रश्न पूछने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप इतने वरिष्ठ सदस्य होकर सदन का समय नष्ट कर रहे हैं। अब मैं इसमें समय नहीं दूंगा। आप बैठ जाइये।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]।

अलीगंज हाउसिंग स्कीम, लखनऊ के मकानों का निर्माण एवं कीमतों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*1--प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगंज हाउसिंग स्कीम (लखनऊ विकास प्राधिकरण) के दोष पूर्ण भवन निर्माण एवं मकानों की कीमतों की वृद्धि आदि के सम्बन्ध में जून, 1977 से 31 अगस्त, 1977 तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)--

अलीगंज आवास योजना के दोष पूर्ण भवन निर्माण एवं मकानों की कीमतों की वृद्धि आदि के सम्बन्ध में जून, 1977 से 31 अगस्त, 1977 तक कुल 7 शिकायती पत्र प्राप्त हुए। निर्माण सम्बन्धी सभी शिकायतों का यथासंभव निवारण लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कर दिया गया है। भूमि का लीज रेंट, किराया क्रय आधार पर आबंटित दो कमरे एवं एक कमरे के भवनों की किश्तों के भुगतान की अवधि बढ़ाने का विषय-लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचाराधीन है। निर्माण सम्बन्धी शिकायतों की जांच शासकीय टेक्निकल आडिट सेल द्वारा करायी जा रही है। भवनों के मूल्य में वृद्धि का कारण मुख्य रूप से निर्माण सामग्री के मूल्य में वृद्धि तथा भूमि के प्रतिकरों की दरों का बढ़ जाना है।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, यह माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि दोषपूर्ण भवन निर्माण सम्बन्धी शिकायतें क्या थीं और किनके द्वारा थीं, और किस तारीख को यह शिकायत की गयी थी ? इन शिकायतों को दूर करने में इतना विलम्ब क्यों किया गया ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, शिकायतें तो इतनी हैं कि अब इसको पढ़ने में हमारी समझ से सब समय खत्म हो जायगा ।

श्री अध्यक्ष--

आप उसका नेचर बतला दीजिए कि किस तरह की शिकायतें हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

एक शिकायत तो थी कि मकानों के प्लास्टर तथा जमीन के फर्श की ढाल आदि को फिर से बनवाया गया--दूसरी; दरवाजे, खिड़की बदलकर उसे फिर से रंगा जाये; तीसरी--बिजली और शौचालयों का सामान जो साधारण स्तर से कम है, उसे बदला जाय और ठीक किया जाय; चौथा--असुरक्षित दीवालों को ऊंचा कराया जाय; पांचवां--मकानों की छतें एक दूसरे से जुड़ी हैं, उनको ऊंची दीवालों द्वारा सुरक्षित किया जाये और जो छत टूट गयी हैं, उनका पुनः निर्माण किया जाय; छठां--नलों से पानी आता ही नहीं है। कभी-कभी दो-दो और तीन-तीन रोज तक पानी नलों में मिलता नहीं है। पानी की लाइनों में प्रेसर कम था जिसे अब ठीक करा दिया गया है। निर्माण में निम्न स्तर की सामग्री के प्रयोग की जांच शासकीय आडिट सेल के द्वारा की जा रही है।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, यह लखनऊ विकास प्राधिकरण और जो मकान क्रेता लोग हैं उनके बीच मकान खरीदते समय कोई एग्रीमेंट, इस प्रकार का हुआ था कि यदि निर्माण सम्बन्धी सामग्री और प्रतिकर वगैरह अगर बढ़ाये जायेंगे, तो उसके लिहाज से मकान की कीमत बढ़ा दी जायगी। यदि कोई एग्रीमेंट हुआ था, तो वह एग्रीमेंट क्या है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, जो सूचना मेरे पास इस वक्त उपलब्ध है, उसके अनुसार इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि ऐसा कोई अनुबंध हुआ था, जो माननीय प्रदीप कुमार जी कह रहे हैं।

[13 अप्रैल, 1978 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

चंडीघाट, जिला बिजनौर की शराब की दुकान का ठेका और जिलाधिकारी, सहारनपुर की स्वीकृति

*1--श्री राजकुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)--

क्या आबकारी मंत्री को यह जानकारी है कि चंडीघाट, जिला बिजनौर में एक दूकान देशी शराब की दिनांक 1 अप्रैल, 1977 से 11 अप्रैल, 1977 तक अवैध रूप से बिना लाइसेंस चलती रही ? इस दुकान के ठेके की नीलामी दिनांक 11 अप्रैल, 1977 को हुई ? यदि हां, तो उक्त अवधि में दुकान किसने खोल रखा और उसका आधार क्या था ?

श्री गणेशदत्त वाजपेयी--

उक्त अवधि में प्रश्नगत दूकान को अस्थायी रूप से चलाने की अन्तरिम व्यवस्था जिलाधिकारी, बिजनौर द्वारा वैध रूप से की गयी थी। जनविरोध के कारण इस दुकान को कांगड़ी रोड पर स्थानान्तरित करके 19-4-77 को नीलाम किया गया। प्रश्नगत अवधि में इस दुकान का अस्थायी प्रबंध श्री सत्य प्रकाश पुत्र श्री विशम्भर दास, बिजनौर के नाम किया गया था।

*2--श्री राजकुमार शर्मा---

क्या आबकारी मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि एक्साइज मैनुअल के अनुसार किन्हीं दो जिलों की सीमा पर शराब की दुकान दोनों जिलाधीशों की सहमति से खोली जा सकती है और वह भी सीमा से 3 मील दूर ? यदि हां, तो उक्त दुकान पर इस प्रकार की सहमति थी ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

जी हां, चंडीघाट में नयी दुकान खोले जाने का आदेश मार्च के अन्त में जिलाधिकारी, बिजनौर को प्राप्त हुआ था। समयाभाव के कारण सहारनपुर के जिलाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त न की जा सकी ।

फार्मेसिस्ट एवं नर्सों के पद पर प्रशिक्षित मेडिकल अटेंडेंट्स को नियुक्त की मांग

*3 --श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी) (अनुपस्थित)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि प्रशिक्षित मेडिकल अटेन्डेन्ट्स को फार्मेसिस्ट और स्टाफ नर्सेज के रिक्त पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)--

जी हां, फार्मेसिस्टों एवं नर्सों के पद पर केवल वे ही नियुक्त किये जा सकते हैं, जिन्होंने इन सेवाओं के लिए निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तथा सम्बन्धित कौन्सिल में पंजीकृत हों।

स्वर्गीय डा० बी० एन० तिवारी, संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

*4--श्री नरेश चन्द्र (अनुपस्थित)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा (डा० बी० एन० तिवारी) के विरुद्ध चरित्र व भ्रष्टाचार सम्बन्धी जांच रिपोर्ट अतिरिक्त निदेशक द्वारा शासन में इस वर्ष दाखिल की जा चुकी है ? उक्त रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां।

आरोप प्रमाणित नहीं हुए। वैसे 18 दिसम्बर, 1977 को डा० बी० एन० तिवारी का देहान्त हो चुका है ।

नोटीफाइड एरिया, रेनुकूट, मिर्जापुर के कथित सफाई मजदूरों का स्थायीकरण

*5--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोटीफाइड एरिया रेनूकूट, जिला मिर्जापुर में 100 के करीब सफाई मजदूर वर्षों से कार्य कर रहें हैं ? क्या उनको अभी तक स्थायी नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

नोटीफाइड एरिया, रेनूकूट में कोई सफाई मजदूर समिति की ओर से नियुक्त नहीं हैं। अतएव स्थायीकरण का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री ऊदल--

क्या यह सही है कि यहां नोटीफाइड एरिया का प्रबन्ध बिड़ला का जो अल्युमियिम का कारखाना है, उसकी तरफ से अब तक किया जा रहा था और उसके द्वारा वहां सफाई मजदूर रखे गए हैं। उनको न तो तब से तनख्वाह मिलती है न स्थायीकरण के लिए कोई बात ही की गयी, क्या इसकी जांच करायेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

रेनूकूट नोटीफाइड एरिया के सम्बन्ध में शासन द्वारा विज्ञप्ति 1962 में की गयी थी लेकिन पिछली सरकार ने केवल विज्ञप्ति किया और नोटीफाइड एरिया के गठन के लिए कोई कार्यवाही नहीं किया। जहां तक वहां के सफाई कर्मचारियों का प्रश्न है वे चाहे बिरला साहब के कारखाने के लोग हों या कहीं के, वे रखे गए थे या नहीं, यह जानकारी नहीं है। प्रबन्ध होता था। लेकिन इसका जो नामांकन करेक्टर था, वह नवम्बर, 1977 में समाप्त कर दिया था उसके अब चुनाव कराएगें।

श्री अध्यक्ष—

उनका प्रश्न है कि सफाई मजदूर तो बिरला प्रतिष्ठान द्वारा रखे गए थे, तो उनके स्थायीकरण के बारे में क्या किया गया है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जितने भी कर्मचारी थे, उनका न तो शासन से और न नोटीफाइड एरिया से कोई सम्बन्ध था। तो बिरला साहब क्या करते थे, उससे शासन से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री ऊदल—

मेरा प्रश्न है कि जब 1962 में वह नोटीफाइड एरिया हो गयी, नोटीफिकेशन होने के बाद तो उसके गठन के आदेश दे दिए, चाहे बिरला के द्वारा या कारखाने के द्वारा। वहां 50 सफाई मजदूर कारखाने के अलावा सड़कों और दूसरा सफाई का काम करते हैं, तो उनको न तो तब से तनख्वाह मिली और न स्थायीकरण हुआ। तो मंत्री जी कृपा कर उन सफाई कर्मचारियों के बारे में जो बाहर काम करते थे या टाउन एरिया के अन्दर काम करते थे, जांच करायेंगे। अगर सही हुआ तो गवर्नमेंट न दे सके, तो क्या बिरला प्रतिष्ठान के द्वारा विचार करके उनको वेतन आदि दिलवायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी उत्तर दे चुके हैं कि ये सफाई मजदूर नोटीफाइड एरिया कमेटी के मजदूर नहीं, जहां तक बिरला संस्थान का सवाल है .....

श्री ऊदल—

उसी के हैं, श्रीमन्, मैं सफाई चाहता हूं। क्या वहां नोटीफाइड एरिया कमेटी का गठन रेनूकूट में हुआ था ? यदि हां, तो क्या सफाई मजदूर रखे गये थे ? वहां अल्युमिनियम कारखाने के मजदूर चेयरमैन और सदस्य हुये थे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मैंने शुरू में ही उत्तर दिया कि इस सम्बन्ध में पिछली सरकार ने 1962 में विज्ञप्ति तो किया लेकिन किसी भी नोटीफाइड एरिया कमेटी का गठन नहीं हुआ। ऐसा लगता है जैसे बिरला साहब के जरिये से हुआ हो।

श्री रियासत हुसैन—

क्या यह समझा जाय कि प्रदेश के अन्दर रेनूकूट एक ऐसी नोटीफाइड एरिया है, जहां जनता के वेलफेयर का कोई दायित्व शासन का नहीं है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

नोटीफाइड एरिया का गठन हुआ ही नहीं था, इसलिये प्रश्न का उत्तर देने का प्रश्न नहीं उठता।

*6—श्री देव कुमार—

[दिनांक 13 अक्तूबर, 1977 को तारांकित प्रश्न संख्या 13 द्वारा उत्तरित।]

आपातकाल में अनिवार्य सेवानिवृत्त किये प्रथम श्रेणी के डाक्टर

*7—श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि आपातकाल के दौरान प्रथम श्रेणी के सत्रह एम0 पी0 बी0 एस0 सेवारत डाक्टरों को बिना किसी पूर्व सूचना के तत्कालीन सरकार ने अनिवार्य

सेवानिवृत्त कर दिया था ? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सेवा–काल की अवधि रहते इन डाक्टरों को सेवा निवृत्त किये जाने का कारण क्या था ?

श्री कल्याण सिंह—

आपातकाल के दौरान 13 प्रथम श्रेणी के डाक्टरों को वित्तीय नियमावली के खंड 2, भाग 2––4 के मूल नियम 56 के अधीन नोटिस के बदले तीन माह का वेतन देकर अनिवार्य सेवानिवृत्त किया गया ? उक्त अधिकारियों को लोकहित में और अधिक सेवा में बनाये रखना उपयुक्त नहीं समझा गया था।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी—

इन डाक्टरों में 11 डाक्टर एम0 बी0 बी0 एस0 ऐसे हैं, जिन्हें इमरजेन्सी के दौरान बिना किसी कारण के हटा दिया गया, क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि उनको किन कारणों से हटाया गया ?

(इस समय सदन की बत्ती चली गयी, कुछ क्षण बाद बत्ती आने पर सदन की कार्यवाही पुनः शुरू हुई)।

श्री कल्याण सिंह—

जिन डाक्टरों को 3 माह का वेतन देकर सेवा से मुक्त किया गया था, वह एक स्क्रीनिंग कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर किया गया था, जिसने उनके करेक्टर रोल्स आदि देखकर अपनी रिपोर्ट दी थी। परन्तु वर्तमान शासन की नीति यह है कि इमरजेन्सी के दौरान यदि किसी के साथ किसी प्रकार का अन्याय हुआ है, चाहे पालीटिकल रीजन्स से हो या अन्य किसी कारण से ही, चाहे पर्सनल विक्टीमाइजेशन की ग्राउन्ड पर हो, तो उस पर यह शासन पुनः विचार करेगा ? अगर किसी डाक्टर के साथ कोई ज्यादती हुई है और अकारण किसी को सेवा से मुक्त कर दिया गया है, तो उस पर सरकार विचार करेगी। जो मसला आज पेश हुआ है यह भी शासन के विचाराधीन है ताकि किसी के साथ अन्याय न होने पाये।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी—

अगर इन डाक्टरों को तत्कालीन सरकार की नीतियों का समर्थन न करने के कारण ही हटाया गया है, तो क्या सरकार उनके मामलों पर पुनः विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष—

इसका तो उत्तर दे दिया।

श्री कन्हैया लाल गुप्त (जिला मथुरा)—

इस तरह के केसेज पर विचार कब तक हो जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह—

जो इसकी प्रक्रिया है वह शासनादेश में निर्गत की गयी है। इसके अनुसार ऐसे मामले जिनके नियुक्ति अधिकारी राज्यपाल हैं, पहले उनके मामलों में विभागीय सचिव छानबीन करेंगे और अपनी आख्या, वे कार्मिक विभाग के सचिव को प्रस्तुत करेंगे। फिर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति के सामने यह मामले जायेंगे। तो इसमें प्रयास यह होगा कि इन मामलों में अनावश्यक बिलम्ब न हो।

श्री राजेश कुमार सिंह (जिला आगरा)—

मान्यवर, क्या मंत्री जी कोई नवीन स्क्रीनिंग कमेटी बनायेंगें इन मामलों के सम्बन्ध में, ताकि फिर से विचार किया जाय ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनकी जानकारी में कोई ऐसा केस है, जिसमें उनका जमीर कहता है कि उनके साथ आपातस्थिति में ज्यादती हुई है ?

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, मैं समझ नहीं पाया कि माननीय सदस्य ने क्या प्रश्न किया है ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैंने पूछा कि क्या स्वास्थ्य मंत्री जी की जानकारी में कोई ऐसा मामला है, उनके विभाग से सम्बन्धित, जिसमें वह समझते हैं कि उस आदमी के साथ आपातस्थिति में ज्यादती हुई है ?

श्री अध्यक्ष—

आप उनकी जानकारी क्यों चाहते हैं ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

वह तो शासन को जानकारी हो जायगी ।

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, इस प्रकार के सब केसेज देखे जा रहे हैं । मैंने निवेदन किया कि अगर इमरजेंसी के दौरान अनावश्यक रूप से किसी के साथ ज्यादती हुई है, तो सरकार ऐसे केसेज को रिव्यू कर रही है । हम देखेंगे कि अगर कोई ज्यादती इमरजेंसी के पीरियड में हुई है, उसको बिना उपयुक्त अवसर दिये, तो ऐसे केसेज देखे जा रहे हैं ।

प्रदेशीय सेवा के डाक्टरों की सेवावधि में सेना की सेवाअवधि को सम्मिलित करने की मांग

*8—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने ऐसे डाक्टर सेवारत हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल 1965 पाकिस्तान युद्ध के समय भारतीय सेना में सेवा कर चुके हैं और बाद में प्रदेश की सेवा में ले लिये गये हैं ? क्या उनकी सेना की सेवावधि को प्रदेशीय सेवा की अवधि में जोड़ा गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन उनकी सेना की सेवाओं को प्रदेशीय सेवा की अवधि में जोड़ने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक निर्णय होने की आशा है ?

श्री कल्याण सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

मान्यवर, इसमें आधा प्रश्न ऐसा है जिसमें सूचना की आवश्यकता ही नहीं थी । क्या शासन उनकी सेना की सेवाओं को प्रदेशीय सेवा की अवधि में जोड़ने का विचार कर रही है । तो इसमें श्रीमन्, कौन सी सूचना की आवश्यकता है ?

श्री अध्यक्ष—

स्वास्थ्य मंत्री जी, आप देखेंगे कि यह प्रश्न 21 नवम्बर, 1977 का है । आप देखें कि पूरे 5 महीने करीब-करीब हो चुके हैं और सूचना अब तक नहीं आई । तो कब तक सूचना आ जायगी ? यह जो माननीय सदस्य का प्रश्न है कि सेना में जो उनकी सेवायें हैं, तो क्या इनको प्रदेशीय सेवा की अवधि में जोड़ा जायगा । यह तो नीति का प्रश्न है ।

श्री कल्याण सिंह—

माननीय, पूरे प्रदेश के 56 जिलों से यह सूचना एकत्र की जा रही है कि किस-किस जिले के कितने-कितने डाक्टर सेना में काम करने के लिये गये थे । वैसे जहां तक सेवा अवधि को जोड़ने का प्रश्न है, शासन सिद्धांततः इस बात से सहमत है कि जिन्होंने काम किया है और उसके पश्चात् इन-कांटीन्यूटी सेवा में आ गये हैं, उनकी सेवा को जोड़ा जाना चाहिये ।

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

उनकी सेवा को जोड़ने के सम्बन्ध में, मैं कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा सिद्धांततः स्वीकार है, तो यह तो अमल की बात हुई ।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

माननीय, स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 21 नवम्बर, 1977 को प्रश्न दिया गया है । माननीय अध्यक्ष, जो बार-बार यह निर्देश देते हैं कि टालू मिक्सचर जवाब न दीजिये कि सूचना एकत्रित की जा रही है । तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं चाहूंगा कि मंत्रियों के लिये कोई आचार संहिता बनायी जाय ताकि आपके आदेश का पालन करें क्या इस पर आप विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह कोई प्रश्न नहीं है । मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं । पांच महीने हो गये हैं, जिलों से सूचना प्राप्त करने में । एक महीने का समय पर्याप्त होना चाहिये था । इसका उत्तर आप कब दे पायेंगे ?

श्री कल्याण सिंह—

इसके लिये 15 दिन का समय चाहिये ।

*9—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त ।]

बाराबंकी शहर के कतिपय मोहल्लों के सफाई कर्मचारियों की बस्ती से जलकर की वसूली

*10—श्री ऊदल—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुहल्ला भितरी पीरबटावन, बेगमगंज, कटरा, कानूनगोयान, रसूलपुर शहर, बाराबंकी में सफाई कर्मचारियों के क्रमशः दो-दो सौ घर हैं और उनके घरों में पानी के नल नहीं लगाए गए हैं फिर भी उनसे अलग अलग प्रत्येक परिवारों को पिछले 6-7 वर्षों का तथा चालू वाटर टैक्स वसूलने की नोटिसे उन्हें दी गयी हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी नहीं । किसी के घर में नल लगवाना नगरपालिका का उत्तरदायित्व नहीं है । नियमानुसार सार्वजनिक जल स्तम्भ से 600 फीट के परिधि में आने वाले भवनों पर जलकर आरोपित किया जाता है जलकर का बिल प्रत्येक वर्ष भेजा गया किन्तु उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान न करने के कारण अवशेष 6-7 वर्षों का हो गया।

श्री ऊदल—

क्या मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि यह उनकी म्युनिसिपल के, सफाई कर्मचारियों की बस्तियों के आस पास नल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को नोटिस दी जा रही है, तो क्या उसको माफ करने की कृपा करेंगे और अपने सफाई कर्मचारियों के लिये पेयजल की व्यवस्था करायेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, ऊदल जी ने 5–6 मोहल्लों का जिक्र किया है, तो मुहल्ला भितरी पीरबटायन में 6, बेगमगंज में 12, कटरा में 7, कानूनगोयान में 15 और रसूलपुर में 7 जल स्तम्भ हैं। इसके अलावा माननीय सदस्य को जानकारी होगी कि इसी शासन ने एक कानून बनाया था, जिसमें प्राविधान किया था कि ऐसे मकान जिनका मूल्यांकन 360रु0 है, उनके मकान में व्यक्तिगत नल नहीं हैं, तो उनसे कोई जलकर वसूला नहीं जायेगा। यह कानून 1 दिसम्बर, 1977 से लागू हो गया है। इससे वहां के सफाई कर्मचारी लाभान्वित होंगे। जहां तक पिछले कर का सवाल है, जो बकाया है, शासन माफ करने पर विचार करेगा। मैं श्री ऊदल के सुझाव का स्वागत करता हूं और निश्चय ही इस पर विचार किया जायेगा।

मृत संजीवनी सुरा तथा टिंचर–जिंजर के लिये पावर अल्कोहल की आपूर्ति

*11—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार की ओर से प्रदेश की वर्तमान सरकार को हाल ही में कोई इस आशय के निर्देश प्राप्त हुए हैं कि मृतसंजीवनी सुरा तथा टिंचर –जिंजर के लिये पावर अल्कोहल बिल्कुल न दिया जाय ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

जी नहीं।

केन्द्रीय सरकार की ओर से प्रदेशीय सरकार को इस आशय के कोई निर्देश नहीं प्राप्त हुए हैं कि मृतसंजीवनी सुरा तथा टिंचर –जिंजर के लिये पावर अल्कोहल बिल्कुल न दिया जाय।

उपर्युक्त औषधियां परिशोधित स्प्रिट से बनायी जाती हैं। इनके निर्माण में पावर अल्कोहल का प्रयोग नहीं होता है।

श्री लाल जी राय, आबकारी निरीक्षक, आजमगढ़ के क्षेत्र में शराब की अवैध दुकाने एवं निरीक्षक का निलम्बन

*12—श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि वर्ष 1976–77 में आबकारी आयुक्त (श्री एम0 यू0 किदवई) ने छापा मार कर आजमगढ़ जनपद में कार्यरत आबकारी निरीक्षक के क्षेत्र में अवैध रूप से बिक्री करती हुई शराब की दूकानें पकड़ी और आबकारी निरीक्षक को निलम्बित किया गया ? यदि हां, तो आबकारी निरीक्षक की बहाली और पुनः आजमगढ़ में ही नियुक्ति का आधार क्या है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

जी हां। दिनांक 6 दिसम्बर, 1976 को उप आबकारी आयुक्त श्री एम0 यू0 किदवई ने श्री लाल जी राय, आबकारी निरीक्षक, जनपद आजमगढ़ के क्षेत्र में अवैध बिक्री करती हुई शराब की दुकानें पकड़ीं और आबकारी निरीक्षक श्री राय को 23

दिसम्बर, 1976 को निलंबित किया गया। आबकारी निरीक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करके उन्हें दंडित किया गया। बाद में दिनांक 8 फरवरी, 1977 को उन्हें अपने पद पर पुनः स्थापित किया गया एवं आबकारी नीलाम अतिनिकट होने के कारण राजस्व के हित में स्थानीय परिस्थिति को दृष्टिगत रख कर उस समय आजमगढ़ से हटाना हितकर न समझा गया। परन्तु नीलाम के बाद उन्हें गाजियाबाद स्थानान्तरित कर दिया गया था।

श्री शम्भू नाथ चौधरी--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि संबंधित आबकारी निरीक्षक के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी और क्या उन्हें दन्ड दिया गया? क्या कारण थे कि उन्हें फिर डेढ़ महीने बाद उसी पद पर नियुक्त किया गया ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मान्यवर, श्री लाल जी राय के खिलाफ एक तो प्रतिकूल प्रविष्टि की गयी और एक साल का उनका इन्क्रीमेन्ट रोक दिया गया। फिर उसके बाद उनको अपने पद पर दुबारा इसलिये रखा गया ताकि अधिक से अधिक नीलाम में पैसा मिल सके।

श्री शम्भू नाथ चौधरी--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किसी के चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि और निलंबित करने का दन्ड देने के बाद भी थोड़े समय में बहाली करने का क्या प्राविधान है? क्या उनका गाजियाबाद स्थानान्तरण हुआ और वह वहां चले गये या दूसरी जगह वह हैं? यदि हां, तो कहां हैं ?

श्री अध्यक्ष---

मंत्री जी जो अंतिम भाग है" क्या वह वहां से चले गये और गाजियाबाद में ड्यूटी ज्वाइन की है" केवल इसी के उत्तर की इजाजत दे रहा हूं।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मान्यवर, गाजियाबाद चले गये थे।

श्री अध्यक्ष--

यही उन का प्रश्न है कि वह वहीं पर हैं या गाजियाबाद चले गये।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

29 अगस्त, 1977 को गाजियाबाद चले गये।

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन्सपेक्टर के अपराध को गंभीरता से देखते हुए उसको सेवा से मुक्त करने का दन्ड क्यों नहीं दिया जा सकता ?

श्री अध्यक्ष--

अब यह तो सुझाव है। उत्तर दे दिया है। यह कोई प्रश्न नहीं है। उन्होंने कहा कि जो विभाग ने उचित समझा।

क्षेत्रीय सहायक श्रमायुक्त, लखनऊ का स्थानान्तरण

*13--श्री गिरीश चन्द्र तिवारी--

दिनांक 22 सितम्बर, 1977 के तारांकित प्रश्न संख्या 19 के सन्दर्भ में क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब तीन वर्ष बाद गजटेड अधिकारियों के

स्थानान्तरण की सामान्य प्रक्रिया है फिर उक्त प्रश्न के उत्तर से संबंधित क्षेत्रीय सहायक श्रमायुक्त को 5 वर्ष से अधिक समय तक एक ही स्थान पर रखने का क्या कारण है?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी---

श्रमायुक्त ने अपने प्रस्ताव में अनुरोध किया था कि सहायक श्रमायुक्त, लखनऊ, जो इसके पहले बरेली में तैनात थे, उनको एक वर्ष और लखनऊ में ही रोक दिया जाय, क्योंकि श्रमायुक्त संगठन में कोई ऐसा अन्य सहायक श्रमायुक्त उपलब्ध नहीं है, जिसने एक ही स्थान पर तीन वर्ष की सेवा-अवधि पूरी कर ली हो । श्रमायुक्त के इस अनुरोध पर तथा प्रशासकीय कठिनाइयों को ध्यान में रखकर, जनहित में तत्कालीन क्षेत्रीय सहायक श्रमायुक्त, लखनऊ (वर्तमान में उप श्रमायुक्त, लखनऊ) का स्थानान्तरण एक वर्ष के लिये रोक दिया गया था किन्तु उनके स्थानान्तरण के आदेश दे दिये गये हैं ।

*14---श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री हुकुम चन्द्र तिवारी तथा श्री राज कुमार शर्मा---

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

फैजाबाद जिले में राजकीय चिकित्सालय की स्थापना की मांग

*15---श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद के देहाती अंचलों में पांच राजकीय चिकित्सालय खोलने के बारे में प्रश्नकर्त्ता द्वारा भेजा गया दिनांक 29 नवम्बर, 1977 का पत्र मिला है? यदि हां, तो उस बारे में क्या कार्यवाही हो रही है? उक्त चिकित्सालयों को खोलने में शासन के सामने क्या कठिनाई है ?

श्री कल्याण सिंह---

जी हां ।

सीमित संसाधनों के कारण अभी यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि प्रश्नगत अंचलों में चिकित्सालय कब तक खोले जा सकेंगे ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि संसाधनों की कमी के कारण क्या शासन ने फिलहाल कोई नया चिकित्सालय बिल्कुल नहीं खोलने का निश्चय कर लिया है ? यदि नहीं, तो नये चिकित्सालय खोलने के लिये शासन ने कौन-कौन से मापदन्ड या मानक निर्धारित किये हैं और प्रश्नगत अंचल उस कोटि में आता है या नहीं ?

श्री कल्याण सिंह---

मान्यवर, माननीय सदस्य के प्रश्न के प्रथम अंश का उत्तर---शासन ने कुछ अस्पताल तो खोलने का निश्चय किया है । ऐसा नहीं है कि एक भी अस्पताल नहीं खोला जायगा । दूसरे अंश का उत्तर---जिन क्षेत्रों में चिकित्सालय की सुविधा पूरे प्रदेश भर में सब से कम है जो हमारे क्षेत्र सर्वाधिक पिछड़े हुए हैं, जैसा मैं पिछले बजट सत्र में कह चुका हूं और फिर दोहराता हूं, इस बात का निश्चय किया है कि वह क्षेत्र किसी विधायक का हो किसी पार्टी के विधायक का हो वहां पर निःशुल्क भवन उपलब्ध हों और अधिक से अधिक पोपुलेशन को अस्पताल सर्व कर सकें यहीं माप दन्ड होगा। तीसरे अंश का उत्तर कि इस श्रेणी में आता है या नहीं इसका परीक्षण कर लिया जायगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो भी मानक उन्होंने तय किये हैं या आगे बनायेंगे और जिसकी उन्होंने अभी सदन में घोषणा की, क्या वे सदन को स्पष्ट आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि भविष्य में नये चिकित्सालय खोलने के समय इन माप-दन्डों का कड़ाई से पालन किया जायगा ?

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, इस समय जो खोले गये हैं, उनमें पालन किया गया है और भविष्य में जो माप दन्ड सदन में प्रस्तुत किये हैं उनका कड़ाई से पालन किया जायगा।

(श्रीमती राम रति देवी का नाम पुकारे जाने पर और उनके द्वारा देरी करने पर ।)

श्री अध्यक्ष—

आप इतनी देर क्यों कर रही हैं ?

श्रीमती राम रति देवी (जिला फैजाबाद)—

चूंकि प्रश्न मेरे जिले से संबंधित है इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि जिले के जो सुझाव आये हैं क्या वे समिति के द्वारा आये हैं और किन-किन स्थानों के लिये आये हैं ?

श्री कल्याण सिंह—

इस प्रश्न से कोई सीधा संबंध नहीं है। माननीय सदस्या पीछे बैठती हैं, वह चाहेंगी, तो मैं उनको बतला दूंगा।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि निर्धारित मानकों के अनुसार कितने अस्पताल वह प्रदेश में खोलने का इरादा रखते हैं ?

श्री कल्याण सिंह—

17 तारीख को बजट पास होगा, उसमें जो प्रस्ताव किये जायेंगे, वह आपकी जानकारी में आ जायेंगे उससे पहले मैं कैसे घोषणा कर दूं ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या इस बात की व्यवस्था की जा रही है कि जिन स्थानों पर चिकित्सालय खोले जायं वहां डाक्टर पहुंच जायं क्योंकि मेरे क्षेत्र में अस्पताल खोले गये, लेकिन डाक्टर एक भी नहीं गया ?

श्री कल्याण सिंह—

इस बात की पूरी व्यवस्था की गयी है कि जहां भी अस्पताल खोले जायं, वहां डाक्टर पहुंच जायं, लेकिन इसमें आप सभी का सहयोग भी चाहिये क्योंकि अगर कोई बाहर भेजा जाता है, तो वहां जाकर किसी दूसरी जगह भेजा जाय, इसके लिये लोग मेरे पास आते हैं।

श्री रमा शंकर कौशिक—

अस्पताल खोलने के लिये जो मानक स्थापित किये गये हैं, उन जगहों पर जो अस्पताल खोलने की बात है, उसका परीक्षण करने के लिये कौन सी एजेन्सी रहेगी, जो यह बतलायेगी कि यहां पर अस्पताल, यह अस्पताल खोला जाय ?

श्री कल्याण सिंह—

पूरे प्रदेश के 56 जिलों के अलग-अलग नक्शे बनवा लिए गए हैं। पूरे प्रदेश का बृहत् नक्शा भी बनवा लिया गया है। विभिन्न पद्धतियों के जहां-जहां अस्पताल स्थापित हैं उनको लोकेट कर लिया गया है। उस जिले की पापुलेशन निकाल रहे हैं तथा उस ब्लाक की पापुलेशन निकाल रहे हैं। कोई मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध है, यह निकाल रहे हैं। अब कोई बेस्टेड इंटरेस्ट के कारण भिन्न सिफारिश करके भेज दे, यह हो सकता है। हमारा मापदण्ड जहां तक होगा आब्जेक्टिव होगा जिससे अधिक से अधिक पापुलेशन को वह सर्व कर पाएं, यह उद्देश्य हमारा है।

*16—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[9वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

7—श्री देव कुमार—

[7वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 67 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

ललितपुर तथा झांसी जिलों हेतु स्वीकृत पेय जल योजनायें और ताल बेहट पेय जल योजना का निर्माण

*18—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर) (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री दिनांक 13 अक्तूबर, 1977 प्रश्न 22 के उत्तर के क्रम में यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1976-77 और 1977 से 78 में ललितपुर में कितने रुपयों की कौन-कौन सी नई योजना और झांसी में कितने रुपयों की कौन-कौन नई योजनाओं पर काम प्रारम्भ किया गया?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*19—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तालबेहट पेय जल योजना के अन्तर्गत पूरा कलां आदि ग्राम भी शामिल किए गए थे, उनमें कार्य न होने का क्या कारण है और उत्तर में दी गई सूची में उक्त ललितपुर जनपद की 6 तथा झांसी जनपद की 13 योजनायें सरकार के पास तैयार हो कर कब आ गई थीं और सरकार ने उन्हें कब स्वीकार किया तथा इन पर काम कब प्रारम्भ हुआ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

सूचना एकत्र की जा रही है।

गढ़वाल तथा कुमायूं मण्डल, जल निगम में जूनियर इंजीनियर के पदों पर नियुक्ति

*20—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1 अप्रैल, 1976 तथा 1 अप्रैल, 1977 को गढ़वाल तथा कुमायूं मण्डल के जल निगम के विभिन्न डिवीजनों में कितने-कितने जूनियर इंजीनियर्स के पद सृजित किए गए तथा इन वर्षों में सृजित पदों में से कितने पद दिनांक 1 दिसम्बर, 1977 तक भरे गए और जो नहीं भरे गए, उनके रिक्त रहने के क्या कारण हैं?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

दिनांक 1 अप्रैल, 1976 व 1 अप्रैल, 1977 को गढ़वाल तथा कुमायूं मण्डल में स्थित जल निगम की शाखाओं के लिए जूनियर इंजीनियर्स के कोई नए पद सृजित नहीं किए गए बल्कि 31 मार्च, 1976 तक उक्त मण्डलों में विद्यमान क्रमशः 164 व 220 पदों में से 150 पदों को माह अगस्त, 1976 में पर्वतीय उप संवर्ग में परिणित किया गया।

गढ़वाल तथा कुमायूं मण्डलों की विभिन्न शाखाओं में दिनांक 1 दिसम्बर, 1977 तक उन पदों में से क्रमशः 46 व 155 पद भरे गए।

उपर्युक्त उप संवर्ग के समक्ष की गई 150 नियुक्तियों के पश्चात् अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना तथा कुछ अभ्यर्थियों द्वारा त्याग-पत्र दे दिए जाने से उपलब्ध रिक्तियों के बारे में सूचना एकत्रित करने में कुछ समय लगा जिसके कारण इन रिक्त पदों को 1 दिसम्बर, 1977 तक भरना सम्भव न हो सका।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि जल निगम में ऐसे अभियन्ताओं के न होने के कारण कितनी योजनायें ऐसी हैं, जिन पर अभी तक काम नहीं हुआ है? तो क्या ऐसे अभियन्ताओं की अतिशीघ्र नियुक्ति के लिए माननीय मन्त्री जी आश्वासन देंगे?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, प्रश्न का जो पहला भाग है, उसके उत्तर के लिए तो समय चाहिए और दूसरे भाग के लिए मैं निश्चित रूप में आश्वासन देता हूं।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब से जल निगम का निर्माण हुआ है तब से अब तक कितनी ऐसी योजनायें हैं, जिन पर काम पूरा हो गया है? जिन पर काम पूरा नहीं हुआ है, उन पर काम पूरा न होने के क्या कारण हैं? बहुत सी ऐसी योजनायें हैं, जिन पर अभी काम पूरा नहीं हुआ है?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जहां तक योजनाओं के सम्बन्ध में आपका प्रश्न है, उसके बारे में माननीय सदस्य अलग से प्रश्न करें। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में उत्तर दिया, यह प्रश्न केवल पद से ही सम्बन्धित था, योजनाओं के सम्बन्ध में नहीं था।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, जैसा कि माननीय मन्त्री जी को भी सूचना है कि जल निगम में जो आप इंजीनियर और ओवरसियर नियुक्त करते हैं, वे चले जाते हैं लेकिन यह देखा गया है कि आखिर कौन से ऐसे कारण हैं, जिनकी वजह से जल निगम में काम करना लोग पसन्द नहीं करते? क्या माननीय मन्त्री जी उन कारणों को पूरा करने के बारे में सोचते हैं?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, पहाड़ी क्षेत्रों में अभियन्ता जो हैं, वे वहां जाना पसन्द नहीं करते और इस सम्बन्ध में माननीय विधायकों को पूरी जानकारी है और मेरे पास भी उन्हीं के द्वारा संस्तुति के पत्र आते रहते हैं। जो पहाड़ों पर हैं, वे प्लेन में आना चाहते हैं और यह भी माननीय सदस्य ही संस्तुति करते हैं कि उनको पहाड़ों पर न भेजा जाय।

श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री (जिला देहरादून)---

मैं जानना चाहता हूं कि जब पर्वतीय क्षेत्रों में इंजीनियर नहीं जाते हैं तो क्या आप स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देंगे ? दूसरी बात यह है कि जो लोग जाते हैं उनके लिए यदि एक निश्चित समय कर दिया जाय कि उन्हें एक-दो साल वहां पर रहना है, तो मैं समझता हूं कि वहां पर इंजीनियर रहने के लिए तैयार हैं। क्या आप इसे अपनायेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

मान्यवर, मैंने मूल उत्तर में कहा है कि जो पद रिक्त हैं, उनमें से 46 और 155 भर लिए गए हैं और जहां तक प्राथमिकता देने का सवाल है शासन सार्वभौमिक एकता पर विश्वास करता है।

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने यह प्रश्न किया है कि जब आपको लोग नहीं मिलते हैं, तो क्या स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देकर उन पदों को भरेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

मान्यवर, लोग मिलते हैं और नियुक्तियां होती हैं लेकिन वे कोशिश करते हैं कि पहाड़ में न जाना पड़े।

लखनऊ में राज्य विद्युत् परिषद् के सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता व अधीक्षण अभियन्ता का कार्य-काल

*21---श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश विद्युत् परिषद् के अधीनस्थ कितने सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता व अधीक्षण अभियन्ता ऐसे हैं जो तीन वर्षों से अधिक अवधि से लखनऊ में ही पोस्टेड हैं ? क्या सरकारी घोषित नीति के अनुसार उनको स्थानान्तरित करने के प्रश्न पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही---

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के अधीन तीन वर्ष की अवधि के उपरान्त से लखनऊ में सम्प्रति 126 सहायक अभियन्ता, 61 अधिशासी अभियन्ता व 14 अधीक्षण अभियन्ता तैनात हैं। इनके स्थानान्तरण किए जाने के सम्बन्ध में परिषद् की नीति के अनुसार गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायगा।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अन्य विभागों की तरह विद्युत् विभाग में स्थानान्तरण के लिए जो सामान्य नियम बने हैं, उनकी परिधि से ये अधिकारी परे हैं ? उनका स्थानान्तरण कब तक कर दिया जायगा ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही---

मान्यवर, सामान्यतः 3 वर्ष के उपरान्त स्थानान्तरण की कार्यवाही की जाती है। लेकिन विद्युत् विभाग में कुछ ऐसे पद हैं, जो डिजाईनिंग, मौनिटरिंग, ट्रांसमिशन और कमीशन आदि के हैं जो कि एक्सपर्ट सर्विस है, उनके स्थानान्तरण पर विचार करना पड़ता है और इसीलिए मैं इस बात को साफ कर दूं आपके माध्यम से कि कुल 517 कर्मचारी, जिनका मैंने उल्लेख किया है, उसमें से केवल 7 असिस्टेन्ट इंजीनियर, 3 इक्जीक्यूटिव इंजीनियर ऐसे हैं, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष से भी ऊपर है और ये डिजाईनिंग, ट्रांसमिशन और टेस्टिंग सर्विसेज के हैं, इनके बारे में सोचना पड़ता है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो उन्होंने 126 सहायक अभियन्ता, 61 अधिशासी अभियन्ता व 14 अधीक्षण अभियन्ताओं की संख्या बताई जो तीन वर्ष से ज्यादा लखनऊ में हैं इनमें ऐसे कितने हैं, जिनके विरुद्ध पद के दुरुपयोग और अनियमितताओं के आरोप पत्र शासन को प्राप्त हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह इससे उत्पन्न नहीं होता है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या इनके विरुद्ध कोई आरोप-पत्र हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आपने पूछा था कि अवधि के बारे में कि कितने साल से स्थानान्तरण नहीं हुआ। यह जो अब प्रश्न पूछ रहे हैं इसमें सिवाय मन्त्री जी यह कहें कि मुझे सूचना की आवश्यकता है और क्या हो सकता है यह इससे पैदा नहीं होता।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी भी शासन की नीति है कि जिन इंजीनियर्स के विरुद्ध जांच चल रही हो उनको भी भले ही 5 साल क्यों न हो जाय, न हटाया जाय ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

ऐसी कोई नीति नहीं है कि न हटाया जाय।

बाबा राम अधार यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बनारस से श्री काशी नाथ पाण्डेय को 8 साल तक वहां रह चुके हैं, उनको मिर्जापुर स्थानान्तरित किया गया और 4 महीने बाद वह फिर बनारस बुला लिए गए।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए, यह मूल सवाल लखनऊ का है किसी बनारस के प्रश्न का उत्तर वह नहीं दे सकते। क्या मंत्री जी आपको इसकी जानकारी ह ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

इसमें जानकारी करनी पड़ेगी।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, हरिद्वार द्वारा निर्मित जनरेटिंग सेट

*22—श्री सुखपाल पांडेय—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, हरिद्वार द्वारा निर्मित 100 मेगावाट के ऊपर के कितने जनरेटिंग सेट उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् में नवम्बर, 1977 तक लगे हैं ? उनके द्वारा निर्मित विद्युत् की प्रति यूनिट दाम क्या छोटे सेटों द्वारा उत्पादित विद्युत् से अधिक है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

नवम्बर, 1977 तक उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् में 100 मेगावाट से ऊपर के भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, हरिद्वार निर्मित कोई जनरेटिंग सेट नहीं लगा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुखपाल पाण्डेय---

क्या माननीय विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर, 1977 तक जो जनरेटर लगे, वह किस कम्पनी द्वारा निर्मित थे और 100 मेगावाट के कितने सेट उत्तर प्रदेश में लगे ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही---

मान्यवर, माननीय सदस्य के प्रश्न से संबंधित जैसा कि मैंने कहा कि हरिद्वार का कोई जनरेटर सेट नहीं लगा। लेकिन इस अवधि में निम्न जनरेटर सेट इन स्थानों पर लगे हैं। पनकी ताप बिजली विस्तार 110 मेगावाट के दो यह हैदराबाद तथा तिरुची के बनाये हुए हैं, ओबरा में तीन सौ-सौ मेगावाट के यह हैदराबाद एवं तिरुचि के सेट हैं। हरदुआगंज 55 मेगावाट के दो, हैदराबाद तथा तिरुचि के हरदुआगंज 60 मेगावाट के दो हैदराबाद तथा तिरुचि के। ओबरा 33 मेगावाट के तीन यह भोपाल के हैं, छिब्रो 60 मेगावाट के चार यह भोपाल के हैं, कुलहल में तीन 10 मेगावाट के हरिद्वार के, रामगंगा में तीन 66 मेगावाट के यह भोपाल के हैं।

श्री सुखपाल पाण्डेय---

किस कंपनी के हैं नहीं बतलाया।

श्री अध्यक्ष---

बतला दिया।

श्री सुखपाल पाण्डेय---

जो जनरेटर नवम्बर, 1977 के पहले लगे थे, उनसे निर्मित प्रति यूनिट बिजली की कीमत कितनी है और दूसरों से जो निर्मित प्रति यूनिट बिजली है वह उनसे कितनी अधिक है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही---

मान्यवर, एक पावर हाउस में सामान्यतः जो उत्पादन कास्ट है, उसका हिसाब लगाने के लिये मोटे तौर पर चार चीजों को देखना होता है---कोयला या फ्यूल जो इस्तेमाल होता है, इस्टैब्लैशमेंट कास्ट, मेन्टीनेन्स का खर्च, इन्ट्रेस्ट और डिप्रशिएसन इन चार मुद्दों को देखना होता है। इसलिये जो उत्तर माननीय सदस्य चाहते हैं उसको देने में कठिनाई है। एक जगह कोयला इस्तेमाल होता है और कहीं कुछ इस्टैब्लेशमेंट भी उसी तरह होता है। इसलिये अलग-अलग छोटे-बड़े यंत्रों का निकालना कठिन होता है।

श्री अध्यक्ष---

अब प्रश्नों का समय समाप्त।

श्री सुखपाल पाण्डेय---

मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं आया, अब आप इसको कृपया स्थगित कर दें।

देवरिया जिले के राजकीय चिकित्सालयों में औषधियों का कथित अभाव

*23---श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इस समय देवरिया जनपद में समग्र राजकीय चिकित्सालयों में औषधियों का घोर अभाव है और केवल ए0 पी0

नोट---तारांकित प्रश्न संख्या 22 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

सी० तथा चन्द सल्फा ड्रग व मामूली मिक्सचर के अतिरिक्त कोई प्रभावी औषधि उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो सरकार ने वहां अधिकाधिक औषधि आपूर्ति हेतु क्या कार्यवाही की ?

श्री कल्याण सिंह---

देवरिया जनपद के राजकीय चिकित्सालयों में औषधियों का अभाव नहीं है तथा सभी आवश्यक औषधियां उपलब्ध हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

*24---श्री सुखपाल पाण्डेय---

[7वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

नगरपालिका, बांदा के प्लाटों का पट्टा

*25---श्री रामसजीवन (जिला बांदा)---

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका, बांदा के नजूल प्लाट नं० 2362, 10570, 10571, 10572, 10573, 1641 व 10710 का पट्टा किन-किन व्यक्तियों के नाम किन-किन तिथियों में किया गया ? क्या यह सत्य है कि पट्टेदारों ने पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करके दूसरों को बेंच दिये हैं तथा कुछ नम्बरों को नगरपालिका, बांदा ने रद्द किये जाने का भी प्रस्ताव किया है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या-क्या कार्यवाहियां की गई ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

नगर पालिका, बांदा के अन्तर्गत प्रश्नगत प्लाटों के पट्टे जिन व्यक्तियों के नाम बिभिन्न तिथियों में दिये गये, उनका विवरण संलग्न है।

(क) जी नहीं।

(ख) जी हां, नगरपालिका बांदा ने प्लाट नं० 2362 के एक भाग के पट्टेदार के पट्टे को रद्द किये जाने का प्रस्ताव किया है, जो शासन के विचाराधीन है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 873 पर)

*26---श्री राम सजीवन---

[माननीय सदस्य ने वापस लिया।]

सुल्तानपुर जिले के ग्राम गौरीगंज में कथित हैजे का प्रकोप

*27---श्री गणेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गौरीगंज, जिला सुल्तानपुर में नवम्बर सन् 1977 के पहले सप्ताह में हैजा फैलने से दो दिन में 11 व्यक्ति मर गए ? यदि हां, तो इस हैजा फैलने के क्या कारण हैं तथा इसकी रोक-थाम के लिये तत्काल क्या उपाय किया गया ?

श्री कल्याण सिंह---

जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी अस्पतालों में महिला सबसिडी योजना का बन्द किया जाना

*28—श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार कृपया बताने का कष्ट करेगी कि महिला सबसिडी योजना (आयुर्वेद एवं यूनानी योजना) के अन्तर्गत प्रदेश में विगत 25 वर्षों से, 17 चिकित्सालय, चलाये जा रहे थे, जिन्हें शासन द्वारा वार्षिक आवर्तक अनुदान दिया जाता था और उन्हें फरवरी, 1977 से आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार क्या इन चिकित्सालयों को पुनः चालू कराकर आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देगी ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां।

अभी इसे पुनः प्रारम्भ करने पर विचार नहीं किया गया है।

*29—श्री श्रीराम द्विवेदी—

[4थे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 52 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

बस्ती जिले की बभनान बाजार को टाउन एरिया बनाने का प्रस्ताव

*30—श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले की बभनान बाजार को टाउन एरिया बनाने के लिये सरकार सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक टाउन एरिया बनाने की घोषणा होने की संभावना है और अब तक उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी हां। प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है और शीघ्र ही टाउन एरिया का सृजन हो जाने की संभावना है।

फैजाबाद जिले की तहसील बीकापुर में महिला चिकित्सालय की स्थापना की मांग

*31—श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि फैजाबाद जनपद में बीकापुर-तहसील में 5 लाख की आबादी पर कोई भी महिला चिकित्सालय नहीं है? क्या इस संबंध में कोई पत्र माह जनवरी, 1978 में प्रश्नकर्त्ता का स्वास्थ्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कल्याण सिंह—

बीकापुर तहसील, जिला फैजाबाद में कोई महिला चिकित्सालय नहीं है।

जी हां। प्रश्नकर्त्ता का एक पत्र दिनांक 21 जनवरी, 1978 स्वास्थ्य मंत्री को प्राप्त हुआ है।

इस संबंध में अभी यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि प्रश्नगत स्थान पर महिला चिकित्सालय की स्थापना करना कब तक संभव होगा।

आपात काल में आगरा नगरमहापालिका द्वारा कथित तोड़े गये मकान, दुकानें, मन्दिर व मस्जिद

*32--श्री राजेश कुमार सिंह--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री की जानकारी है कि आगरा नगर महापालिका के प्रशासक ने आपात स्थिति के दौरान सौन्दर्यीकरण के नाम पर निर्दोष नागरिकों के घर, मकान, दुकानें एवं मन्दिर, मस्जिद तुड़वाये हैं और उससे उल्टा तुड़वाने का व्यय भी वसूल किया गया ? यदि हां, तो सरकार उनकी जांच कर उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? क्या सरकार तोड़-फोड़ की कार्यवाही से प्रभावित नागरिकों को क्षतिपूर्ति देने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

आगरा नगर के सौन्दर्यीकरण के नाम पर नगर महापालिका द्वारा कोई घर, मकान, दुकानें एवं मन्दिर, मस्जिद नहीं तुड़वाये गये हैं अतः उनके तुड़वाने का व्यय वसूल करने अथवा उनके संबंध में जांच करने या इस कार्यवाही से प्रभावित नागरिकों को क्षतिपूर्ति देने या कोई अन्य कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

सिविल अस्पताल, लखनऊ की उपचारिका (सिस्टर) का स्थानान्तरण एवं अनधिकृत रूप से अनुपस्थिति

*33--श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिविल अस्पताल, लखनऊ की एक उपचारिका (सिस्टर) मई, 1976 में स्थानान्तरित हो जाने के फलस्वरूप बिना चार्ज दिए हुए तथा अस्पताल की अलमारियों आदि की चाभियां सौंपे बगैर तथा बिना किसी अवकाश की स्वीकृति के फरार है ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं की गई है, तो इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं ?

श्री कल्याण सिंह --

मई, 1976 में सिविल अस्पताल, लखनऊ की एक सिस्टर का स्थानान्तरण हुआ था और वह बिना चार्ज दिए हुए तथा अलमारियों आदि की चाभी बगैर दिए हुए तथा बिना किसी अवकाश की स्वीकृति के अनधिकृत रूप से अभी तक अनुपस्थित है। उक्त सिस्टर ने स्थानान्तरण आदेश को चुनौती देते हुए लोक सेवा अधिकरण में दिनांक 22 नवम्बर, 1976 को एक याचिका दायर की थी, जो कि अभी तक विचाराधीन है। अधिकरण द्वारा अब तक इस मामले में निर्णय न लिए जाने के कारण उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही नहीं की की गई।

कानपुर, लखनऊ तथा बाराबंकी जिले के चिकित्सालयों के लिपिकों का स्थानान्तरण

*34--श्री अठई राम--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर, लखनऊ तथा बाराबंकी के जिला मुख्यालय के चिकित्सालयों में ऐसे कितने लिपिक हैं जिन्हें वहां कार्य करते हुए दस वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो चुका है और वे वहीं पर तैनात रहते हुए जूनियर क्लर्क के पद से सीनियर क्लर्क-कम-एकाउन्टेन्ट तथा स्टेवर्ड के पदों पर प्रोन्नति पा कर कार्यरत हैं ? क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों को तुरन्त स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह---

दस वर्ष से अधिक समय से कानपुर में तैनात 58 लिपिकों में से 6 लिपिकों को तथा लखनऊ जनपद में ऐसे 13 लिपिकों में से 3 लिपिकों को प्रोन्नति देकर उसी जनपद में तैनात किया गया तथा बाराबंकी में केवल एक लिपिक दस वर्ष से अधिक समय से तैनात है और उसे कोई प्रोन्नति नहीं मिली है ।

जी हां।

ऐसे कर्मचारियों को शासकीय नीति के अनुसार वर्तमान स्थानान्तरण सत्र में अन्य जनपदों में स्थानान्तरित करने पर विचार किया जायगा।

*35-36---श्री राम आधार---

[3रे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 77-78 के द्वारा उत्तरित।]

जिला मलेरिया अधिकारी के पदों पर सहायक मलेरिया मेन्टीनेन्स अधिकारियों की पदोन्नति की मांग

*37---श्री विजय राज सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री जी कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि राष्ट्रीय मलेरिया कार्यक्रम (ग्रामीण) के अन्तर्गत सृजित जिला मलेरिया अधिकारी के सभी 56 पदों पर इस कार्य क्षेत्र में 20 से 30 वर्ष के अनुभव प्राप्त सहायक मलेरिया अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री कल्याण सिंह---

जिला मलेरिया अधिकारी पूरे जनपद में मलेरिया कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी होते हैं। इन्हें आवश्यकतानुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्यरत चिकित्सा-धिकारियों को निदेशित करना भी होता है। इस कारण सामान्यतया इन पदों पर नान-मेडिकल व्यक्तियों को नियुक्त करना उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। इन पदों पर पी0 एम0 एच0 एस0 संवर्ग के अधिकारियों को नियुक्त किए जाने की व्यवस्था है परन्तु मलेरिया कार्यक्रम के अधीन कार्यरत सहायक मलेरिया मेन्टीनेन्स अधिकारियों के दीर्घकालीन अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए यह तय किया गया है कि इनके संवर्ग में से 15 प्रतिशत व्यक्तियों को जिला मलेरिया अधिकारी के पदों पर प्रयोगात्मक आधार पर पदोन्नति का अवसर प्रदान किया जाय। तदनुसार सहायक मलेरिया मेन्टीनेन्स अधिकारी के 87 पदों में से 13 पद सहायक मलेरिया मेन्टीनेन्स अधिकारी संवर्ग में से पदोन्नति द्वारा भरे जाने की स्वीकृति दिनांक 2 फरवरी, 1978 को दी जा चुकी है।

38---श्री रमा शंकर कौशिक---

[दिनांक 30 मार्च, 1978 को तारांकित प्रश्न संख्या 3 द्वारा उत्तरित।]

प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र, धुधतेर, जिला बाराबंकी के डाक्टर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*39---श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी)---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मास सितम्बर, 1977 में विकास खण्ड निदूरा, जिला बाराबंकी के निवासियों द्वारा कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र, धुंधतेर के डाक्टर के विरुद्ध फरजी लूप केस करने, अस्पताल की दवाइयों को बेंचने, रोगियों से अस्पताल में नाजायज पैसा लेने, चारित्रिक भ्रष्टाचार करने तथा प्राइवेट प्रैक्टिस करने आदि से सम्बन्धित दी गई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कल्याण सिंह---

जी हां।

शिकायतों की जांच कराई गई जो निराधार पाई गई।

चिकित्सालयों के मेडिकल अटेन्डेन्टों की नर्स व फार्मेसिस्ट के पदों पर पदोन्नति की मांग

*40---श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि शासनादेश संख्या 6557-ए/2208-1966, दिनांकित 30 अगस्त, 1966 के अनुसार उत्तर प्रदेश में विभिन्न सरकारी चिकित्सालयों के स्टाफ नर्स व फारमेसिस्ट के स्थान पर नियुक्त मेडिकल अटेन्डेन्ट लगभग 12 वर्ष से लगातार कार्यरत हैं परन्तु उन्हें स्टाफ नर्स या फारमेसिस्ट को मिलने वाला वेतन व एलाउन्स या पदोन्नति अब तक नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्यों और क्या इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य मन्त्री व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशक, लखनऊ को दिसम्बर, 1977 में प्रार्थना-पत्र भी विभिन्न जनपदों से प्राप्त हुए हैं ?

श्री कल्याण सिंह---

जी हां।

मेडिकल अटेन्डेन्टों को स्टाफ नर्स या फार्मेसिस्टों को मिलने वाला वेतन व एलाउन्स या पदोन्नति इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि नर्सों एवं फारमेसिस्टों के पदों पर केवल वे ही नियुक्त किए जा सकते हैं जिन्होंने इन सेवाओं के लिए निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तथा यू0 पी0 नर्सिंग काउन्सिल यू0 पी0 फार्मेसी काउन्सिल में पंजीकृत हो।

इस सम्बन्ध में दिसम्बर, 1977 में विभिन्न जनपदों से कुछ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं।

राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो के भंडार अधिकारी के पद पर नियुक्ति के विरुद्ध प्रत्यावेदन

*41---श्री डी0 पी0 बोरा (जिला लखनऊ)---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो में भंडार अधिकारी के पद पर किसी कर्मचारी को, जो पद के लिए अर्हता नहीं रखता है तथा बहुत ही कनिष्ठ है मार्च, 1977 में बिना किसी चयन प्रक्रिया के नियुक्त किया गया ? क्या उस नियुक्ति के विरुद्ध ब्यूरो के अन्य कर्मचारियों के प्रत्यावेदनों पर 10 माह बीत जाने पर भी विचार नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस अनियमित नियुक्ति को तुरन्त समाप्त करने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी तथा विलम्ब के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री कल्याण सिंह---

सूचना एकत्र की जा रही है।

नगरपालिका, चिकित्सालय कर्मचारी समिति, देहरादून का पत्र एवं मांग

*42---श्री गोविन्द सिंह नेगी---

क्या स्वायत शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका चिकित्सालय कर्मचारी समिति, देहरादून का मुख्य मन्त्री को लिखे गए दिनांक 24 अगस्त, 1977 के पत्र की प्रति-लिपि उन्हें प्राप्त हुई तथा दिनांक 28 जनवरी, 1978 के स्मरण -पत्र की प्रतिलिपि उन्हें

प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उसमें क्या मांगें की गई हैं और सरकार ने उस पर क्या विचार किया है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

नगरपालिका, चिकित्सालय कर्मचारी समिति, देहरादून का पत्र दिनांक 24 अगस्त, 1977 नहीं बल्कि दिनांक 28 जनवरी, 1978 के पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त हुई है। उसमें स्थानीय निकाय के चिकित्सकों के वेतनमान में समानता लाने की मांग की गई थी। उस मामले पर पहले ही विचारोपरान्त यह निर्णय लिया जा चुका था कि मांग को मानना सम्भव नहीं है। फिर भी दिनांक 28 जनवरी, 1978 के पत्र की प्राप्ति के पश्चात् इस मांग का पुनः परीक्षण कराया जा रहा है।

मोहन मीकिन ब्रिवरीज, मोहन नगर तथा मोहन गोल्ड वाटर ब्रिवरीज, लखनऊ पर बकाया आबकारी शुल्क व जुर्माना

*43—श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

क्या आबकारी मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मोहन मीकिंग ब्रिवरीज लिमिटेड, मोहन नगर और लखनऊ पर दिनांक 31 मार्च, 1977 तक कितनी वीयर वेस्टेज आबकारी शुल्क बकाया है, इस शुल्क की वसूली के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री गणेश दत्त वाजपेयी—

मोहन मीकिंग ब्रिवरीज, मोहन नगर (गाजियाबाद) तथा मोहन गोल्ड वाटर ब्रिवरीज, लखनऊ पर 31 मार्च, 1977 तक शुल्क और जुर्माना के रूप में 1,14,97,275.24 रु0 बकाया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 20,43,329.67 रु0 की वसूली स्थगित की गई है। भिन्न-भिन्न अवसरों पर पूर्ववर्ती शासन ने लगभग 83 लाख की वसूली सम्भावित कानूनी बाधाओं के कारण स्थगित कर दी थी। अब उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1978 के बन जाने से सम्भावित कानूनी अड़चनें समाप्त हो गई हैं अतः 83 लाख रुपए की वसूली के आदेश दिए जा रहे हैं। लगभग 12 लाख रुपए की बकाया धनराशि के मामले आबकारी आयुक्त के स्तर पर विचाराधीन हैं।

आगरा जिले के ग्राम टोडरा का विद्युतीकरण

*44—श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)—

क्या विद्युत् मन्त्री बतायेंगे कि क्या यह सही है कि आगरा जिले के ब्लाक शमसाबाद के गांव टोडरा के इलेक्ट्रीफिकेशन का कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

आगरा जनपद के ब्लाक शमसाबाद के ग्राम टोडरा के विद्युतीकरण का कार्य, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत योजना के अन्तर्गत मार्च, 1978 में पूरा कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर क्षेत्र के पाटा नाला को ऊपर से ढकवाने की मांग

*45—श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार को जानकारी है कि लखनऊ शहर के चौक मुहल्ले की घनी आबादी से होकर पाटा नाला बहता है जिससे उक्त मुहल्ले के रहने वालों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस नाले को ऊपर से पाटने की कोई योजना तैयार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी हां, किन्तु फिलहाल धनाभाव के कारण इस नाले को ऊपर से पाटने की कोई योजना नहीं है ।

राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा लिय गये विद्युत् प्रतिष्ठानों का मुआवजा

*46—श्री आरिफ मोहम्मद खां—

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे कि 27 नवम्बर, 1975 के विद्युत संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत कितने बिजली घरों को सरकारी नियंत्रण में लिया गया ? क्या इन बिजली घरों का मुआवजा दिया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1975 उत्तर प्रदेश अध्यादेश, 1975 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 37, 1975) दिनांक 27 नवम्बर, 1975 के अन्तर्गत 19 विद्युत प्रतिष्ठानों को राज्य विद्युत परिषद् के नियंत्रण में लिया गया । इनमें से केवल एक विद्युत प्रतिष्ठान के लाइसेंसधारी को देय धनराशि का निर्धारण हो चुका है । शेष 18 विद्युत प्रतिष्ठानों के लाइसेंसधारियों को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

हृदय रोग इन्स्टीट्यूट, कानपुर द्वारा यंत्र-उपकरण की खरीद

*47—श्री रेवती शरण मौर्य (जिला मेरठ)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि हृदय रोग इन्स्टीट्यूट, कानपुर के लिये 1967 से 1977 में बहुत से यंत्र-उपकरण, सर्जिकल सामान देश में ही बिना टेन्डर के क्रय किये गये हैं ? यदि हां, तो यह किन परिस्थितियों में ?

श्री कल्याण सिंह—

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

खांडसारी मिलों के मजदूरों की मजदूरी दर

*48—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की खांडसारी मिलों में कार्य करने वाले मजदूरों का कोई न्यूनतम वेतन शासन ने निर्धारित किया है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो कब तक इसका निर्धारण हो जाने की सम्भावना है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

जी हां, खांडसारी में सेवायोजन में नियोजित अकुशल श्रेणी के वयस्क कर्मचारियों के लिये दिनांक 15 जुलाई, 1972 से मजदूरी की निम्नलिखित न्यूनतम दरें निर्धारित की गई थीं जो इस समय भी लागू हैं:—

क्षेत्र	मजदूरी की सर्वान्तर्भूत (आल इन्क्लूसिव) न्यूनतम दरें
1—कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ तथा आगरा नगर महापालिका तथा कैन्टूनमेंट क्षेत्र के अन्दर	रु0 100 प्रतिमाह (26 कार्य-दिवसों के लिये) या रु0 3.85 प्रतिदिन।
2—शेष प्रदेश में	रु0 78 प्रतिमाह (26 कार्य-दिवसों के लिये) या रु0 3 प्रतिदिन।

उक्त दरों के पुनरीक्षण का प्रश्न शासन के विचाराधीन है तथा इस सम्बन्ध में शासन के प्रस्ताव निकट भविष्य में प्रकाशित किये जायेंगे।

अधिग्रहीत आगरा विद्युत् प्रदेय उपक्रम के अधिकारियों के फिटमेंट संबंधी समिति का गठन

*49—श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने आगरा विद्युत प्रदेय उपक्रम के अधिकारियों के फिटमेंट के बारे में विचार करने के लिये एक समिति निर्माण करने के सम्बन्ध में एक पत्र दिनांक 20 दिसम्बर, 1977 को विद्युत सचिव को लिखा था ? यदि हां, तो अभी तक उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जी हां। भूतपूर्व लाइसेंसधारियों से अधिग्रहीत कर्मचारियों/अधिकारियों के फिटमेंट से सम्बन्धित प्राप्त प्रत्यावेदनों पर विचार करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन राज्य विद्युत् परिषदादेश संख्या 1227/एन0जी0-2/रा0वि0प0-78/36-एन0जी0-73, दिनांक 31 मार्च, 1978 द्वारा किया जा चुका है।

बाराबंकी जिले की रुदौली स्थित अस्पताल के डाक्टर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*50—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत रुदौली नोटीफाइड एरिया में स्थित सरकारी अस्पताल के दो मौजूदा डाक्टरों के विरुद्ध वहां की जनता द्वारा सन् 1977 में कोई शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो वे शिकायतें क्या थीं और क्या सरकार द्वारा उनकी शिकायतों के निराकरण हेतु कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां।

इनके विरुद्ध स्थायी रूप से वहां न रहने, अमानवीय व्यवहार करने, चिकित्सालय पर आये हुये रोगियों का निदान ध्यानपूर्वक न करने एवं भ्रष्टाचार के मुख्य आरोप लगाये गये थे। इसके लिये उन्हें चेतावनी दी गयी तथा उक्त जनपद से उन्हें स्थानान्तरित कर दिया गया।

*51—श्री शतरुद्ध प्रकाश—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित।]

किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में 'डाक्टर राम मनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्स के स्थापन की मांग

*52—श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि सितम्बर, 1977 में मुख्य मंत्री को लखनऊ किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ को "डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्स" बनाने के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन दिया गया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां। ज्ञापन की प्राप्ति के पूर्व से ही एक पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट की स्थापनना के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में के0 जं.0 मेडिकल कालेज, लखनऊ को उच्चीकृत करके पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट स्थापित करने की विस्तृत रूप रेखा एक समिति द्वारा तैयार की जा रही है। उसके प्राप्त होने पर शासन विचार करेगा।

मुरादाबाद जिले के नगरपालिका बहजोई के डाक्टर विहीन महिला चिकित्सालय

*53—श्री सुल्तान सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद मुरादाबाद की नगरपालिका, बहजोई के जनाना चिकित्सालय में गत 10 माह से कोई महिला चिकित्सक नही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी व्यवस्था कराने की कृपा करेंगी ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां।

इस चिकित्सालय में महिला चिकित्सक की शीघ्र तैनाती कर दी जायगी।

स्वदेशी काटन मिल्स, जयपुरिया प्रतिष्ठान, मऊनाथ भंजन से चुंगी वसूली

*54—श्री रामजी (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार को पता है कि स्वदेशी काटन मिल्स' (जयपुरिया प्रतिष्ठान), मऊनाथभंजन से नगरपालिका, मऊनाथ भंजन को प्राप्त होने वाली चुंगी को समाप्त कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों तथा किसके आदेश से ? इससे नगरपालिका को कितनी वार्षिक हानि होगी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रेम स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, उझानी, जिला बदायूं के श्रमिकों का ज्ञापन

*55—श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

क्या श्रम मंत्री बतलाने के कृपा करेंगे कि प्रेम स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल्स उझानी, जिला बदायूं के मजदूरों ने मिल के मालिकों के विरुद्ध कोई ज्ञापन अगस्त, सन् 1977 में इस आशय का सरकार को दिया है कि वह मिल को बन्द करना चाहते हैं जिससे मजदूर बेकार हो जायेंगे ? यदि हां, तो सरकार ने उसमें अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

जी हां, सूती मिल मजदूर संघ, उझानी, बदायूं के केन्द्रीय श्रम मंत्री को सम्बोधित ज्ञापन दिनांक 8 अगस्त, 1977 की प्रति प्राप्त हुई है, जिसमें सेवायोजकों द्वारा प्रतिष्ठान की बन्दी कर दिये जाने की आशंका व्यक्त की गई थी तथा यह प्रस्ताव किया गया था कि यदि आर्थिक एवं तकनीकी सहायता दी जाय तो वे स्वयं प्रतिष्ठान को चलाने हेतु तैयार हैं । केन्द्रीय शासन ने इस प्रार्थना पर अपने विचार प्रदेशीय शासन को अवगत नहीं कराये हैं ।

ज्ञापन में श्रमिकों के बकाये का भुगतान न किये जाने की भी शिकायत है । कार्य-दिवसों के वेतन तथा जुलाई, 77 तक की बैठकी के मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है । बैठकी के शेष मुआवजे का भुगतान न करने के कारण सेवायोजकों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (वेतन का यथा समय संदाय) अध्यादेश के अन्तर्गत अभियोजन दायर करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

महावीर जूट मिल, सहजनवा, गोरखपुर पर बकाया विद्युत् बिल

*56—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार बताएगी कि महावीर जूट मिल, सहजनवां (गोरखपुर) पर बिजली विभाग का अब तक कितना बकाया है ? अब तक इस बकाया रकम की वसूली के लिये सरकार ने क्या कदम उठाया ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

सर्वश्री महावीर जूट मिल्स, सहजनवां पर केवल विद्युत् कर को देर से जमा करने के कारण रु0 495.56 की ब्याज की धनराशि बकाये में है जिसे भू-राजस्व के बकाये की तरह वसूलने हेतु कलेक्टर, गोरखपुर को लिखा गया है ।

आई0 टी0 आई0, कानपुर के छात्रों की कापियों की पुनः जांच के फलस्वरूप अनुत्तीर्ण छात्र

*57—श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आई0 टी0 आई0, कानपुर में जुलाई सन् 1977 की परीक्षा में जो छात्र उत्तीर्ण हुए थे क्या उनकी कापियां दुबारा जांची गईं ? यदि हां, तो किस कारणवश ऐसा किया गया और किसके आदेश पर ऐसा हुआ ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

जी हां, किन्तु केवल फिटर व्यवसाय के इंजीनियरिंग ड्राइंग विषय की कापियां दुबारा जंचाई गयी थीं ।

ऐसा इस कारण से करना पड़ा था क्योंकि भारी संख्या में छात्र अनुत्तीर्ण हो गये थे और आशंका थी कि कापियों को ठीक ढंग से नहीं जांचा गया है ।

कापियों को दुबारा जंचवाने के आदेश प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से भेजे गये थे ।

*58—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आई0 टी0 आई0, कानपुर की जुलाई, सन् 1977 की परीक्षा की दुबारा जांची गई कापियों में कुल कितने उत्तीर्ण छात्रों को अनुत्तीर्ण किया गया तथा उसका आधार क्या था ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

दुबारा जांचने के फलस्वरूप उत्तीर्ण छात्रों में से केवल एक छात्र अनुत्तीर्ण घोषित किया गया । इसका कारण था कि जो ड्राइंग उस छात्र ने बनाई थी उसमें दुबारा परीक्षण करने पर वह उतने अंक प्राप्त नहीं कर सका जितने पास होने के लिये आवश्यक थे ।

अलीगंज सड़क एवं नगर प्रसार योजना, लखनऊ में अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

*59—श्री डी0 पी0 बोरा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अलीगंज सड़क एवं नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत जो भूमि अर्जित की जा रही है उनके भू-स्वामियों को 69.99 रुपया प्रति वर्ग फीट की दर से जो प्रतिफर दिया जा रहा है उसका आधार क्या है और क्या सम्बन्धित रेफरेन्स कोर्ट ने इस क्षेत्र के बारे में जमीन के बारे में कोई बाजार भाव का निर्णय दिया है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

प्रतिफर की 69.99 पैसा प्रति वर्ग फुट की दर बाजार भाव पर आधारित है जो कि विकास प्राधिकरण तथा भू-स्वामियों के प्रतिनिधियों के बीच हुए विचार-विमर्श एवं सुलहनामें के आधार पर जनवरी, 1975 में निर्धारित की गई थी । पीठासीन अधिकारी, नगर महापालिका अधिकरण, लखनऊ ने 00.75 पैसा प्रति वर्ग फुट की दर से प्रतिफर की धनराशि देने हेतु निर्णय दिया था । यह दर अधिक होने के कारण अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी गई है जो कि न्यायालय में अब भी विचाराधीन है ।

जौनपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई अण्डर टेकिंग के औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा अभिनिर्णय का कार्यान्वयन

*60—श्री श्यामदत्त पालीवाल—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करगे कि क्या यह सत्य है कि जौनपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई अण्डर टेकिंग में औद्योगिक न्यायाधिकरण 5, लखनऊ द्वारा दिये गये (विवाद संख्या 1/1973) अभिनिर्णय का पालन अभी तक नहीं हुआ है तथा इस सम्बन्ध में जौनपुर इलेक्ट्रिक वर्क्स यूनियन ने अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् को एक पत्र दिनांक 9 अप्रैल, 1977 को लिखा है ? यदि हां, तो उपरोक्त अभिनिर्णय का अभी तक पालन न होने का क्या कारण है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जौनपुर इलेक्ट्रिक वर्क्स यूनियन द्वारा राज्य विद्युत् परिषद् को प्रेषित पत्र दिनांक 9 अप्रैल, 1977 प्राप्त हुआ था जिसमें औद्योगिक न्यायाधिकरण के अभिनिर्णय के प्रतिपालन की मांग की गई थी । जांच से पता चला कि यह अभिनिर्णय जौनपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई अण्डर-टेकिंग के परिषद् द्वारा अधिग्रहण के पूर्व दिया गया था, जिसका कम्पनी ने प्रतिपालन न करके उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर दी थी जो अभी भी विचाराधीन है । परिषद् ने कानूनी तथा अन्य पहलुओं पर विचार करके इस कम्पनी के अधिग्रहण की तिथि अर्थात् 1 दिसम्बर, 1975 से अभिनिर्णय के प्रतिपालन के आदेश दे दिये हैं ।

खाण्डसारी मजदूर यूनियन, रामपुर हरपुर तिवारी, जिला गोरखपुर का मांग-पत्र

*61—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि किसान खांडसारी रामपुर हरपुर तिवारी, जिला गोरखपुर के मजदूरों ने माह जनवरी, 1978 में अपनी कुछ मांगों की पूर्ति के लिये शासन का ध्यान अपनी यूनियन के माध्यम से आकृष्ट किया था ? यदि हां, तो मांग क्या थीं, और इस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

जी हां, खाण्डसारी मजदूर यूनियन रामपुर, हरपुर तिवारी, जिला गोरखपुर का दस सूत्रीय मांग पत्र 28 जनवरी, 1978 को प्राप्त हुआ था । मांगों की सूची संलग्न है । इन मांगों के सम्बन्ध में उप श्रमायुक्त, गोरखपुर ने समझौता वार्ता हेतु दिनांक 6 फरवरी, 1978, 17 फरवरी, 1978 तथा 28 फरवरी, 1978 को दोनों पक्षों को बुलाया था परन्तु सेवायोजकों की अनुपस्थिति के कारण समझौता नहीं हो सका ।

बकाया वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में निदेश वाद प्रस्तुत कर दिया गया है जो न्यायालय के विचाराधीन है । शेष मांगों को मजदूर अदालत में भेजने के आदेश दिये जा चुके हैं ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 874 पर) ।

राजकीय वेक्सीन संस्थान पटुवाडांगर, जिला नैनीताल के कर्मचारियों का स्थायीकरण

*62—श्री रामदत्त जोशी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करगे कि राजकीय वेक्सीन संस्थान पटुवाडांगर, जिला नैनीताल में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो 10 वर्ष से 18 वर्ष तक के निरन्तर सेवारत रहने के बावजूद अब भी अस्थायी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों को उनकी दीर्घकालीन सेवाओं के आधार पर उनके स्थायीकरण पर विचार कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह—

प्रश्नगत अवधि के ऐसे कुल 22 कर्मचारी हैं जो अभी अस्थायी हैं ।

संस्थान की योजनायें अस्थायी हैं । अतः उनके अधीन कार्यरत कर्मचारियों के स्थायीकरण का प्रश्न फिलहाल अपरिपक्व है ।

प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र, डलमऊ, जिला रायबरेली के डाक्टर व कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप-पत्र

*63—श्री तेजभान सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

क्या स्वस्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद रायबरेली के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डलमऊ के डाक्टर व कर्मचारियों के विरुद्ध गम्भीर आरोपों से युक्त प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित कोई आरोप-पत्र फरवरी, 1978 में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस आरोप की जांच हुई और उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां, कथित आरोप पत्र प्राप्त हुआ है और उस पर जांच कराई जा रही है ।

*64—श्री जगन्नाथ सिंह—

[छठे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 61 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

मथुरा जिले की नगरपालिका कोसीकलां के अस्पतालों के भवन की मरम्मत

*65—श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा छाता क्षेत्र के नगरपालिका कोसीकलां में महिला अस्पताल का भवन बिलकुल खराब है और उसकी मरम्मत तक नहीं हुई है और इसी तरह का नगरपालिका का अस्पताल है ? क्या इस नगरपालिका की जनसंख्या को देखते हुए इस अस्पताल को सरकार अपने नियंत्रण में लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो इस महिला चिकित्सालय का निर्माण कराया जाएगा ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां, प्रश्नगत महिला अस्पताल के भवन में कुछ अत्यावश्यक मरम्मत करा दी गई है ।

नगरपालिका के एक अन्य अस्पताल के भवन में भी पुताई तथा मामूली आवश्यक मरम्मत करा दी गई है ।

इस नगरपालिका के अस्पताल को सरकारी नियंत्रण में लेने का अभी कोई प्रस्ताव न होने के कारण ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

साकेत सहकारी गृह समिति, मेरठ में प्रशासक की नियुक्ति

*66—श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि साकेत सहकारी गृह समिति, मेरठ नगर इस समय सहकारी विभाग के नियंत्रण एवं प्रशासन में है ? यदि हां तो कब से तथा इस समय समिति का प्रशासक अथवा नियंत्रक कौन अधिकारी है तथा समिति को किन कारणों से विभाग ने अपने प्रशासन एवं नियंत्रण में लिया ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी हां । उक्त समिति अगस्त, 1975 से प्रशासक के नियंत्रण एवं प्रशासन में है । इस समय समिति के प्रशासक श्री मोहम्मद इशाक खां, सहकारी निरीक्षक, वर्ग–1 हैं । समिति की प्रबन्ध समिति द्वारा गम्भीर अनियमिततायें एवं अपने कर्तव्यों का पालन न करने के कारण विभाग ने उसे अपने नियंत्रण में लिया ।

गोरखपुर के अदालत पंचायत क्षेत्र मठिया और बहसुवा के अन्तर्गत पेय जल योजना हेतु कथित सर्वेक्षण

*67—श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि अदालत पंचायत क्षेत्र मठिया और बहसुवा ब्लाक बरहलगंज, जिला गोरखपुर में ग्रामीण पेय जल योजना बनाने का सर्वेक्षण और प्राक्कलन सन् 1969 से 1973 के बीच किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना की स्वीकृति देकर स्वच्छ जल की व्यवस्था करेगी ।

सश्रीत्य प्रकाश मालवीय—

गोरखपुर जिले के अदालत पंचायत क्षेत्र मठिया और बहसुवा बरहलगंज में ग्रामीण पेयजल योजना बनाने हेतु वर्ष 1969 से 73 के बीच तत्कालीन स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग द्वारा न तो कोई सर्वेक्षण किया गया और न ही कोई प्राक्कलन बनाया गया । अतः उक्त योजना की स्वीकृति का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

टिहरी गढ़वाल जिले के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी का स्थानान्तरण

1—श्री इन्द्रमणी बडौनी (जिला टेहरी गढवाल)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह जानकारी है कि टेहरी गढ़वाल में स्वास्थय विभाग के कुछ छोटे कर्मचारी विगत 1 अक्तूबर, 1976 से लेकर 15 नवम्बर, 1977 तक कई बार एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानान्तरित किए गए ? यदि हां, तो ऐसे कितने कर्मचरी हैं और ऐसा क्यों हुआ ?

श्री कल्याण सिंह—

प्रश्नगत अवधि में केवल एक कर्मचारी को दो बार प्रशासकीय कारणों से तथा दो बार उसकी प्रार्थना पर स्थानान्तरित किया गया ।

वाराणसी जिले के कतिपय राजकीय नलकूपों को विद्युत् आपूर्ति

2—श्री ऊदल—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय नलकूपों के विद्युतीकरण हेतु सिंचाई विभाग, वाराणसी (नलकूप) ने बी0 एल0 फार्म भर कर क्रमशः अहिरानी ,जनकयही, मकसूदनयही, पिंडरादक्षिणी, लखीमपुर, सोमपुरवा, झंझौर, रघुनाथपुर, कनिपरसेकेंड का अधिशासी अभियन्ता, मड़आडीह, वाराणसी एवं सरसवां, अहमदपुर, कविरामपुर, दानूपुर का अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् निर्माण अन्डरटेकिंग वाराणसी को दिनांक 29 अगस्त, 1977 एवं 30 सितम्बर, 1977 को भेज दिया है ? यदि हां, तो अबतक उपरोक्त नलकूपों का विद्युतीकरण न करने का क्या करण है ? क्या उसमें से सामानों का एक दम अभाव भी एक कारण है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

29 अगस्त, 1977 को सिंचाई विभाग (नलकूप) वाराणसी ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के अधिशासी अभियन्ता को केवल एक बी0 एन्ड एल0 फार्म राजकीय नलकूप झझौर से संबंधित भेजा था। प्रश्न में उल्लिखित बारह राजकीय नलकूपों का ऊर्जन कर दिया गया है। ऊर्जन की तिथि संलग्नक में दर्शायी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 873 पर ।)

वाराणसी जिले के निजी नलकूपों व पंपिंग सेटों को विद्युत की आपूर्ति

3—श्री ऊदल—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में कितने प्राइवेट पंपिंग सेट के कनेक्शन हेतु एग्रीमेन्ट , जून, 1977 में हो गया है और उनको कनेक्शन आज तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जून, 1977 में वाराणसी जनपद में निजी नलकूपों/पम्पसेटों के कनेक्शन लेने हेतु कुल 78 अनुबन्ध राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा किए गए, जिनमें से केवल 70 के ही बी0 एन्ड एल0 फार्म ठीक थे और 8 उपभोक्ताओं का कार्य पूर्ण नहीं था। इन 70 अनुबन्धों में से 68 निजी नलकूपों का ऊर्जन अभी तक किया जा चुका है। शेष 2 निजी नलकूपों का ऊर्जन नहीं किया जा सका । क्योंकि इनमें से एक उपभोक्ता का न्यायालय में विवाद च

रहा है तथा दूसरे उपभोक्ता को उसके अनुरोध के अनुसार दूसरे रास्ते से लाइन देने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

शाखा, राज्य विद्युत् परिषद्, बलिया द्वारा क्रय किया गया सामान और उसके लिये मांगे गये टेन्डर

4—श्री शंभू नाथ चौधरी (जिला बलिया) तथा श्री बाबू लाल विद्यार्थी (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताएगी कि बलिया जनपद की राज्य विद्युत् परिषद् की शाखा ने वित्तीय वर्ष 1976-77 में किन-किन वस्तुओं की खरीदारी किन-किन दरों पर किस रीति से और किन-किन से कितनी-कितनी धनराशि की है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

बलिया जनपद की राज्य विद्युत् परिषद् की शाखाओं ने वित्तीय वर्ष 1976-77 में कुल 98,545.00 (अठ्ठानबे हजार पांच सौ पैंतालीस रुपये) की खरीदारी की है जिनका प्रश्नगत विवरण संलग्नक एक में दर्शाया गया है।

5—श्री शम्भू नाथ चौधरी तथा श्री बाबू लाल विद्यार्थी—

क्या सरकार यह भी बताएगी कि उपरोक्त वस्तुओं की खरीदारी के लिये विधिवत् टेन्डर आमंत्रित नहीं हुए थे ? यदि हां, तो क्यों ? और यदि नहीं, तो कब और इसकी सूचना किन-किन समाचार पत्रों में कब-कब प्रकाशित हुई है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

इन वस्तुओं की खरीदारी के लिये टेन्डर आमंत्रित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि दो आर्डर्स को छोड़कर प्रत्येक आर्डर का मूल्य 5,000 रुपये से कम था जिसके लिये परिषद् के वर्तमान नियमानुसार केवल कोटेशन ही आमंत्रित किये जाते हैं। प्रोप्राइटरी आइटम्स सिंगिल कोटेशन के आधार पर ही क्रय किये जाते हैं जिससे स्वीच-गियर खरीदे जाते हैं।

इन दो आर्डरों में से एक का मूल्य 44,690.00 रुपया था। इस आर्डर के अन्तर्गत 11 के0 बी0 स्विचगियर के स्पेयर पार्ट्स प्रोप्रराइटोरी आइटम्स के अन्तर्गत आते ह क्योंकि जी0 ई0 सी0 के स्वीचगियर में उन्हीं के द्वारा बनाये गये स्पेयर पार्ट्स का प्रयोग हो सकता था अतः उन्हें उन्हीं से खरीदा गया।

दूसरे आर्डर का मूल्य 10,500.00 रु0 था जिसके अन्तर्गत सीसलरोप क्रय की गई थी। यह आर्डर उद्योग निदेशक उत्तर प्रदेश, कानपुर के दर अनुबन्ध के अनुसार, मेसर्स गोयल, एन्ड कम्पनी, वाराणसी को दिया गया था। उपरोक्त कारण से समाचार पत्रों में प्रकाशन का प्रश्न नहीं उठता।

सेवा निवृत्त कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधा संबंधी आदेश

6—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वास्थय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पेन्शन प्राप्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्त के उपरान्त भी चिकित्सा की वही सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु आदेश जारी कर दिए गए हैं जैसी कि उन्हें सेवारत अवस्था में मिलती थी ? यदि हां, तो आदेश कब जारी किए गए हैं ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां। यह आदेश दिनांक 30 नवम्बर, 1977 को जारी कर दिये गये हैं।

---

*आगा नहीं गया।

कायमगंज नगर पालिका के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का कथित आवेदन–पत्र

7––श्री गिरीश चन्द्र तिवारी––

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कायमगंज नगर पालिका के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का कोई आवेदन–पत्र दिनांक 12 सितम्बर, 1977 का प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय––

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आपात–काल में लखनऊ क्षेत्र के तत्कालीन सहायक श्रमायुक्त द्वारा आयोजित नसबन्दी शिविर

8––श्री गिरीश चन्द्र तिवारी––

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ क्षेत्र के वर्तमान सहायक श्रमायुक्त ने अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत कितने नसबन्दी शिविर आपातकाल के दौरान किन–किन स्थानों पर आयोजित करवाये और उन शिविरों में कुल कितने नसबन्दी आपरेशन किए गए ? उनमें से कितनों के सहायक श्रमायुक्त महोदय स्वयं प्रेरक बने ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी––

लखनऊ क्षेत्र के तत्कालीन सहायक श्रमायुक्त, वर्तमान उप श्रमायुक्त ने अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आपातकाल के दौरान चार नसबन्दी शिविर क्रमशः दो लखनऊ में, एक सीतापुर में तथा एक बिसवां (सीतापुर) में आयोजित करवाये । इन शिविरों में कुल 210 नसबन्दी आपरेशन किये गये। इनमें से 36 के प्रेरक स्वयं सहायक श्रमायुक्त थे ।

जिला अस्पताल, गोरखपुर के डाक्टर घनश्याम श्रीवास्तव का स्थानान्तरण

9––श्री श्रीनारायण––

क्या स्वास्थय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय सिविल अस्पताल, गोरखपुर में कितने डाक्टर कितने–कितने दिनों से कार्यरत हैं ? और जी० डी० एम० ओ० (श्री घनश्याम श्रीवास्तव) का कब–कब स्थानान्तरण हुआ ? और किन–किन कारणों से रुक गया ?

श्री कल्याण सिंह––

इस समय जिला अस्पताल, गोरखपुर में 20 चिकित्सक संलग्न तालिका में उनके समक्ष उल्लिखित तिथियों से कार्यरत है । डा० घनश्याम श्रीवास्तव का स्थानान्तरण माह जून, 1971 में किया गया जो कि प्रशासनिक कारणों से रोका गया । इसके पश्चात् दिनांक 1 जनवरी, 1972 व दिनांक 23 जून, 1975 को किया गया जो कि न्यायालय के आदेशानुसार रोका गया ।

पुनः इनका स्थानान्तरण दिनांक 18 जुलाई, 1977 को किया गया जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से रोक दिया गया ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 876 पर)

देवरिया जिले के पडरौना तथा बिशुनपुरा विकास खण्डों की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

10—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या विद्युत् मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जनपद के पडरौना तथा बिशुनपुरा विकास खण्ड की कितनी हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण प्रस्तावित था, कितनी बस्तियों में विद्युतीकरण नवम्बर, 1977 तक पूर्ण हो गया, कितना अधूरा है तथा कब तक पूर्ण कर लिया जायगा ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

देवरिया जनपद के पडरौना तथा बिशुनपुरा विकास खण्डों में क्रमशः 14 एवं 13 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण प्रस्तावित था ।

नवम्बर, 1977 तक पडरौना विकास खण्ड में 14 हरिजन बस्तियों तथा बिशुनपुरा विकास खण्ड में 6 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण पूर्ण हो गया था।

नवम्बर, 1977 में बिशुनपुरा विकास खण्ड की 4 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण अधूरा था, जो अब पूरा कर दिया गया है। शेष 3 हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का कार्य वित्तीय वर्ष 1978–79 में पूर्ण होने की आशा है ।

ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में कृषि उत्पादन और उद्योगों को बिजली की आपूर्ति

11—श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल, 1977 के पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत दिया गया है और शहरी क्षेत्रों में कितने प्रतिशत दिया गया है ? क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कृषि उत्पादन पर तथा उद्योगों पर कुल विद्युत् उत्पादन का कितने–कितने प्रतिशत व्यय हो रहा है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

1 अप्रैल, 1977 के पूर्व (1976–77) ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के कुल उत्पादन का 27.24 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्रों में 49.00 प्रतिशत दिया गया।

वर्ष 1976–77 में विद्युत् उत्पादन का 18.92 प्रतिशत कृषि उत्पादन पर एवं 40.84 प्रतिशत उद्योगों में व्यय हुआ है ।

12—श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में पहली अप्रैल, 1977 के बाद से 30 नवम्बर, 1977 तक कृषि उत्पादन पर कुल बिजली उत्पादन का कितने प्रतिशत व्यय किया गया है और आगे किन–किन वर्षों में कृषि उत्पादन को कितने–कितने प्रतिशत बिजली देने की योजना है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

1 अप्रैल, 1977 से 30 नवम्बर, 1977 तक कृषि उत्पादन पर कुल बिजली उत्पादन का 19.4 प्रतिशत व्यय हुआ है ।

वर्ष 1977–78 एवं 1978–79 में कुल विद्युत् उत्पादन का लगभग 26.0 प्रतिशत कृषि उत्पादन पर विद्युत् व्यय करने का प्राविधान है ।

डी0ए0वी0 इन्टर कालेज, किशनपुर बराल जिला मेरठ के सामने शराब की दुकान

13—श्री नरेन्द्र सिंह (जिला मेरठ) —

क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डी0ए0वी0 इन्टर कालेज, किशनपुर बराल, जिला मेरठ के सामने निकट ही एक नया शराब का ठेका खुला है और उसका विद्यार्थियों के जीवन पर दूषित प्रभाव पड़ रहा है ? क्षेत्रीय जनता ने उक्त ठेका वहां से हटाने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र दिए हैं ? क्या सरकार ने उक्त ठेके को उक्त कालेज के सामने से हटाने की कोई कार्यवाही की है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

डी0ए0वी0 कालेज, मेरठ के सामने की शराब की दुकान पुरानी थी और उसी स्थान पर वर्षों से चली आ रही थी। क्षेत्रीय जनता तथा कालेज के प्रधानाचार्य के विरोध पर यह दुकान उस कालेज से दूर हटा दी गई है ।

देवरिया जिले में विद्युत् तार के स्पर्शाघात से मृत्यु एवं क्षति पूर्ति

14 श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या विद्युत्मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनवरी, 1974 से नवम्बर, 1977 तक देवरिया जनपद में बिजली के टूटे तारों के स्पर्शाघात से कितने लोगों की अकाल मृत्यु हुई तथा सरकार ने कितनी क्षतिपूर्ति की ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

विद्युत् के टूटे तारों के स्पर्शाघात के फलस्वरूप सात लोगों की मृत्यु हुई। तीन मृतक श्रीमती धनपतिया, कुमारी रबड़ी एवं कुमारी बिछिया के परिवार वालों को एक-एक हजार रुपए की अन्तरिम क्षति-पूर्ति स्वीकृत कर वितरण हेतु जिलाधिकारी/क्षति पूर्ति आयुक्त, देवरिया को दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त श्री शिवजतन, लाइनमैन के आश्रितों को एक हजार रुपए की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है।

पांचवें मृतक श्री रमेश शुक्ला के परिवार वालों को क्षति पूर्ति स्वीकृत नहीं की जा सकी है। इस दुर्घटना से सम्बन्धित मुख्य विद्युत निरीक्षक, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ की रिपोर्ट विद्युत् परिषद् में माह जनवरी, 1978 में प्राप्त हुई थी। वांछित औपचारिकतायें शीघ्र पूर्ण करने के पश्चात् क्षति-पूर्ति का भुगतान कर दिया जायेगा।

छठे तथा सातवें मृतक सर्वश्री सेठई तथा सुदामा के सम्बन्ध में भी वांछित औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् क्षति-पूर्ति का भुगतान कर दिया जयगा।

के0जी0 मेडिकल कालेज तथा क्वीन मेरी चिकित्सालय, लखनऊ का नाम बदलने की मांग

15—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब देश में अनेक संस्थानों तथा मार्गों के नाम जो कि विदेशी शासन काल से विदेशियों के नाम पर चले आ रहे थे, बदल दिए गए तो लखनऊ स्थित क्वीन मेरी तथा किंग जार्ज मेडिकल कालेज के नाम अब तक न बदलने का कारण क्या है ? ये नाम कब तक बदल दिए जायेंगे ?

श्री ल्याण सिंह—

के0जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ तथा सम्बद्ध क्वीन मेरी चिकित्सालय स्वशासी संस्थायें हैं। उक्त कालेज के प्रिंसिपल तथा रजिस्ट्रार, लखनऊ विश्वविद्यालय ने नाम

बदलने के फलस्वरूप पड़ने वाली कठिनाइयां एवं बाधाएं, जैसे उक्त कालेज के संस्थापकों द्वारा इसके लिये बनाये गये इन्डाउमेंट फण्ड की शर्तें आदि बताई हैं। इन कथित बाधाओं पर परीक्षण किया जा रहा है ।

विद्युत् कर्मचारियों की हड़ताल की वापसी एवं समझौते की शर्तें

16 - श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या बिजली मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 7 नवम्बर, 1977 से प्रारंभ होने वाली बिजली कर्मचारियों की हड़ताल शासन तथा कर्मचारी प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता के बाद वापस हो गई थी ? यदि हां, तो समझौता की शर्तें क्या थीं ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

जी हां। माननीय मुख्य मंत्री जी के हस्तक्षेप के फलस्वरूप 6 नवम्बर, 77 को उनके निवास स्थान पर विद्युत् कर्मचारी प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता के बाद यह हड़ताल वापस हो गई थी ।

समझौता की शर्तें संलग्न हैं ।

(देखिये परिशिष्ट 'ङ' आगे पृष्ठ 875 पर ।)

17-श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या यह सही है कि समझौते के बाद भी कुछ कर्मचारियों ने हड़ताल की थी ? यदि हां, तो उस बारे में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई थी ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

श्री राजा राम मिश्रा के नेतृत्व में हाइड्रो इलेक्ट्रिक एम्प्लाइज यूनियन ने समझौता हो जाने के बाद भी हड़ताल की परन्तु कुछ दिन बाद सदस्य सचिव, राज्य विद्युत् परिषद् से वार्तालाप के उपरान्त उसे वापस ले लिया। श्री गिरीश कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में हाइड्रो इलेक्ट्रिक एम्पलाइज यूनियन ने भी हड़ताल की परन्तु उन्होंने भी उसे वापस ले लिया। विद्युत् कार्यालय कर्मचारी मोर्चा ने भी समझौता के पश्चात् कुछ दिन तक हड़ताल की परन्तु बाद में इसे वापस ले लिया ।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत फैजाबाद जिले के गांवों का विद्युतीकरण

18--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम) के तहत जनपद फैजाबाद में चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक कुल कितने गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और उसमें से कितना काम अभी तक पूरा हुआ है तथा शेष काम कब तक पूरा हो जायगा ? यदि हां, तो इसका ब्लाक वाइज विवरण क्या है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम) के तहत जनपद फैजाबाद में चालू वित्तीय वर्ष में कुल 40 गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसमें से मार्च, 1978 तक कुल 20 गांवों का विद्युतीकरण पूरा हो गया है ।

[श्री रवीन्द्र किशोर शाही]

शेष ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है तथा वर्ष 1978-79 में पूर्ण हो जाने की आशा है। इसका विकास खण्ड वार विवरण संलग्न में दर्शाया गया है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 879 पर)

राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों के अप्रशिक्षित व अपंजीकृत फार्मेसिस्टों का कन्डेन्सड कोर्स

19--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों में कार्यरत अप्रिशिक्षित फार्मेसिस्टों की संख्या कितनी है तथा उनमें से कितने पंजीकृत और कितने अपंजीकृत हैं ? क्या यह भी सही है कि ऐसे सभी अप्रशिक्षित तथा अपंजीकृत फार्मेसिस्टों के लिए जुलाई, 1976 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने कन्डेन्स कोर्स की व्यवस्था कर प्रशिक्षित करने का आश्वासन या आदेश दिया था ? यदि हां, तो मौजूदा सरकार की इस बारे में क्या नीति है ?

श्री कल्याण सिंह--

प्रदेश के राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों में इस समय 431 अप्रशिक्षित फार्मेसिस्ट कार्यरत हैं जिनमें से 233 पंजीकृत हैं तथा 198 अपंजीकृत।

तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने जुलाई, 1976 में अप्रशिक्षित एवं अपंजीकृत सेवारत फार्मेसिस्टों को कन्डेन्स्ड कोर्स अथवा कोई अन्य विकल्प निकाल कर उनकी सेवाओं को नियमित करने का आदेश दिया था। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

राज्य विद्युत परिषद् के एकाउन्ट विंग के अनसूचित जाति के लेखपालों की पदोन्नति

20--श्री हरिकेवल प्रसाद--

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य विद्युत् परिषद् (एकाउन्ट्स विंग) में पांच वर्ष कार्य का अनुभव रखने वाले वर्ष 1974 एवं वर्ष 1975 में कितने अनुसूचित जाति के लेखपाल थे ? उनके नाम तथा लेखपाल पद पर नियुक्ति की तिथि क्या है ? तथा क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आवश्यक योग्यता एवं कार्य अनुभव रखने वाले अनुसूचित जाति के लेखपालों को उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या 15/5-73, स0ए0को0, दिनांक 20 मार्च, 1974 की अनुशंसाओं के अनुसार वर्ष 1974 एवं वर्ष 1975 में वरिष्ठ लेखपाल के पद पर पदोन्नति की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के [एकाउन्ट्स विंग] में वर्ष 1974-75 में 5 वर्ष का अनुभव रखने वाले अनुसूचित जाति के निम्नलिखित 4 लेखपाल कार्य कर रहे थे:

नाम	नियुक्ति की तिथि
1--श्री एम0एल0 विक्रम	17-5-67
2--श्री शम्भू दयाल	19-7-69
3--श्री बी0 के0 प्रेमी	22-7-69
4--श्री शिव प्रसाद	12-8-69

उपरोक्त लेखपालों को वरिष्ठ लेखपाल के पदों के लिये पदोन्नति का विवरण निम्न प्रकार है:

प्रथम 2 लेखपालों की प्रोन्नति के सम्बन्ध में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार किया गया परन्तु वे अनुपयुक्त पाये गये । अतः उनकी पदोन्नति वर्ष 1974–75 में नहीं की गई। फरवरी, 1977 में समिति द्वारा पुनः विचार करने के बाद दोनों की पदोन्नति कर दी गयी ।

श्री वी0 के0 प्रेमी की पदोन्नति पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा फरवरी, 1977 में विचार किया गया और यह अनुपयुक्त पाये गये । तत्पश्चात् मई, 1977 में समिति द्वारा पुनः विचार करने के बाद इनकी पदोन्नति कर दी गयी ।

श्री शिव प्रसाद की वर्ष 1972 में दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गयी थी और वर्ष 1976 में इन्हें निलम्बित भी किया गया था । दिनांक 13 फरवरी, 1978 से इन्हें बहाल कर दिया गया है परन्तु दन्ड के रूप में एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गई है । इसके कारण इनकी पदोन्नति अभी तक नहीं की जा सकी है ।

बाराबंकी जिले के ग्राम सराय शाह आलम निवासी श्री नजीर अहमद की नसबन्दी

21––श्री प्रदीप कुमार यादव––

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत ग्राम सराय शाह आलम, परगना दरियाबाद, तहसील राम सनेहीघाट, जिला बाराबंकी में दिनांक 14 अक्तूबर, 1976 ई0 को श्री नजीर अहमद की नसबन्दी की गयी ? यदि हां, तो क्या वह अविवाहित था ? यदि हां, तो उसकी नसबन्दी किन परिस्थितियों में की गयी ?

श्री कल्याण सिंह––

जी हां, श्री नजीर अहमद की नसबन्दी दिनांक 14 अक्तूबर, 1976 को की गयी थी । श्री नजीर अहमद द्वारा वैसेक्टामी आपरेशन के लिये दिये गये आवेदन पत्र में उन्होंने अपने को विवाहित एवं दो बच्चों का पिता बताया था ।

आर्टिफिसियल लिम्ब फैक्टरी, एल्मिकों वर्कर्स यूनियन, कानपुर का मान्यता संबंधी कथित पत्र

22––श्री श्यामदत्त पालीवाल––

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आर्टिफिशियल लिम्ब्स फैक्टरी, कानपुर में एल्मिको वर्कर्स यूनियन ने प्रबन्धक द्वारा उसको मान्यता न दिये जाने के बारे में श्रम विभाग को पत्र लिखे हैं ? यदि हां, तो उन पत्रों पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री गणेश दत्त वाजपेयी––

एल्मिकों वर्कर्स यूनियन कानपुर, जिसका पंजीयन संख्या 4448, दिनांक 29 अप्रैल, 1977 है, ने प्रबन्धकों द्वारा उनको मान्यता न दिये जाने के बारे में श्रम विभाग को कोई भी पत्र नहीं लिखा है ।

फैजाबाद जिले की नर्सेस यूनियन का मांग–पत्र

23––श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी––

क्या स्वास्थ्य मंत्री को फैजाबाद नर्सेस यूनियन का मांग-पत्र प्रश्नकर्ता के दिनांक 9 दिसम्बर, 1977 के पत्र के साथ मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है और उन मांगों को पूरी करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री कल्याण सिंह––

जी हां, मांगें शासन के विचाराधीन हैं ।

वाराणसी जिले के ब्लाक बड़ागांव व पिंडरा के कतिपय हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण की मांग

24—श्री ऊदल—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे गांव बरही, दल्लीपुर, दलवा, हमीरपुर, नेवादा ब्लाक बड़ागांव एवं गड़खड़ा जाठी, रोह, पिंडरा, फूलपुर, भंगारी, गंगापुर ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी की हरिजन बस्ती में विद्युतीकरण की योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो अब तक विद्युतीकरण क्यों नहीं किया गया ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जी नहीं। वाराणसी जनपद के विकास खण्ड बड़ागांव एवं पिंडरा के प्रश्न में वर्णित ग्रामों की हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण की कोई योजना नहीं बनाई गई है, जिसके कारण इन हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण नहीं किया गया।

राज्य विद्युत् परिषद्, बलिया के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का स्थानांतरण

25—श्री शम्भू नाथ चौधरी—

क्या सरकार यह बतायेगी कि राज्य विद्युत् परिषद् की बलिया शाखा में बहुत से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारी ऐसे हैं, जो बलिया जनपद के ही रहने वाले हैं और 5 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं ? यदि हां, तो इनके स्थानान्तरण के लिए सरकार शीघ्र क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जी हां। बलिया जनपद में स्थित विद्युत् परिषद् के विभिन्न कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के अलावा अन्य 58 ऐसे कर्मचारी हैं जो बलिया जनपद के ही निवासी हैं और वहां 5 वर्ष से भी अधिक समय से कार्यरत हैं। चूंकि यह सभी (58 कर्मचारी) तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं जिनके सम्बन्ध में परिषद् की यह नीति है कि उन्हें उनके निवास के जिलों या उसके समीप तैनात किया जाय, अतएव उनके स्थानान्तरण के सम्बन्ध में किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से बिजली के तार के चिनगारी से ग्राम बेलौली मौजीपुर, जनपद आजमगढ़ में किसानों के खलिहानों में आग लग जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री जगदीश (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं इस माननीय सदन का ध्यान प्रदेश में बिजली विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही तथा अनुशासनहीनता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसके परिणाम स्वरूप दिनांक 9 अप्रैल, 1978 को जनपद आजमगढ़ की तहसील घोसी के ग्राम बेबौली भोजीपुर के किसानों की गाढ़ी कमायी की पचासों हजार रुपयों की फसल दिन में 12 और 1 बजे के बीच में खलिहान में जलकर स्वाहा हो गयी।

माननीय अध्यक्ष, उक्त गांव के खलिहान के बगल में ही एक नलकूप है और बिजली का तार खलिहान के ऊपर से होकर जाता है। वहीं पर बिजली का डबल पोल और ट्रांसफार्मर है। उक्त ट्रांसफार्मर से घटना के कई दिन पूर्व से ही स्पार्किंग हो रही थी और लोगों ने इसकी शिकायत बार-बार सम्बन्धित लाइनमैन से किया था और यह भी अनुरोध किया था कि उसे जल्द ठीक कर दिया जाय अन्यथा सारे खलिहान के जल जाने का खतरा पैदा हो सकता है, लेकिन उक्त लाइनमैन ने यह कह कर उपेक्षा कर दी कि मुझे इसके लिए कोई पैसा नहीं देता।

*सभा ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

परिणामस्वरूप दिनांक 9 अप्रैल, 1978 को स्पार्किंग अधिक तेज हो गयी और उसी से गिरी हुई चिनगारी से सारा खलिहान जल कर खाक हो गया । इस प्रकार से एक कर्मचारी ने अपनी लापरवाही से गांव के बीसों किसानों को दाने-दाने का मोहताज बना दिया । जिन लोगों के खलिहान जले हैं, उनमें से बहुत से हरिजन, गोंड़, धोबी आदि भी हैं । जिन्हें यदि तुरन्त सरकार की ओर से आर्थिक सहायता न दी गयी तो उनका गुजारा असम्भव हो जायगा । उक्त दुर्घटना में एक विधवा महिला मुसम्मात दुइजी तथा मुहम्मद नईम बुरी तरह से जल गये हैं ।

अतः आप की अनुज्ञा से इस लोक महत्व के प्रश्न को संज्ञान में लाते हुये मैं अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही की याचना करता हूं ।

जिला बस्ती के कतिपय गांवों में भीषण अग्निकांड के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री गिरधारी लाल (जिला बस्ती)--

अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र 167, नगर पूरब, तहसील व जिला बस्ती में कई गांव में भीषण अग्निकांड के फलस्वरूप तबाही व बर्बादी आ गई है । जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है:--

1--ग्राम नोनहा--79 छप्पर एवं खपरैल के मकान जल गये जिनमें अधिकांश हरिजनों एवं पिछड़ी जातियों के मकान थे, अनुमानतः 3 लाख रुपये की क्षति हुई है । आग में एक पशु भी जल गया ।

2--परसांयां--17 मकान खपरैल एवं छप्पर के जल गये सभी मकान पिछड़ी जातियों के थे लगभग 38,000 रुपये की क्षति हुई । आग की लपेट में एक बैल भी आगया तथा ग्रामवासियों की सभी सम्पत्ति स्वाहा हो गई ।

3--रामपुर--- दो मकान जल गये जो छप्पर के थे । आग से लगभग 6 हजार रुपये का नुकसान हुआ । दो घरों में जो कुछ भी सामान था वह जल गया । उक्त परिवार का कुछ नही बचाया जा सका ।

4--परसा--एक हरिजन का घर दुश्मनी के कारण अज्ञात लोगों द्वारा जला दिया गया । कुल 2 हजार रुपये का नुकसान हुआ ।

5--सोनहन--- आठ घर जल गये सभी घर मुसलमानों के थे लगभग 32,000 रुपये की क्षति का अनुमान है । उक्त समय तक जो भी खेत कट कर आया था सब खलिहान में जल गया ।

6--नकहा--सात घर जिसमें पिछड़ी जातियों तथा हरिजनों के घर थे जलगये, लगभग 28 हजार रुपये की क्षति का अनुमान है ।

7--बेनीपुर--- 14 घर जो छप्पर के थे जल गये लगभग 24 हजार रुपये का नुकसान हुआ ।

8--मउवापार तथा कलवारी--- दोनों गांव में दो-दो मकान अग्नि की भेंट में चले गये । लगभग 5 हजार रुपये की क्षति हुई ।

मान्यवर, महोदय उपर्युक्त सभी गांव रामजानकी मार्ग के अगल-बगल स्थित हैं, जो सरजू एवं कुआनो नदी का मध्य भाग पड़ता है । पिछले सत्र में यह पूरा क्षेत्र बाढ़ एवं सखा दोनों से पीड़ित था । तथा इस रबी में अनावर्षण एवं ओलों से लगभग 40 प्रतिशत

[श्री गिरधारी लाल]

फसल क्षतिग्रस्त हो गयी थी। उपरोक्त गांव में इस नयें प्राकृतिक संकट से जनता में त्राहि त्राहि मच गई है । भीषण अग्निकांड से प्रभावित मनुष्यों तथा पशुओं के भोजन एवं चारे की भीषण समस्या पैदा हो गई है । सरकारी सहायता के नाम पर उपरोक्त 9 गांव में से केवल नोनहा गांव में 41 व्यक्तियों को 150 रुपये तक की सहायता प्रदान की गई । शेष गांवों में को ई भी सहायता नहीं दी गई । उपरोक्त गांव की स्थिति अत्यधिक भयावह हो गयी है कि पूरा का पूरा परिवार पेड़ तथा खुले आकाश के नीचे पूरा दिन गुजार रहा है और भगवान भरोसे जो कुछ भी खड़ी फसल में से कुछ दाना निकाल कर भोजन की व्यवस्था कर रहा है । अतः अनुरोध है कि कृपया बिना किसी प्रकार के भेदभाव के ही सभी लोगों को चाहे वह सवा एकड़ से ज्यादा के काश्तकार हों, शासकीय सहायता प्रदान की जाय । अच्छा होता कि शासन टेस्ट वर्क के माध्यम से भी पीड़ित जनता की सहायता करे जिससे तात्कालिक रूप से उनको जीविकोपार्जन का सहयोग हो सके ।

वाराणसी में आरक्षण के विषय को लेकर छात्र संर्घष के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के सज्ञान में लाना

*श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)--

मान्यवर, आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान एक अति लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करते हुये निवेदन करना चाहता हूं कि वाराणसी नगर में आरक्षण के मुद्दे को लेकर जहां पहले से ही तनाव था, केन्द्रीय प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा अर्जक संघ के सम्मेलन में दिये गये वक्तव्य की गलत व्याख्या कर कुछ राजनैतिक उद्देश्य से प्रेरित व्यक्ति तनाव ही नहीं वरन् वहां संघर्ष पैदा करने की पृष्ठभूमि निर्मित कर रहे हैं । गत दिवस स्थानीय उदय प्रताप कालेज के छात्रों ने जुलूस निकाला और आरक्षण विरोधी नारे भी लगाये गये । दूसरी ओर अर्जक संघ ने डा0 अम्बेदकर के जन्म दिवस 14 अप्रैल, 1978 को रामायण को जलाने का निश्चय किया है । इसकी प्रतिक्रिया में उदय प्रताप कालेज के छात्रों ने भी यह धमकी दी है कि यदि कोई भी धार्मिक पुस्तक जलायी गई तो पुस्तक जलाने वाले को वे जिन्दा जला देंगे । श्रीमन्, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस विषम और दुर्भाग्यपूर्ण सम्भावित स्थिति की ओर आकृष्ट करते हुये यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस सन्दर्भ में तत्काल आवश्यक कदम उठाया जाय अन्यथा यदि कोई भी धार्मिक पुस्तक जलायी जाती है अथवा किसी प्रकार की हिन्सात्मक घटना होती है तो उसका दुष्प्रभाव प्रान्त ही नहीं वरन् पूरे देश पर पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान विशेष रूप से इस सूचना की ओर अर्कषित करना चाहता हूं जिससे कि वह इस बात की आवश्यक कार्यवाही करें कि वहां इस तरह की कोई दुर्घटना न हो ।

बांदा जनपद के थाना विशंसा के अन्तर्गत एक गांव में सरोधरा तथा ग्राम भोटियारी की भेदिया नामक हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

अध्यक्ष जी, जैसा आपको याद है हरिजन उत्पीड़न की मैं कितनी ही शिकायतें दे चुका हूं लेकिन मुख्य मंत्री जी का जो उत्तर आ रहा है वह संतोषजनक नहीं है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बांदा जनपद के थाना विशैसा के अन्तर्गत एक गांव में सरोधरा तथा ग्राम भोटियारी की भेदिया नामक हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री अध्यक्ष---

आप भूमिका न देकर अपनी सूचना पढ़ें ।

श्री गुलाब सेहरा---

वही पढ़ रहा हूं...

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला बांदा के अन्तर्गत विशैसा थाना के एक गांव में सरोधरा नाम की एक हरिजन महिला खेत में घास काट रही थी, 9 मार्च को वहां एक 45वर्षीय ठाकुर ने उस महिला के साथ जबरन बलात्कार किया । महिला के लगातार चिल्लाने व आवाज देने के बावजूद उसे कोई सहायता नहीं मिली और वह बलात्कार का शिकार हो गई ।

विशैसा पुलिस थाने में उक्त घटना का मामला रजिस्टर करा दिया गया है ।

बांदा जिले के एक अन्य गांव भोटियारी में एक हरिजन महिला जिसका नाम भेदिया था अपने खेत में काम कर रही थी जब कि उच्च जाति के एक व्यक्ति ने उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करने का प्रयत्न किया और जब उसने शोर मचाया तब वह व्यक्ति भाग खड़ा हुआ । इस मामले की भी रिपोर्ट पुलिस थाने में कर दी गई है ।

इन दोनों घटनाओं से उक्त क्षेत्र के हरिजनों में बड़ा असंतोष व्याप्त है । मान्यवर आपके माध्यम से प्रशासन से आग्रह है कि उच्च पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच कराई जाये और अभियुक्तगण के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की जाये ।

शाहजहांपुर के गन्ना क्रय केन्द्र जिनपुरा, निगोही तथा हरैली में गन्ना खरीद एकाएक बन्द हो जाने से किसानों को परेशानी के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के सज्ञान में लाना

*श्री जगदीश सिंह (जिला शाहजहांपुर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के गन्ना किसानों की विकट समस्याओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । निगोही जिला शाहजहांपुर तीन गन्ना खरीद सेंटर में जिनके नाम जिनपुरा, निगोही, हरैली हैं, विगत दिवस खरीद केन्द्र एकाएक बन्द हो जाने से जनता में त्राहि-त्राहि मची है । अभी भी गन्ना खेतों में खड़ा हुआ है जो कि सूख रहा है व खराब हो रहा है । अगर तत्काल ही गन्ना खरीदने की व्यवस्था शासन द्वारा नहीं की गई तो हजारों कृषकों को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा और जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन पर होगी ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हो रही परीक्षाओं में केन्द्र व्यवस्थापकों द्वारा कथित भ्रष्टाचार तथा घूस लेने की शिकायतों के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री सोहन बीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)---

मान्यवर, मैंने तो शायद कोई सूचना दी नहीं ।

श्री अध्यक्ष---

आपने माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षा में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में सूचना दी थी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सोहनबीर सिंह तोमर--

वह तो 301 का था। मेरे पास इस सूचना की प्रति नहीं है। एक प्रति मुझे दे दें तो मैं उसको पढ़ लूं।

श्री सुखपाल पाण्डेय---

[× × ×]

श्री अध्यक्ष---

इसमें बेहतर होगा कि आप माननीय सेहरा साहब से विचार-विमर्श कर लें।

श्री सोहनबीर सिंह तोमर---

मान्यवर, यू० पी० माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हाई स्कूल तथा इंटर परीक्षा, जो कि 11 अप्रैल, 1978 से प्रारम्भ हो गयी है, के संबंध में विभिन्न जिलों से बड़े पैमाने पर सूचनायें प्राप्त हो रही हैं कि केन्द्र व्यवस्थापक परीक्षार्थियों से परीक्षा में अनुचित साधनों को अपनाने की छूट देने की एवज में भारी धनराशि रिश्वत के रूप में वसूल रहे हैं। जो परीक्षार्थी इस प्रकार से रिश्वत देने से इंकार करते हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार से तंग किया जा रहा है तथा अनुत्तीर्ण करने की धमकी दी जा रही है। इस प्रकार जहां उद्दंड और अनुशासन-हीन छात्रों को अनुचित लाभ पहुंच रहा है, वहीं परिश्रमी तथा मेधावी छात्रों का भविष्य अंधकार में हो रहा है। परीक्षा में इस व्यापक भ्रष्टाचार से परीक्षा की तमाम पवित्रता नष्ट हो गयी है तथा परीक्षाफल निरर्थक हो जायेगा। सरकार स्थिति से निपटने के लिये अपेक्षित कार्यवाही नहीं कर रही है जिससे छात्रों, अभिभावकों तथा प्रबुद्ध नागरिकों में घोर असंतोष व्याप्त है। अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर शिक्षा मंत्री जी को तत्काल वक्तव्य देने को कहा जाये।

श्री अध्यक्ष---

माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपको उत्तर तो देना ही है, लेकिन यह प्रश्न तुरन्त महत्व का है। इसलिये इस पर ध्यान देकर तुरन्त सूचना दें।

एक सदस्य---

मान्यवर, शिक्षा मंत्री जी तो इस समय उपस्थित नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष---

जो अन्य मंत्री यहां हैं, वे इसको उनके पास भेज देंगे।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1978

सचिव, विधान सभा---

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 161 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक 1978, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

नोट [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, 1978

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 161 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, 1978, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

आज कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी 13 अप्रैल, 1978 की बैठक में नीचे लिखी सिफारिशें की हैं :

विधान सभा की बैठक 15, 16 व 17 मई, 1978 को भी हो। दिनांक 14, 17 तथा 24 अप्रैल, 1978 को पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अतिरिक्त और 15, 16 व 17 मई, 1978 को निम्नलिखित कार्यक्रम रखे जायं—

(1) दिनांक 14 अप्रैल, 1978 (5.00 बजे अपरान्ह से जब तक पारित हो)	उत्तर प्रदेश कराधान विधि (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1978 पर विचार एवं उसका पारण।
(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1978 (5 बजे अपरान्ह से जब तक पारित हो)	(1) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1978, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं पारण।
	(2) आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश) (संशोधन) विधेयक, 1978 पर विचार एवं उसका पारण।
	(3) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1977 को विधान सभा की एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव।
(3) 24 अप्रैल, 1978 (5 बजे अपरान्ह से जब तक परित हो)	उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, 1978, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण।
(4) दिनांक 15 मई, 1978	संविधान (चौवालीसवां संशोधन) विधेयक, 1977 के अनुसमर्थन पर विचार।

[श्री अध्यक्ष--]

(5) दिनांक 16 मई, 1978

श्री कल्पनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित नियम 103 के अन्तर्गत निम्नलिखित दो प्रस्तावों पर चर्चा--

(1) प्रादेशिक सिविल सेवा के अधीन कार्यरत अधिकारियों के कार्य-कलाप एवं उनकी उपलब्धियों में ऐसे सुधार किये जायं जिसे वे अखिल भारतीय प्रशासकीय सेवा के अधिकारियों के कार्य-कलाप और उपलब्धियों के समकक्ष हो सकें।

(2) उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की प्राक्कलन समिति 1976-77 के तेरहवें प्रतिवेदन में की गयी संस्तुति के अनुसार राजस्व परिषद् को समाप्त किया जाये।

असरकारी कार्य।

(6) दिनांक 17 मई, 1978

संसदीय कार्य मंत्री--(श्री मधुकर दिघे)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति ने जो सिफारिश की है और जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा अभी दी गयी, उससे सहमत है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्यमंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से, जिसकी सूचना अभी अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी, से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कतिपय स्थानीय निकायों के निर्वाचन के स्थगन का प्रस्ताव

वित्त मंत्री--(श्री मधुकर दिघे)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन--

1-- चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड के लिये 2 सदस्यों,

2--नरेन्द्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड के लिये 2 सदस्यों,

3--इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सभा के लिये 5 सदस्यों,

4--आगरा विश्वविद्यालय की सभा के लिये 5 सदस्यों,

5--उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् के लिये 4 सदस्यों,

6--कानपुर विश्वविद्यालय की सभा के लिये 5 सदस्यों,

7--काशी विद्यापीठ की सभा के लिये 5 सदस्यों,

8--गोरखपुर विश्वविद्यालय की सभा के लिये 5 सदस्यों,

9--अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय कमेटी के लिये 4 व्यक्तियों,

10--रुड़की विश्वविद्यालय की सिनेट के लिये 4 सदस्यों,

11--गोविन्द वल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर, जिला नैनीताल के प्रबन्ध बोर्ड के लिये 2 सदस्यों,

12--राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड के लिये 4 सदस्यों, तथा

13--माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के लिये 5 सदस्यों,

के निर्वाचन के वर्तमान कार्यक्रम को, जिसके अन्तर्गत दिनांक 17 अप्रैल, 1978 को पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक मतदान होना था, निरस्त करते हुए यह निश्चय करता है कि जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष आदेश दें, उक्त निकायों में उनके सामने उल्लिखित स्थानों को भरने के लिये यह सदन निर्वाचन करे।

श्री सोहनबीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

मान्यवर, एक वर्ष हो चुका, जब से अब तक इन समितियों के चुनाव नहीं हुए। अब मौका आया था कि इनके चुनाव सम्पन्न हो जाते। तो माननीय मंत्री जी ने प्रस्ताव किया है कि इन समितियों का चुनाव रोक दिया जायगा। उनमें फिर नामांकन-पत्र दाखिल किये जायेंगे। विधान सभा काल का पांचवा हिस्सा पूरा हो गया। कोई कमेटी कायम नहीं कर रहे हैं; आज तक समितियों का चुनाव नहीं कर पाये। कुछ कमेटियों के चुनाव हो चुके हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि कुछ कमेटियों में जो लोग चुने गये हैं, उनके अतिरिक्त जो माननीय सदस्य हैं वे बिना कमेटी के रहेंगे। एक नीति निश्चित होनी चाहिये। या तो सारी की सारी कमेटियों का चुनाव रद्द करें। कौन सी ऐसी विशेष परिस्थिति है, यू0 पी0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् है, उसकी सारी कार्य प्रणाली ठप्प पड़ी है। प्लानिंग कमेटी का कार्य ठप्प पड़ा है। यूनिवर्सिटी कोर्ट्स के नामिनेशन ठप्प पड़े हैं।

मैं निवेदन करूंगा कि इस सदन में सरकार प्रजातंत्र के तरीकों की रक्षा करें और इस प्रस्ताव को वापस लें और चुनाव संपन्न होने दें।

श्री मधुकर दिघे--

माननीय तोमर जी की आशंका को मैं निर्मूल कर देना चाहता हूं कि कुछ ऐसी कठिनाइयां उपस्थित हो गयीं हैं जिसके कारण जो समय है उसको ध्यान में रखकर यह किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी से बातचीत करने के बाद आगे आनेवाले 10-15 दिनों में इनका भी चुनाव हो जायेगा, इसमें शासन का बहुत अधिकार नहीं है। सदन को ही निर्वाचन करना है। विरोधी दल से बातचीत करके बहुत कुछ निर्णय लिया जाता है। इसमें कोई ऐसा इरादा नहीं है कि विलम्ब किया जाये, इसको जल्दी ही किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड के लिये 2 सदस्यों, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड के लिये 2 सदस्यों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सभा के लिये 5 सदस्यों, आगरा विश्वविद्यालय की सभा के लिये 5 सदस्यों, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् के लिये 4 सदस्यों, कानपुर विश्वविद्यालय की सभा के लिये 5 सदस्यों, काशी विद्यापीठ की सभा के लिये 5 सदस्यों, गोरखपुर विश्वविद्यालय की सभा के लिये 5 सदस्यों अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय कमेटी के लिये 4 व्यक्तियों, रुड़की विश्वविद्यालय

[श्री अध्यक्ष]

की सिनेट के लिये 4 सदस्यों, गोविन्द वल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर, जिला नैनीताल के प्रबन्ध बोर्ड के लिये 2 सदस्यों, राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड के लिये 4 सदस्यों तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश के लिये 5 सदस्यों के निर्वाचन के वर्तमान कार्यक्रम को जिसके अन्तर्गत दिनांक 17 अप्रैल, 1978 को पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक मतदान होना था, निरस्त करते हुए यह निश्चय करता है कि जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष आदेश दें उक्त निकायों में उनके सामने उल्लिखित स्थानों को भरने के लिये यह सदन निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978 †

वित्त मंत्री--(श्री मधुकर दिघे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की आज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मधुकर दिघे--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करता हूं।

1978--79 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मागों पर मतदान--अनुदान संख्या 7--भू-राजस्व, अनुदान संख्या 41--दैवी आपदाओं के कारण सहायता तथा अनुदान संख्या 79--जमींदारी उन्मूलन के संबंध में प्रतिकर

राजस्व मंत्री--(श्री शारदा भक्त सिंह)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-7--भू-राजस्व के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 32,27,32,400 रुपये के अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 41--दैवी आपदाओं के कारण सहायता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,48,38,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 79--जमींदारी उन्मूलन के संबंध में प्रतिकर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,09,100 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

---

†दिनांक 13 अप्रैल, 1978 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

मान्यवर, इन प्रस्तावों को रखते हुए मैं माननीय सदस्यों से यह अपेक्षा करता हूं कि सर्वसम्मति से इन अनुदानों को पारित करेंगे।

जहां तक राजस्व विभाग का संबंध है इसके कार्य कलापों से माननीय सदस्य पूरी तरह से अवगत हैं। जनता सरकार ने यह घोषणा की है कि हम ग्रामीण अंचलों का उत्थान करना चाहते हैं और हमारा विकास का मार्ग देहात की ओर होगा। इस कार्य में राजस्व विभाग को एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है और प्रदेश की प्रगति में इस ओर बहुत बड़ा योगदान देना है। मान्यवर, जहां तक हम एक ओर ग्रामीण अंचलों में प्रगति और उत्थान करके किसानों की दशा को सुधारना चाहते हैं और उस संबंध में आवश्यक कदम राजस्व विभाग द्वारा लिये जा रहे हैं, वहां हमारी यह भी नीति है कि किसानों में और देहात के रहने वालों में जो निर्बल वर्ग है विपन्न हैं, कमजोर हैं, उनको यथोचित सहायता देकर अपना उत्थान करने के लिये पूरा अवसर दिया जाय और उन्हें शीघ्रातिशीघ्र अन्य जो वहां के निवासी हैं, उनके समकक्ष लाया जाय। इसलिये अगर गरीबों को उठाना है, उनकी स्थिति में सुधार लाना है तो सबसे बड़ा आवश्यक कदम जो राजस्व विभाग द्वारा उठाया जा रहा है वह भूमिका न्यायोचित और वास्तविक वितरण है। इस संबंध में पिछले दिनों में भी काफी भमि का वितरण किया गया परन्तु जिस तरह से भूमि का वितरण जितने थोड़े समय में किया गया जल्दी से प्रचार को दृष्टि में रखकर इस कार्य को पूरा किया गया उससे बहुत सी कठिनाइयां उत्पन्न हो गयीं। प्रचार अधिक हुआ लेकिन लोगों को वास्तविक भूमि उपलब्ध हो और उसमें वे कृषि करके अपनी उन्नति कर सकें, इधर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा सका। अतएव जब इस सरकार ने प्रदेश के शासन को अपने हाथ में लिया तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट सामने आई कि कथनी और करनी में बड़ा अन्तर था। काफी लोग जिनको पट्टे दिये गये थे, भूमि आवंटित की गयी थी, उनको भूमि पर वास्तविक कब्जा प्राप्त नहीं हुआ, किसी को उस भूमि को ढूंढने में काफी कठिनाई पड़ी और कुछ ऐसे लोगों के पास भूमि थी जिनसे उनका कब्जा प्राप्त नहीं हो सकता था। इसलिये, मान्यवर, इस संबंध में सितम्बर के माह में राजस्व विभाग से इस बात के आदेश दिये गये कि जितने भी पट्टे इस प्रकार से जल्दी से हुए हैं या जो भी भूमि लोगों को वितरण हुई है, उनकी सूची जिलेवार बनाई जाय और उनके तैयार होने पर ये आदेश प्रसारित किए गए कि जितने भी पट्टे दिए उनकी छानबीन की जाय। जिन लोगों को पट्टे पर कब्जा नहीं मिला उनको वास्तविक कब्जा दिलाया जाय और जिस भूमि की पैमाइश नहीं की गई, उनकी मौके पर पैमाइश की जाय और जिनको ऐसे पट्टे प्राप्त नहीं हो सके और जो भूमि खेती योग्य नहीं है, उनके शीघ्रता से पट्टे निरस्त किए जायं और दूसरी भूमि को देने का प्रबन्ध किया जाय और ये कार्य 31 मार्च, 1978 तक समाप्त हो जाने चाहिए। नायब तहसीलदार से लेकर ऊपर के सभी अधिकारी इस काम में लगाए गए और मान्यवर,.....

(इस समय 12 बजकर 35 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्याम धर मिश्र पीठासीन हुए।)

मान्यवर, इस सम्बन्ध में प्रदेश में काफी प्रगति हुई है। सितम्बर, 1977 में जब यह आदेश प्रसारित किए गए थे, उस समय लगभग 6 लाख, 15 हजार, 587 हेक्टेयर भूमि आवंटित कही जाती थी। गांव सभा की भूमि सितम्बर, 1977 तक जिन व्यक्तियों को आवंटित की गई थी, उनकी संख्या 17, 51,407 थी। उक्त अवधि में सार्वजनिक भूमि का आवंटन 1,01,122 लोगों को किया गया था, जिसमें से 22,722 हेक्टेयर भूमि ऐसी थी, जो सार्वजनिक उपयोग वाली आवंटित कर दी गई। जब यह भूमि आवंटित हो रही थी और जल्दी से इस कार्य को पूरा करने का आदेश दिया जा रहा था, तो जो 8 परसेन्ट आरक्षित भूमि थी गांव सभा में, उसका जो प्रतिबन्ध था, वह भी समाप्त कर दिया था

[श्री शारदा भक्त सिंह---]

और इसलिए सभी प्रकार की भूमि आवंटित कर दी थी। लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस शासन में इस पर पुनर्विचार हुआ और उन्होंने यह आदेश भेजा कि जो भूमि भू-अभिलेखों में सार्वजनिक उपयोग में आ रही है या अंकित है या चकबन्दी कार्यालय में सार्वजनिक उपयोग में छोड़ी गई है, ऐसे तीन प्रकार की भूमि के जो पट्टे जल्दी में हो गए, उस समय उसको तुरन्त निरस्त कर दिया जाय। इसके फलस्वरूप जो ऐसे सार्वजनिक उपयोग की भूमि थी, उसको बेदखली के मुकदमे, उसी वक्त दायर कर दिए गए। इसलिए मान्यवर, अगर यह सार्वजनिक भूमि जो आवंटित की गई, इसको निकाल दिया जाय, तो शेष भूमि 5 लाख 92 हजार 815 हेक्टेयर थी, जो 16 लाख 50 हजार 285 लोगों को आवंटित की गई थी और इस छानबीन में देखना था कि उनमें से कितने कब्जे नहीं पाए और क्या कठिनाई उन्हें हो रही है, उसे अधिकारी दूर कर दें। पिछले माह में जो आंकड़े मिले हैं, उससे यह मालूम हुआ है कि 1 लाख 10 हजार 213 व्यक्तियों को 40 हजार, 794 हेक्टेयर भूमि में वास्तविक कब्जा इन दिनों दिलाया गया और अभी जांच के लिए हमने 15-20 दिन और बढ़ा दिए हैं, जो आवश्यक था। उसमें 16,066 व्यक्तियों को 6,986 हेक्टेयर भूमि के पट्टे की छानबीन बाकी रह गई। आलोचना करने से गरीबों को कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए जो भूमि आवंटित कर दी थी, उसका वास्तविक कब्जा उनको मिल जाय, इसके लिए पिछले 4--6 महीने में सारे अधिकारियों को लिख कर भेज कर पूरा करने का प्रयत्न किया गया। आपने देखा होगा कि 1,10,213 व्यक्तियों को जो कब्जा नहीं पाए थे, भूमि आवंटित थी, लेकिन उन्हें भूमि नहीं प्राप्त हुई थी, उन्हें मौके पर वास्तविक भूमि दिलाई गई और जो थोड़े से लोग रह गए हैं, मैं समझता हूं, थोड़े दिन में वह भी कार्य-वाही पूरी हो जायगी। यह जो राजनैतिक प्रकार का साधन बनाया गया था कि पट्टे दिए गए, उनको भूमि नहीं मिल रही है, हालांकि कठिनाई उनके द्वारा पैदा की गई थी लेकिन फिर भी इस कार्य को हमने पूरा किया है और जो कार्य कांग्रेस शासन से छूट गए थे, जल्दी में वह कार्य नहीं किया गया, गरीबों को भूमि नहीं प्राप्त हो सकी थी, जिनको भूमि आवंटित थी, उनके लिए प्रयत्न किया गया कि उन्हें उनकी आवंटित भूमि प्राप्त हो जाय ताकि वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इसलिए पूरा करने का प्रयत्न करके वह कार्य पूरा कर दिया गया।

मैं समझता हूं कि इस तरह से अब तक जितने भी पट्टे किए गए हैं उन सबको भूमि प्राप्त हो गई है और कहीं पर अगर कोई रह जायं तो हमारे पास सूचना आने के बाद हम अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही कर सकते हैं। क्योंकि यह बार-बार कहा गया कि क्या आवंटित भूमि का कब्जा लोगों को मिल गया, तो इस काम को पूरा तो करा दिया गया लेकिन केवल पट्टा करा देना और आवंटित भूमि पर पट्टा दिला देना अभीष्ट नहीं था, यह आवश्यक था कि जो गरीब भूमि पर पहुंच जायं उस पर वास्तविक रूप से वे खेती कर सकें। क्योंकि जो कमजोर लोगों की कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं वह कोशिश करते हैं कि वे गरीब अपनी भूमि पर कब्जा न ले सकें। तो वह इस प्रकार से जबरदस्ती कब्जा न ले सकें इसका भी प्रबन्ध किया गया।

पिछले ही सत्र में आपने एक अधिनियम पास किया। उसके सम्बन्ध में अध्यादेश पहले ही प्रख्यापित कर दिया गया था। उसके द्वारा हमने प्रबन्ध किया है कि अगर किसी आवंटी की भूमि पर कोई जबरदस्ती अतिक्रमण करता है अथवा उसकी कमजोरी का अनुचित लाभ उठाना चाहता है तो हमने परगनाधिकारी को अधिकार दे दिए हैं कि लम्बे मुकदमे की जरूरत न हो और बल प्रयोग से आवंटी को उस पर वह कब्जा दिलाने में सक्षम होगा। और इसलिए यह सरसरी तौर पर उनको अधिकार दिया गया कि इस प्रकार के भूमि बेदखली के काम हों और लोगों को भूमि से वंचित किया जाय तो उसके लिए तुरन्त कार्यवाही हो जाय। इसलिए यह कानून हमने बनाया। इसके साथ-साथ अधिनियम में यह भी प्राविधान किया गया कि अगर दोबारा परगनाधिकारी के बल प्रयोग से कब्जा दिलाए जाने

के बाद कोई पुनः दुःसाहस करे और फिर कब्जा कर ले तो उनके खिलाफ फौजदारी में मुकदमा चलेगा, यह दस्तअन्दाजी अपराध होगा और साबित होने पर उनको 3 वर्ष तक कारागार होगा। इसलिए मान्यवर, जहां हमने जिन गरीबों को भूमि आवंटित हुई थी उनको वास्तविक कब्जा दिलाने का प्रबन्ध किया वहां हमने उसका भी प्रबन्ध किया है कि उनको वास्तविक कब्जा मिल जाने के बाद वह दुबारा उनको भूमि से वंचित न कर सकें और अगर कोई आततायी ऐसा दुःसाहस करता है तो उचित दण्ड देकर जेल भी भेजा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त जहां तक लगान सम्बन्धी सवाल है, उस पर भी काफी चर्चा की जा रही है। इस सम्बन्ध में भी बड़ा भ्रामक प्रचार हो रहा है। जुलाई, 1976 के पूर्व जैसा हम सब को मालूम है, मालगुजारी से 41 करोड़ रुपया इस प्रदेश को प्राप्त होता था। कांग्रेस शासन में इस लगान को बढ़ाया गया और लगान और विकास कर मिला करके 41 करोड़ रुपया की राशि को 63 करोड़ रुपया कर दिया गया। इसकी वसूलयाबी और इस सम्बन्ध में आगे कदम बढ़ाए जायं, इसको राज्यपाल महोदय ने स्थगित कर रखा है।

मान्यवर, जब इस शासन ने अपने हाथ में इस विभाग का कार्य लिया और इस समस्या पर हमने गम्भीरता से विचार किया तो पहला कदम जो हमने उठाया जिससे हमारी नीयत साफ मालूम होती है, 3 1/8 एकड़ के लोगों को जो इस योग्य नहीं थे कि अपने पैरों पर खड़े होकर उस अलाभकारी भूमि से लाभ उठा सकें, 12 करोड़ रुपया भार हमने हटा लिया और उन्हें मालगुजारी से मुक्त कर दिया। दूसरा कदम जो हमने उठाया विकास कर लगा हुआ था। लगान का तीन गुना, चार गुना, पांच गुना तक लोगों पर पड़ता था। उस विकास कर को भी हमेशा के लिए समाप्त कर दिया और इस तरह 18 करोड़ रुपए का कर भार किसानों पर से हटा लिया गया। पिछले 8–10 महीने में 63 करोड़ रुपए से मालगुजारी को घटा करके 29 करोड़ रुपए पर इसी शासन ने लाकर रखा यह इस बात को पूरी तरह से प्रमाणित करता है कि हमारा संकल्प और नियत क्या है और हम किस ओर जाना चाहते हैं। जो हमने घोषणा की है कि किसानों को हम मदद करना चाहते हैं, उस ओर जो कदम उठाए हैं उनसे आधे से ज्यादा लगभग हमने मालगुजारी माफ कर दी। लेकिन कुछ लोगों पर लगान बढ़ा है उसकी भी मैं सफाई कर देना चाहता हूं। अभिनवीकरण के द्वारा कुछ लोगों पर लगान बढ़ा। पिछले दिनों जहां 41 करोड़ रुपया मालगुजारी का, बढ़ोत्तरी से पूर्व, आता था, वह घट कर अब 29 करोड़ ही रह गया है। जो थोड़े से ऐसे लोग थे जो मध्यवर्ती थे, जो जमींदार रह चुके थे और जिनको जमींदार रहने के नाते ब्रिटिश शासन काल में उसे कुछ सुविधायें प्राप्त थीं, वे लगान के रूप में सर्किल रेट का 40 प्रतिशत ही देते थे। कांग्रेसी शासन काल में भी यही प्रथा चालू रही। जो निर्बल और गरीब वर्ग था वह लगान सर्किल रेट का दुगुना देता था। तो यह एक विषमता पैदा हो गई थीं। यह देखने में आता था कि दो भूमिधर अगर पड़ोस में हैं तो एक 5 रुपए देता था तो दूसरा 25 रुपए देता था, यह विषमता काफी समय से चली आ रही थी। इसलिए यह आवश्यक इस सरकार ने समझा कि जो कम देते हैं उनको ज्यादा देना पड़े और एक समानता लाई जाए। जो लगान एक सबसे गरीब किसान दे, वही वह लोग भी दें जो आज तक सर्किल रेट का केवल 40 प्रतिशत ही देते रहे हैं। इसकी मांग बहुत दिनों से चली आ रही थी। इसलिए यही किया गया कि जिनका लगान कम था उनका बढ़ाया गया। जो लोग 1/5 लगान कम देते थे अब उनका लगान समान कर दिया गया। जो पक्षपात एक तरह से कुछ लोगों के साथ किया जाता था वह एक तरह से बन्द कर दिया गया।

[श्री शारदा भक्त सिंह---]

मान्यवर, रामपुर स्टेट जब हममें शामिल हो गई वहां, या मेरठ तथा मुजफ्फरनगर आदि में कुछ ऐसे जिले हैं जो सर्किल रेट से ज्यादा लगान देते थे। दुगने से भी ज्यादा देते थे। उनका भी लगान कम करके सब के समान ही कर दिया। जो कम देते थे उनको समकक्ष लाया गया है। जो अधिक देते थे उनको कम कर दिया गया। इसके कारण आज कुछ लोगों को कठिनाइयां हो सकती हैं। लेकिन आज भी 70 फीसदी खातेदार ऐसे हैं जो लगान से मुक्त हो गए हैं। काफी बड़ी संख्या ऐसे है जो कम देते हैं। कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनका लगान बढ़ा है। आज विपक्ष वाले जो भ्रम पैदा कर रहे हैं वह गलत है। आज जो लोग बेजबान हैं, जो हमारी तरफ ही केवल देखते हैं, जो आन्दोलन आदि नहीं कर सकते, जो चिल्ला भी नहीं सकते, आखिर उन ऐसे लोगों को भी तो न्याय मिलना चाहिए। हम ऐसे लोगों को न्याय से वंचित नहीं कर सकते। इसलिए इस सरकार ने सर्किल रेट की विभिन्नता को समाप्त किया। 6 पैसे से लेकर 103 रुपए तक सर्किल रेट था। उनको भी समान भूमि के लिए समान सर्किल रेट और समान भूमि धरों को समान लगान देने की व्यवस्था इसमें की गई है। इसलिए मान्यवर, लगान 41 करोड़ से घटकर 29 करोड़ रुपए हो गया। इसमें जो विषमतायें थीं जो गरीब लोग ज्यादा देते थे, जिनके पास भूमि पर्याप्त थी वह कम देते थे तो इस विषमता को भी दूर किया गया है। लगान को एक समान करके सबको एक साथ प्रगति करने का अवसर दिया है। इस लिए मान्यवर, लगान के सम्बन्ध में जो तरह तरह के भ्रम फैलाए जाते थे उनकी सफाई होनी चाहिए और जो सही बात है उसको जन साधारण के सामने रखना चाहिए।

इधर रेवेन्यू कोड या राजस्व संहिता की जो बहुत दिनों से आवश्यकता थी तो राजस्व विभाग ने उसको पुरःस्थापित कर दिया है। मेरा ख्याल है कि इस सत्र में या अगले सत्रमें वह पास हो जायगी। मान्यवर, यहां पर शिकायत की गई कि दाखिल खारिज के मुकदमों में काफी भ्रष्टाचार है। गरीबों को बहुत दौड़ना पड़ता है। दिन भर बैठे रहते हैं शाम को उन्हें अगली पेशी मिल जाती है और वह वापस चले जाते हैं। जब तक मुकदमा चलता है तब तक उस गरीब आदमी को काफी हानि हो जाती है। इसलिए हमने जो कदम उठाया है उससे हम बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके वारिसों के नाम की 3 महीने के अन्दर रिपोर्ट होगी। यदि रिपोर्ट नहीं होगी तो हमने उस सम्बन्ध में लेखपाल को दण्डनीय बनाया है। ऐसा न करने पर उसको दण्ड दिया जायगा। उसके बाद वह रिपोर्ट नायब तहसीलदार के पास जायगी। वह तहसील में बैठकर उसका फैसला नहीं करेगा बल्कि हमने प्राविधान किया है कि उस रिपोर्ट को लेकर नायब तहसीलदार को गांव सभा को जाना होगा। वहां पर 2 सदस्यों और प्रधान के सामने उस रिपोर्ट को गांव में देखा जायगा और इस तरह से दाखिल खारिज का मुकदमा खत्म होगा। अगर इस तरह से मामले का निपटारा नहीं हो पायेगा तो वह डिप्टी कलेक्टर के पास भेजा जायगा। अब उल्टी गंगा की धारा नहीं बहेगी। अब दाखिल खारिज के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा और पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। बल्कि हमारे अधिकारी गांव में जाकर उनकी बात सुनकर, जैसा कि हमारा दायित्व है कि कागजों की लिखा पढ़ी ठीक से पूरा करें, मामले को खत्म करेंगे। जहां तक बैनामा, हिबानामा, रजिस्ट्री का सवाल है, जो इस सम्बन्ध में फार्म होता है, जो बैनामा करता है और जिसके हित में बैनामा होता है, उसका नाम, नम्बर, गांव आदि को लिखकर रजिस्ट्रार उसको तहसील को भेजेगा और तहसीलदार के आदेश से मुकदमा प्रारम्भ होगा। इस तरह से जो विरासत का सवाल सामने आता था, कचेहरी में दौड़-भाग करनी पड़ती थी काफी पैसा खर्च होता था और भ्रष्टाचार भी होता था तो यह जो कदम उठाए गए हैं इससे यह सब बातें दूर होंगी। ताकि जनता समझ सके कि जो सरकार का कार्य है वह जनता के पास आकर होना चाहिए। इससे किसान को दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी और वह अपने उत्पादन में ध्यान देगा। जो

दाखिल खारिज के मुकदमें समझौते के आधार पर नहीं तय होंगे वह डिप्टी कलेक्टर के पास जायेंगे और वह उसको नम्बरी दावा मानकर उसका उसी प्रकार निर्णय करेगा जैसे नम्बरी दावे का निर्णय होता है। पिछले दिनों बोर्ड आफ रेवेन्यू से मुकदमा जीत कर काश्तकार आता था तो सोचता था कि चलो मुकदमा तो जीतकर आ गए लेकिन उस पर दोहरी मार पड़ती थी। इसलिए यह जो दोहरी मार काश्तकार पर पड़ रही थी उस दोहरी मार को हम खत्म करना चाहते हैं। और व्यवस्था की है कि डिप्टी कलेक्टर के वहां जो नम्बरी दावा होगा वह अन्तिम होगा। इसमें और बहुत सी सहूलियतें दी गई हैं और रेवेन्यू कोड आपके सहयोग से पारित होने के बाद जो हम तहसीलों के कानून में परिवर्तन करना चाहते हैं इसमें कड़ाई करके कुछ सफलता प्राप्त कर सकेंगे। अभी मैंने जैसे कहा कि 30 साल का जो भ्रष्ट प्रशासन मिला और जो परम्परा तहसीलों में चल रही है काफी प्रयत्न करने के बाद उसको पकड़ पाए हैं। नायब तहसीलदारों को मुकदमों से काफी दिलचस्पी पैदा हो गई है। हम भी उनसे वही काम लेना चाहते हैं लेकिन अब उनको तहसीलों में बैठकर काम नहीं करना होगा बल्कि उनको गांवों में जाना पड़ेगा। दाखिल खारिज के मुकदमों में लोगों को तहसील में जाना पड़ता था लेकिन अब उनको नहीं जाना पड़ेगा।

जहां तक मान्यवर, चकबन्दी का सवाल है तो काफी ऐसे गांव हैं जो चकबन्दी से छूट गए हैं। शुरू में लोग इसकी उपयोगिता नहीं समझते थे लेकिन अब बराबर प्रार्थना-पत्र आ रहे हैं कि हमारे गांव में चकबन्दी करा दी जाय। 1954 से 1959 तक जो चकबन्दी हुई चूंकि उस समय जनता में विरोध था इसलिए चकबन्दी के बारे में पूरी जानकारी न होने के कारण उस समय चकबन्दी हुई वह अच्छी नहीं हुई है। रास्ते नहीं छोड़े गए हैं, नाली नहीं छोड़ी गई हैं इसलिए उसमें काफी कठिनाइयां हैं। इसलिए जहां चकबन्दी नहीं हुई है और जहां गलत चकबन्दी हुई है, प्रारम्भ में, वहां निर्णय लिया गया है कि दुबारा चकबन्दी होगी लेकिन दूसरे चक्र में होगी। चूंकि चकबन्दी चल रही है इसलिए समय से काम करना है। केन्द्र से पैसा मिला है इसलिए हम पूरा काम कर लेना चाहते हैं और जो नई समस्यायें पैदा हो गई हैं वह दूसरे चक्र में पूरा करेंगे।

मान्यवर, जहां तक सड़कों और नहरों का सवाल है, यह मांग हो रही है कि सामूहिक भूमि से नहरों और सड़कों को भूमि दी जाय इसलिए जहां चक नहीं कटे हैं वहां आदेश भेज दिए गए हैं कि सार्वजनिक उपयोग के लिए जमीन छोड़ दी जाय। ऐसा प्राविधान करा दिया जाय कि जहां सड़कें और नहरें बनानी हैं उसका भार सार्वजनिक रूप से उठाया जाय। जहां चक लोगों को दिए गए हैं वहां लोगों को कठिनाइयां कम हो तो वह अच्छा है। यदि भूमि अध्याप्ति की जाती है तो साढ़े 6 एकड़ या उससे कम वाले किसानों की जमीन एक्वीजिशन में आ जाती है और सवा तीन एकड़ से कम हो जाती है और नहरों के उपयोग के लिये जमीन नहीं रह जाती तो आदेश दे रखे हैं कि वहां जो जमीन ली जाय वहां ऐसी जमीन ली जाय, ऐसा किया है कि जिनके पास सवा तीन एकड़ जमीन नहीं रह जाती तो उनको हम रिहेबिलीटेशन के रूप में दे सकें। उदाहरण के रूप में यदि नहर के लिये जहां 100 एकड़ की आवश्यकता है और जिनको सवा तीन एकड़ देना है। तो इस प्रकार हम 150 एकड़ जमीन एक्वायर करते हैं। 100 एकड़ नहर के लिये और 50 एकड़ में उनको बसाने का काम करें। यह व्यवस्था चल रही है।

मान्यवर, जहां तक सर्वे और भू-अभिलेखों का सवाल है। तो बन्दोबस्त के बारे में विचार हो रहा था। 1920 में बन्दोबस्त हुआ था। लेकिन अब लगान के बारे में हमने एक व्यवस्था कर ली है। इसलिये सात यूनिट रिकर्ड आपरेशन की प्रान्त में काम कर रही हैं और यदि भू-अभिलेखों के रख-रखाव में कठिनाई आती हो, नदियों के कटान से कोई कठिनाई

[श्री शारदा भक्त सिंह---]

पैदा हो गयी हो जिसके लिये सर्वे उनसे कराते हैं, रिकर्ड आपरेशन का काम कराते हैं, तो आवश्यकता हुई तो इसमें और भी सुधार किया जा सकता है ।

जहां तक अन्य राजस्व विभाग के कार्य कलापों का सम्बन्ध है आप सबको मालूम है और इसलिये आप लोगों के विचार सुनने के बाद, आपके सुझावों के सम्बन्ध में यदि आवश्यक हुआ तो आपसे फिर निवेदन करूंगा ।

श्री अधिष्ठाता---

श्री जगन्नाथ प्रसाद जी अपने कटौती के प्रस्ताव रखेंगे ।

*श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित कटौती का प्रस्ताव पेश कर रहा हूं--

अनुदान संख्या 7--भू--राजस्व के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर ।।फ रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, अनुदान संख्या 41--दैवी आपदाओं के कारण सहायता--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, अनुदान संख्या 79--जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

अधिष्ठाता महोदय, हमारे राजस्व विभाग के हमारे राजस्व मंत्री जी एक प्रभावशाली और अपने विभाग के ऊपर अच्छा असर रखने वाले मंत्री माने जाते हैं । इन्होंने अपने समय में अच्छा काम किया । एक तो 3 1/8 एकड़ के नीचे के जो काश्तकार हैं उनकी मालगुजारी खत्म की और दूसरे विकास कर को खत्म किया । लेकिन इस सम्बन्ध में 3 1/8 एकड़ की जो मालगुजारी खत्म की गयी उसका आधार जमीन को रखा जब कि आधार आमदनी रखनी चाहिये थी क्योंकि कहीं भूमि सिंचित है कहीं असिंचित है, जमीन की कीमत बुन्देलखण्ड में कुछ है और तराई में कुछ और, सीतापुर, मध्यवर्ती जिलों में कुछ और जमीन की कीमत है । इसलिये इसका आधार जमीन का न रख कर के आमदनी रखना चाहिये था ।

दूसरे मान्यवर, जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में 2.5 हेक्टर की जमीन की मालगुजारी माफ करने की बात कही थी लेकिन खत्म केवल 3 1/8 एकड़ मालगुजारी की । मैं अपेक्षा करूंगा माननीय मंत्री जी से अब वे 6 1/4 जो 2.5 हेक्टर है उसकी मालगुजारी समाप्त करने पर विचार करेंगे ।

मान्यवर, हमारे मंत्री जी ने भूमि वितरण के बारे में कहा है कि यहां पर बहुत कुछ काम किया लेकिन मेरा अपना तजुर्बा यह है कि जैसा कांग्रेस सरकार के जमाने में फर्जी आंकड़े दिखा दिये जाते थे उसी तरह से यह फर्जी आंकड़े मंत्री जी ने यहां पर दिखाये हैं । मैं मंत्री जी को चुनौती देता हूं । खुद जिला हरदोई की दो तहसीलों बिलग्राम तथा सण्डीला के बारे में उन्होंने दखल दिया । एक दर्जन से ज्यादा लोगों का मामला था, मैं नाम नहीं लूंगा। उनमें स्थिति वही थी जो कांग्रेस के जमाने में थी । भू--वितरण के बारे में जितने पट्टे फर्जी थे उनमें कब्जा नहीं मिल सका । आज भी उसमें वही स्थिति है और कोई सुधार उनमें नहीं हो सका । मैं तो कहूंगा कहीं कहीं बढ़ोत्तरी हुई है । जिन लोगों के पास कब्जे थे उनसे कब्जा छीन लिया गया । मिसाल के तौर पर मैं जिला खीरी की पलिया तहसील के बारे में उल्लेख करूंगा । वहां पर मिट्ठू नामक हरिजन जिसकी जमीन का पट्टा हुआ था जिन्दा फूंक दिया गया तब से वहां बड़ा आतंक बरपा हो गया है । बड़े बड़े किसान हैं जिनकी जमीन सीलिंग में निकली वह उनसे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जमीन छीन रहे हैं । मंत्री जी इसकी इंक्वायरी करा लें । इसी तरह तहसील धोरारा की बात मैं कह दूं । कई लाख एकड़ जमीन गांव समाज और हजारों एकड़ सीलिंग में बचने की बात थी लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं हुआ । मैंने स्वयं तमाम चिट्ठियां लिखीं । वहां एक हाकिम परगना गये हुये हैं । दो ढाई महीने से वह सीलिंग के पट्टों के नाम पर इतना भ्रष्टाचार किये हुए हैं कि उसका कोई वर्णन में नहीं कर सकता । जिलाधिकारी से बात चीत कर चका हूं लेकिन स्थिति वैसी ही है, जैसी थी । माननीय मंत्री ने जो आंकड़े दिये कि 1 लाख 10 हजार आदमियों को जमीन पर कब्जा दिलवाया ये आंकड़े मेरी समझ में नहीं आये । मंत्री जी जरा इस सम्बन्ध में पता लगवायें और जब तक इस काम के लिये अलग से स्टाफ नहीं रखा जाता तब तक यह काम होने वाला नहीं है । सीलिंग के काम के सम्बन्ध में कई जिलों में कई कई नायब तहसीलदार हैं जैसे लखीमपुर में 5 नायब तहसीलदार हैं । सीलिंग का उनके पास कोई काम नहीं है, उनके जिम्मे खास तौर से यह काम सुपुर्द किया जाय तभी यह काम पूरा हो सकेगा, वर्ना काम होने वाला नहीं है । आप चाहे जितने आंकड़े पेश किया करें उनसे कोई लाभ भी होने वाला नहीं है । 115 डी के अन्तर्गत जुर्माने हुए और अकेले खीरी जिले में 80 लाख रुपये का जुर्माना हुआ और अधिक तर फर्जी इन्दराज के ऊपर हुए जिसमें गरीब काश्तकार तथा गरीब हरिजन हैं । मैंने पिछली दफा भी कहा था कि इस तरह के फर्जी जुर्माने हुए हैं हर जिले में, जिसकी धनराशि करोड़ों में पहुंचती है । इसको राइट आफ कर दिया जाता क्योंकि इसकी वसूलयाबी सम्भव नहीं है । मंत्री जी का ध्यान मैं भू अभिलेखों की ओर दिलाना चाहता हूं । मेरा तजुर्बा यह है कि आज के भू अभिलेख जितने खराब हैं उतने कभी नहीं थे । खतौनी व खसरे के खाते गायब हैं । जिन जिलों में चकबन्दी चल रही है तहसीलों में पुराने खसरे दिखलाये गये हैं । खाना कैफियत में खसरा दर्ज करा कर सीरदारी हक लेने के लिये फर्जी शिकायतें मिली हैं और माननीय मंत्री जी जानते होंगें इस तरह से भू अभिलेख बहुत खराब गये हो हैं । जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि वे एक नया ऐक्ट ला रहे हैं––रेवेन्यू कोड––और उसमें इसकी व्यवस्था की गई है । दाखिल खारिज के मुकदमें और दस्तखत के मुकदमे आटोमेटिक तरीके से किये जायेंगे । यह एक बहुत अच्छी चीज है । अब तक यह था कि जो एक-एक दो-दो बीघे वाले छोटे-छोटे काश्तकार थे वे मारे-मारे घूमा करते थे, पेशियां लगती थीं, वकील बेजा फायदा उठाते थे और निरीह काश्तकार शाम को वापस आ जाता था और पैसा भी खर्च कर देता था । यह सरकार की जिम्मेदारी है कि जो आदमी मर जाय उसके वारिसान का इन्दराज हो जाय । इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये । इससे उनको राहत मिलेगी ।

चकबन्दी के बारे में कहना चाहता हूं कि इसमें सबसे ज्यादा घपला उस समय होता है जब कि काश्तकार की जमीन की कीमत लगाई जाती है । मान्यवर, आप जानते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में जब वे बन्दोबस्त करते थे और गांवों में घोड़े पर जाते थे तो वे खुद काश्तकार की अव्वल और दोयम जमीन की मिट्टी का परीक्षण करते थे और अब जो लड़के नये पढ़कर वहां जाते हैं तो वे एक हफ्ते के अन्दर उसे करके आ जाते हैं । उससे यह होता है कि जो बड़े काश्तकार हैं, चालाक हैं वे अपनी जमीन की कीमत जहां पर चक लगना है वहां पर कम लगा देते हैं और जहां वे छोड़ना चाहते हैं उसकी कीमत ज्यादा लगा देते हैं । इस तरह से बड़ा घपला होता है । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इतनी अहमियत का जो काम है उसके बारे में वे सोच । यह मूल आधार चकबन्दी का है जिसके ऊपर आदमी का भाग्य निर्भर करता है । जब शुरू में एक बार गलती हो जाती है तो पूरी चकबन्दी से काश्तकार को लाभ होने वाला नहीं है । इससे गरीबों के गले कट जायेंगे ।

भ्रष्टाचार की बात कहां तक की जाय । अगर मैं यह कहूं कि आज कल शायद ही कोई मुकदमा होता हो–सी0 ओ0 और ए0 सी0 ओ0 के लेबुल पर–जिसमें पैसा न चलता हो। इसकी इन्तिहा हो गयी है । इस सम्बन्ध में मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आप एक टाइम लिमिट मुकर्रर कर दें कि इतने समय तक एक सी0 ओ0 या ए0 सी0 ओ0 एक जगह पर रहेगा ।

[श्री जगन्नाथ प्रसाद --]

होता यह है कि 6-6 और 7-7 साल तक ये लोग एक ही जिले में पड़े रहते हैं । कहीं-कहीं तो बाबू लोग जो पुराने हो जाते हैं जो कि रिश्वत का माध्यम बन जाते हैं उनके द्वारा भी भ्रष्टाचार हो रहा है । जब से चकबन्दी शुरू हुई तभी से कुछ लोग एक ही स्थान पर कायम हैं और वे हाबी हो जाते हैं । इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह अप्रैल का महीना है, आम ट्रान्सफर इस समय होंगे और इस विभाग के अन्तर्गत भी जो ऐसे लोग हैं उनको हटा देना चाहिये । उनका नियंत्रण हेड-क्वार्टर से होता है इससे भी बड़ी गड़बड़ी होती है । यह नियंत्रण एस0 पी0 और कलेक्टर को देना चाहिये किन्तु वहां से न होकर हेड क्वार्टर से नियंत्रण होता है । यह भी गड़बड़ी का विशेष कारण है ।

मान्यवर, माल विभाग एक बहुत पुराना विभाग है और यह मुगल काल से चला आ रहा है । इसकी एक बहुत बड़ी फौज है । अन्दाजा लगाया जाय और देखा जाय तो एक लाख के करीब लोग इसमें काम करते हैं । जितने इसमें लोग हैं उतने ही इसमें नेग्लेक्टेड भी हैं । जितनी भी पुरानी तहसीलें हैं, तहसीलदार और नायब तहसीलदार के क्वार्टर हैं उनमें शायद ही कोई ऐसा क्वार्टर हो जो न टपकता हो । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस तरफ ध्यान दें । बहुत दिनों से नायब तहसीलदार और कानूनगो का एक ही कैडर देने की बात चल रही है । मैं जब से इस विभाग में था, तब से यह बात चल रही है । तो माननीय मंत्री जी को इस तरफ देखना चाहिये ।

मान्यवर, इस प्रदेश में लगभग 20 हजार लेखपाल हैं । चकबन्दी लेखपालों को छोड़ कर । इस सदन के माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं उनका सबसे ज्यादा सम्बन्ध इसी विभाग से है क्योंकि उत्तर प्रदेश की 76 प्रतिशत जनता का सम्बन्ध रेवेन्यू विभाग से है। इतने अधिक सम्बन्ध किसी दूसरे विभाग से नहीं है इसलिये उनकी शिकायत भी रहती है । आप पुलिस विभाग को ले लें । एक परसेन्ट लोग भी चोर और डकैत नहीं है । लेकिन इस विभाग से सबसे ज्यादा सम्बन्ध है । लेखपाल मौके पर रहता है उसकी शिकायतें लोगों को रहती हैं गलत पट्टे देने के लिये । तो मेरा सुझाव है कि वह इस पर विचार करें कि जिस तहसील का रहने वाला लेखपाल हो उसको उसमें नियुक्त नहीं किया जाय उसको दूसरी तहसील में रखा जाय । इस पर आप अवश्य विचार करें और यह सम्भव न हो तो कम से कम परगने का ख्याल किया जाय कि अपने परगने में उसे काम करने का मौका न दिया जाय ।

एक तरफ और ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसका मुझे अफसोस है । माननीय मंत्री जी उस तरफ ध्यान दे रहे हैं लेकिन कितना संरक्षण मिलना चाहिये उतना नहीं मिल रहा है । केवल चकबन्दी विभाग में 7.88 प्रतिशत संरक्षण उन्होंने दिया है । मैं माननीय मंत्री जी निवेदन करूंगा जैसा कि नियम है दूसरे विभागों में भी है जब तक संरक्षण चाहे वह 30 प्रतिशत हो या जो भी हो तब तक दूसरे लोगों को न रखा जाय और उसे पूरा किया ही जाना चाहिये । अभी लेखपालों की भर्ती होने वाली थी, पता नहीं क्यों रुक गई इस तरफ मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये ।

मान्यवर, इस वर्ष कई नई तहसीलें खुलीं । जिला खीरी में भी धरोरा तहसील खुली लेकिन वहां पर नायब तहसीलदार और तहसीलदार आदि के रहने के लिये जगह नहीं है और न मुहाफिजखाना है जहां पर कागज रखे जायं और रजिस्ट्री हो सके और न खजाने की व्यवस्था है । मेरा सुझाव है आपने तहसील खोल दी अच्छी बात है लेकिन जब तक पूरी व्यवस्था इमारत की, मुहाफिज खाने की और खजाना रखने की नहीं होगी कोई फायदा नहीं। धरोरा के आदमी को 24 मील निघासन जाना पड़ता है तब कागज उसको मिलेंगे और ट्रेजरी जो है वह थाने में रखते हैं । तहसील खोलने से पहले इन तीन चीजों का होना जरूरी है ।

मैं माननीय मंत्री जी को दाद देता हूं यह बड़ी अच्छी बात है जो नई नहरें बनी हैं और जो सड़कें बन रही है उसके लिये प्राविधान किया है कि जहां चकबन्दी चल रही हो वहां पर

सामूहिक कटौती से भूमि अध्याप्त कर ली जायेगी। यह सम्भव हो पायेगा या नहीं इस पर भी विचार कर लें अच्छी चीज है । काश्तकार को जब भूमि ही नहीं रहेगी तो उसके लिये कितनी अच्छी चीज आ जाय जन्नत की कोई चीज आ जाय उससे कोई फायदा उसको नहीं होगा । इसलिये इस पर गम्भीरता से सोचने की बात है ।

एक तरफ और मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं । जहां जिले या तहसील में दरिया सीमा बनाती हैं उन गांवों में एक दूसरे से बड़ा झगड़ा होता है उसका कारण यह है कि कोई निश्चितसीमा नहीं है। मैं केवलबहराइच और खीरी की बात इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । खीरी का एक मौजा है बेलागढ़ी, परगना फिरोजाबाद, तहसील धोरहरा और दूसरी तरफ है बहराइच का गांव दौलतपुर, टेढ़ी, परगना धर्मापुर, तहसील नानपारा । इस सीमा पर झगड़े की बड़ी गुंजायश है । फसलें वहां पर पकी खड़ी हैं । हमारे यहां के किसान यहां पर हमारे पास आये हैं । वहां के किसानों ने पुलिस को लेकर इधर वालों की फसलें कटवाने की कोशिश की है । यद्यपि झगड़े तो नहीं हुए हैं, लेकिन होने की पूरी सम्भावना है। इस तरह से खीरी और सीतापुर का मामला है, हमारा गौढ़ी ग्राम, परगना फिरोजाबाद, तहसील धौरहरा है और जिला सीतापुर का गांव मल्लांपुर, परगना तम्बौर, तहसील बिसवां है । यहां की भी परिस्थिति खराब है । इनमें 6 महीने से संघर्ष चल रहा है । इसके लिये मेरा निवेदन है कि जहां–जहां पर ऐसे झगड़े हैं, राजस्व परिषद् में आपकी जो एक यूनिट रहती है, उसको आप हिदायत दें कि वह मार्च–फागुन महीने में यानी जब जब फसल कटने का समय होता है, अपने यूनिट के आदमियों को भेजकर, पहले से नक्शे के अनुसार बनी हुई सीमा को निश्चित करें, ताकि खून-खराबा न हो । इस ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं, क्योंकि इस समय फसलें खड़ी हैं । इसमें इमीडिएट ऐक्सन होना चाहिये, अन्यथा कई जगह ऐसे झगड़े हो जायेंगे । मैं उनसे चाहूंगा कि वह आज ही राजस्व परिषद् की यूनिट को हिदायत करें कि वहां जाकर सरहद के मामले को वह हल करें ।

एक चीज दैवी आपदाओं के बारे में मैं कहना चाहता हूं । इस बार कई जगह बाढ़ आई और सरकार ने दिलचस्पी के साथ उनके राहत का कार्य किया है । लेकिन जहां आग लगती है, खासकर कच्चे मकानों में छप्पर आदि के मकानों में सब जल कर खाक हो जाता है, मवेशी तक मर जाते हैं, कोई बचता नहीं है । अब तक हमारे जो नियम हैं एक एकड़ से नीचे वालों को सहायता दे सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले को नहीं दे सकते हैं । जिसका नुकसान हो जाता है कुछ नहीं रहता है, उसके छप्पर बनाने के लिये दो–ढाई सौ रुपया दे दें, तो उसको बड़ी राहत मिल जाती है । इसलिये इसको खत्म करके आप इसको आगे बढाएं और सभी को मदद करने की कोशिश करें ।

मैं मंत्री जी का ध्यान पुनः सीलिंग की जमीन की ओर दिलाना चाहता हूं, जहां कहीं फर्जी पट्टे हुए हैं, उनकी एक बार जांच की ओर ध्यान दिलाता हूं । क्योंकि जहां शिकायतें आती हैं, उनको आपको खारिज करना चाहिए । जो उन्होंने आंकड़े दिए हैं कि 5 हजार एकड़ जमीन बंटने से रह गई है । मैं उससे बिलकुल सहमत नहीं हूं । केवल हमारे यहां ही, ऐरा, गुलरिया तालुका अमेठी में ही इतनी जमीन है । अतः यह आंकड़े फर्जी हैं । (लाल बत्ती होने पर) दो मिनट दें दें, ताकि मैं अपनी बात समाप्त कर लूं । मैं कुछ गावों के नाम मंत्री जी को बताना चाहता हूं, जहां पर बड़े लोगों ने सीलिंग ऐक्ट को अपने हाथ में लेकर, संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों को अपने प्रभाव से प्रभावित कर गलत पट्टे अपने नाम करा रखे हैं । वे गांव इस प्रकार हैं, सुजई कुन्डा, भटपुरवा, ईशानगर, टहारा, सेमरी मुंजी, बेलतबा रायपुर आदि कई गांव है । पिछली बार भी मैंने निवेदन किया था कि वह इस पर ध्यान दें । मैं माननीय मंत्री जी का बहुत अनुगृहीत हूं कि उन्होंने कई चीजें पूरी की और कई चीजें पूरी करनी बाकी हैं ।

[श्री जगन्नाथ प्रसाद---]

एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा और वह यह कि इन्होंने कोई क्रान्तिकारी कदम नहीं उठाया है। क्रान्तिकारी कदम यह होगा कि सवा छः एकड़ तक की मालगुजारी माफ करें। बोर्ड आफ रैवेन्यू जिसमें प्रशासनिक और न्यायिक सेवा के जर्जर अधिकारी भेज दिये जाते हैं और कोई काम नहीं होता उसको समाप्त करना चाहिये। सीलिंग को नीचे लाना चाहिये। कांग्रेस ने 18 किया तो इनको 12 या 15 पर लाना चाहिये। तब हम समझेंगे कि इन्होंने कुछ क्रान्तिकारी काम किया।

श्री अधिष्ठाता---

मेरा निवेदन है कि जो माननीय सदस्य पुर्जी भेजते हैं उनको खड़ा भी होना चाहिए वह यह नहीं समझे कि पुर्जी भेजने से ही मैं उनको बुला लूंगा।

*श्री श्याम देव (जिला वाराणसी)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी द्वारा जो बजट रखा गया है और जिसमें किसान के हित की बातें कही हैं और अभी माननीय जगन्नाथ जी ने जो बातें कही है राजस्व मंत्री और इस सरकार के कृत्यों के संबंध में, उनके पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। पिछली बार बजट के समय राजस्व मंत्री जी ने कुछ वायदे किये थे। इन दस महीनों में जो सुधार इन्होंने किया है उससे हम समझते हैं कि इसके पहले ऐसा क्रान्तिकारी कार्य कभी नहीं हुआ था।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य एक बात का ध्यान रखें। साढ़े 3 बजे के लगभग माननीय मंत्री जी को उत्तर के लिये बुलाया जायगा। 2 घंटे शेष हैं। कई माननीय सदस्यों को बोलना है। अगर 15 को भी बुलावें तो 7-8 मिनट से ज्यादा नहीं आयेगा। उतनी ही सीमा में रहें।

श्री श्याम देव---

इस सरकार को विरासत में भूमि आवंटन संबंधी समस्याएं मिली थीं। आवंटन में सस्ती लोकप्रियता लेने के कारण बड़ी गड़बड़ी की गयी थी। हरिजन को हरिजन का मकान दे दिया, देवी देवताओं के मन्दिर दे दिये, पोखर तालाब दे दिये। इससे आपस में अशांति थी। विशारद समिति के अनुसार जनता पार्टी ने जो वायदा किया था उसको पूरा करने में हम सफल रहे हैं। सरकार और राजस्व मंत्री ने प्रशासन को चुस्त करके क्रान्तिकारी कदम उठाये और सुधार करवाया। जहां गड़बड़ी थी वहां पुनः चकबन्दी के आदेश देकर काम करवाया। यह कार्य सराहनीय है। लेकिन एक बात मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी जिनके प्रति सभी की श्रद्धा है उनके आदेशों का पालन नौकरशाही भी नहीं करती। मंत्री जी एक किसान का बेटा होने के नाते बिना किसी भेदभाव के सभी का उपकार करते रहते हैं, लेकिन उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन नौकरशाही कर रही है। वाराणसी जिले में भटपुरवा में हरिजनों का कान्ड हुआ था 28 आदमियों को गोली मारी गयी। उसमें अधिकारियों का दोष था। मंत्री जी ने हस्तक्षेप करके सबसे पहले उस काण्ड को रोका। मैं उनका ध्यान चकबन्दी विभाग की ओर ले जाना चाहता हूं। माननीय राजस्व मंत्री के आदेश जाते रहते हैं. .मगर चकबन्दी निदेशालय में नामधारी नेता आते हैं और चकबन्दी के ज्वाइन्ट आयुक्त को प्रभावित करके ऐसे काम करा जाते हैं कि जिससे किसानों के भला करने की बात तो नहीं रहती, राजनैतिक लाभ के कारण, उनके परेशानी की बात जरूर रहती है। पचीसों जगह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वाराणसी में इस तरह के नामधारी नेता लोग इस तरह से जनता को परेशान कर रहे हैं। मंत्री जी, वहां के सारे विधायक और सारा शासन उनके कारनामों से चकित हो जाता है। जब वे गांव के चक को पुनः रिमाण्ड कराने के आदेश ले जाते हैं। इससे लोग परेशान होते हैं कि हमने तो चकबन्दी खर्च भी दे दिया, चकबन्दी हो गयी, लेकिन फिर यह कैसे हो गया। लेकिन माननीय राजस्व मंत्री जी के पास जब दौड़कर आते हैं, तो वह कृपा करके उसको रुकवाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि ये नामधारी नेता लोग कैसे चकबन्दी आयुक्त के यहां से हाथोंहाथ आदेश लेकर गांव को चले जा रहे हैं। और लोगों को परेशान कर रहे हैं।

एक बात और कहना चाहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो पुनर्गठन करने और धरती के बेटों को राहत देने का आश्वासन देने का जो काम किया है, वह किसानों के इतिहास में अभूतपूर्व काम है। इससे चकबन्दी, दाखिल खारिज और छोटे किसानों तथा बड़े किसानों को भी अत्यन्त लाभ होगा। अन्त में यही कहना चाहता हूं कि राजस्व विभाग में जिस प्रकार से सुधार हो रहा है, उसमें नौकरशाही को भी उसका साथ देना चाहिये, अन्यथा उसका भला नहीं है। लेकिन हम देखते है कि आज नायब तहसीलदार कैसे भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। उदाहरण देना चाहता हूं। वाराणसी में ए0 डी0 एम0 (ई) के पास आवंटन के करीब डेढ हजार केस लगे हुए हैं और उन पट्टा कैन्सीलेशन के केसेस को इसलिये वे टालते रहते हैं कि उनको हरिजनों या पार्टियों से पैसा मिले। ये लोग हमारी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। ए0 डी0 एम0 (ई), कानूनगो, लेखपाल और नायब तहसीलदार, वाराणसी में पिछले 16–16 साल से पड़े हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी नौकरशाही के खिलाफ कार्यवाही करें। लेकिन जब नियुक्ति विभाग को हम विधायक लोग शिकायत लिखकर देते हैं तो कोई पत्र चला जाता है कि हम आपकी शिकायत पर कार्यवाही कर रहे हैं लेकिन 6–6 महीने हो जाते हैं और कोई भी कार्यवाही नहीं होती। इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं माननीय राजस्व मंत्री जी के इस बजट का हार्दिक स्वागत करता हूं।

*श्री नन्द राम (जिला मुजफ्फरनगर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस राजस्व बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और यहां हर चीज पैदा होती है। एक गरीब किसान को फसल बोने के पश्चात 6 महीने तक उसका इन्तजार करना पड़ता है और कभी–कभी तो चाहे सर्दी हो या गर्मी, सूखा हो या बरसात, कभी कभी 6 महीने के बाद ऐसे प्रकोप हो जाते हैं कि किसान को अत्यन्त हानि उठानी पड़ जाती है। कभी ओले पड़ जाते है, कभी सूखा पड़ जाता है या कभी बाढ़ आ जाती है। इस प्रकार अनेकों कठिनाइयां और दुख किसान के सामने अचानक आ जाते हैं। लेकिन किसान को चाहे गन्ना मन्दा हो या गुड़ मंदा हो, उतनी तकलीफ नहीं होती, जितनी कि जब उसको उसकी जरूरत की चीजें जैसे खाद, बीज, ट्रैक्टर व अन्य चीजें उचित मूल्य पर नहीं मिल पाती, उससे होती है। जब किसान बाजार में इन चीजों को खरीदने के लिये आता है और इनके 10 गुने दाम पाता है और वहीं पर अपनी फसल को इतना सस्ता पाता है तो उसे बहुत दुख होता है। तब वह महसूस करता है कि उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आज राजस्व विभाग में यह हो रहा है कि मंत्री जी जिस दिन से मंत्रालय में आये हैं, बड़ी कर्मठता और मेहनत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नन्द राम---]

से काम कर रहे हैं। कोई भी शिकायत जाती है तो तुरन्त ऐक्शन लेते हैं और उसका समाधान करते हैं। लेकिन चूंकि तीन साल की सड़न सड़ गई है, चाहे लेखपाल हो या कानूनगो या नायब तहसीलदार हो, हर एक मामले में चाहे वह जमीन का अलाटमेंट हो या कोई और मसला हो या खसरा खतौनी की नकल लेनी हो जब तक वह रिश्वत नहीं ले लेता, तब तक नहीं दी जाती। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इधर दिलाना चाहता हूं, जो पंचायत की या सीलिंग से छूटी जमीन है, वैसे माननीय मंत्री जी इसमें काफी सख्त कदम उठा रहे हैं, लेकिन गांव समाज की जमीन और सीलिंग के जो पट्टे हुए हैं उनको कब्जा मिलना मुश्किल हो गया है। मैंने मंत्री जी से बात की थी। उन्होंने कहा था कि 31 तारीख तक अगर कब्जा नहीं हुआ है तो हमको दे दीजिये। लेकिन मंत्री जी उसको जिले में भेज देते हैं, जिले के अफसर, एस0 डी0 ओ0, तहसीलदार या नायब तहसीलदार कागजी कार्यवाही कर देते हैं जो 30 साल तक शासन के काल में चलता रहा है, कागज में लिखा है कि कब्जा हो चुका है वह हजारों कोस जमीन से दूर है। मेरा सुझाव है कि यह आदेश जिलाधीश को दे दिया जाय कि यह बताएं कि उनका कब्जा हो गया या नहीं। उसकी एक प्रतिलिपि हल्के के विधायक को भी जानी चाहिये ताकि वह समझ ले कि कब्जा हुआ है या झूठी बकवास है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। हमारे जिले में, जिस क्षेत्र का मैं हूं, चभरौल क्षेत्र में एक गांव ताजपुर कला है। वहां पर हरिजनों को बसने की भूमि मिली। 31 तारीख को वहां के सवर्ण हिन्दुओं ने क्या काम किया, उनके पतोड़े और छान उठा कर फेंक दिए और अवैध हथियार लेकर हरिजनों पर चढ़ गए। जो इलाका है, उसका पुरकाजी थाना पड़ता है। जिलाधीश को मालूम नहीं था। ले देकर आये थे। हरिजनों को अवैध हथियार लेकर भगा दिया। बेचारे लुट गए। जिलाधीश से मैं मिला। जितनी हरिजनों को भूमि मिली है, बसने के लिए, जितने पट्टे हरिजनों को रहने के लिए हुए हैं, लोग तहसील में और कलेक्टरी में घूमते हैं कहते हैं पंचायत की जमीन पड़ी है, इसको खारिज कर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय नन्दराम जी, इधर भी देख लीजिए, जिससे लालबत्ती दिखाई दे।

श्री नन्द राम---

मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं हमारे मुजफ्फरनगर में जिन गांवों में चकबन्दी के अलावा जमीन ऊबड़खाबड़ पड़ी है, मेरे क्षेत्र में गांव करला है जिसमें एक जंगल भुमावडी है जिससे ऊबड़खाबड जमीन है। सरकारी ट्यूबवेल लगा है। वह भी फेल हो गया। माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सहारनपुर में चकबन्दी चल रही है मुजफ्फरनगर कि चन्द तहसीलों की उनके पास प्रार्थना आयी है, उसके ऊपर ध्यान करेंगे और शीघ्र से शीघ्र चकबन्दी करायेंगे। जब कोई काश्तकार कोई शिकायत की दरखास्त लेकर कानूनगो या तहसीलदार के पास जाता है, जब वह कलेक्टर के पास दरख्वास्त जाती है, एस0 डी0 एम0 के पास जाती है और एस0 डी0 एम0 उसे तहसीलदार को भेज देता है, तहसीलदार उसे नायब तहसीलदार को भेज देता है, नायब तहसीलदार उसको कानूनगो के पास भेज देता है और कानूनगो उसे फिर उसी लेखपाल के पास भेज देता है, जिसकी शिकायत की जाती है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि तहसील में जो रजिस्ट्रेशन का मामला है उसमें बहुत ही भ्रष्टाचार होता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो नया ऐक्ट बनाया गया है, उसमें इस बात का प्राविधान है कि जो गैर कानूनी कब्जा जमीन पर करेगा उस को तीन साल की सजा होगी। आपने जो यह कानून बनाया है वह कागज पर ही न रह जाये,

उस पर अमल होना चाहिये और उसे सख्ती के साथ लागू किया जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह (जिला बस्ती)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राजस्व बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। कोई अच्छी सरकार वह होती है जो गरीबों को सुविधायें पहुंचाये जो पट्टे दिए गये थे वह कागज पर दिए गये थे और लोगों को कब्जे नहीं मिल पाये थे, उसकी जांच जो मौजूदा सरकार ने करायी है, जिसके फलस्वरूप जिन हरिजनों को जमीनें नहीं मिल पायी थीं, कब्जा दिलाया जायेगा, यह हमारी सरकार का एक साहसपूर्ण कदम है। माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि 15-20 दिन के अन्दर छानबीन करके सभी को कब्जा दिला दिया जायेगा, इसका मैं स्वागत करता हूं। लगान, 1913-14 में जो सरकिल रेट बनाया गया था वही सरकिल रेट अभी तक चला आ रहा है। उस समय 3 रुपये मन गेहूं बिकता था, आज उसमें बड़ा फर्क आ गया है। तो मेरा निवेदन है कि लगान मुनासिब रखा जाये जिससे विकास हो सके प्रदेश का और किसानों को सिंचाई के लिये पंपिंग सेट देने की व्यवस्था की जाये, सड़कें बनायी जायें तो कृषि की काफी उन्नति हो सकती है इसलिये जो लगान का प्रस्ताव माननीय राजस्व मंत्री जी ने किया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

मान्यवर, राजस्व संहिता बनायी गयी है। उसमें एक यह प्राविधान है कि दाखिल खारिज की जो दरख्वास्तें आयेंगी तो उनको अधिकारी लेकर गांव में जायेगा। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 50, 51, 53, 54 धारायें जिनके द्वारा पंचायत राज ऐक्ट के अन्तर्गत दाखिल खारिज करने का अधिकार था, उसमें बड़ी गड़बड़ी होती थी। इसलिये जो कदम उठाया जा रहा है वह कदम न उठाया जावे। इससे गावों में गुटबन्दी फैलेगी और जो वातावरण गांव का होगा वह दूषित होगा। राजस्व संहिता में सेक्शन 33 (ए) में कानूनगो को यह अधिकार है कि वह नाम को खतौनी में दर्ज कर सकता है। यह भी भ्रष्टाचार की जड़ है। मौजूदा जो राजस्व संहिता बनी है उसमें भी यह अधिकार बना है। आजकल जमीनों की कीमत बहुत अधिक बढ़ गयी है, इसलिये इसको समाप्त करना चाहिये। एक बात मैं वसीयत के बारे में भी कहना चाहता हूं कि वसीयत बिना रजिस्ट्री के की जा सकती है कि मरने के बाद जमीन अमुक व्यक्ति को मिलेगी। इसका भी बड़ा दुरुपयोग होता है। मेरा सुझाव यह है कि अगर यह रखना चाहते हैं कि मेरे मरने के बाद फलां को जमीन मिलनी चाहिये तो उसकी भी रजिस्ट्री हो जानी चाहिये क्योंकि मरने के बाद फर्जी कागजात बनाये जाते हैं जिससे बाद में बहुत मुकदमेंबाजी चलती है।

नहरों के लिये जो भूमि छोटे काश्तकारों की ली जाती है माननीय मुख्य मंत्री जी का कहना है उनको मुआविजे के रूप में भूमि दी जायगी और जितनी जरूरत होगी, उससे ज्यादा दी जायगी, तो यह कोई विकल्प नहीं हुआ क्योंकि चकबन्दी हो गयी है तो जहां पर नहरें जायंगी, वहां पर ली जायगी। इसमें छोटे और बड़े लोगों की जमीन ली जायगी। मेरा सुझाव है कि जिसकी जमीन निकले उसको मुनासिब से मुनासिब मुआविजा दिया जाय और अगर किसी की पूरी जमीन निकल गयी है तो राजस्व विभाग में उनके लिये पद आरक्षित किए जायं।

सीलिंग की जमीनों के मामले में मुकदमें बड़ी तेजी से चल रहे ह। जिस पट्टे के बारे में अगर कोई आदमी जबरदस्ती कब्जा कर लेता है तो उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है। हमारी पुरानी सरकार, जिसको सरकार कहना ही न्यायसंगत न होगा, ने जो कानून बनाये वे सब विद्वेष की भावना से ही बनाये। उसकी एक वफा की ओर मैं

[श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह]

माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिस इन्टरमीडिअरी को नोटिस दिया गया उसकी जमीन निकलेगी। अगर वह मुकदमा लड़ता है और जितने साल तक मुकदमा चलता है तो उसके ऊपर मुआविजा देना पड़ेगा। यह मुनासिब नहीं है। तो मेरा सुझाव है कि अगर नोटिस मिलती है, जमीन निकलती है, मुकदमा लड़ता है और हार जाता है तो उसे मुआविजा देना पड़ेगा, इसको निकाल देना चाहिये।

राजस्व मंत्री बार-बार कहते हैं कि इस विभाग के अधिकारियों पर हमारी पकड़ नहीं है क्योंकि एस० डी० एम० और तहसीलदार उनके मातहत नहीं हैं। वे उनका कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मेरी यह प्रार्थना है राजस्व विभाग के अन्तर्गत जितने भी एस० डी० एम० या तहसीलदार काम करते हैं वे जितने दिन तक काम करें उनके मातहत ही होने चाहिये, वे ही उनका ट्रान्सफर करें, पदोन्नति करें और अगर उनके खिलाफ कोई एन्ट्री भी करनी पड़े तो उसे भी ये ही करें। जब तक यह नहीं होता तब तक कोई सुधार होने वाला नहीं जो भी विभाग हो उसमें कार्य करने वाले अधिकारी और कर्मचारी जब तक सम्बन्धित मंत्री के मातहत नहीं होंगे तो विभाग में सुचारु रूप से कार्य नहीं हो सकता है। अतः उनको उन्हीं के मातहत रखना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं।

*श्री जयराम (जिला गाजीपुर)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य, जगन्नाथ प्रसाद जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करता हूं।

हमारे माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो बातें यहां पर कहीं हैं अगर वे पूरी कर दी जायं तो एक बहुत बड़े परिवर्तन का आभास उत्तर प्रदेश में होगा लेकिन मान्यवर, इसको ये कितना पूरा करेंगे, इस पर यकीन नहीं हो रहा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने सबसे पहले भूमि वितरण वाले प्रश्न को लिया। गाजीपुर में रैना एक गांव है जहां पर 60 बीघा जमीन वहां के गरीब खेतिहर भूमिहीन द्वारा बीसियों वर्षों से जोती चली आ रही थी। जब यहां पर माननीय बहुगुणा जी मुख्य मंत्री थे उस समय जब जमीन का वितरण चला तो उसे भूमिहीनों में बांट दिया गया। दो चार लोग उस जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। जब उनको जमीन नहीं मिल सकी तो वे लोग नेताओं के माध्यम से सरकार के ऊपर दबाव डलवाकर और उस जमीन के बंटवारे को रुकवा दिया गया। जब बहुगुणा जी के चले जाने के बाद तिवारी जी मुख्य मंत्री हुए, उनके समय में फिर दुबारा उस जमीन का वितरण शुरू हुआ। जमीन बंट चुकी थी, पट्टा गरीबों को देना बाकी था, तब तक उन लोगों ने अपने प्रभाव के द्वारा उस जमीन के बंटवारे को रुकवा दिया। कांग्रेस की सरकार चली जाने के बाद जब समग्र क्रांति के नाम पर जयप्रकाश जी के द्वारा जो क्रांति के वादे पर यह मौजूदा सरकार कायम हुई, उस समय भी हमारे राजस्व मंत्री जी ने दंटवारे का वादा किया, लेकिन फिर वही प्रभावशाली व्यक्ति जो कांग्रेस के जमाने में कांग्रेसी थे और अब इनके जमाने में जनता पार्टी के सदस्य बन गये हैं, अब इनके प्रभाव में आकर बंटी हुई जमीन के बारे में कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी गयी कि यह जमीन किस प्रकार की है। वहां से रिपोर्ट आई कि वह जमीन बंटने लायक है, उस पर भूमिहीन मजदूर काबिज हैं। उसके बाद बंटने का आदेश गया। उसके बाद उन लोगों को पता चला, वे पुनः आये, हमारे शिक्षा मंत्री जी के दस्तखत से, हमारे यहां जो आप सुने होंगे शेरपुर काण्ड के हीरो, वे लोकसभा के सदस्य हैं, उनकी दस्तखत से और कालीचरन जी की दस्तखत से उस जमीन का बंटवारा रोक दिया गया। मैं राजस्व मंत्री जी से मिला। मैंने उनसे कहा, आप किसी को भेज कर दिखवा लें, अगर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उस जमीन पर जंगल हो तो उस जमीन का बंटवारा आप न करायें। अगर मेरी बात गलत निकले, जो मैंने वहां पर कहा था, वही यहां पर भी कह रहा हूं, मैं अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देने के लिए तैयार हूं। मंत्री जी ने कहा कि 10-5 दिन में इसको देखवा लेंगे। लेकिन आज तक पता नहीं चला। भोगना एक गांव है, जहां पर शुद्ध 152 खेतिहर मजदूरों की कोआपरेटिव सोसायटी है, जो कांग्रेस के जमाने में बनाई गयी, उस कोआपरेटिव सोसायटी के ऊपर जब सीलिंग से नहीं निकली थी, उस बड़े काश्तकार के कब्जे में थी, तब से लेकर आज तक मालगुजारी में विकास कर जो लगाया गया था, कांग्रेस के जमाने में भी दरख्वास्तें दी गयीं, इनके समय में भी कई दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन उस मालगुजारी का कोई आज तक निपटारा नहीं हो सका। इसी तरीके से इन्होंने कुछ किसानों की मालगुजारी माफ करने की बात कही है, कुछ लोगों पर मालगुजारी बढ़ाने की बात कही है। मैं राजस्व मंत्री जी से यह जरूर बताना चाहता हूं कि 30 वर्ष के शासन के अन्दर जो जनता की समस्यायें थीं, जो जनता कराह रही थी, जिसके बारे में आपने कहा कि उसके पास जबान नहीं है, फिर आप वहां पर जाने के बाद जो कह रहे हैं, वह अंदाज बिगड़ चुका है, जो आप इधर की तरफ बैठते थे, किसान की हालत क्या है, मैं तो कहता हूं कि एक एक जिले आप दिखवा लें तो एक भी किसान ऐसा न होगा जो कि खेती पर निर्भर हो, एक-एक पैसे का मोहताज न हो गया हो। आपने जो कोआपरेटिव फार्मिग बना कर अपने नौकर-चाकर के नाम पर कोआपरेटिव बनाये हुए हैं, सिर्फ वही ऐसे लोग हैं जो इस सीलिंग से बचे हुए हैं, नहीं तो आज अधिकांश किसानों की सीलिंग में जमीन निकल चुकी है और किसानों की आज बहुत दयनीय दशा है। तो मान्यवर, इस प्रकार का असंतोष किसानों में व्याप्त है। इस असंतोष में कांग्रेस सरकार चली गयी। अगर आप भी यहां पर एअर कंडीशन में बैठ कर लच्छेदार शब्दों को कहते रहे और किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिये तो वही दशा आपकी भी होने वाली है।

श्री अधिष्ठाता---

कृपया एक मिनट में समाप्त करें।

श्री जयराम---

दो मिनट। दूसरी बात मैं एक चीज और बतला दूं आपको। चकबंदी की बात कही है। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि जिन क्षेत्रों से ये नहरें निकली हुई ह अगर उनको आप पुनः चकबंदी करा दें तो यह बहुत बड़ी बात होगी। कांग्रेस के जमाने में यह घोषणा हो चुकी थी, अखबारों में पढ़ चुके थे कि जिन जिलों से क्षेत्रों से नहरें जा रही हैं वहां की पुनः चकबंदी करायी जायगी। अगर वह करा दें और जो जमीन नहर में जा रही है वह अगर पुनः गांव के ऊपर बंट जाय तो कुछ गरीबों का भला हो जायगा। नहीं तो हम जानते हैं गांव के अधिकांश गरीब भूमिहीन हो गये, उजड़ गये जिनका चक नहर के बीच में पड़ गया। जो जमीन बची हुई है वह टुकड़ों में बंट गयी है, बोने के लायक नहीं है। इसलिए निवेदन करूंगा कि आप अपनी कथनी और करनी में कैसे मेल खिला देंगे इस पर गौर कीजिये तब आपकी भावनाएं जनता तक जायंगी।

श्री अधिष्ठाता---

अब आप समाप्त करें।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। राजस्व मंत्री जी ने जो यह बजट प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसका घोर विरोध करता हूं। मैं इसका इसलिए समर्थन कर रहा हूं कि जनता पार्टी वास्तव में गांव की ओर चली है और जो भी चुनाव के समय कहा है उसके

[श्री मान सिंह आजाद--]

आधार पर सारी चीजें आपके बीच में इस हाउस में और जनता के बीच में आयीं। जमीनों की बात कही गयी तो जमीनें किसने दी थीं और किसने उन गरीब हरिजनों को बांटी ? उन हरिजनों को जमीनें किस जगह दी गयी थीं ? आज हमारी पिछली सरकार के अनुरागी नाम लेकर और जगह-जगह गली-गली लोगों को गुमराह करते हैं और अशांति पैदा कर रहे हैं। उन हरिजनों को तो गांव के बाहर जमीनें दी हैं और यह कहते हैं कि हमने हरिजनों के लिए यह किया है। यह कोई बात समझ में नहीं आती। आज 30 साल तक वह हरिजन जिनके नाम पर इस देश में राज किया, उन्हीं हरिजनों को उन सवर्णों से अलग किया और जमीनें जो उनको दी हैं वह बाहर दी हैं और इस प्रकार दी कि उनकी नसबंदी कराई और वह जमीन दी जिन जमीनों पर शायद अन्न भी न हो। वह जमीनें दीं जिनपर सदैव उनका झगड़ा चला। हमारे राजस्व मंत्री द्वारा उन जमीनों पर कब्जा कराने में हमारे सब लोगों को ऐसा शक पड़ गया था कि कब्जा तो हो गया परन्तु अभी झगड़ा उनका चल रहा है। यह पिछली सरकार ने वातावरण देश और प्रदेश में इतने साल हरिजनों को गुमराह करके हरिजनों के वोट पर शासन किया है। आज जनता सरकार हमारे राजस्व मंत्री जिन्होंने यह कानून बनाया यही नहीं हमने संघर्ष कमेटी में देहात में जो आन्दोलन किया था वह सारे आपके सामने आंकड़े पड़े हैं। हमने उनका जो लगान बढ़ाया हुआ था उस पर कर लगाया था उनको हमने माफ किया है। इस सम्बन्ध में अपने विचार कहूंगा राजस्व मंत्री से कि हमने 6 एकड़ के लिए यह कहा था संघर्ष कमेटी और मैनिफेस्टो में लिखा भी है, लेकिन आपने यह नहीं कहा, मुझे जरा दुख हुआ। क्योंकि हम लोगों ने जिस कारण पिछली सरकार के खिलाफ बगावत की थी वह चीज आज पूरी नहीं हो रही है, यह मैं जरूर कहूंगा।

मान्यवर, मलिहाबाद में मेरे क्षेत्र में मंडी समिति द्वारा एक सड़क का निर्माण होने वाला था। भुसौली के प्रधान ने यह कह कर उसको बनने से रुकवाया कि उसमें तमाम हरिजनों की जमीन व घर जा रहे हैं। यह बात भुसौली के प्रधान मनोहर ने गलत कही जबकि वे स्वयं एक कढ़िले चमार की जमीन पर कब्जा किये बैठे हैं। जब जिले के अधिकारी वहां मुआयना करने गये तब भी यह चीज साबित हुई कि उस सड़क के बनने में किसी भी हरिजन की जमीन या घर नहीं आ रहे हैं। जिलाधीश ने फिर आदेश दिया सड़क के बनने के लिये। मगर इस प्रधान ने फिर रुकवा दिया। मैंने फिर वहां के सारे लोगों को इकट्ठा किया और जनता की अदालत बुलवायी जिसमें यह फैसला हुआ कि वह सड़क बनायी जाये। डी0 एम0 का आदेश भी थानेदार के लिये गया। मगर मलिहाबाद के थानेदार ने उस सड़क को नहीं बनने दिया, यह कहा कि उससे हिन्दू और मुसलमान के झगड़ा होने का खतरा है। मैंने स्वयं मौके पर जाकर मुआयना किया फिर मैंने वहां के लोगों का एक बड़ा जुलूस निकलवाया जिसमें हिन्दू-मुस्लिम एकता जिन्दाबाद के नारे लगाये गये। मसूद साहब स्वयं वहां देखने भी गये। मेरा निवेदन है कि उस सड़क को तुरन्त बनवाया जाये।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त, आप बैठिये।

श्री मानसिंह आजाद--

हमारे यहां कोई हिन्दू मुसलमान का झगड़ा नहीं है। मलिहाबाद का थानेदार अड़ंगा लगाये हुए है। मेरी जान को आज भारी खतरा बना हुआ है। इन शब्दों के साथ मैं इन अनुदानों का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त।

श्री हुकम चन्द तिवारी (जिला मथुरा)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इन अनुदानों पर बोलने के लिये समय दिया। माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो अनुदान सदन में प्रस्तुत किये हैं मैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय राजस्व मंत्री जी के जो यह अनुदान पेश हैं यह सब से उत्तम हैं और बड़ी मेहनत से तैयार किये गये हैं जिसके लिये मैं माननीय राजस्व मंत्री जी को बधाई देता हूं। किसानों के लिये जो सुविधायें उन्होंने प्रदान की हैं उसके लिये मैं उनका और इस सरकार का विशेष रूप से आभारी हूं।

मान्यवर, कुछ समस्यायें हैं जो मैं माननीय राजस्व मंत्री के सामने रखना चाहता हूं। उनका समाधान होना भी आवश्यक है। पिछली सरकार ने हरिजनों को या भूमिहीनों को जिन जमीनों का एलाटमेंट किया उसमें यह नहीं देखा वह जमीन है भी या नहीं। वह जमीन एलाट कर दी गयी जहां पर किसानों का 20–20, 30–30 सालों से मकान बने हुए थे, खेती होती ही नहीं थी। मथुरा जनपद में, छाता तहसील में अनेकों ऐसी जमीनें एलाट की गयी हैं जहां 30–30 वर्ष से मकान बने हुए हैं। कभी खेती हुई ही नहीं है। अब परगनाधिकारी उन जमीनों का कब्जा दिलाने के लिये बने हुए मकानों को जबरदस्ती गिरवा रहे हैं। हमारे यहां रूपनगर में 50 ऐसे किसानों को तंग किया जा रहा है जहां न जमीन है, न कभी कोई फसल हुई है, मकान बने हैं जिनको परगनाधिकारी गिरवा रहे हैं। इसी तरह से तहसील सादाबाद की समस्या मैं रख रहा हूं। वहां के परगनाधीश ने आबंटन के नाम पर जो अत्याचार और अन्याय किया है वह चरम सीमा को लांघ गया है। सादाबाद तहसील के परगनाधीश के बारे में जब मंत्री जी वहां गये तो लोगों ने शिकायतें की थीं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। उनके सामने 115–सी के जो मुकदमें विचाराधीन हैं उन पर वह खुले आम रिश्वत मांग रहे हैं। उनके खिलाफ शिकायतें की गयीं लेकिन पता नहीं चलता है कि उन शिकायतों का क्या होता है। मैं राजस्व मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह हाकिम परगना की जांच करायें। 156 किसान अपने हस्ताक्षर मय प्रमाणों के साथ लिखकर दे चुके हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहां पर किसानों को तंग और परेशान किया जा रहा है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। वर्तमान परगनाधीश रिश्वत लेने का ही काम कर रहा है जनता के लिए कुछ नहीं कर रहा है। इसकी खुली जांच हो।

मान्यवर, मेरी तहसील में सन् 1954–55 में चकबंदी हो गयी थी, लेकिन वह चकबंदी इतनी दोषपूर्ण हुई थी कि उससे किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ है। मान्यवर, वहां चकबंदी फिर से होनी चाहिये नहीं तो कोई लाभ किसानों को नहीं मिल पायेगा। मान्यवर, राजस्व मंत्री विभाग द्वारा जो राजस्व एकत्र किया जाता है उसका 1/4 भाग गांव सभाओं को देना चाहिये। जब ग्राम सभाओं को 1/4 भाग राजस्व का मिलेगा तो गांवों की स्वतः ही बहुत तरक्की होगी। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि ग्राम पंचायतों को 1/4 भाग मिलना चाहिये। गांव के प्रधान और पंच उस पैसे से गांव की तरक्की कर सकते हैं।

मान्यवर, राजस्व विभाग के सामने दो बड़ी समस्यायें हैं। सबसे बड़ी समस्या दाखिल खारिज की है। जब कम्यूटेशन का प्रश्न आता है तो किसान और किसान के परिवार के आदमी भागे भागे फिरते हैं। तो कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि अगर किसी की मृत्यु हो जाय, या जमीन का ट्रांसफर हो तो जो काम अधिकारियों के जरिये होना चाहिये वह एक निश्चित अवधि में हो जाय जिससे किसान या खरीदार को तहसील, पटवारी या लेखपाल के पास न भागना पड़े। अगर नायब तहसीलदार, कानूनगो या परगनाधीश से सही मुक्ति मिलती है तो इस मामले में सरकार को बहुत जल्दी ही निर्णय करना चाहिये जिससे किसान दौड़ने और परेशानी से बच सकें।

[श्री हुकुम चन्द तिवारी-]

मान्यवर, आपके माध्यम से एक और अनुरोध करना चाहता हूं कि जो ग्राम समाज को अधिकार है जमीन के आवंटन का तो उस पर भी परगनाधीश का अंकुश लगता है। ग्राम समाज की जो जमीन है बिना परगनाधीश की परमीशन के ईमानदारी के साथ एलाट नहीं हो सकती है। जब एलाटमेंट किया जाता है तो परगनाधीश की अनुमति लेनी पड़ती है। और जिस तरह की गड़बड़ी इस सम्बन्ध में होती है वह किसी से छिपी नहीं है। इसलिये परगनाधीश के अधिकारों पर अंकुश होना चाहिये। ग्राम समाज, भूमि प्रबंधक समितियों तथा प्रधानों को इस सम्बन्ध में व्यापक अधिकार मिलने चाहिये। अगर उनको व्यापक अधिकार दिये जायेंगे तो आवंटन के मामले में जिसमें कभी-कभी पुलिस और परगनाधीश को जाना पड़ता है तो उससे मुक्ति मिलेगी। इसलिए इस समस्या पर ध्यान दिया जाय। लेखपालों द्वारा जो अनुदान दिया जाता है उसमें बहुत गड़बड़ी की जाती है इसको दूर किया जाना चाहिये जिससे उत्तर प्रदेश की जनता आपकी अनुगृहीत रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*डाक्टर बंगाली सिंह (जिला अलीगढ़)--

मान्यवर, राजस्व मंत्री जी द्वारा जो यह बजट रखा गया है उसके समर्थन में मैं बोल रहा हूं। सरकार ने गर्की, दैवी आपदाओं से जैसे ओला पड़ा, सूखा पड़ा, सरकार ने इनके लिये सुविधायें दी हैं। इससे किसान काफी खुश हैं। सरकार ने पिछला लगान जो काफी मात्रा में आया था उसको किश्तों में देने के लिये आदेश किया है। उससे किसानों में खुशी है। विकास कर की छूट से भी किसानों में खुशी है। गांव-गांव में अधिकारी जाकर दाखिल खारिज करा रहे हैं जबकि यह मामले 20 साल से पड़े हुए थे। मौके पर अधिकारी मेरे साथ गये और दाखिल खारिज कराया है। इससे काफी संतोष है। मान्यवर, बारबार भू-आबंटन की बात को पक्ष और विपक्ष के लोग कहते हैं लेकिन इससे ही हरिजनों के अत्याचार की बात पैदा हुई है। क्योंकि जिस किसान की खेती से जमीन ली गयी उससे उस हरिजन की दुश्मनी हो गयी जिसको वह जमीन मिली। जमीन को निकालने के लिये गांव-गांव में अत्याचार हो रहे हैं मेरी राय में यह तभी दूर होगा जबकि भूमि आबंटन की व्यवस्था को समाप्त किया जाय और गांव-गांव में प्रधानों द्वारा हरिजनों से खेती कराई जाय उससे उसको अंशदान दिया जाय।

मान्यवर, दूसरी बात सरकार ने 3-1/8 एकड़ पर लगान माफ किया है। हो सकता है कि हमारे विधायक, हमारे मंत्री और अधिकारी इससे खुश हों लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारे काश्तकार जो 70 फीसदी हैं इससे संतुष्ट नहीं हैं और मैं भी इसका विरोध करता हूं और चाहता हूं कि 3 1/8 एकड़ पर लगान माफ नहीं होना चाहिये। किसान चाहता है कि हमसे लगान नहीं लिया जाता है तो हमारा भूमि पर कब्जा नहीं माना जायेगा। इसलिये यदि उनसे लगान लिया जाता तो उससे उनको संतोष मिलता।

मान्यवर, तीसरी बात तहसील मुख्यालयों पर जो भ्रष्टाचार है वह तिवारी जी की सरकार से ज्यादा बढ़ गया है। उसको मिटाने के लिये सरकार सख्त से सख्त कदम उठाये। तहसील मुख्यालय पर जहां भवन नहीं हैं वहां अधिकारियों के बैठने के लिये बजट में अधिक पैसा रखे जिससे भवनों का निर्माण हो सके।

मान्यवर, भूमि आबंटन के सम्बन्ध में लोग बार-बार कहते हैं कि 3 लाख लोगों को भूमि दिलायी है। तो यह कागजी बातें हैं और किसी को कुछ नहीं मिला है। लोगों को पर्चे पर दाखिल खारिज जमीन जरूर मिली है। वैसे किसी हरिजन को भूमि नहीं मिली है। सरकार ने जो 3 साल का दंड देने का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्राविधान रखा है उसका पालन किया जाय तो मैं समझता हूं कि भूमि आवंटन में काफी सुधार होगा । अभी तक किसी को दंड नहीं मिला है । यदि एक-दो को दंड मिल जाय तो जरूर भूमि आवंटन में सुधार होगा । इसके साथ ही मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने राजस्व मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान पर हमारे श्री जगन्नाथ जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, जो राजस्व विभाग में भूमि सुधार की बात है तो उत्तर प्रदेश में जो पिछली सरकार थी और जिस पार्टी की सरकार थी उसका इतिहास देश का इतिहास है उसने देश को आजाद किया । भूमि सुधार को इस प्रदेश ने इस पूरे देश में नेतृत्व दिया है । सन् 1951-52 में जमींदारी उन्मूलन विधेयक यहीं पास हुआ रैय्यतवारी, बेगारी खत्म हुई । जो बन्धक मजदूरी थी वह खत्म हुई । इतने जो गरीब के हित में पिछली सरकार ने काम किये हैं उनका मुकाबला कहीं एक साल के अन्दर कभी इस सरकार से हो सकता है ? पिछली सरकार ने क्या किया ? पिछली सरकार ने क्रांति की एक परिवर्तन किया । इतना परिवर्तन किया कि गांव के बसने वाले लोग तब समझे कि इस देश में सचमुच स्वतंत्रता आई है ।

माननीय मंत्री जी ने काम अच्छा किया है । इसकी मैं निश्चित रूप से प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने वायदे के मुताबिक विकास कर खत्म किया, सवा तीन एकड़ तक लगान माफ किया लेकिन उन्होंने एक गड़बड़ी की । अभी उन्होंने कहा कि लगान में एकरूपता लानी थी । पिछली बार लगान बढ़ा तो उस समय वित्त मंत्री जी ने यह कहा था कि समीचीनीकरण करना है । मान्यवर, लगान बढ़ाने के नाम पर चाहे इस सरकार ने चाहे पिछली सरकार ने एक ही बात कही । पिछली सरकार ने समीचीनीकरण के नाम पर किया और इन्होंने एकरूपता के नाम पर । मान्यवर, लगान बढ़ाना बड़ा मंहगा पड़ता है । आपने यह वायदा किया था कि जो बढ़ा हुआ लगान है उसे खत्म करेंगे । जून सन् 1976 के स्तर पर लगान को आप ले आते तो तब मैं आपको बधाई देता और तब कहता कि आप अपने वायदे को पूरा कर रहे हैं। पिछली सरकार ने अध्यादेश निकाला । पिछले लगान समाप्त कर दिये थे । उस अध्यादेश को स्वतः मरने दिया । उस पर आप लोग विधेयक नहीं लाये ।

जहां तक लगान की विषमताओं की बात है, विषमता बहुत है । आप देखें तीस गुना, चालीस गुना लगान बढ़ा । दस रुपये, बीस रुपये, आठ आने, एक रुपये का चालीस गुना, बीस गुना लगान बढ़ गया । आपने प्रयास किया है । राजस्व संहिता, ले आये हैं । उसको शायद फिर अगली बार प्रस्तुत करेंगे । यह देखते हुये कि किसी पर ज्यादा भार न पड़े मैं समझता हूं कि किसानों को अधिक से अधिक लाभ आप कर सकेंगे ।

यह आपने कहा है कि पिछले दिनों जो भूमि आवंटित की गयी चाहे वह ग्राम समाज की आवंटित की गयी हो चाहे सीलिंग की आवंटित की गयी हो । लेकिन जब सरकार बदली तो बहुत से लोगों ने समझा कि जनता का राज हो गया । जनता राज का मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस । गरीब को जमीन से बेदखल करने में सरकार ने या प्रशासन ने सहायता की । उदाहरण के तौर पर बता देना चाहता हूं । हमीरपुर में गांव समाज का जमुना का कछार है उसमें भूमि आवंटित की गयी । गांव के लोग गये धनिया, लाही काटने के लिये । पी0ए0सी0 वहां गयी और फसल उठा लायी । गांव समाज के गरीब लोग हैं विरोधी लोग उनको आवंटित भूमि से बेदखल करते हैं, उनकी फसल उठाते हैं और प्रशासन उनकी मदद कर रहा है । पी0ए0सी0 उनकी फसल उठाने के लिये गयी । यही नहीं कानपुर में 125 हरिजन हैं । उनकी जमीन पर जो फसल बोयी हुई थी उसे भी उठा लाये । मैं आप पर आरोप लगाता हूं । जो समाज विरोधी तत्व हैं, जनता पार्टी के हिमायती हैं जो गरीब को जमीन से बेदखल करते हैं उन की यह प्रशासन मदद कर रहा है । आप इस पर देखेंगे और उसे दूर कर देंगे और वह दूर भी हो जायगी ।

[श्री देव बहादुर सिंह]

मान्यवर, कुछ सुझाव दे दूं अपने क्षेत्र के बारे में। चकबन्दी के बारे में सुझाव है, किच्छा तहसील में आप चकबन्दी करावें जो अभी तक नहीं हो पाई है तो बहुत अच्छा होगा। इसी तरह से पूरे प्रदेश में लेखपाल हैं लेकिन हमारे क्षेत्र में पटवारी हैं जिस तरह से पहाड़ों में हैं। किच्छा में पटवारियों को जैसे लेखपालों की पेंशन की सुविधा है वह नहीं है। यह सुविधा आप उनको दिलवायें। इसी तरह से सार्वजनिक भू-गृहादि अधिग्रहण अधिनियम, 1972 पास हुआ था जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों को बड़ा कष्ट हो रहा है। उसमें उपनिवेशक द्वारा गांव बसाये गये हैं। कोई घर के पास अगर झोपड़ी बना ले तो हजारों रुपया जुर्माना करके उसे बेदखल कर दिया जाता है। अगर यह कष्ट दूर कर दिया जायगा तो हमारे क्षेत्र के लोगों को काफी राहत मिल सकेगी। जो भी भूमि आवंटन किया गया है मुझे पिछली बार, उम्मीद है उसकी आप जांच करवायेंगे और यह प्रयास करेंगे कि जो बेदखल किये गये हैं उनको बेदखल न किया जाय। किच्छा तहसील में बहुत से लोग हैं जिनको बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। आप अगर इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी को लिख देंगे तो यह कष्ट दूर हो जायगा। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं राजस्व मंत्री द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आपकी सरकार ने वायदा किया था कि गांव की ओर बढ़ने का उस वायदे को पूरा करने के लिये जो कुछ कदम उठाये गये हैं वे सराहनीय हैं और इसके लिये माननीय राजस्व मंत्री की इधर से व उधर से प्रशंसा हुई, उनकी प्रशंसा के सम्बन्ध में दो राय नहीं है। आवंटन तथा गांव समाज की जमीन के बारे में जो कानून बनाये गये हैं यह सही है कि उनसे लाभ होगा। पिछली सरकार ने जो आवंटन किया था वह सब कागज पर था, उसकी कोई आधार शिला नहीं थी। उसका कारण यह था कि पहले जमीन के बारे में सही तफतीश नहीं की गयी थी, उसका बाद में आवंटन किया जाता लेकिन कांग्रेस सरकार ने पहले ही जमीनों का आवंटन कर दिया यह देखे बगैर कि किसके कब्जे में जमीन है, कितनी जमीन है, कहां घर है या कहां खेत है? मैं सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर ले जाऊंगा जिसमें एक नहर निकली है और 12 गांव उससे बरबाद हुये हैं। वे गांव हैं कुमरउवा, फावर, खडिया बड़ागांव, पचगई, तथपुर, भौगवा, बरूखुदापुर और टडोल माफी इत्यादि। इन गांवों के काश्तकारों से हजारों बीघा खेत इस नहर के निकालने के लिये ले लिये गये और यह वायदा किया गया था कि सर्किल रेट पर उनको मुआवजा दिया जायगा लेकिन बड़े दुःख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जो जमीन 5 हजार रुपये फी बीघा थी उसके लिये काश्तकार को दो-तीन सौ रुपया ही मुआविजा दिया गया। इस सम्बन्ध में मैं दुबरी दूबे के पास भी गया और उनको अपनी गाथा सुनाई थी कि इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। लैंड रेवेन्यू अधिकारी ने बहुत पैसा पैदा किया है। मैंने इस सम्बन्ध में उनसे अनुरोध किया कि इसकी जांच की जाय। शासन इसके लिये जिम्मेदार है। यह उन्होंने स्वीकार भी किया कि बड़ा अंधेर काश्तकारों के साथ हुआ है। इसलिये मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि इन काश्तकारों को जो मुआवजा देने का रेट है उसके आधार पर उन्हें मुआवजा देने की कृपा करें।

दूसरी बात यह है कि इस विभाग में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। इसमें कोई सन्देह नहीं है। लेकिन इसको खत्म करने के लिये कि बहुत जल्दी यह खत्म हो जाय, यह कोई मामूली बात नहीं है। मान्यवर, इस भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जड़ लेखपाल हैं। मैं समझता हूं कि लेखपाल ही किसान के घर जाकर भ्रष्टाचार पैदा करता है, वही अपने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भी देता है, रिकार्ड के अन्दर जो कुछ भी घोटाला वह कर सकता है, उसे वह करता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेखपाल ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा अधिकारी भी भ्रष्ट हो जाते हैं । इसके सम्बन्ध में कोई व्यवस्था होनी चाहिये । मैं इस बारे में दो सुझाव देना चाहता हूं कि लेखपाल को उसी तहसील में नही रखना चाहिये जहां का वह निवासी हो साथ ही उसे परगना अधिकारी के अधीन न होकर कमिश्नर से सम्बद्ध होना चाहिये । मेरे जिले के अन्दर जनवरी के महीने में एक पटवारी ने रिश्वत ली और वह रिश्वत लेते हुये जिस अधिकारी ने पकड़ा उसके ऊपर वहां का सारा स्टाफ दौड़ पड़ा और उसको मारा । उस पटवारी के खिलाफ क्राइम नं0 35, धारा नं0 161, 109, 120 बी, 224, 225, 147, 323 ताजी रात हिन्द 5 बी भ्रष्टाचार निरोधक कानून के अन्तर्गत दिनांक 13 जनवरी, 1978 को मुकदमा कायम हुआ और उसकी जमानत हो गई । लेकिन यह बड़े अफसोस की बात है कि इस तरह से मुकदमा कायम होने के बाद का वह तहसील में बना हुआ है । इस सम्बन्ध में मैंने मंत्री जी से भी कहा था किन्तु अभी तक वह मुअत्तल नही किया गया, न ही हटाया गया । मैं यह भी समझता हूं कि रेवेन्यू विभाग के जो कर्मचारी हैं और माननीय मंत्री जी से सम्बद्ध हैं चाहे वह लेखपाल हों, तहसीलदार हों, नायब तहसीलदार हो, कानूनगो हो, इन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है और उन्होंने एक बहुत बड़ी सम्पत्ति कमाई है । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि जब से इन कर्मचारियों ने नौकरी शुरू की है उस समय से लेकर अब तक उनकी हैसियत के सम्बन्ध में जांच कर ली जाय । तब सारे मामले आपके सामने आ जायेंगे । इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री बदन सिंह (जिला आगरा)---

माान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । आप हमें मौका नहीं देते हैं । आपके सामने जो सूची रखी है उसमें मेरा नाम सर्व प्रथम है और मैं खड़ा हो रहा हूं किन्तु आप मुझे अवसर नहीं दे रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

पीठासीन व्यक्ति से बार-बार यह सवाल किया जाता है और बार-बार उन्हें जवाब दिया जाता है । मेरा भी वही जवाब है जो अब तक पीठासीन व्यक्ति देते रहे हैं ।

श्री बसन्त (जिला देवरिया)---

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने आज मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया । मुझे ज्यादा कोई बात कहनी नहीं है क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि जो सीलिंग की जमीनें निकली हैं उसका ठीक से बंटवारा नहीं हुआ है । अगर ठीक तरह से बंटवारा हो जाय तो बहुत कुछ समस्या हल हो जायेगी । लेकिन यह जो बड़े-बड़े लोग हैं आज भी जमीनों को हड़प कर बैठे हैं । कर्मचारियों से लेकर लेखपाल, तहसीलदार और परगना हाकिम तक सबसे मिलकर यह अपना सारा काम सिद्ध कर लेते हैं । तो वह जमीनें निकाल कर गरीबों को बांटी जाय, भूमिहीनों को वह जमीन दी जाय ।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि चकबन्दी में बहुत अपार भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी है । हम लोग दरखास्त लिखते-लिखते परेशान हो गये हैं । यहां का चक वहां और वहां का चक यहां कर दिया और खास कर गरीबों के चक इधर के उधर कर दिये गये हैं भई गति सांप छंछूदर केरी, लीलत उगिलत प्रति धनेरी, गरीबों की आज हालत खराब है, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है । हमारे डाक्टर लोहिया ने हम लोगों को यही संदेश दिया कि गरीबों की झोपड़ियों में जाओं और उनकी समस्याओं को लाओ, उनके हक के लिये लड़ो कभी उनका समय आयेगा और गरीबों का भला होगा । लेकिन आज हम देखते हैं कि उनका भला नहीं हो रहा है । हम लोगों ने नारा लगाया था कि बिना मुनाफा खेती-बारी, उसमें लगे न मालगुजारी । 10 बीघे तक लगान माफ किया जाय ।

[श्री बसन्त]

तीसरी बात हमारे हाटा क्षेत्र की कहना चाहता हूं । हाटा क्षेत्र की ही यह बात नहीं है पूरे प्रदेश जिले और तहसील की है । आग लग जाती है उसका कोई इंतजाम नहीं होता । हाल ही में हमारे यहां घोघरा गांव में 32 घर हरिजनों के जल कर खाक हो गये जिसमें उनका सारा सामान, सूअर, मुर्गी और एक लड़की भी जल कर मर गई । हम मौके पर गये और हाटा के तहसीलदार को बताया । पता नहीं उस पर क्या कार्यवाही हुई ? लोगों को कुछ मिला या नहीं, पता नहीं है । एक गांव और है मुन्डेरा उपाध्याय वहां भी आग लग गई 22, 25 घर जो हरिजनों के थे, जल गये । जो बच्चे पढ़ने वाले थे उनकी किताबें जल गयीं इम्तहान नजदीक में है कैसे वह इम्तहान देंगे, क्या पढ़ेंगे ।

हमारे इलाके में सड़कें हैं लेकिन जब बाढ़ आती है तो वहां आने–जाने में बड़ी कठिनाई होती है । खेतो के लिये पानी की व्यवस्था नहीं है । आज किसानों का बोया गन्ना पड़ा हुआ सूख रहा है जिससे उनमें हाहाकार मचा हुआ है । काफी गन्ना खेतों में पड़ा हुआ है । मेरा आपसे निवेदन है कि जिनके घर जल जाते है चाहे वह किसी वर्ण का घर हो उसको काफी मात्रा में सहायता मिलनी चाहिये । इस वक्त सरकार जो मदद देती है वह 100 रु0 या 50 रु0 देती है । उसमें क्या होगा जब कि एक बांस 10 रु0 से लेकर 15 रु0 तक मिलता है । तो इतनी कम रकमों से गरीबों का क्या भला होगा ।

मैं एक बात और उन हरिजनों की कहता हूं कि इन हरिजनों या किसी का भी घर जल जाता है तो उनको बिना सूद के तकाबी सहायता तथा अन्य सुविधायें सरकार दे। इन शब्दों के साथ मैं अपने बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता––

बदन सिंह, इसलिये नहीं कि आपने व्यवस्था उठाई है, इसलिये कि आपने मेरी आंख पकड़ी है ।

श्री बदन सिंह––

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस राजस्व बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिये आपका आभारी हूं और माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो यह बजट रखा है, उसका मैं समर्थन तहेदिल से करता हूं । मान्यवर, इस बजट के विपक्ष में बोलने वाले माननीय जगन्नाथ जी ने कटौती का प्रस्ताव अवश्य रखा, क्योंकि वह परम्परा रही है और कटौती का प्रस्ताव रखना ही था, लेकिन उनके बोलने में राजस्व मंत्री जी की प्रशंसा ही की गई है । इससे स्पष्ट है कि यह बजट अपने आप में पूर्ण है और राजस्व मंत्री जी किसानों और किसानों के विवादों तथा उनकी समस्याओं से भलीभांति परिचित हैं । कोई भी दिशा ऐसी नहीं छोड़ी गई है, जिसमें उनकी दृष्टि भूमि सम्बन्धी विवादों को ठीक करने पर न पड़ी हो । यह हमारी जनता पार्टी की देन है, उसने लघु किसानों को लगान मुक्त किया है । तीन सही एक बटा आठ एकड़ वाले खातेदारों को लगान से बिलकुल मुक्त किया है । इसके अलावा कांग्रेसी शासन द्वारा बढ़ाया हुआ विकास-कर को इस सरकार ने किसानों पर से छोड़ दिया है ।

यह कांग्रेसी सरकार की ही देन थी, जिसमें भूमिहीनों या हरिजनों के लिये समस्या पैदा की गई थी । उनके पोखर, तालाब और आवश्यक जमीनें आवंटित कर दी गई थीं । लेकिन इस सरकार की तरफ से इस समय पर मंत्री जीने बताया है कि एक लाख 10 हजार भूमिहीन लोगों को भूमि पर कब्जा दे दिया गया है । यह बात सही है कि इस प्रकार के कब्जे, हमारी जनता पार्टी की सरकार ने दिलाये हैं, यह भी सही है कि जनता पार्टी की सरकार ने किसानों का हित ध्यान में रखते हुये इस अच्छे काम को किया है ।

(इस समय 2 बजकर 33 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधेश्याम शर्मा पीठासीन हुये।)

पहले कोई आदमी मर जाता था तो उसके उत्तराधिकारी का आसानी से दाखिल खारिज नहीं होता था लेकिन अब मंत्री जी ने इस बात की व्यवस्था की है कि अब स्वयं दाखिल-खारिज करने वाले नायब तहसीलदार गावों में पहुंचेंगे और उस जमीन के वारिसों को जमीन दिलाकर उनका कब्जा दिलायेंगे और अपने रिकार्ड में ठीक करेंगे। यह भी ध्यान में रखा गया है कि जो नहरें और सड़कें निकल रहीं हैं उससे छोटे किसान को शिकार न होना पड़ा। अब उसके स्थान पर ग्राम-सभा की जमीन छुड़वाने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ मैं उनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि उनके विभाग में जो कुछ होता है वह लेखपाल के द्वारा होता है। यह जो 1 लाख 10 हजार भूमिहीनों को कब्जा दिलाया गया वह उन्हीं को दिलाया गया जिनको लेखपाल ने दिलाना चाहा लेकिन जहां लेखपाल ने नहीं दिलाना चाहा उनको कतई कब्जा नहीं मिला। इसलिए मैं इतना अवश्य कहूंगा कि भूमि-हीनों को कब्जा दिया गया लेकिन पूरा कब्जा नहीं दिया गया। यदि किसी को 14 बिस्वा जमीन दी गई थी तो उसे 10 बिस्वा ही जमीन पर कब्जा दिया गया और 4 बिस्वा उसका जमीन पर कब्जा नहीं हो सका। इस तरह से उनकी 1/4 भूमि अब भी बगल के बड़े-बड़े किसानों के पास दबी रह गई है। मैं स्वयं इस बात का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। मेरी तहसील किरावली में अखवाई गांव के भगवान सिंह नामक व्यक्ति को 14 बिस्वा जमीन दी गयी लेकिन लेखपाल की मेहरवानी से उसको अभी तक कब्जा नहीं दिया जा सका। जो भी इन्दराज होता है वह लेखपाल करता है। मंत्री जी ने यह व्यवस्था तो कर दी है कि अगर कोई व्यक्ति बार-बार हरिजन की भूमि पर कब्जा करता है तो उसको तीन साल का दंड दिया जायगा। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसी प्रकार से लेखपाल की भू-मापन या इन्दराज सम्बन्धी कोई गलती पायी जाय तो उसको भी दंड देने की व्यवस्था करें। एक अफवाह हमारे यहां फैली हुई है कि किरावली तहसील को अछनेरा पहुंचाया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि तहसील किरावली में ही रहे और उसको दूसरे स्थान पर न ले जाया जाय।

*श्री हरगोविंद सिंह (जिला मुरादाबाद)—

मैं राजस्व मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। जो बातें यहां कही गयी हैं उनके समर्थन के साथ-साथ मुझे कुछ सुझाव भी देने हैं। आशा है राजस्व मंत्री जी उन पर ध्यान देंगे। पहली बात तो स्टाम्प के बारे में है। पहले जो लगान था उसका अब दुगुना कर दिया गया है। पहले भूमिधर और सीरदार दो प्रकार के किसान थे लेकिन अब भूमिधर और सीरदार दोनों पर ही दुगुना लगान हो गया है और उनको अपनी जमीन बेचने का अधिकार है। पहले 45 रुपये हजार स्टाम्प लगता था। पिछली सरकार ने 75 रुपया हजार कर दिया। लेकिन अब दुगुना हो गया है जिसकी वजह से किसान को बहुत नुकसान हो रहा है। मैंने यह एक पत्र द्वारा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था लेकिन अभी तक सम्बन्धित तहसीलों में इस प्रकार के कोई आदेश नहीं पहुंचे हैं जिससे कि किसान को नुकसान से बचाया जा सके। दूसरी बात दाखिल खारिज की है। आपने कहा कि इसको सरल कर दिया है।

लेकिन दाखिल-खारिज किसान के लिए हौवा सा है। होता यह है कि नायब तहसील-दार अपने आफिस में बैठा हुआ उससे 100–200 रुपया ले लेता है और वह बेचारा गांठ कटाकर चला जाता है। इसको इस प्रकार सरल बनाया जाय कि किसान की लूट न हो।

चकबन्दी कई गांवों में होने से रह गयी है। मैंने मंत्री जी से अपने क्षेत्र के कुछ गांवों की चकबन्दी कराने का निवेदन किया था। उन्होंने कहा कि एक एकड़ पर 60 रुपया खर्च होता है जिसमें 30 रुपया केन्द्रीय सरकार, 16 रुपया प्रदेशीय सरकार देती है और शेष 14 रुपए पर काश्तकार देता है। मंत्री जी ने कहा कि अगर किसान 60 रुपये प्रति एकड़ के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरगोविन्द सिंह]

हिसाब से खर्चा दें तो चकबन्दी करा दी जायगी। मेरा निवेदन है कि हर किसान इस स्थिति में नहीं है कि वह अपना पैसा दे सके। किसान यह भी कह सकता है कि जब प्रदेश में और स्थानों पर आपने चकबन्दी करा दी तो ये थोड़े से गांव ही क्यों रह जायं। इसलिए इस तरफ भी ध्यान जाना चाहिए। जुलाई–अगस्त के महीनें में मैंने एक प्रार्थना–पत्र कासम-पुर जट और इस्माइलपुर की चकबन्दी के लिए दिया था। वह आयुक्त चकबन्दी को भेज दिया गया लेकिन आज तक कोई कार्यवाही हुई नहीं। कांठ के पास चकबन्दी चल रही है। इन गांवों में चकबंदी नहीं पहुंच रही है। दोबारा फिर स्टाफ आयेगा और उससे शासन को फिर खर्च करना पड़ेगा। इसलिये चकबंदी के ऐसे गांव जिनको चकबंदी का हक है उनके हक को देना चाहिये।

एक बात मान्यवर, भूमि के आवंटन के बारे में है। जब मैं जेल में था तो रोज रेडियो और अखबारों के माध्यम से सुना करता था कि सरकार इस वक्त बहुत तेजी से आवंटन के जरिये भूमि हरिजनों को बांट रही है। तो रेडियो और अखबारों में रोज जमीन बंटती थी, मान्यवर। लेकिन यह सारा मसला तो चकबंदी से संबंधित है और चूंकि मैं गांव में रहता हूं किसान हूं मुझे मालूम है कि यह जमीन बंट कहां से रही होगी। जब गांव में चकबन्दी होती है तो जो छूट की जमीन होती है उसका मालिक प्रधान होता है। प्रधान को तो वास्तव में अपने चक कटवाने से फुरसत नहीं मिलती। इसलिये जो 20–25 बीघा जमीन छूट की होती है उसमें मुश्किल से पांच बीघा ही बंटती है और तहसीलदार और अधिकारीगण उस जमीन को 10 काश्तकारों में 2–2 बीघे के हिसाब से बांट देते हैं और हरिजन खुश हो गया कि उसको 2 बीघा जमीन मिल गयी। लेकिन मौके पर वह 20 बीघा नहीं पांच बीघा ही होती है तो वह प्रैक्टिकल नहीं, कागज की चीज होती है। तो मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पिछली सरकार की भांति केवल कागज और रेडियो पर जमीन न बंटवायें, वास्तविक स्थिति के अनुसार जमीन का आवंटन किया जाय।

अगली बात जो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं वह है अनुदानों के बारे में। गांव के लोगों को आग इत्यादि लगने पर तहसील के माध्यम से अनुदान दिलाना चाहते हैं जो नाम मात्र के बाराबर होता है। मैं उस संबंध में निवेदन करूंगा कि ऐसा अनुदान जिसमें किसान के किराये-भाड़े में ज्यादा खर्च हो जाय, देने से कोई लाभ नहीं है। या तो जिस चीज के लिये अनुदान दिया जाय वह उस नुकसान को देखते हुये दिया जाय या न दिया जाय। ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात न की जाय। किसी का नुकसान खलिहान जल जाने से 10 हजार का लास हुआ और मंत्री जी ने 50 रुपये अनुदान दे दिया। वह तो उसकी 5 दिन की मजदूरी भी नहीं होती। जो पांच रुपये के हिसाब से 25 रुपये उसको मजदूरी में मिल जाते जिन पांच दिनों का समय उसने इस अनुदान की दौड़धूप में लगाया।

अगली चीज मैं कहना चाहता हूं कि किसान को जोत बही मिलनी चाहिये क्योंकि इसके न होने के कारण ही बहुत लूट होती है पटवारियों द्वारा जो सरकारी बैंक हैं वहां काश्त-कार के लिये जोतबही होनी चाहिये ताकि उसको पता रहे कि उसका कितना लोन है, कितना बकाया है किस महीने में लिया था। इसलिये जो जोतबही का प्रचलन चौधरी चरण सिंह के जमाने में चला था जो कि अब बंद हो गया है वह जोतबही अब किसानों को प्राप्त होनी चाहिये क्योंकि इसके बिना पटवारी बड़ी लूट कर रहे हैं किसानों की और जैसी जिसकी श्रद्धा वैसी उसको भेंट इस तरह से 100–50 रुपये की रकम किसानों से प्राप्त कर लेते हैं। तो जोत बही की तरफ तुरन्त ध्यान दिया जाय ताकि किसानों को लूट से बचाया जा सके।

एक बात मान्यवर, जो पटवारियों की भर्तियां होती हैं उसके बारे में कहना चाहता हूं। 8वीं और 10वीं पास लोग पटवारी के लिये ही लिये जाते हैं। फटा पैजामा और मैला कुर्ता जिनके लिये कभी कोई उम्मीद नहीं कि ये कभी नायब तहसीलदार या कानूनगो बन पायेंगे ऐसे लोग पटवारी के पद पर रख लिये जाते हैं। ये लोग जमकर भ्रष्टाचार करते हैं

क्योंकि उनके आगे के प्रमोशन के कोई चान्सेस नहीं होते। अतः अब अच्छे पढ़े-लिखे लोगों को ही पटवारी के पद पर रखा जाय। अगर इन आठवां पास लोगों को ही पटवारी के पद पर लेते रहेंगे तो भ्रष्टाचार कभी दूर नहीं होगा।

एक बात में यह कहना चहता हूं कि कुछ तहसीलें पुराने जमाने से बनी पड़ी हैं। 50-50 किलोमीटर की दूरी पर गांव हैं। तहसीलों पर ही खाद और बीज आदि मिलता है इससे इन 50 कि लोमीटर दूर वाले किसान को बड़ी तकलीफ होती है। उदाहरण के लिये मुरादाबाद में सम्भल तहसील में 50-50 किलोमीटर दूर गांव हैं। अतः निवेदन है कि उसके कुछ गांव अमरोहा में काटकर मिला दिये जांय ताकि वहां के काश्तकारों को कुछ सहूलियत मिल सके।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मैं कोई ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। दो-चार चीजों की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा। माननीय मंत्री जी ने 3 1/8 एकड़ पर लगान छोड़ा है। वह दो एकड़ पर भी छोड़ते तो भी कुछ लोगों को फायदा मिलता है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन मेरा ऐतराज यह है कि यह कह कर छोड़ा कि अलाभकर जोतों पर से 3 1/8 एकड़ जोतों पर लगान छोड़ा है। यह बात समझ में नहीं आयी। जितनी भी कमेटियां बैठी, जमींदारी अबालिशन कमेटी बैठी, जिसके सदस्य केन्द्रीय गृह मंत्री भी थे। उनकी फाइंडिंग है कि सवा छः एकड़ अलाभकर जोत है। अगर आपने कोई सेटिलमेंट करा लिया होता, कोई दूसरी कमेटी नियुक्त करके फाइंडिंग ले लिया होता तो कि सवा छः एकड़ अलाभकर जोत नहीं है। 3 1/8 एकड़ अलाभकर जोत है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं था।

दूसरी बात यह है कि जो तहसील के अन्दर और आपके पूरे डिपार्टमेंट के अन्दर जो भ्रष्टाचार है उसकी परिस्थिति बदल गयी है। उसमें आपकी मदद की जरूरत है। लेखपाल जिसके हाथ में कुछ ताकत नहीं है इस वक्त उसके करप्शन का परसेंटेज बढ़ गयी है। जब उसके हाथ में कुछ शक्ति थी तो उस वक्त वह केवल अपने लिए लेता था। लेकिन इस वक्त लेखपाल को कानूनगो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार और एस0 डी0 एम0 सब का बैलेंस पूरा करने के लिए उसको दलाली का काम करना पड़ता है। पहले जब उसके हाथ में शक्ति थी तो 25-50 रुपये अपने लिए ले लेता था। जब उसके हाथ में शक्ति नहीं रही तो उसको अपने लिए, कानूनगो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार और एस0 डी0 एम0 के लिये भी लेना पड़ता है। सारे लोग जानते हैं कि लेखपाल ने ले लिया। यह एक नये करप्शन की बात चली है।

आपका महकमा ऐसा है कि जिसमें छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर कलेक्टर तक आता है। आप कम से कम अपने विभाग में हरिजनों का और लोगों का प्रतिशत पूरा कराने की कोशिश कीजिये। जो लेखपाल अमीन हैं वहां पर क्यों नहीं प्रतिशत पूरा होता। इस ओर विशेष रूप से ध्यान दीजिये। एक करप्शन की तरफ आपका ध्यान और दिलाऊंगा, जिसकी मिशाल कहीं और नहीं मिलेगी, पीलीभीत जिले की है। पूरी अश्योरेंस कमेटी ने जा कर देखा। वहां तीन सौ एकड़ जंगल की जमीन फारेस्ट डिपार्टमेंट की रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दी गयी, कहा गया कि रिहेबिलिटेशन के लिए दिया जा रहा है। उस जमीन में 100 एकड़ पर थर्ड पार्टी का 17 साल का कब्जा दिखा कर सीरदारी के राइट दे दिये। रिहेबिलिटेशन के लिए 70 फैमिलीज थीं। रामनगर गांव में रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट ने फ्लड के सिलसिले में 54 परिवारों को वहीं पर बसा दिया। जो रेकार्ड था, लेखपाल ने कहा कि यह मुझ से पहले का है। 17 साल का कब्जा उन्होंने रेकार्ड में ऐक्सेप्ट कर लिया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

और 100 एकड़ जमीन पर सीरदारी के राइट दे दिये। वह उसी आधार पर हाई कोर्ट में चले गये। इस तरह की अनियमितताएं होती हैं। उसकी तरफ ध्यान दें।

नदी के कटाव से डिमार्केसन की बड़ी विषम परिस्थिति पैदा होती है। रामपुर और मुरादाबाद के बीच कोसी नदी है लेकिन गांव धुतरी मेघा नगला, मानपुर पट्टी, नव्वा नगला। वह मेरी कांस्टीटुएंसी का हिस्सा है। कोसी पार करके रामपुर की तरफ से उनमें मुझे जाना पड़ता है। माननीय बलदेवसिंह आर्य वहां गये थे। उन्होंने रेकमेंडेशन किया था कि इन तीन गांवों को रामपुर में मिला दिया जाय। वहां रामपुर से हो कर जाना पड़ता है। इसको देख लें। जिसके कारण झगड़े चल रहे हैं। आप सर्वे जल्दी करावें ताकि जो झगड़े हैं वह कम से कम हो जाय। एक बात मैं बाजारों के बारे में कहना चाहता हूं। बाजारें नीलाम की जाती हैं। दलपतपुर और सरकडा खारा की बाजारें नीलाम की गयी। दलपतपुर की बाजार 21 हजार में नीलाम की गयी और उसकी पहली किस्त 5,300 रुपये की जमा की गयी और बाकी 3 किस्ते जमा नहीं की गयी और तहसील के कर्मचारियों ने मिल कर वह रुपया गोलमाल कर लिया गया। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि ऐसी चीजों को रोकथाम होनी चाहिए।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे जो राजस्व बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय मंत्री जी ने जो कदम उठाये हैं वह सराहनीय हैं, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पहले जो मुकदमे परगनाधिकारी करते थे और जब पड़ताल का टाइम दिया जाता था और वे हर क्षेत्र में दौरा करते थे तो उनके साथ वकीलों की कतार लगी होती थी। मुकदमों की अधिकता के कारण परगनाधिकारी, लेखपाल का काम देख नहीं पाते थे। इसलिए मेरा सुझाव है कि जब परगनाधिकारी पड़ताल को जावें तो जिस क्षेत्र में जावे उसी क्षेत्र के मुकदमे लगाये जावें और बाकी जो मुकदमे हों, उनको दूसरे दिन के लिए लगा दिया जावे। इससे परगनाधिकारी को जांच पड़ताल का अवसर मिलेगा और जो गलतियां होगी वह उनके सामने आवेगी। मैं, चाहता हूं कि इस तरह के आदेश प्रसारित किए जाये, जिससे किसानों को राहत मिल सके।

दूसरी बात मैं चकबन्दी के बारे में कहना चाहता हूं। चकबन्दी में जो जमीन का मूल्यांकन होता है उस में बड़ी गड़बड़ी की जाती है जिसके कारण ए0 सी0 ओ0, सी0 ओ0, एस0 ओ0 सी0, डिप्टी डायरेक्टर और हाई कोर्ट तक उनको जाना पड़ता है। आकार-पत्र 23 में जो कमी रहती है उसके बारे में कहना चाहता हूं। इतना बड़ा परिवर्तन किया गया है कि काश्तकार के दरख्वास्त के बिना ही दाखिल-खारिज हो जाता है। अतः मेरा निवेदन है कि आप एक सचल दस्ता बनावें जो इन चीजों की देखभाल करे। और वहां पर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है वह समाप्त हो सके और जो इस तरह के मामले हैं उनके बारे में प्रभावी कदम उठाये जा सके और उन मामलों को वहीं पर निस्तारण किया जा सके। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चकबन्दी के कानून में और धाराओं में अधिक ज्ञान रखने वाले अधिकारियों का एक सचल दस्ता आप प्रदेशीय स्तर पर कायम करें जिससे किसानों को आप राहत दे सकें।

मान्यवर, मेरा इलाका जमुना नदी का है, हर साल वह आती है और जाती है,बहुत सा हिस्सा कट जाया करता है। लेखपाल के कागज में पुराने लोगों के नाम चले आते हैं। दो तहसीलों और ग्राम-सभाओं की एहतमालियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि आप प्रति 4 वर्ष के बाद इस प्रकार की जो जमीने नदी से कट जाती हैं उनकी पैमाइश करायें ताकि वहां के किसानों को जो परेशानी होती है दूर की जा सके।

आग लगने से, जिसमें किसान की गाड़ी, जूए आदि का नुकसान होता है उसके लिए आप 25 रुपये दे देते हैं लेकिन जिसके पास थोड़ी भी जमीन है, उसके लिए एक पैसा भी अनुदान नहीं देते हैं। 25-25 रुपये में तो उसके मकान और छप्पर का भी प्रबन्ध नहीं हो सकता है। तो मेरी प्रार्थना है कि आप उनको ऐसी सहायता दें जिससे उनको कुछ राहत मिल सके। इस शब्दों के साथ में प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री छोटे लाल निर्भय (जिला जौनपुर)---

मान्यवर, जो अनुदान आज सदन में प्रस्तुत हैं, उनका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं अपने राजस्व मंत्री जी का ध्यान जौनपुर जनपद के शाहगंज तहसील की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि 1 लाख 10 हजार एकड़ भूमि आवंटित की गयी है और जो जमीन दी गयी है उसका कब्जा भी दिला दिया गया है, लेकिन अभी ऐसी बात नहीं हो पाई है। गरीबों के नाम जो पट्टे किए गए हैं, हम लोग जब जेल में थे तो रेडियो द्वारा जो प्रचार होता था कि हरिजनों को, गरीबों को जमीन बांटी जा रही है, वह सही नहीं था। रेडियो पर एक और बात सुनने को मिला करती थी कि फलां के यहां पर 15 मन सोना निकला, इतनी चांदी बरामद की गयी, दो नम्बर का धन इकट्ठा किया गया। लेकिन जेल से जब बाहर निकले तो देखने को मिला कि न तो गरीबों को जमीन ही आवंटित की गयी और अगर हुई भी तो केवल कागज पर ही हुई और वह करोड़ों रुपया जो एमरजेन्सी के दौरान इकट्ठा किया गया था वह भी पता नहीं चला कि कहां चला गया और कहां वह सोना और चांदी चली गयी।

अंग्रेजों के चले जाने के बाद कांग्रेस जो शासन में आई उसका भी वही रवइया रहा जो कि अंग्रेजों का था। तहसीलों के डिप्टी कलेक्टरों के जो जाड़े के महीनों में अपने-अपने क्षेत्रों का दौरा करते थे, वे पड़ाव डालते हैं। अंग्रेजों के जमाने में जब हमारा देश गुलाम था तो वे इसलिये गांवों में पड़ाव डाला करते थे कि उन्हें पता चल सके कि हिन्दुस्तान की जनता उनके खिलाफ तो नहीं सोच रही है। आज हमारे देश के गरीब बच्चे जो कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर हो जाते हैं, वे भी देहात में पड़ाव डालते हैं और पटवारियों के माध्यम से देहात वालों से मुर्गे और मुर्गियां खाते हैं और इस प्रकार से यह भ्रष्टाचार का अखाड़ा बनाये हुए हैं।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान उस तरफ दिलाना चाहता हूं जो पूरी तहसील में भ्रष्टाचार का अखाड़ा बना हुआ है। आज तहसील के अन्दर इतने दलाल पैदा हो गये हैं कि गरीब को न्याय मिलना मुश्किल हो गया है। जो गरीबों को भूमि आवंटित की गयी, उसका उन्हें आज तक कब्जा नहीं मिल पाया। जो गांव के अन्दर वरिष्ठ आदमी हैं, वह बंजर जमीनों को अपने कब्जे में रखे हैं। अगर कलेक्टर को दरख्वास्त दी जाती है, तो वे जो गांव के वरिष्ठ लोग हैं, वे उन्हें धमकाते हैं और कहते हैं कि कि अगर कोशिश किया तो डकैती डलवा देंगे या थानेदार को बोलवा कर पिटवा देंगे। इस तरह से अगर गरीब आदमी कोई कोशिश करता है तो वहां के बड़े लोग जो हैं, वे डकैती डलवा देते हैं और थानेदार को बोलवा कर पिटवाते हैं। यह मैंने अपने क्षेत्र के अन्दर देखा है और सुना है। मेरे क्षेत्र में जितनी जमीनें आवंटित की गयी हैं,उन पर 50 प्रतिशत कब्जा नहीं है। गांव के जो बलवान आदमी हैं, वे उस पर कब्जा जमाये हुए हैं। आप कोई ऐसा आदेश निकालें कि वह जमीन उन गरीबों को मिले, जिसको रहने का ठिकाना तक नहीं है। तो आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि वह गरीब आदमी को जमीन का कब्जा मिले जिससे वह उस पर खेती करके अपनी जीविकोपार्जन करें। मान्यवर, जैसा मैंने दाखिल-खारिज की बात कही, इसके बारे में कहना चाहता हूं कि दाखिल

[श्री छोटे लाल निर्भय--]

खारिज के लिये कोई सरल उपाय निकालें कि प्रधान के यहां दरख्वास्त पड़े, प्रधान के द्वारा दाखिल खारिज कारवाई जाय, नहीं तो ये नायब तहसीलदार गांव में जाकर भ्रष्टाचार शुरू करेंगे। इन शब्दों के साथ जो राजस्व मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

*कुंवर तेज भान सिंह (जिला प्रतापगढ़)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत नम्रता के साथ यह प्रश्न रखना चाहता हूं कि चकबन्दी विभाग में इतनी धांधली हो रही है कि जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। मेरे जिले में कई साल हुए एक आदमी कुंए में गिर कर मर गया और अभी हाल में भी एक आदमी कुंए में गिर कर मर गया। यह इसलिये हो रहा है कि जो गरीब हैं, परेशान हैं, उनकी कोई सुनता नहीं, बड़े-बड़े लोग सरकारी अफसर को मिला लेते हैं, उनके पक्ष में सरकारी अफसरान सारा काम करते हैं। गरीबों का कोई सुनता नहीं है। हमारे क्षेत्र के डोवई गांव का यह किस्सा है। वहां पर चकबन्दी का काम शुरू हुआ, चक बनने जा रहा था, जिनके लिये जो जमीन मिलनी जरूरी थी और कानूनन उन्हें मिलनी चाहिये, उन किसानों को धमकी देकर कि वह जमीन तुमको नहीं दी जायगी, इस तरह से रुपया-पैसा, मोल-तोल होने लगा। मुझे जब खबर मिली, तो मैं पहुंचा, तो मुझे देखकर बहुत से किसान रोने लगे और कहने लगे कि चकबन्दी का शुल्क भी हम लोग का देइका पड़त हौ का करें। वहां का ए0 सी0 ओ0 बड़ा जबरदस्त लुटेरा है। मेरे कोशिश करने पर भी उस ए0 सी0 ओ0 को हटाया नहीं गया। उस ए0 सी0 ओ0 का नाम महादेव प्रसाद श्रीवास्तव है। वे इतना घूसखोर हैं कि जिस गांव में चकबन्दी शुरू करते हैं, उस गांव में लड़ाई शुरू कर देते हैं। वह प्रोफेसर वासुदेव सिंह का क्षेत्र है, जब कि वह अध्यक्ष थे, उस वक्त एक कुर्मी जिसके पास तीन बीघे जमीन थी, उससे रिश्वत ली गयी कि तुम्हारी सारी जमीन बनी बनाई तुम्हीं को दी जायगी। लेकिन वह जमीन उसकी अनेक किसानों को रिश्वत लेकर बांट दी गयी। अन्त में उसको उसकी जमीन नहीं मिली। उसकी बढ़िया जमीन की कीमत कम लगाई गयी और उसको वह जमीन दे दी गयी, जिसमें हल नहीं चलता था, बंजर जमीन थी। वह चारों तरफ रोया, दौड़ा-धूपा, पर किसी ने सुना नहीं। कुंए में गिर कर मर गया। जब पुलिस जांच करने गयी तो..... मेरी आज तबियत खराब थी, उलटी हो रही थी, जब मैंने सुना कि आज राजस्व मंत्री का विषय चल रहा है तो मैं कमरे से दौड़ा दौड़ा आ रहा हूं। मेरी तबियत बहुत खराब है। तो सिर्फ यह कहूंगा कि मेरे जिले में चकबन्दी विभाग से किसान बहुत पीड़ित हैं। त्राहि-त्राहि हो रही है। मैंने राजस्व मंत्री जी से इस भ्रष्ट ए0 सी0 ओ0 की शिकायत भी की। उन्होंने मेरे पास पत्र भेजा कि मैं इंक्वायरी करा रहा हूं....

श्री अधिष्ठाता--

स्वामी जी समय समाप्त।

कुंवर तेज भानसिंह--

कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई। चकबन्दी विभाग की लूट से प्रतापगढ़ जिला त्राहि-त्राहि कर रहा है। चकबन्दी की इतनी धांधली है कि जिसकी कोई इंतिहा नहीं।

तबियत बहुत खराब है, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता। फिर बोलूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय राजस्व मंत्री ने जो लेखानुदान प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। अभी हमारे विपक्ष में बैठे हुए एक साथी ने अपना मत प्रकट करते हुए कहा था कि पूर्ववर्ती सरकार ने एक सामाजिक परिवर्तन का काम किया और उसे क्रांति की संज्ञा उन्होंने दी थी। मैं बड़े ही नम्र शब्दों में उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उनकी यही क्रांति थी। क्या यही सामाजिक परिवर्तन था? भूमि आवंटन का उस समय जो नाटक चल रहा था उससे कितने व्यक्ति प्रभावित हुए थे? जहां तक मैं समझता हूं भूमि का आवंटन केवल समाचारपत्रों या रेडियो पर होता था। सही मानों में कब्जा किसी को नहीं मिलता था। प्रतिदिन घोषणाएं हो जाया करती थीं बर्जनों बार प्रसारित हो जाता था कि इतनी-इतनी भूमि हरिजनों और निर्बल वर्ग में आवंटित कर दी गयी। वास्तविकता कुछ और थी। न ही उस समय परगनाधिकारियों को यह अधिकार प्राप्त था कि अगर इस तरह से गलत आवंटन हो रहा था तो उसको रद्द भी कर सकते थे।

मान्यवर, जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता में आने के पूर्व जो जनता से वायदे किये थे उसी के अनुरूप, सत्ता संभालने के कुछ दिन पश्चात् ही सब से पहला काम उसने किया सवा तीन एकड़ तक लगान माफी। आप यह कह सकते हैं कि सवा छः एकड़ की खेती अलाभकर है, उसका लगान माफ होना चाहिये था। मैं भी यही कहता हूं कि सवा छः एकड़ तक माफ होना चाहिये लगान, लेकिन सवा तीन एकड़ तक लगान माफी के अर्थ हैं कि उस दिशा में आपने एक कदम बढ़ाया है। पूर्ववर्ती सरकार ने आखिर यहां पर कोई पैसा तो छोड़ा नहीं था। इतना पंगु सरकार को बना दिया था कि उसके पास इतनी धनराशि नहीं थी कि वह सवा छः एकड़ तक लगान माफ कर दे। इसलिये एक कदम उठाया गया और अभी गत जुलाई में उस सवा तीन एकड़ पर जो विकास कर लगा हुआ था उसको भी समाप्त कर दिया। वह भी एक क्रांतिकारी कदम है।

मान्यवर, सबसे पहला काम जनता पार्टी ने सत्ता में आते ही यह किया कि वास्तविक जो भूमि के पाने के हकदार लोग हैं उनको भूमि मिले, इसलिये परगनाधिकारियों को यह अधिकार प्रदान किया कि वह आवंटियों को कब्जा दिलायें। मान्यवर, त्रुटियां हो सकती हैं, कमियां भी हैं, उनकी ओर मैं राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा लेकिन यह कहना कि जनता सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है, सर्वथा सत्य से परे है।

श्रीमन्, आप कहते हैं कि लगान माफी सवा छः एकड़ तक होनी चाहिये, सवा तीन एकड़ तक नहीं होनी चाहिये। लेकिन सवा तीन एकड़ लगान माफी से 40 लाख व्यक्ति प्रभावित और लाभान्वित हुए हैं। लगान बढ़ाने की जो बात कही जाती है कि लगान बढ़ गया है, सही है। चाहिये तो यह था कि इस सरकार ने शासन में आने के पूर्व अपने घोषणा पत्र में तथा चुनाव प्रचार में जो यह कहा था कि हम बढ़े हुए लगान को कम करेंगे, उन आश्वासनों के देखते हुए चाहिये तो यही था कि उसको कम किया जाता, फिलहाल न बढ़ाया जाता, क्योंकि इससे लोगों को कुप्रचार करने का अवसर मिल जाता है (लाल बत्ती जलने पर) मान्यवर, थोड़ा समय और दे दें।

श्री अधिष्ठाता—

2 मिनट में आप समाप्त करें।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी—

मान्यवर, हमारे जनपद उन्नाव में भूमि समस्या को लेकर आये दिन विवाद होते रहते हैं। सरकार को उसका कोई स्थायी हल निकालना है। सबसे पहले तो मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे यहां जिन गांव में चकबन्दी

[श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी---]

नहीं हुई है वहां चकबन्दी करायी जाय। पुरवा तहसील में अकबरपुर सवाइन गांव में हजारों एकड़ जमीन पर आतंककारियों ने जबरन कब्जा जमा रखा है। तहसील सफीपुर में एक-एक दो-दो हजार बीघा जमीन पर लोग कब्जा किए बैठे हैं। लगान कोई देता है, फसल कोई बोता है, काट कोई लेता है। उसका फायदा कोई उठाता है। तहसील वाले और पुलिस वाले उनसे मिले रहते हैं वे भी खूब खाते-पीते रहते हैं। मेरा राजस्व मंत्री जी से अनुरोध है कि तहसील पुरवा में, सफीपुर, अकबरपुर, सवाइन आदि गांव में जहां-जहां चकबन्दी नहीं हुई है वहां चकबन्दी करायी जाय। चकबन्दी में भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त है।

तहसील सफीपुर के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का बन्दोबस्त कराया जाये, बाढ़ के कारण भी हमारा जिला बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके लिए मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि परियर से गहरपुरवा तक बांध शीघ्र बनवाने की कृपा करें। इससे वहां की काफी समस्यायें हल हो जायेंगी। बन्दोबस्त कराना भी बहुत जरूरी है।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किये हैं उन पर बोलते हुए मुझे यह कहना है कि आज मुझे यह कहने में खुशी भी होती है और तकलीफ भी होती है कि जो समस्यायें हैं वे केवल आज की ही नहीं हैं, पुरानी हैं और मैं तो यह कह सकता हूं कि यह इतना महत्वपूर्ण विभाग है और इसमें भ्रष्टाचार पहले भी था और अब भी है। कोई मंत्री भी अगर यह कहे कि हमारे जिले में भ्रष्टाचर इस विभाग में नहीं है तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं। अगर पुराने राजस्व मंत्री होते और वे इसे कहते तो भी मैं नहीं मानता, आज के राजस्व मंत्री अगर यह कहेंगे तो भी मैं इसे नहीं मानूंगा। सबसे बड़ी कठिनाई आज इस प्रदेश में यह है कि इस राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार के नाम पर जैसी तहसीलों की हालत है, मैं जानता हूं कि राजस्व मंत्री प्रयास कर रहे हैं, कोशिश इस संबंध में कर रहे हैं मैं उनको बधाई देता हूं। और भी मंत्रियों ने प्रयास कियेहैं, लेकिन क्या किया जाय मेरे पास कोई सुझाव नहीं है लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें। तहसीलों में, जिलों में, राजस्व विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार है। चाहे चकबन्दी हो, चाहे कलेक्टरी हो, चाहे तहसील हो, बड़ा भ्रष्टाचार है।

मैं एक चीज को सदन के सामने रखना चाहता हूं मैंने एक पत्र भी इस संबंध में दिया है। हमारी तहसील में हजारों रुपयों का कपड़ा बंटने के लिये गया था। पिछले दिनों में, कांग्रेस के जमाने की बात है। मैंने मंत्री जी से कहा, कलेक्टर से कहा। मुझे मालूम हुआ कि नायब तहसीलदार लोग खा गये। मैंने 6 महीने पहले इस संबंध में पत्र दिया था कि इसको जांच होनी चाहिये। हुआ क्या? जब मालूम हुआ कि जांच होने वाली है तो फर्जी रसीदें लाकर रख दी गयीं। अभी भी जांच कराई जाय तो कम से कम आधे लोग अब भी कहेंगे कि हमको कपड़ा नहीं मिला है। इसी तरह से चकबन्दी की हालत है इस पर मेरा खयाल है कि मंत्री जी विचार करने की चेष्टा जरूर करेंगे। हरिजनों को पट्टे दिये गये हैं। हरिजनों को काफी संख्या में पट्टे दिये गये हैं, मैं ज्यादा नहीं इसमें जाना चाहता क्योंकि हम सभी समय से बंधे हैं। अभी माननीय श्यामदेव जी ने एक बात वाराणसी के संबंध में कही मैं उसकी बिल्कुल ताईद करता हूं क्योंकि मैं उसी जिले से आता हूं। मेरे पास आज एक अर्जी इस संबंध में आई है, हरिजनों के पट्टे की बात है। वहां पर बरईपुर एक गांव है। वहां पर पट्टे दिये गये हैं और कब्जा दिया गया है। मैं खुद देख कर आया हूं। जोत तो वह लोग रहे हैं लेकिन वहां पर एक बड़ा आदमी गांव का रहने वाला है जिसका कचहरी से ताल्लुक रहा है और दलालों से ताल्लुक

रहा हूं। तो उस पर उसने 198 की कार्यवाही करा दी। दो वर्ष से वह लोग जुताई कर रहे हैं, फसल खड़ी है। लेकिन वह स्टे आर्डर ले आया। अब फसल की कटाई दूसरे लोग करेंगे। तो इसके लिए क्या किया जाय? कोर्ट की प्रोसीडिंग से कैसे बचा जाय। तीन वर्ष की सजा की व्यवस्था आपने की है तो वैसे ही कोई न कोई बात इसमें सोचें। मौके पर एस0 डी0एम0 जाकर देखें। मैं वहां खुद गया, उस आदमी के पास गया। उसने कहा कि हमें खेल के लिए मैदान चाहिये।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

आपसे बड़ा आदमी था।

श्री श्यामधर मिश्र--

मुझसे तो आप ही बड़े आदमी हैं। मान्यवर, 34 बीघे जमीन है जिसमें से 3 बीघे इन लोगों को मिली है। 31 बीघे खेल के मैदान के लिये बाकी है। तो इसकी जांच की जाय। एक बात और कहूंगा कि वहां एक तहसील ज्ञानपुर है। राबर्ट्सगंज मिर्जापुर के बगल में है। राबर्ट्सगंज से बराबर मांग आती है कि उसको एक जिला बनाया जाय। आज की मांग यह है कि ज्ञानपुर को भी जिला बनाया जाय और बनारस से, शतरुद्ध प्रकाश के जिले से अलग किया जाय ताकि वहां पर उद्योगों की तरक्की हो। मैं अंतिम बात कहकर बैठ जाऊंगा। मैं कहना चाहता हूं इंदराज के बारे में, दाखिल खारिज के बारे में। आपने कहा कि कुछ करने जा रहे हैं तो जो भी आप करने जा रहे हैं वह करें लेकिन ऐसी चीज करें जो कि सचमुच व्यवहारिक हो जाय। यह वकीलों के अन्दर रोज जो लड़ाने की प्रवृत्ति है उसको बन्द करायें। इस हरिजन को 50 तारीखों के बाद, 100 मील आने जाने के बाद और हजार रुपया खर्च करने के बाद उसको बेदखल किया जाता है। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती शशि प्रभा (जिला प्रतापगढ़)--

मान्यवर, मेरा क्षेत्र कुंडा ग्रामीण क्षेत्र है जो कि प्रतापगढ़ के जनपद की एक छोटी सी तहसील है और वह जिले से काफी दूर है। मान्यवर, कुंडा में काफी धांधली है क्योंकि मशीनरी में कोई तबदीली नहीं आयी है। यदि इस पर कोई ध्यान न दिया गया तो जनता सरकार के सारे कार्यक्रम भ्रष्ट कर्मचारी चौपट कर देंगे। मेरा क्षेत्र गंगा के किनारे से मिला हुआ क्षेत्र है जहां की कछार इलाके की भूमि का बन्दोबस्त नहीं किया गया है। करकस एवं बड़े आदमी जबरदस्ती भूमि पर कब्जा भूमिहीन बन कर किये हुए हैं और हजारों एकड़ जमीन पर लाभ उठा रहे हैं। इसी प्रकार मान्यवर, चकबन्दी में भी धांधली हुई है। गरीब आदमी या तो भूमिहीन बना दिया गया है या उसकी कतिपय अच्छी जमीन बड़े लोग जबरदस्ती कब्जा किये हुए हैं। गरीब को ऊसर की भूमि दे दी गयी है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगी कि सरकार इसे रोकने पर क्या तरीका अपनावेगी? यह एक बहुत ही गंभीर विषय है। इस पर विचार करना ही होगा। वैसे लगान में किसानों को सहायता देना अवश्य है किन्तु हर प्रकार की सुविधा किसान को देना जरूरी है। दैवी प्रकोपों के समय किसी भी तरह की वसूली होना ठीक नहीं है बल्कि उसमें जो कुछ छूट देना हो देकर के किसान के ऊपर कई वर्षों का बोझ एकदम न लाद कर छुटकारा देना आवश्यक है।

मान्यवर, भूमि आवंटन में भूमि भूमिहीनों को न देकर ऐसे व्यक्तियों को दी गयी है जिनके बाप दादा के नाम काफी मात्रा में भूमि है। इस पर सरकार यदि रोक नहीं लगाती तो गरीब लोग वैसे ही गरीब रह जायेंगे। पुरानी परम्परा के बदले बिना काम चलने वाला नहीं है। कोरे भाषण या सरकार का नाम बदल देने मात्र

[श्री मती शशिप्रभा –]

से भ्रष्टाचार का उन्मूलन न हो सकेगा। किसानों, गरीबों का कोई इससे सही फायदा नहीं होगा ? छोटे कर्मचारियों को हम तभी दोषी ठहरा सकते हैं जब कि बड़े अधिकारी अपने दौरों के समय उन पर बोझ न बनें। इतना कहकर मैं राजस्व मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करती हूं।

*श्री जगन्नाथ प्रसाद —

अधिष्ठाता महोदय, कटौती के प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष के तमाम माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये। मैं समझता हूं कि अधिकतर माननीय सदस्यों ने मेरा समर्थन ही किया और विरोध किसी ने ही शायद किया हो। इसलिए मैं मंत्री जी का ध्यान एक बार फिर भूमि वितरण समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि इस प्रदेश का लाखों गरीब आज बहुत दुखी है। कागज और पट्टे लेकर वह घूमता है लेकिन उसको सुनने वाला कोई नहीं है। तीन-तीन दिन तहसीलों और कचहरियों में पड़ा रहता है लेकिन उसको उसकी जमीन पर कब्जा नहीं मिलता है। जितने सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं, इस माननीय सदन के जो देहातों से वास्ता रखते हैं जिनका गरीब से ताल्लुक है वह सभी दुखी हैं और मैं भी दुखी हूं। और मैं समझता हूं कि माल मन्त्री जी भी हमारे दुःखित होंगे वैसे वह ताल्लुकेदार परिवार से आते हैं। उनके जिले में ऐसी समस्यायें नहीं हैं सीलिंग इत्यादि कि जितनी तराई के जिले में हैं क्योंकि हम लोगों के यहां तराई जिले में हजारों एकड़ जमीन सीलिंग की निकल गई। इस मकसद के लिए कि वह गरीब तक पहुंच सके लेकिन वह गरीब तक नहीं पहुंची और उस का दुरुपयोग हुआ और आज जब पिछले मर्तबा माननीय मन्त्री जी से हम ने निवेदन किया, सभी ने निवेदन किया था तो मन्त्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि 31 मार्च तक हम इसका समाधान कर लेंगे लेकिन हमको अफसोस होता है यह देखकर। हम तो मौके पर रहते हैं वास्तविकता जानते हैं। कोई हल कभी भी हो सकता है। पांच–दस फीसदी लोगों को मन्त्री जी ने कब्जा दिला दिया हो लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। इस माल के महकमे में बहुत पुराने अच्छे अधिकारी यहां सेक्रेटेरियट लेवल पर हैं। हमारे संयुक्त सचिव हैं, उप सचिव हैं और मंगल देव विशारद कमेटी मान्यवर, जो प्रदेश में बनी थी जांच करने के लिए मैं जानता हूं कि उस में उपसचिव थे श्री मलहोत्रा, उस कमेटी के वह सचिव थे। माननीय मन्त्री जी को यहां पर स्टेट लेवल पर कोई कमेटी गठित करनी चाहिए, स्वयंड बनायें और जांच करवायें कि कहां–कहां पर इस तरह के मामलात हैं, मौके पर दिखवायें और उन का सुधार करें। इस तरह से कल्याण हो सकता है। स्वयं भी जहां कहीं मौका मिले

(इस समय 3 बजकर 28 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

उन को देखना चाहिए। वैसे हम तो निराश हो चुके हैं। हम समझते हैं कि इतने दिन हो गए लेकिन कुछ नहीं कर पाए। यदि हम देखेंगे कि गरीब के साथ हमारी जो सरकार है वह काम कर रही है, उनको कब्जा दिला रही है, उनके मामलों को हल कर रही है तो हमें ताज्जुब होगा। एक बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं :—

निर्बल को मत सताइए जिसकी मोटी हाय

मुई खाल की स्वास सों सार भसम हो जाय।

अगर गरीबों का मसला नहीं होता तो फिर आज जय प्रकाश बाबू क्यों कहते हैं कि समग्र क्रान्ति होगी मुल्क के अन्दर तब कल्याण होगा। इसलिए मैं मन्त्री जी से निवेदन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करता हूं। एक ही मसले पर मैं इस सदन में बहुत ज्यादा जोर देता हूं और आज फिर जोर देता हूं कि भूमि वितरण की समस्या को, गांव समाज की जमीन को आवंटित करने को, सीलिंग को, इस को मौके पर हल करें, वास्तविकता को समझें और फर्जी आंकड़ों पर विश्वास न करें।

इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को जो पेश किया है पास करने के लिए माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं।

श्री शारदा भक्त सिंह---

मान्यवर, मैं सभी सदस्यों का बड़ा आभारी हूं जिन्होंने अपने मूल्यवान सुझाव रखे और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी कदम इस सम्बन्ध में उठाने चाहिए उनको उठाने का प्रयत्न करूंगा।

पहली बात जो सभी माननीय सदस्यों ने कही है कि मैंने आदेश दिए थे कि 31 मार्च तक जितनी भी भूमि आवंटन के नए पट्टे हुए हैं उनको वास्तविक कब्जा दिला दिया जाय। मैंने आंकड़े सदन के सामने रखे लेकिन जब एक बार अविश्वास हो जाता है तो चीज हाथ पर हो तब भी विश्वास नहीं होता है। मैं यह नहीं कहता कि सारे लोगों को कब्जा मिल गया, समस्या का समाधान हो गया लेकिन इसके लिए पहले कि कड़ाई से उस पर अमल किया जाय जिन्होंने अपराध किए हैं, इस काम में उपेक्षा की है, उनको दण्ड दिया जाय, यह हो सकता था कि एक बार पूरे मामले को देखकर उस की जांच करा ली जाय। मैं स्वयं लगभग 25-26 जिलों में गया हूं और मैंने जिलाधिकारियों से स्पष्ट बात कही है कि 31 मार्च तक समय दिया था और एक महीना और दे दिया है, 30 अप्रैल तक वास्तविक कब्जा दिला दिया जाना चाहिए, कागजी काम नहीं होना चाहिए और इसकी जिस दिन पूरी जानकारी हो जाय पूरी छानबीन हो जाय उस दिन हम चुनौती स्वयं करेंगे।

मैंने उनसे यह भी बात कही है जिस स्थान पर वह कहेंगे मैं उनके साथ जाऊंगा और यह देखूंगा कि जिन केसेज के बारे में उन्होंने कहा है उनके बारे में आवश्यक कार्यवाही हुई है या नहीं। और अगर किसी प्रकार की गलती उसमें मिली तो हम कोई ढिलाई नहीं करेंगे। हम कागजी काम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हर पट्टे की छानबीन हो, कब्जा दिलाया जाय और जो कठिनाई हो उसे हमारे सामने लाया जाय। यदि हमने 80 फीसदी काम कर लिया, दो फीसदी छोड़ दिया और जो लोग उसे चुनौती देते हैं और उसमें कमी मालूम हुई तो वह काम बेकार हो जायगा। रिपोर्ट मंगाने पर कहा कि 1 महीना और देखेंगे। मैं भी इतनी जल्दी नहीं करना चाहता कि काम ठीक न हो। माननीय सदस्यों को मैं यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि मुझे इसमें कोई कठिनाई दिखाई नहीं देती कि मौके पर गरीबों को कब्जा नहीं मिलेगा। अप्रैल के मास में सारी छानबीन हो जाय। उसके बाद देरी हो तो स्वयं देखूंगा, अधिकारी भेजूंगा, सारे प्रयत्न मैं करूंगा कि जो भी कमी उसमें दिखाई दे उसमें दण्ड दिया जाय। मैं कोई प्रचार इस काम का नहीं करना चाहता। मेरी इच्छा है कि जिन गरीबों को जमीन मिली है लेकिन उनको वास्तविक लाभ नहीं मिल सका है तो अगर थोड़ा प्रयत्न करके यह काम किया जा सके तो मैं समझूंगा कि बहुत बड़ा काम हो गया। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि गरीबों को कब्जा मिलेगा। यह बात जरूर है कि आततायी हर स्थान पर हैं। डकैती और कत्ल होते हैं। ऐसा कोई उद्दंड आदमी है और वह लाठी का सहारा लेता है तो उसके लिये यह विश्वास दिलाता हूं कि वह दण्ड से नहीं बचेगा। तीन वर्ष की सजा का हमने प्राविधान किया है यह सही है लेकिन अगर बलपूर्वक कोई फिर कब्जा कर ले, कोई ऐसा केस मिले तो प्रचार करने से लाभ नहीं होगा थाने में रिपोर्ट करिए। यह दस्तअन्दाजी जुर्म करार दिया गया है, उसकी जांच हो ग और 3 वर्ष की सजा वह दस्तन्दाजी जुर्म में पाएगा। मैं आश्वासन देता हूं कोई भी ऐसी

[श्री शारदा भक्त सिंह---]

रिपोर्ट जो थाने में होगी तो गलत जांच नहीं चल पाएगी, जो भी अपराधी होगा उसे दण्ड मिलेगा।

सीलिंग के सम्बन्ध में मैंने यह नहीं कहा कि 5 हजार एकड़ भूमि बांटने को रखी गई है। यह कहा था कि 5 हजार के लगभग ऐसे केसेज रह गए हैं जिनकी छानबीन करनी है। सीलिंग में अभी जमीन बहुत है। किच्छा का भी कुछ संकेत है। बड़े-बड़े फार्म्स हैं जो सीलिंग से बचे हैं। पिछले दिनों राजस्व विभाग से एक आदेश हुआ था कि 1971 से पहले किसी ने जमीन हस्तान्तरित कर दी है सीलिंग से बचने के लिए तो उसे कानून के मातहत नहीं देखा जायगा। जहां ऐसी चतुराई हुई है उसे रद्द कर दिया जायगा और उसे हम देख रहे हैं। मर्ज पुराना है, कोई मुकदमा हाई-कोर्ट में फंसा हुआ है, कोई नीचे के जज के यहां फंसा हुआ है और जिनके पास पैसा है, जो पिछले कानून को ज्यादा जानते हैं और मुकद्दमेंबाज हैं वे हर कदम पर मुकदमें का सहारा लेते हैं और इस तरह वे इसमें विलम्ब करा रहे हैं। लेकिन हमने इस सम्बन्ध में एक कमेटी बना दी है जिसमें हम लोग विचार कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सीलिंग की जमीन जिसने बचा रखी है उसको भी निकाला जायगा। जिस पटरी पर पिछली सरकार चली, उस पटरी पर हम नहीं चलने देंगे। यदि कानून में परिवर्तन की आवश्यकता होगी तो वह भी हम करेंगे। जिन लोगों की सीलिंग की जमीन बची है, जिसने इस सम्बन्ध में चालाकी की है और बचा रखी है उसको हम बचने नहीं देंगे। तो इस सम्बन्ध में हमने कमेटी बना दी है जो इन सब विषयों पर विचार कर रही है और इन सारी कठिनाइयों को देखते हुए जो आवश्यक होगा, उसे हम करेंगे।

भष्टाचार के बारे में स्थान-स्थान से कहा जा रहा है और एक निराशा की भावना पैदा हो रही है। इससे भी कितने ही लोगों ने कहा है कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, लोग आते हैं, जाते हैं, भ्रष्टाचार बना रहेगा। जैसा मैंने निवेदन किया कि एक रेवेन्यू कोड बन चुका है और उसके आधार पर हम आगे कार्यवाही करेंगे। अभी हमने तीन दिन की एक कान्फ्रेंस की थी जिसमें बड़े-बड़े अधिकारी बुलाए गए थे और उसमें इस बात पर विचार किया गया कि किन बिन्दुओं पर भ्रष्टाचार होता है, क्यों ये लोग भ्रष्टाचार नहीं रोक सकते हैं। उस तीन दिन की कान्फ्रेंस में हमने उनकी सारी बातें सुनी और हम जल्दी ही उस पर निर्णय ले रहे हैं।

हम स्वीकार करते हैं कि पिछले दिनों में चकबन्दी के मामलों में सन्तोषजनक काम नहीं हुआ है। इसमें एक बात यह भी है कि जिस तरह के अधिकारी हमको चाहिए उस तरह के अधिकारी भी नहीं हैं जो सार्वजनिक निष्ठा से गांवों की चकबन्दी कर सकें। हमने इसके लिए एक टारगेट बना दिया है कि कितने मुकदमे सी0 ओ0 और कितने ए0 सी0 ओ0 करेंगे। इससे जो हमारा लक्ष्य इन मुकदमों को फैसिला करने का है, उसमें सहायता मिल सकती है। किन्तु मुकदमों को फैसिला करने से चकबन्दी का काम नहीं हो सकता है। निगरानी तो कर सकते हैं किन्तु उसके लिए कितने अफसर नियुक्त करने चाहिए, कैसे अफसर होने चाहि इसके लिए सारी योजना लगभग बन गई है और हमको उसके लिए मन्त्रि-मण्डल की स्वीकृति भी मिल गई है। अगर इस विषय के जाने माने अफसर हमें नहीं मिलते हैं तो जो रिटायर हो गए हैं उनको भी एक दो साल तक इसमें रखने का प्रयत्न हम करेंगे। इस तरह से चकबन्दी में सुधार हो सकेगा और जो हमने भ्रष्टाचार मिटाने का संकल्प किया है उसे यदि हम जड़ से न मिटा सकें किन्तु दो साल के अन्दर हम उसमें काफी परिवर्तन लाकर भ्रष्टाचार को दूर न कर सकें तो हम यह कुर्सी भी छोड़ कर चले जायेंगे।

श्री श्यामधर मिश्र---

मान्यवर, यदि आज्ञा हो तो मैं एक सवाल पूछ लूं कि हरिजनों को जो जमीन दी गई है उस पर कुछ लोग गांवों में किसी न किसी बहाने से मुकदमा करके उनका कब्जा वापस

लेना चाहते हैं तो क्या उसके बारे में कोई प्रोसीजर आप सोच रहे हैं। क्योंकि वे अड़ंगे-बाजी कर रहे हैं। मैंने यह बात माननीय माल मन्त्री को भी एक कागज में लिखकर भेज दी है। साथ ही जिनकी जमीन के ऊपर नहरें बनाई जा रही हैं, उनके सम्बन्ध में आपने क्या अन्तिम निर्णय लिया है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

माननीय, जितने पट्टे दिए गए थे और उन पर दूसरों का कब्जा हो गया था उनको निरस्त करने की कार्यवाही धारा 198 (4) के अन्तर्गत होती है और उस पर मुकदमा चलाते हैं। लेकिन जिसकी ज्यादा चर्चा है और मैं भी जिनसे ज्यादा चिंतित हूं, वह यह है जो सार्वजनिक भूमि के पट्टे कांग्रेसी शासन में कर दिए गए थे हजारों की संख्या में, लोग उस पर काबिज हो गए, लेकिन बाद में कांग्रेसी शासन में ही उस स्थिति पर विचार हुआ और उस पर दूसरे निर्देश दिए गए कि जो सार्वजनिक भूमि उल्लिखित है या चकबन्दी में सार्वजनिक कामों के लिए जो छोड़ी गई है, उसे आवंटित कर दिया गया है तो 198 में से निरस्त कर देना चाहिए। इसलिए शासन की ओर से स्वयं हजारों मुकदमें चलाए गए हैं, जो कि सरकार के दूसरे निर्णय होने के बाद स्थिति पैदा हुई है। लेकिन इस चीज का प्रचार इस तरह से किया जा रहा है कि पट्टे हम कर गए और जनता सरकार उन्हें खाली करा रही है। जबकि वस्तु-स्थिति यह है कि कांग्रेस सरकार के आदेश से पट्टे दिए गए थे और उसी ने आदेश निकाले कि पट्टे खारिज किए जाएं।

श्री श्यामधर मिश्र---

आप नहीं व्यक्ति लोग खारिज करा रहे हैं। आपकी तरफ से हो तो समझ सकता हूं, किन्तु व्यक्ति लोग हैरेसमेन्ट के लिए ऐसा करते हैं और कर रहे हैं। तो उसमें आपका सहयोग होना चाहिए।

श्री शारदा भक्त सिंह---

आपने कहा कि जो लोग सबल हैं, गरीबों को सताने के लिए ही मुकदमा करते हैं। इसमें हमारी मजबूरी है कि "रूल आफ ला" को हमने माना है, कानून में कोई मुकदमा कर सकता है और मुकदमा दायर कर दिया है तो हम अदालतों के दरवाजे यह कहकर बन्द नहीं कर सकते हैं कि इसमें उसे 'हैरस' किया जा रहा है, इसलिए मुकदमा न चले। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि प्राईमा फेसी जो गलत मुकदमें हैं, उनको आगे न चलने दिया जाय। जो कानून में हैं, वही मुकदमा दायर होते हैं। इसी तरह से यह भी सूचना मिली है कि फौजदारी में इस्तगासा दायर कर देते हैं लोग और गरीबों लोगों को दौड़ाते हैं। ऐसे मुकदमों का हम फैसला ही जल्दी करा सकते हैं।

जहां दूसरी बात कही है, जहां पर जलमार्ग, नहरें बनाने का सवाल है इसके बारे में मैंने निवेदन किया था, कितने चक बन गए हैं या दफा 52 का प्रकाशन नहीं हुआ है, वहां पर यह है कि सार्वजनिक भूमि से कटौती होकर ऐसे सार्वजनिक काम बनाए जाएं। यह भी आदेश दिए गए हैं कि यदि सार्वजनिक काम में भूमि का एक्वीजीशन होता है और यदि साढ़े छः एकड़ से नीचे का किसान है और भूमि अध्यापित होकर उसके पास सवा 3 एकड़ से कम जमीन रह जाती है, तो उसको उतनी भूमि देकर सवा तीन एकड़ तक का किसान अवश्य रखा जाएगा। हमारा सिद्धान्त है कि नहर या जलमार्ग आदि के कारण कोई भूमिहीन न हो जाए। यदि ऐसा होगा तो हम दूसरों से अध्यापित करके उनको देंगे। इसलिए भूमिहीन होने की किसी की स्थिति नहीं आनी चाहिए, न ही आने दी जायगी। जहां दफा 52 का प्रकाशन हो गया है, या चक दे दिए गए हैं, उस पर भी हम विचार कर रहे हैं और गम्भीरता से विचार कर रहे हैं कि कोई रास्ता निकाला जा सकता है तो वह निकाला जाय और उस पर भी अन्तिम निर्णय होने पर हम कुछ अवश्य कर सकेंगे। देखना पड़ेगा कि इसमें

[श्री शारदा भक्त सिंह]

क्या कठिनाई है, कानून में क्या परिवर्तन करने होंगे। उस सम्बन्ध में विचार के लिए कमेटी बैठी हुई है और हम उस पर निर्णय लेकर उसे शीघ्र लागू करेंगे।

श्री विद्याशंकर (जिला प्रतापगढ़)—

गांव समाज के जो लोग जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, उसके लिए जमींदारी एबालिशन ऐक्ट की धारा 115 (सी) और 122 (सी) बनी हुई है। होता यह है कि गांव का सभापति ग्राम के जबरदस्त अर्थात् सबल आदमी से मिल जाता है और लेखपाल भी उसकी रिपोर्ट नहीं करता है। इसलिए यह जो रूल बना हुआ है, उससे गांव की सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा नहीं हो रही है। अतः मैं यह जानना चाहूंगा कि इस स्थिति को देखते हुए क्या मन्त्री जी इस रूल में कोई संशोधन करने का विचार कर रहे हैं?

श्री शारदा भक्त सिंह—

इस सम्बन्ध में 115 (सी) की कार्यवाही में पहले जुर्माना कम था। यह शिकायत की गई कि ग्राम समाज की जमीन पर जबरदस्ती लोग कब्जा कर रहे हैं। इस पर जुर्माना काफी कर दिया। जैसा कि माननीय जगन्नाथ प्रसाद ने कहा बहुत बड़ा है, अब यह मांग हो रही है कि जुर्माना माफ किया जाना चाहिए। जब कोई गांव समाज की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करता है और उस पर जुर्माना होता है तो मांग होती है माफ कर दिया जाय। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनको प्रोत्साहन मिलेगा। पहले से कड़ी कार्यवाही है। कड़ाई से कार्यवाही की जायगी।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

इसका कहीं अन्त होगा या नहीं?

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं, मान्यवर। 27 जनवरी, 1977 को एक आदेश किया है कि सारे सीरदार भूमिधर बन गए। जिन लोगों ने पहले 134 में भूमिधरी दाखिल की है और भूमिधर नहीं बनाए गए, उनके केसेज वेटिंग में पड़े हैं। 27 जनवरी, 1977 के पहले जिन्होंने भूमिधरी दाखिल की थी, उनको फाइनल कराने का आदेश करेंगे?

श्री शारदाभक्त सिंह—

जिन्होंने 1977 से पहले प्रार्थना-पत्र दिया था कि कायदे से उनको भूमिधर बना दिया जाय, जब इस विधान सभा में अधिनियम बना दिया गया, सभी सीरदार भूमिधर हो गए, तो भूमिधर बनाने का प्रश्न नहीं उठता। वह भूमिधर स्वयं कानून से बन गए। जहां तक पैसे का सवाल है इंडिविजुअल केसेज हैं, तय करेंगे कि पैसा जमा किया या नहीं।

श्री मित्रसेन—

भूमिधरी दाखिल किया है। वह या तो वापस हो जाय या जो केसेज वेटिंग में पड़े हैं उनको फाइनल किया जाय।

श्री शारदाभक्त सिंह—

ऐसे हमारी सूचना में आयेंगे तो कार्यवाही अवश्य करेंगे।

श्री विजयराज सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मेरा कहना यह था कि जो अध्यापित करने की कार्यवाही कर दी गई है उसको एस० डी० एम०, जिलाधीश निरस्त करते नहीं और ग्राम सभा की जमीन उपलब्ध है। शासन ऐसा आदेश कर दे कि वह पुनर्विचार करेंगे।

श्री शारदा भक्त सिंह—

आदेश है। लेकिन शासन के सामने ऐसे केसेज आयें तो हम ऐक्शन ले लेंगे।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

जहां चकबन्दी हो रही है और दफा 52 का प्रकाशन नहीं हुआ है वहां जमीन एक्वायर करके सिंचाई विभाग ने नहर खुदवाना शुरू कर दिया है। बहुत से किसानों के खेत ले लिए हैं और वह भूमिहीन हो रहे हैं। जब तक उनको जमीन न मिल जाय तब तक नहर खुदवाना बन्द कराने की कृपा करेंगे?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, इसमें थोड़ी सी गलतफहमी है। जब से जनता पार्टी की सरकार ने शासन अपने हाथ में लिया आदेश दिया है कि अगर भूमि अध्याप्त की जाती है और किसी के पास तीन एकड़ से कम रह जाती है। तो उसको पूरा करने के लिए बड़े काश्तकारों से भूमि अध्याप्त कर ली जाय। अगर पहले अध्याप्त कर ली गई है तो उसके लिए रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से करना मुश्किल है।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

आपात स्थिति के दौरान भूमिहीनों को भूमि बांटी गई। अभी एक महीने पहले प्रदेश के सारे जनपदों में भूमिहीनों को नोटिस मिले कि यह जमीन खलिहान में ले ली गई है और यह पट्टे निरस्त कर दिए जायं। कांग्रेस सरकार की गलती से ऐसी जगह भूमि दी गई और अब वह जमीन ली जा रही है। हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं तो इसको ध्यान में रखते हुए क्या मन्त्री जी इसकी पुनः जांच करवा कर भूमि न छीनने के लिए आदेश देंगे?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि के पट्टे कर दिए गए थे और उसी शासन के आदेश से निरस्त हो रहे हैं। जमीन काफी है और चारों तरफ से शिकायतें आ रही हैं। इस समय इतना ही कह सकता हूं कि उस पर भी विचार कर रहे हैं कि जिनके पास ऐसी भूमि है उसके लिए क्या किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

माननीय जगन्नाथ प्रसाद जी, क्या आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेते हैं?

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

अगर भूमिहीनों की समस्या के लिये कुछ हल हो गया होता तो मैं वापस ले लेता, लेकिन खेद है कि उस समस्या का हल नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 7-भू-राजस्व के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 7-भू-राजस्व के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 32,27,32,400 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–41 के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग को राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 41–दैवी आपदाओं के कारण सहायता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,48,38,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 79–के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 79–जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,09,100 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

आज श्री गुलाब सेहरा द्वारा सदन के संज्ञान में लायी गयी सूचना पर श्री सुखपाल पाण्डेय द्वारा की गई टिप्पणी को कार्यवाही से निकालने की श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मान्यवर, एक प्वाइन्ट आफ आर्डर का प्रश्न है ।

जैसा कि आपको ज्ञात है, शून्य प्रहर में मैंने हरिजन उत्पीड़न के सम्बन्ध में बांदा की एक घटना का जिक्र किया था और सदन में उसको पढ़ा था । उस पर जनता पार्टी के एक सदस्य श्री सुखपाल पाण्डेय जी ने उस पर एक कमेन्ट, व्यंग्य हल्केपन का व्यंग किया था । वह व्यंग्य कार्यवाही में यह है कि [× × ×]
तब, मान्यवर, आपने जवाब दिया था कि–बेहतर है आप गुलाब सेहरा से बात कर लें।

अध्यक्ष जी, आप जानते हैं और भलीभांति मुझसे परिचित है कि मैं अनुसूचित जाति का व्यक्ति हूं और मेरे पिता जी आपके साथ विधायक रहे हैं । जब इस तरह की घटनायें हरिजनों के उत्पीड़न की और विशेषकर जब अनुसूचित जाति के लोगों की बहन बेटियों की इज्जत खुलेआम लूटी जाती है, तब उससे बड़ी वेदना होती है । ऐसी चीजों को, मान्यवर, कोई खुशी के साथ नहीं उठाता । लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जो अकुलाहट हरिजनों में इस वक्त है, जो असुरक्षा की भावना वे इस वक्त फील कर रहे हैं, और जब उनकी स्थानीय थानों में सुनवाई

नोट :—(× ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

नहीं होती, और तब वे हमारे पास आते हैं और हम उसको यहां उठाते हैं, तो जनता पार्टी के विधायक उसमें इस तरह का व्यंग करते हैं । मान्यवर, यह हरिजनों का उत्पीड़न, जिसमें उनकी इज्जत इनवाल्व है, उस पर अगर व्यंग और हल्कापन करते हैं, तो वह अच्छी बात नहीं होगी । मेरा कहना है कि अगर मान लीजिये उन्होंने व्यंग किया है तो मैं समझता हूं कि जो हरिजनों पर उत्पीड़न हो रहा है और उनकी बहू-बेटियों पर खुलेआम बलात्कार किया जा रहा है, तो क्या उनका व्यंग शासन का प्रतिनिधित्व करता है ? अगर शासन का प्रतिनिधित्व नहीं करता, तो मान्यवर, इस समय मुख्य मंत्री जो सदन में मौजूद हैं, आप उनसे कहें कि वह इस बात को कहें कि इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

तो मैं समझूंगा कि वह हरिजनों की घटनाओं को गम्भीरता से लेते हैं । हरिजनों का जो उत्पीड़न बढ़ रहा है उससे वहां का वातावरण विषाक्त होगा ।

हद से गुजर जाती हैं जब इंसान की परेशानियां ।
अमन पसंद भी बागी हो जाता है ।।

ऐसी स्थिति आने वाली है कि हरिजन बागी न हो जाये । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी स्पष्टीकरण दें ।

श्री अध्यक्ष---

यह माननीय मुख्य मंत्री जी से सम्बन्धित नहीं है । मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि जो बात कही गयी है उसको गम्भीरता से नहीं लेना चाहिये । उभय पक्ष के लोग इस तरह की घटनाओं से चिन्तित हैं और सभी इससे दुःखी हैं । यदि आपको दुःख हुआ है तो माननीय सुखपाल पाण्डेय जो कभी-कभी वह हस्तक्षेप करते हैं, उसको मैं कार्यवाही से निकालने के आदेश देता हूं ।

निगम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

नियम 51 के अन्तर्गत जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं, उनमें एक श्री दशरथ सिंह को दिनांक 12 अप्रैल, 1978 को थानेपुर जिला गोन्डा के थानाध्यक्ष द्वारा राम रंग होमगार्ड को थाने में बुरी तरह पीटे जाने के कारण उसकी मृत्यु के सम्बन्ध में है । इसको मैंने स्वीकार किया है । आज श्री शतरुद्ध प्रकाश, श्री राम आधार राय और श्री रवीन्द्र सिंह ने दिनांक 12 अप्रैल, 1978 को जनपद वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय के प्रांगण में पुलिस द्वारा 9 छात्रों को गिरफ्तार किये जाने तथा विश्वविद्यालय में आगजनी तथा तोड़-फोड़ की घटनाओं के कारण शैक्षणिक वातावरण अस्त-व्यस्त होने के सम्बन्ध में सूचना दी थी । मैंने कल ही इस सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री जी को निर्देश किया था कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दे दें और जब यह सूचना मिली तो मैंने माननीय शिक्षा मंत्री के पास इस निर्देश के साथ भेज दिया कि इस सम्बन्ध में वह वाराणसी से सम्पर्क स्थापित करें और इसको उसमें समाविष्ट कर दें ।

श्री रामआसरे वर्मा ने प्रदेश के 15 गैर सरकारी होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के लगभग 8000 छात्रों द्वारा विगत 2 मई, 1977 से आन्दोलन तथा राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई उचित कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में एक सूचना दी है । इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य मंत्री जी विस्तार से वक्तव्य देंगे इसके लिये आदेश दिये जा चुके हैं । इसलिये मैंने इसको स्वीकार नहीं किया है ।

श्री जनार्दन ओझा को मोहन मीकिन्स ब्रोवरीज मोहन नगर द्वारा करोड़ों रुपये के काले धन्धे की जानकारी से प्रदेश में व्यापक प्रतिक्रिया एवं जनविरोध के सम्बन्ध में सूचना है । इसको मैंने स्वीकार नहीं किया है ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

एक सूचना मैंने दिया था उसको कार्यवाही के लिये भेज दें ।

श्री अध्यक्ष—

वह मैं देख लूंगा ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

शिक्षा मंत्री जी कब वक्तव्य देंगे ? वह मौजूद हैं, तो वह बयान कब देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

थोड़ा धर्य रखिये वह वक्तव्य देने वाले हैं ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री जी गोन्डा वाली सूचना के बारे में वक्तव्य कब देंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)—

18 तारीख को दे देंगे ।

खतौली, जिला मुजफ्फरनगर में श्रीमती इन्दिरा गांधी की कार पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

अब हम आइटम नं0 14 लेते हैं ।

*मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)—

मान्यवर, जिला मुजफ्फरनगर से प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती इन्दिरा गांधी दिनांक 31मार्च, 1978 को सायंकाल लगभग 6 बजे सहारनपुर जनपद से मुजफ्फरनगर जनपद में आईं और उन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी (आई) द्वारा आयोजित एक विशाल सार्वजनिक सभा को सम्बोधित किया । प्रशासन की ओर से इस अवसर पर शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये पूर्ण व्यवस्था की गई थी जिसके फलस्वरूप सार्वजनिक सभा शान्तिपूर्वक सम्पन्न हुई ।

लगभग साढ़े सात बजे सायंकाल श्रीमती गांधी मुजफ्फरनगर से मेरठ को मैटाडोर मिनी बस द्वारा रवाना हुई जिसमें आगे दायीं तरफ चालक बैठा था और बांयीं तरफ श्रीमती गांधी बैठी थीं । उसी गाड़ी में पीछे की सीटों पर श्री नारायण दत्त तिवारी व श्रीमती मोहसिना किदवई आदि भी बैठे थे । श्रीमती गांधी की सुरक्षा हेतु उनकी गाड़ी के पीछे पुलिस का एक स्कोर्ट चल रहा था । रास्ते में जहां-जहां भीड़ होने की संभावना थी वहां भी पुलिस की समुचित व्यवस्था की गयी थी ।

लगभग 8 बजे सायंकाल जब उनकी गाड़ी खतौली पंहुची तो कई स्थानों पर सड़क के दोनों ओर एकत्रित जन समूह ने रोक कर उनका स्वागत किया। परन्तु एक स्थान पर बसन्त सिनेमा के पास जब उनकी गाड़ी खड़ी थी तो जन समूह में से किसी ने एक पत्थर फेंका जो कि गाड़ी के चालक श्री छत्तर सिंह के दाहिने गाल पर लगा जिससे उसे चोट आ गई और खून बहने लगा । साथ चल रहे पुलिस अधिकारी तुरन्त चालक छत्तर सिंह को प्राथमिक चिकित्सा हेतु एक स्थानीय प्राइवेट डाक्टर के पास ले गये और श्रीमती इन्दिरा गांधी की गाड़ी को दूसरा चालक मेरठ ले गया । चालक श्री छत्तर सिंह को प्राथमिक उपचार के बाद ही मेरठ भिजवा दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इस घटना के सम्बन्ध में यह समाचार कि श्रीमती इन्दिरा गांधी पर चाकू फेंककर हत्या का प्रयास किया गया, निराधार है ।

प्राथमिक उपचार करने वाले डाक्टर ने बताया कि चालक को चोट नुकीले पत्थर या ईंट के टुकड़े से लगी है । मुजफ्फरनगर जनपद के कांग्रेस (आई) के कार्यकर्ताओं का भी यही कहना है कि ड्राइवर को चोट पत्थर से आई है और वे लोग प्रशासन द्वारा किये गये शान्ति एवं सुरक्षा के प्रबन्ध से सन्तुष्ट थे ।

सहारनपुर की घटनाओं के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 1978 को प्रातः 10 बजे एक पत्रकार सम्मेलन का निरीक्षण भवन में आयोजन किया गया । लगभग 11 बजे पूर्वाह्न में श्रीमती गांधी जब सिंचाई विभाग के निरीक्षण गृह से गांधी पार्क को आम सभा के लिये प्रस्थान कर रहीं थीं तो घंटाघर चौराहे पर लगभग 50 प्रदर्शनकारियों ने उन्हें काले झन्डे दिखाये और उनके विरोध में नारे लगाये । इस पर युवा कांग्रेस व कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने उन्हें ऐसा करने से रोका । दोनों ओर से गर्मागर्मी हुई और मामूली झगड़ा हुआ जो स्थानीय पुलिस द्वारा उचित प्रबन्ध किये जाने के फलस्वरूप बढ़ नहीं सका और श्रीमती इन्दिरा गांधी घंटाघर से कुशलतापूर्वक सभा-स्थल, गांधी पार्क के लिये रवाना हुई । उपर्युक्त मारपीट की घटना के सम्बन्ध में कांग्रेस(आई0) के कार्यकर्ता श्री सुरेन्द्र कपिल द्वारा थाना सदर बाजार में उसी दिन 1.30 बजे अपरान्ह में धारा 323 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत चार व्यक्तियों के विरुद्ध कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को घूंसे तथा लातों से तथाकथित पीटने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी ।

स्थानीय गांधी पार्क में दिनांक 31 मार्च, 1978 को 11.30 बजे से 12.30 बजे तक एक आम सभा हुई । सभा में जैसे ही श्रीमती इन्दिरा गांधी आयीं, कुछ लोगों ने काले झण्डे ऊपर उठाये, तो तुरन्त युवा कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने उनसे छीन लिये और उन लोगों को सभास्थल से निकाल दिया । यह सभा शान्तिपूर्वक सम्पन्न हुई ।

गंगोह में प्रवेश करते समय लगभग 50 प्रदर्शनकारियों ने श्रीमती गांधी को काले झण्डे दिखाये तथा विरोधी नारे लगाये । गंगोह में 2.30 बजे दोपहर से 3.15 बजे सायं तक श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इन्टर कालेज, गंगोह के मैदान में एक सभा को सम्बोधित किया । सभा शान्तिपूर्वक सम्पन्न हुई ।

जहां तक मोदीनगर का सम्बन्ध है दिनांक 1 अप्रैल, 1978 को इस नगर में मोहल्ले देवेन्द्र पुरी के एक छोटे से मैदान में श्रीमती इन्दिरा गांधी के स्वागत में एक आम सभा का आयोजन किया गया था । उस दिन लगभग 11 बजे दिन मोदी डिग्री कालेज के विद्यार्थी संघ के अध्यक्ष 25–30 विद्यार्थियों तथा लड़कों के साथ स्वागत द्वार के पास एकत्रित हुये थे । उन्होंने श्रीमती इन्दिरा गांधी विरोधी नारे लगाना प्रारम्भ किया तथा काले झण्डे दिखाये जिस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आपत्ति की । कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उक्त छात्रों से काले झण्डे छीनना चाहा जिससे छात्रों में रोष व्याप्त हो गया और दोनों पक्षों में कुछ कहा सुनी तथा मारपीट हुई । पुलिस द्वारा समयानुसार हस्तक्षेप से स्थिति नियंत्रण में कर ली गई । श्रीमती इन्दिरा गांधी मोदीनगर में लगभग 12.30 बजे आम सभा स्थल पर बिना किसी रुकावट के पंहुची किन्तु बिना सम्बोधित किये ही वे मुरादनगर चली गई ।

थाना मोदीनगर में मोदीनगर की घटनाओं के विषय में 6 अपराध अंकित हुये जिनमें से 4 में आवश्यक गिरफ्तारी के बाद आरोप-पत्र भेजा जा चुका है । पांचवा मामला विवेचना से झूठा पाया गया । अतएव अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई और छठवां मामला विचाराधीन है ।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब खखतौली में पत्थर, जैसा कहा गया, फेंका गया, श्री छत्तर सिंह, ड्राइवर को चोटें लगीं, उसको वहां पर कोई चिकित्सा का प्रबन्ध सिविल अस्पताल में नहीं किया गया, फिर उसे मेरठ में ले जाकर बाकायदा चिकित्सा कराई गयी और उसके तीन टांके लगाये गये, क्या यह सच है ?

श्री राम नरेश यादव --

मान्यवर, ज्यों ही वहां पर कार खड़ी हुई थी, बाई तरफ श्रीमती इन्दिरा गांधी बैठी हुई थीं, दाहिनी तरफ ड्राइवर था । दाहिनी तरफ भीड़ की तरफ से कोई पत्थर का टुकड़ा आया जो कि चालक श्री छत्तर सिंह को लगा । तो उसके बाद ही एक प्राइवेट डाक्टर के पास ड्राइवर को भेजा गया, जिनका नाम अब्दुल रसीद फारूकी है । फिर उसे मेरठ नगर ले जाया गया, जहां पर उसकी डाक्टरी हुई ।

श्री अजीत सिंह सेठी--

मैं यह जानना चाहता हूं कि उस छत्तर सिंह को जब चोटें लगी, तो उसकी चिकित्सा जो वहां पर सिविल अस्पताल है, वहां नहीं की गयी और उसके बाद उसकी चिकित्सा मेरठ में की गयी । उस पर हमला जो हुआ, पत्थर का था या चाकू था, क्या था ? उस पर तीन टांके लगे हुये थे ।

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर दे चुके हैं । उसकी प्राथमिक चिकित्सा एक प्राइवेट डाक्टर ने की, फिर मेरठ ले गये, तो वहां पर उसका अस्पताल में इलाज हुआ और डाक्टर ने लिखा कि किसी नुकीले पत्थर से चोटें लगीं ।

श्री अजीत सिंह सेठी--

उसका उत्तर तो दे चुके हैं ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री का जो वक्तव्य है, उसमें यह कहा गया है कि सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गयी थी, लेकिन मोदीनगर की आम सभा में श्रीमती गांधी वहां से बगैर बोले चल दीं, इसका क्या मतलब है, क्या बात थी, जब कि वह साढे 12 बजे वहां पंहुचीं, तो वहां पर अव्यवस्था थी अथवा नहीं थी ?

श्री राम नरेश यादव --

मान्यवर, वह वहां पर गयीं, किसी तरह की कोई बाधा उनको वहां पर नहीं पंहुचाई गयी लेकिन उन्होंने उस सभा में बोलना उचित नहीं समझा, इसलिये वह वहां से चली आई ।

श्री यशपाल सिंह (जिला सहारनपुर)--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी के वक्तव्य से यह जाहिर होता है कि वह चाकू से चोट न आकर किसी नुकीले पत्थर से आई । लेकिन वह इन्कार करते हैं कि घातक हमला उसको नहीं कहा जा सकता । क्या माननीय मुख्य मंत्री इस बात को बतायेंगे कि नुकीला पत्थर चाकू से भी खतरनाक होता है, अगर इस जगह लग जाय तो जान ले लेता है । तो कैसे कहते हैं कि घातक नहीं था ? क्या आधार है उसके घातक न होने का ?

श्री अध्यक्ष--

यशपाल जी, यह तो आप उसकी तशरीह कर रहे हैं । प्रश्नों का मतलब है सूचना ।

श्री यशपाल सिंह---

मैं यह जानना चाहता हूं कि हमले के घातक न होने का आधार उन्होंने किस चीज को माना है । वह यह समझा दें कि घातक हमला किसको कहते हैं ?

श्री अध्यक्ष---

यह मैंने कहा कि प्रश्नों के द्वारा कोई इत्तिला हासिल की जाती है । आपने प्रश्न पूछा । उनका कहना है कि डाक्टर का मत है कि वह चोट किसी नोकीले पत्थर से लगी । घाव भी नहीं था । किसने हमला किया, उसको उन्होंने माना कि एक पत्थर किसी ने फेंक दिया, उससे चोट लगी और वह आपके सामने है । ड्राइवर भी जिन्दा है । . . . (व्यवधान) आप लोग क्यों उत्तेजित होते हैं । थोड़ा मर्यादा के अन्दर रहिये ।

श्री यशपाल सिंह---

यह बतला दीजिये कि हमला करने वालों की तलाश करने के सम्बन्ध में पुलिस ने क्या प्रयास किया ?

श्री राम नरेश यादव---

मान्यवर, पहली बात तो यह है, जैसा मैंने पहले ही कहा कि कोई उन्हें चोट पहुंचाने का या हत्या करने का किसी तरह से कोई बात नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि वह बायीं तरफ बैठी हुई थीं, चोट दाहिनी तरफ ड्राइवर को लगी है । एक बात जरूर है कि वहां पर भीड़ इतनी अधिक थी बायीं और दायीं तरफ कि कहां से पत्थर आया, किसने फेंका उसका पता नहीं चल सका । इसलिये किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, यद्यपि पुलिस उसके प्रयास में है ।

श्री धर्मवीर सिंह (जिला बिजनौर)---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को ज्ञात है कि वहां पर जो पत्थर फेंका गया उसको फेंकने वाला 12 13 साल का एक बच्चा था ? यह रियूमर है अध्यक्ष जी ? क्या इसकी जानकारी है ?

श्री राम नरेश यादव---

फेंकने वाले के बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला-नैनीताल)---

ड्राइवर को जो चोट लगी तो क्या उसका कोई डाक्टरी मुआइना किया गया था ? यदि हां, तो वह क्या है ? (कुछ सदस्यों के बैठे-बैठे बोलने पर) ।

श्री अध्यक्ष---

आप लोग क्या जवाब देना चाहते हैं, सब बैठे हुए बोल रहे हैं ?

श्री राम नरेश यादव---

चोट लगने पर तत्काल डाक्टरी उपचार हो सके इसके लिये एक प्राइवेट प्रैक्टीशनर डाक्टर थे उनके यहां मरहम-पट्टी की गयी । फिर उसके बाद मेरठ में भेजा गया, जहां डाक्टर ने डाक्टरी मुआइना किया । जो चोट आयी उससे स्पष्ट होता है कि एक तो कुचला, कुछ फटा हुआ घाव था और कुछ एक दांत के ऊपर मसूड़े पर चोट थी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)---

सूचना जो इस प्रकार की है कि श्रीमती इंदिरा गांधी के ड्राइवर को चोट लगी, तो मेरी जानकारी है कि जिस तरह से सुल्तानपुर में संजय गांधी की जीप पर गोली चलने की एक फर्जी घटना बन गयी थी तो यह भी उसी तरह की घटना है, इस मेरी जानकारी के आधार पर

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

क्या मुख्य मंत्री जी ने कोई जानकारी करवाई ? यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं ? यदि नहीं, तो क्या जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी अनुमति नहीं देता । यह आक्षेप है । तुलना से क्या मतलब है ?

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर) —

कहा गया है कि इंदिरा गांधी की हत्या के लिये चाकू चलाया गया । क्या इस संदर्भ में इंदिरा जी ने कोई रिपोर्ट लाज की है या उनकी खुशामद में कांग्रेस (आई०) के लोगों ने निराधार आरोप लाज कर दिये हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह उत्तर दिया जा चुका है कि रिपोर्ट दर्ज हुई है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद) —

कहा गया कि मेरठ में डाक्टर ने उनकी चोट को रेकार्ड किया । सिर्फ हमको यह बता दीजिये कि उसने अपने इनफरेंस में "ब्लंट वेपन" लिखा है या "शार्प वेपन" लिखा है ?

श्री रामनरेश यादव—

माननीय सदस्यों को मालूम होना चाहिये अगर कहीं शार्प वीपन से चोट आती है तो वह हिस्सा कट जाता है । शार्प वीपन का कोई उल्लेख डाक्टर ने नहीं किया है ।

श्री विद्या शंकर (जिला—प्रतापगढ़)—

क्या इस पत्थर चलाने के पीछे किसी राजनैतिक दल का सुनियोजित षडयंत्र था ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री अजीत सिंह सेठी—

मोदीनगर की सभा में सम्बोधित करने के लिये जब श्रीमती इंदिरा गांधी गयीं तो मंच से लाऊड स्पीकर गायब कर दिया गया और कुछ लड़के वहां ऊधम मचा रहे थे, क्या इसकी जानकारी मुख्य मंत्री जी को है ?

श्री रामनरेश यादव—

जहां पर वे भाषण देने वाली थी मंच की वहां व्यवस्था जरूर थी, पर उन्होंने भाषण देना उचित नहीं समझा, इसलिये चली आयीं ।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

जहां जहां श्रीमती गांधी सभायें करने गयीं वहां पर जन रोष के कारण प्रदर्शन हुये और युवा कांग्रेस और सेवा दल के कुछ [***] प्रदर्शनकारियों से झंडे छीने और इस तरह के काम किये । तो क्या पुलिस ने कोई ऐसे लोगों की गिरफ्तारी की ?

श्री अध्यक्ष—

किराये के लोगों वाली बात कार्यवाही से निकाल दी जायेगी, यह आक्षेप है । इसकी इजाजत नहीं है ।

नोट — [***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

खतौली, जिला मुजफ्फरनगर में श्रीमती इंदिरा गांधी की कार पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)---

माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया कि श्रीमती गांधी पर कोई हमला नहीं किया गया, समाचार पत्रों में कुछ निकला, तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस पूरे प्रकरण की कोई जांच कराने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री रामनरेश यादव---

मान्यवर, जैसे ही यह घटना समाचार-पत्रों में छपी तोड़-मरोड़ कर और गलत तरीके से, तो तुरन्त इसकी जांच डी० वाई० एस० पी० द्वारा करायी गयी जिससे यह बात स्पष्ट निकली कि न तो हत्या का प्रयास किया गया और न ही इस तरह का कोई आयोजन ही था ।

श्री गुलाब सेहरा---

माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में दो चीज स्वीकार की हैं । एक तो यह कि घातक हमला हुआ और दूसरे यह कि श्रीमती गांधी बिना बोले ही सभा स्थल से चली गयीं । तो क्या वे इसके लिये कोई उच्च स्तरीय जांच बिठायेंगे जिससे कि सही तथ्य प्रकाश में आ सकें और किस व्यक्ति ने हमला किया उसके बारे में भी सदन में जानकारी आ सके ?

श्री रामनरेश यादव---

कहीं भी मैंने अपने वक्तव्य में यह नहीं कहा कि उनके ऊपर घातक हमला हुआ । इस तरह की बात मैंने नहीं कही । यह जरूर कहा कि जिस तरह की बात कही जा रही है वह बिल्कुल ही निराधार है । हत्या का कोई प्रयास नहीं किया गया । (व्यवधान) ।

श्री गुलाब सेहरा---

सभा स्थल पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा था । श्रीमती गांधी जा नहीं पायीं । इस घटना की जांच का भी आश्वासन माननीय मुख्य मंत्री नहीं दे रहे । सुरक्षा प्रदान करना नहीं चाहते । मैं और हमारा दल इसके विरोध में सदन त्याग करता है ।

(श्री गुलाब सेहरा अपने समुदाय के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गए ।)

जिला गोण्डा में लकड़बग्घों के आतंक के विषय पर नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

नियोजन राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मण सिंह)---

अब तक प्राप्त सूचना के आधार पर वस्तुस्थिति नीचे लिखे अनुसार है :

आतंक लकड़बग्घों का नहीं भेड़ियों का पाया गया है । इसी वर्ष फरवरी महीने में सूचना प्राप्त हुई कि गोण्डा जेल के पीछे, तोपखाना ग्राम के पास नरभक्षी का आतंक फैला हुआ है । यह स्पष्ट न था कि नरभक्षी भेड़िया है अथवा लकड़बग्घा । अभी तक नरभक्षी ने चार बच्चों को मार दिया है । तीन पुरानी खोपड़ियां भी मिली हैं किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि वह किस समय की हैं ।

ज्ञातव्य है कि भेड़िया तथा लकड़बग्घा दोनों ही वन्य पशु जाड़ों में बच्चे देते हैं और तत्पश्चात् अपने तथा अपने बच्चों के लिए आहार की तलाश में इधर-उधर घूमते हैं । यही कारण है कि इन नरभक्षियों का आतंक पिछले तीन महीनों में ही जानकारी में आया ।

जिला प्रशासन को ज्योंही नरभक्षी के आतंक की जानकारी हुई उन्होंने उसे नष्ट करने का प्रयास कर दिया । जिलाधिकारी ने वन विभाग तथा पुलिस अधिकारियों और उनके अलावा स्थानीय शिकारियों से भी नरभक्षी के विनाश के लिये कहा । 25 मार्च, 1978 को एक शिकारी आन्ध्र प्रदेश से भी जिलाधिकारी, गोण्डा से इस सम्बन्ध में मिले और इस कार्य में तत्पर हो गये ।

[श्री लक्ष्मण सिंह]

जिलाधिकारी से प्राप्त सूचना के अनुसार अब तक तीन नरभक्षी भेड़िये एक बच्चा तथा दो बड़े, मार डाले गये हैं । एक भेड़िये का बच्चा मध्य मार्च में पकड़ लिया गया और नष्ट कर दिया गया । एक भेड़िया 10 अप्रैल, 1978 को साढ़े पांच बजे शाम तथा दूसरा 11/12 अप्रैल, 1978 को मार डाले गये । पहला भेड़िया मौजा उमेदजोत के ग्राम प्रधान ने गांव वालों की सहायता से मार डाला और दूसरा आन्ध्र प्रदेश के शिकारी श्री तिपइय्या ने मारा ।

इस सम्बन्ध में अब भी कार्यवाही जारी है । कानपुर के शिकारी श्री होरीलाल को भी गोण्डा जाने के लिये कहा गया है । यदि कोई नरभक्षी पुनः इलाके में पाये गये तो उनका विनाश करने का हर सम्भव प्रयास किया जायगा ।

श्री फजलुलबारी (जिला गोंण्डा)---

मैं मंत्री जी से जाना चाहूंगा कि जो चार बच्चों के मारे जाने की इत्तला है तो उनमें से पहले बच्चे का शिकार भेड़ियों ने किस तारीख को किया था ?

श्री लक्ष्मण सिंह---

मान्यवर, यह सूचना नहीं है ।

श्री खान गुफरान जाहिदी (जिला फतेहपुर)---

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने अभी कहा कि तीन नरभक्षी भेड़ियों में से जिसमें एक बच्चा था और दो बड़े थे, मार डाले गये हैं । तो जो बच्चा मारा गया वह कितना बड़ा था कि वह नरभक्षी हो गया ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, भेड़ियों के बच्चे जो पैदा होते हैं तो पैदा होने के 2 महीने में नरभक्षी हो जाते हैं । खतरनाक जानवर हो जाते हैं ।

श्री बिन्दू लाल (जिला-गोंण्डा)---

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि 4 बच्चों को मार डाला है । तो कुछ और भी बच्चे होंगे जिनकी लाश या खोपड़ी नहीं मिली होगी । तो कितने बच्चे नरभक्षी ने मारे इसकी सूचना है ?

श्री लक्ष्मण सिंह---

यह तो मैंने पढ़ा कि चार बच्चों के मारे जाने की सूचना थी ।

श्री विष्णु प्रताप सिंह (जिला गोण्डा)---

मान्यवर, जब तीन महीने पहले पुलिस प्रशासन को इस सम्बन्ध में इत्तला हो गयी थी तो इसमें क्यों इतनी ढिलाई बरती गयी ?

श्री लक्ष्मण सिंह---

कोई ढिलाई इसमें नहीं बरती गयी है । सूचना मिलते ही जिलाधिकारी ने वन विभाग के अधिकारियों से पुलिस अधिकारियों से सहायता ली । इसके ऊपर माननीय सदस्य सहमत होंगे कि आंध्र प्रदेश से शिकारी बुलाये गये । कानपुर से भी शिकारी भेजे गये ; तो मान्यवर, प्रयास किया जा रहा है इनको समाप्त करने का ।

श्री फजलुलबारी---

मान्यवर, इस वक्तव्य में यह कहा गया है कि फरवरी के महीने में सूचना मिली । मैंने अभी प्रश्न पूछा था कि पहला बच्चा कब मरा था । तो मुझे कहना है कि गोण्डा का सी0

ओ0(सिटी०)जो है उससे हम मिले थे, उसको बताया लेकिन इस सिलसिले में उसने कोई नोटिस नहीं लिया । इससे जाने जाती रहीं । तो मंत्री जी इस सम्बन्ध में पुलिस प्रशासन से जो ढिलाई हुई है और कई जाने गयी है यदि शिकारी पहले आ जाते तो जाने बच सकती थी । इसलिये उनके खिलाफ क्या मंत्री जी कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, इसमें नियम है कि जो इस प्रकार के जंगली खतरनाक जानवर हैं उनकी नस्ल समाप्त न हो उस हेतु वन विभाग से मारने के पहले परमीशन लेना पड़ता है । तो जिलाधिकारी ने पहले वन विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क किया और उसमें कुछ देर लगी तथा इजाजत मिलने पर कार्यवाही की गयी ।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार ने पता लगाने की चेष्टा किया है कि न केवल गोण्डा जिले में बल्कि और जिलों में जो भेड़िये ने आतंक मचा रखा है तो क्या कोई खास कारण है कि नरभक्षी लकड़बग्घे और भेड़िये जबसे जनता सरकार आयी है तबसे अधिक कैसे पैदा हो गये हैं ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री विजय राज सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कुछ भेड़िये और लकड़बग्घे सदन से बाहर भी आतंक मचाये हुये हैं । तो सदन के कुछ माननीय सदस्यों की हिम्मत और साहस को देखते हुये श्री सुन्दर लाल दीक्षित, श्री श्याम धर मिश्र, श्री गुलाब सेहरा और श्री रियासत हुसैन की एक भेड़िया मार कमेटी बनाने का विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आप इस पर एक प्रस्ताव रखें । (हंसी)

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां (जिला–बहराइच)—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इन भेड़ियों को इंसानों को नोचने की ट्रेनिंग किसी राजनीतिक दल ने तो नहीं दिया है ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री दशरथ सिंह (जिला गोण्डा)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि, जैसा उन्होंने कहा है कि वन विभाग के जो नरभक्षी जानवर हैं उनको मारने के लिये परमीशन लेना पड़ता है, कि नस्ल न समाप्त हो, कितने बच्चे मारने के बाद उनसे परमीशन मिलती है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, जैसे ही यह सूचना प्रशासन को मिली कि उस इलाके में नरभक्षी भेड़िया और लकड़बग्घा आये हैं, तुरन्त वन विभाग से सम्पर्क किया गया । कुल 4 बच्चे मारे हैं ।

श्री रमा शंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, जो वक्तव्य दिया गया है सबसे पहले में उसकी भाषा पर आपत्ति करता हूं । यह वक्तव्य ठीक ढंग से नहीं लिखा गया है। दूसरा मान्यवर, मैं यह प्रश्न करना चाहता हूं जैसा मंत्री जी ने अनुपूरक प्रश्नों के जवाब में बताया है कि वन विभाग से यह पूछना पड़ता है कि ऐसे जंगली जानवरों की हिफाजत की जाय उनको मारा न जाय लेकिन स्टेटमेन्ट में आप देखें लिखा गया है कि भेड़िये के बच्चे को पकड़ लिया गया और नष्ट कर दिया गया । भेड़िये के

[श्री रमा शंकर कौशिक]

बच्चे को नष्ट कर दिया लेकिन नर भक्षी को नष्ट नहीं किया गया । तीसरा प्रश्न मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वहां के जिलाधीश ने वहां की पुलिस से यह कहा कि इस नरभक्षी का आतंक हुआ है इसको समाप्त करने के लिये शिकारी नियुक्त किये जायं क्या जिलाधीश ने ऐसा किया ।

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, जिलाधीश ने पुलिस से नहीं कहा जिलाधिकारी ने स्वयं शिकारी नियुक्त कराये और हमारे यहां जो केन्द्र में राज्य गृह मंत्री पाटिल साहब हैं उनसे बातचीत हुई, उनके प्रयास से आंध्र प्रदेश से एक शिकारी बुलाया गया है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिनके घरों से बच्चे मारे गये उन्हें कुछ आर्थिक सहायता भी सरकार की तरफ से दी गयी ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

यह बात शासन के विचाराधीन है । उसकी जानकारी की जा रही है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला–मुरादाबाद)—

माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि जाड़ों में भेड़ियों के बच्चे होते हैं उनके आहार के लिये वह हमला करता है इन्सान के बच्चे ले जाता है । तो यह देखते हुये कि भेड़िया भी प्रदेश का जानवर है क्या सरकार उसके आहार के लिये कोई इन्तजाम करेगी ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो (शोर)...

श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि नरभक्षी की घटना प्रदेश के कई जिलों में हुई है तो क्या माननीय मंत्री जी एक ऐसे उड़न दस्ता शिकारियों का बनायेंगे जो कि इस तरह की घटना प्रदेश में न हो सके ।

श्री अध्यक्ष—

यह सुझाव है ।

श्री लक्ष्मण सिंह—

इस पर विचार करेंगे ।

श्री भगवती चरण "निर्मोही" (जिला गढ़वाल)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानकारी चाहूंगा कि इस वक्तव्य में यह लिखा गया है कि तीन नरभक्षी भेड़िये मारे गये, इस बात की पुष्टि कैसे हुई है कि यह नरभक्षी भेड़िया था ? क्या अब वहां भेड़िये का आतंक खत्म हो गया है ? कैसे इसकी पुष्टि हुई ? और भी तो भेड़िये हो सकते हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

और भेड़िये, मान्यवर, हो सकते हैं । अभी वहां तलाश जारी है और शिकारी लोग अपना काम कर रहे हैं ।

श्री गुलाब सेहरा--

अध्यक्ष जी, यह लकड़बग्घा चार जगहों पर आतंक मचाये हुआ है, जौनपुर में, खीरी में, अभी हाल में बनारस और लखनऊ में भी । क्या सरकार बतायेगी कि एक ही लकड़बग्घा जा रहा है इधर से उधर ?

श्री अध्यक्ष--

अब यह तो विस्तृत सवाल है आपका ।

इस पर बहुत चर्चा हो गयी है अब मैं दूसरा विषय ले रहा हूं ।

श्री विष्णु प्रताप सिंह--

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि डी0 एम0 ने पुलिस को आदेश नहीं दिये थे। मान्यवर, उन्होंने पुलिस अधिकारियों को भी आदेश दिये । हम लोग विधायकगण भी सी0 ओ0, राय से भी बार बार मिले कि नरभक्षी ने परेशान किया है । क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही सरकार करेगी ? हम लोगों के मिलने पर भी ऐसा नहीं किया गया ।

श्री लक्ष्मण सिंह--

इसकी जानकारी करेंगे ।

(शिक्षा मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर..

श्री अध्यक्ष--

अब नहीं । देव बहादुर जी बहुत कार्यक्रम है ।

वाराणसी स्थित काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष तथा कतिपय छात्रों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में वक्तव्य

शिक्षा मंत्री (श्री कालीचरण)

श्रीमन्, कल जो आपने आदेश दिया था यद्यपि मैंने यह निवेदन किया था कि सम्पूर्ण सूचना मंगाने के लिये कुछ समय की आवश्यकता पड़ेगी साथ ही आपने आज ही साढ़े 9 बजे यह आदेश दिया कि जो नवीनतम घटनायें हैं उनकी सूचना मंगा कर सदन को दी जाय, इसलिये मैं माननीय सदन से क्षमा चाहूंगा कि इस सूचना की प्रतिलिपि मैं सबके पास नहीं पहुंचा सका इस बिलम्ब के कारण जिलाधिकारी, वाराणसी ने जो सूचना दी है उसके अनुसार 11-3-78 को छात्रों द्वारा डा0 अनन्तरमन, रेक्टर एवं कार्यवाहक कुलपति के प्रति अभद्र व्यवहार किये जाने और छात्र उपद्रव की आशंका के कारण काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी अनिश्चित काल के लिये बन्द कर दिया गया। स्थिति सामान्य होने पर 21-3-1978 से विश्वविद्यालय धीरे धीरे खुलना प्रारम्भ हुआ और 10-4 1978 को पूर्ण रूप से खुल गया। इसी बीच काशी विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष श्री चंचल कुमार ने यह घोषणा की कि 8-4-1978 के पूर्व यदि केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा नये कुलपति की घोषणा नहीं की गयी तो छात्रों की ओर से कुलपति की नियुक्ति कर दी जायगी केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा कुलपति की नियुक्ति नहीं की जा सकी। उसी दिन छात्र संघ की ओर से आयोजित एक सभा में विश्वविद्यालय के नये पदाधिकारियों की नियुक्ति की घोषणा की गयी। छात्रों ने श्री शरद यादव, सदस्य लोक सभा, मध्य प्रदेश को कुलपति, श्री शिव कुमार सिंह अध्यक्ष, युवा जनता काशी हिन्दू विश्वविद्यालय को रेक्टर तथा श्री राम अधार राय, सदस्य विधान सभा को कुल सचिव नियुक्त किया।

श्री अध्यक्ष ---

इसमें कहीं शतरुद्ध प्रकाश का नाम नहीं है ।

श्री कालीचरण---

छात्र संघ के अध्यक्ष ने घोषणा की यदि 10-4-78 तक नये कुलपति की नियुक्ति नहीं की जायगी तो 11-4-1978 को छात्र संघ द्वारा नियुक्त अधिकारियों को पदासीन कर दिया जायगा । इस घोषणा से कुछ छात्र दलों, विशेषकर विद्यार्थी परिषद् ने असहमति प्रकट की। युवा जनता दल के कुछ छात्र नेताओं ने भी बाहरी व्यक्तियों की नियुक्ति पर आपत्ति प्रकट की ।

11 4 1978 को कुछ छात्र लगभग 11.45 बजे दिन छात्र संघ के अध्यक्ष, श्री चंचल कुमार के नेतृत्व में रेक्टर के निवास पर नव नियुक्त छात्र रेक्टर श्री शिव कुमार सिंह को पदासीन करने के लिये गये। गेट पर पुलिस के मना करने और रोकने के बावजूद भी कुछ छात्र चंचल कुमार के साथ जबरदस्ती बंगले में घुस गये और निवास के दरवाजों, खिड़कियों, गमलों इत्यादि को तोड़ना शुरू कर दिया । वहां पर मौजूद प्राक्टर तथा पुलिस के काफी समझाने और रोकने की कोशिश के बावजूद छात्र उग्रतर होते गये और सभी कर्मचारियों को धक्का देकर जबरदस्ती घर के अन्दर घुसने की कोशिश करने लगे। सूचना मिलने पर अतिरिक्त जिलाधिकारी (नगर) तथा पुलिस अधीक्षक (नगर) रेक्टर निवास स्थान पर पहुंचे और उपद्रवी छात्रों को शांत करने का प्रयास किया। लेकिन छात्रों की मांग यह थी कि रेक्टर, डाक्टर अनन्त रमन को घर से बाहर निकाला जाय और वहां छात्र रेक्टर श्री शिव कुमार सिंह को बिठाया जाय। रेक्टर मकान के अन्दर थे और उन्होंने सभी दरवाजे बन्द कर लिये थे छात्रों को उनकी अनुचित मांग के बारे में समझाया गया लेकिन वे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे और जबरदस्ती दरवाजे तोड़ कर घर में घुसने की कोशिश करने लगे। उनके हिंसात्मक रवैये को देख कर उन्हें बलपूर्वक वहां से हटाया गया और हिरासत में रखा गया। गिरफ्तारी के समय सभी छात्र एक दूसरे को पकड़ कर जमीन पर लेट गये और गिरफ्तारी रिजिस्ट करने लगे। गिरफ्तारी की प्रक्रिया में इन छात्रों को मामूली चोटें आयीं। इसी बीच 100-150 छात्र गेट पर इकट्ठे हो गये और उत्तेजनात्मक नारे लगाने लगे तथा रेक्टर निवास के कम्पाउन्ड में घुसने लगे। उपद्रवी छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में कला संकाय, विज्ञान संकाय तथा जन सम्पर्क अधिकारी के कार्यालय में तोड़फोड़ की । फर्नीचर, टाइपराइटर, डुप्लीकेटर को क्षति पहुंचाई। अस्पताल की एक एम्बुलेन्स की गाड़ी के शीशे तोड़े तथा केन्द्रीय कार्यालय में एक रजिस्टर को जलाने का प्रयास किया। बाद में 8 विद्यार्थी, जो गिरफ्तार किये गये उनके नाम सर्व श्री चंचल कुमार, अध्यक्ष, शिव कुमार सिंह, छात्र- रेक्टर, सुभाष चन्द्र त्रिपाठी, राजेन्द्र सिंह, प्रमोद कुमार मिश्र, बद्रीनाथ कमलनयन यादव और नरेन्द्र राय हैं।

बन्दी छात्रों को भारतीय दन्ड विधान की धारा 147/452/427/224/436/511 के अन्तर्गत जेल भेज दिया गया। इसकी प्रतिक्रिया में सायंकालीन कालेज कमच्छा वाराणसी के छात्रों ने उस दिन अपनी कक्षाओं का बहिष्कार किया और विद्यार्थियों द्वारा विश्वविद्यालय गेट पर आयोजित सभा (200) श्री बैरिस्टर सिंह की अध्यक्षता में समपन्न हुई। सभा मे वक्ताओं को सम्बोधित करते हुए छात्र संघ के अध्यक्ष, रेक्टर एवं युवा जनता पर यह आरोप लगाया कि तोड़-फोड़ एवं विश्वविद्यालय बन्द करने की कार्यवाही में उपरोक्त तीनों की मिली भगत थी। यह भी घोषणा की गई कि दिनांक 17-4-1978 के पूर्व यदि विश्व विद्यालय में कुलपति को नियुक्त नहीं किया गया तो श्री महेन्द्र नाथ, महामंत्री छात्रसंघ केन्द्रीय शिक्षा मंत्री जी के स्थान के सम्मुख आमरण अनशन प्रारम्भ कर देंगे। दिनांक 12-4 78 को 11 बजे (पूर्वान्ह) वाराणसी विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय तथा वाणिज्य संकाय की लाइब्रेरी में राष्ट्रीय छात्र संघ, युवा जनता, छात्र युवा संघर्ष समिति के छात्रों ने आग लगाने का प्रयास किया।

विश्वविद्यालय के अधिकांश छात्र चाहते हैं कि विश्वविद्यालय बन्द न हो। जिला प्रशासन द्वारा पूर्ण सतर्कता बरती जा रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभिभावकों, छात्रों तथा नागरिकों से अपील की है कि कि वे विश्वविद्यालय परिसर में शान्ति बनाये रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य पढ़ा उसमें उन्होंने शुरू यहीं से किया कि जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी द्वारा हमको यह सूचना मिली है। उनकी सूचना का स्रोत क्या है उससे इस माननीय सदन को कोई वास्ता नहीं है। जो भी कोई बात इस माननीय सदन में कही जायेगी वह यही समझकर कही जायेगी कि इसकी सारी जिम्मेदारी माननीय मंत्री जी की है। यहां से शुरू करना कि इस तरह से जिलाधिकारी द्वारा यह सूचना मिली है, यह उचित नहीं है। आपको सूचना चाहे सर्किल इंस्पेक्टर से मिली हो या किसी से मिली हो किन्तु वह आपकी जिम्मेदारी है।

श्री अध्यक्ष—

जो आपने प्रश्न उपस्थित किया है और माननीय मंत्री जी जो वक्तव्य दे रहे हैं वह खुद उसके लिये जिम्मेदार हैं। लेकिन अगर उन्होंने सूचना का स्रोत भी बतला दिया तो उसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

श्री रियासत हुसैन—

अब पूछा है तो बतला दें।

श्री अध्यक्ष—

यह समझकर कि कहीं रियासत साहब न पूछ बैठें, खुद ही पहले बता दिया।

*श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, काशी विश्वविद्यालय मेरे विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है और इस समय वहां की स्थिति काफी गम्भीर है। माननीय शिक्षा मंत्री ने जो बयान यहां पर दिया है उसको भी अगर देख लिया जाय तो वहां पर स्थिति असामान्य है। लेकिन हम सब लोगों का दुर्भाग्य है कि छात्रों के प्रति जो नजरिया अधिकारियों का है उसको बदलने के लिये कोई ठोस कदम उठाये जाने चाहिए। मान्यवर, 10 और 11 तारीख में वाराणसी में नहीं था और जो यहां पर बयान दिया गया जिलाधिकारी का स्रोत बताकर —11 तारीख को छात्र संघ के अध्यक्ष और उनके साथ कुछ विद्यार्थी रेक्टर के निवास स्थान पर पहुंचे और मान लीजिये वहां पर वे ठीक से काम नहीं कर रहे थे, वहां रेक्टर की नियुक्ति हो गयी उनको लाठियों से और बूटों से मारा गया। उसके बाद जो गिरफ्तारी हुई है वह उस समय हुई है जबकि विश्वविद्यालय से लगा हुआ जो सर सुन्दरलाल अस्पताल है उसमें मैं इलाज करा रहे थे। इसमें कहा गया कि विश्व विद्यालय में गिरफ्तारी हुई। मेरी निजी जानकारी है कि यह बिलकुल असत्य है और जो गिरफ्तारी हुई है छात्रसंघ के अध्यक्ष के निवास स्थान पर नहीं हुई है बल्कि विश्वविद्यालय में हुई है। तो मान्यवर, इन तमाम घटनाओं के बारे में, जिलाधिकारी के बयान में जो कुछ कहा गया है, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस पूरे प्रकरण की उन्हें मेरी जानकारी के आधार पर जांच करानी चाहिए। इसके अलावा मेरी जो सूचना है उसका भी कोई विवरण इसमें नहीं है। वहां पर पुलिस अधिकारियों और जिला प्रशासन के मध्य कृत कार्यवाही को लेकर बड़ा मतभेद पैदा हो गया था। वहां पर उपस्थित जिलाधिकारी (नगर) ने कहा कि छात्रों को बर्बर तरीके से न पीटा जाए, उन्होंने ऐसा करने के लिए पुलिस वालों को मना किया, इस पर पुलिस अधिकारी ने नगर जिलाधिकारी को डांट दिया और कहा कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चुपचाप यहां पर खड़े रहो। जिसके फलस्वरूप नगर जिलाधिकारी और ए0 डी0 एम0 विश्वविद्यालय परिसर से बाहर चले गये।

श्री अध्यक्ष—

आज आपने नियम 51 में दिया था। यह वक्तव्य मैंने केवल वक्तव्य के लिये नियम 301 में स्वीकार किया है। इसमें मैं प्रश्नों की इजाजत नहीं दूंगा। मैंने आपको कल कहा था, जब आपने निवेदन किया था कि वहां की स्थिति के बारे में मैं सूचना देना चाहता हूं, इसलिए मैंने आपको इजाजत दी है और आपकी नोटिस को भी शिक्षा मंत्री के पास भेज दिया है। उसके सम्बन्ध में उनको जो आगे इत्तिलाएं मिलेंगी, उसे वह बाद में दे देंगे। आप कृपया संक्षिप्त कर समाप्त करें।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, बनारस विश्वद्यालय एक राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय है, वहां की स्थिति ठीक नहीं है। शैक्षणिक वातावरण बिगड़ गया है। वहां पर जो भी शैक्षणिक प्रश्न-चिन्ह लग गया है, वहां पर पिछले एक साल से कोई वाइस चांसलर नहीं है। यहां सूबे के शिक्षा मंत्री मौजूद हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह केन्द्रीय शिक्षा मंत्री और केन्द्र सरकार से पहल करें कि जितनी जल्दी हो सके, वहां पर उपकुलपति को भेजा जाए। यह प्रयास हमारे शिक्षा मंत्री करेंगे तो बनारस विश्वविद्यालय का शैक्षणिक वातावरण कायम रखने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही वहां पर पुलिस ने, जिला प्रशासन के कहने के बावजूद जो दमन किया है, छात्रों से जो मरपीट की है, उसकी भी शिक्षा मंत्री जी जांच करवा लेंगे, तो वहां पर छात्रों और शिक्षकों में जो असन्तोष है, उसको दूर करने में मदद मिलेगी।

श्री अध्यक्ष—

अब आइटम नम्बर —16।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

इस पर शिक्षा मंत्री कुछ कह सकें तो कह दें।

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में जब मंत्री जी सूचना प्राप्त कर लेंगे, वह स्वतः ही एजेन्डे में जो-'मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हो होता है,, उसके अन्तर्गत अपने आप उसकी सूचना दे देंगे।

प्रदेश के विभिन्न जिलों की प्रति व्यक्ति औसत आमदनी में विषमता के विषय में दिनांक 4 अप्रैल, 1978 के पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 51 के सम्बद्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने हम लोक महत्व के इस प्रश्न पर आधे घंटे की चर्चा की इजाजत दी है। मान्यवर, मेरा प्रश्न था—'क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों की प्रति व्यक्ति औसत आमदनी में बहुत विषमता है? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है और क्या इस विषमता को समाप्त करने के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन है। इस तरह आप देखेंगे कि इस प्रदेश के जो भी पिछड़े हुए जिले हैं, इसके उत्तर के साथ प्रदेश के उन समस्त पिछड़े हुए जिलों की किस्मत का फैसला जुड़ा हुआ है। लेकिन मुझे दुःख है, इस प्रश्न को गम्भीरता के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी ने नहीं लिया और जो उत्तर दिया और उससे जो स्थिति उभरकर सामने आई है वह बड़ी गम्भीर है, भयावह है कि जिलेवार औसत आमदनी के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं। अतः विषमता के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण उपस्थित करना सम्भव नहीं है, किन्तु यह निर्विवाद है कि प्रदेश के पर्वतीय, पूर्वी और बुन्देल

खण्ड के क्षेत्र अपेक्षाकृत पिछड़े हुए हैं। मान्यवर, मेरा प्रश्न यह नहीं था कि कौन क्षेत्र पिछड़ा हुआ है और कौन आगे है। मेरा तो सीधा प्रश्न था कि जिन्हें आप पिछड़ा हुआ क्षेत्र मान रहे हैं उसमें भी जिलों जिलों के प्रति व्यक्ति की औसत आमदनी में भारी अन्तर है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुन्देलखंड तथा पर्वतीय प्रदेश उन इलाकों में भी जो जिले हैं उनकी औसत आमदनी में काफी विषमता है।

(इस समय 4 बजकर 56 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्याम धर मिश्र पुनः पीठासीन हुए।) इसलिए मैंने सवाल किया था कि इस विषमता की खाई को पाटने के लिए सरकार कौन सी योजना बनाने जा रही है। मान्यवर मुझे उनका उत्तर जानकर दुःख हुआ। यह तो वैसे ही है कि जैसे एक डाक्टर किसी का इलाज कर रहा हो और उसे पता न हो कि पेशेंट को बीमारी क्या है और वह गारन्टी करे कि पेशेन्ट को बिल्कुल दुरुस्त कर देगा। जब हमारी सरकार को पूरी जानकारी ही नहीं है तो मैं निवेदन करूंगा कि इतना बड़ा सांख्यकीय विभाग क्या कर रहा है। स्टेटिस्टीकल डायरी सन् 76 की सरकार ने सप्लाई की उसमें प्रचिलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय 1974–75 में त्वरित अनुमान के हिसाब से 312.3 दिखाई गई है और इसी प्रकार से कैपीटा स्टेट इन्कम 812 दिखाई गयी है। मैं निवेदन करूंगा कि इस पर कैपीटो इन्कम का पता कहां से लगा और यह फिगर्स कहां से मिलीं।

मान्यवर, एन0डी0सी0, राष्ट्रीय विकास परिषद् में मुख्य मंत्री जी ने अपना केस पुट अप करते हुए भाषण दिया था और वहां पर उन्होंने कहा कि इस प्रदेश की 67 प्रतिशत जनता बिलो दि पावर्टी लाइन अर्थात् गरीबी की सीमा के नीचे रह रही है। यह आंकड़े कहां से आये यदि उनको जिलों जिलों की पर कैपिटा इन्कम मालूम नहीं है। दूसरी बात यह कि अब आपको विषमता की सही स्थिति का ज्ञान नहीं था तो उत्तर में कैसे कहा कि अगली पंचवर्षीय योजना 1978 से 1983 की बनाने जा रहे हैं उसमें योजना बनाने के लिए गठित कार्यकारी दल को निर्देश दिया गया है कि योजना ऐसी बनाई जाय कि उसके पूरा होने के बाद विषमता की खाई न रह जाय। जब आप उनको आंकड़े उपलब्ध नहीं करायेंगे, स्थिति नहीं बतलायेंगे कि कौन जिला किस क्षेत्र में कितना पीछे है तो किस आधार पर वह योजना बनायेंगे और कैसे विषमता की खाई दूर की जा सकेगी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से दो तीन बात जानना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि वह अपने उत्तर में उनको स्पष्ट करें।

(1) जिलों जिलों में पर कैपिटा इन्कम क्या है और उनमें कितना अन्तर है। इस बारे में स्पष्ट स्थिति योजना बनाने वाले कार्यकारी दलों के सामने रखेंगे या नहीं और क्या इस सदन के माननीय सदस्यों को विश्वास में लेकर उनको यह जाकारी करायेंगे या नहीं और यदि करायेंगे तो कब तक ?

(2) क्या कभी सरकारी स्तर पर यह जानने का प्रयास किया गया कि अलग अलग जिलों में पर कैपिटा इंकम में कितनी विषमता है तथा उस विषमता की खाई को कैसे पाटा जाय।

(3) क्या जो भी योजना बने के उसमें इस बात का सख्ती से पालन किया जायगा या नहीं कि जिन जिन जिलों की पर कैपिटा इन्कम कम है उनको विकास में प्राथमिकता दी जाय।

इन बातों के साथ जैसा मैंने शुरू में कहा इस सवाल का जो भी उत्तर होगा उससे हमारी सरकार की नीयत झलकेगी कि जिलों–जिलों में विषमता की जो खाई है और जो जिले बहुत पिछड़े हुए हैं उनके पिछड़ेपन को दूर करने और उस विषमता की खाई को पाटने के लिए ईमानदारी से योजना बनाने में इस बात का ख्याल रखा जायगा या नहीं। इसका उत्तर इस सवाल के उत्तर में निहित है इसलिए मैं इन तीन चार बातों पर पूरी सफाई चाहूंगा।

नियोजन राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मण सिंह)---

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने जिस जानकारी को जानना चाहा है उसमें यह सही है कि प्रदेश के पास जिलेवार आंकड़े नहीं हैं और जिलेवार आंकड़े आज तक लिये भी नहीं जा सके कि प्रति व्यक्ति आमदनी किस जिले में कितनी है।

इसमें कुछ व्यवहारिक कठिनाई है। सवाल तो आपने आखिर में रखा। पहले मैं मानीय सदस्य को और सभी माननीय सदस्यों को यह जानकारी देना चाहता हूं कि 1955-56 में नेशनल कौंसिल आफ अप्लाइड इकोनामिक रिसर्च-राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद्-ने प्रयास किया था इस बात का कि जिलेवार आमदनी के आंकड़े इकट्ठे किये जायं, मगर उसमें सफलता नहीं मिल सकी। वर्ष 1970-71 में डा0 बलजीत सिंह जो इसी लखनऊ विश्वविद्यालय में प्राफेसर थे, ने प्रयास किया था इस संबंध में। वह बहुत विद्वान थी थे और उन्होंने अपने स्तर से इस प्रदेश की जिलेवार आमदनी निकालने की कोशिश की थी। मगर दुर्भाग्यवश उनका इसी बीच में देहान्त हो गया और वे आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हो सके। उनके सहयोगियों से इस पर जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गयी कि किन आधारों पर और किस तरह वे आंकड़े इकट्ठा कर रहे थे।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न को इस तरह से लिया है कि डा0 बलजीत सिंह बड़े विद्वान थे। वे लखनऊ विश्वविद्यालय के थे और मैं भी यह जानता हूं। बीच में उनका देहान्त हो गया, इसलिये तथ्य इकट्ठा नहीं किये जा सके। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो प्रदेश का सांख्यकीय विभाग है, जिसका विभाग सचिवालय में है और डायरेक्टोरेट है और जिसकी जिलों में भी शाखायें हैं और जिसका मुख्य काम ही आंकड़े वगैरह इकट्ठा करना है, उस विभाग ने क्या किया? उस बात को केवल एक माननीय सदस्य नहीं जानना चाहते, बल्कि और लोग भी जानना चाहते हैं। उस विभाग की ही जिम्मेदारी होती है कि वह हर प्रकार के आंकड़े इकट्ठा करके दे। माननीय बलजीत सिंह का यह व्यक्तिगत प्रयास था---वे किसी कमीशन में नहीं नियुक्त हुए इस काम के लिये। अतः मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वे सवाल को दूसरी ओर न ले जायें और तथ्यों को न तोड़ें-मरोड़ें।

श्री अधिष्ठाता---

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह तो बाद में भी किया जा सकता था।

श्री लक्ष्मण सिंह---

दूसरा प्रयास, सांख्यकीय विभाग ने किया था। मगर केन्द्र के सेंट्रल स्टेटिस्टिकल आगनाइजेशन, केन्द्रीय सांख्यकीय विभाग, ने राय दी थी कि ये आंकड़े एकत्रित न किये जायं क्योंकि ये आंकड़े लाभदायक नहीं होंगे और यह संभव नहीं है कि इससे कोई वांछित सूचना इकत्रित की जा सकती है। मैं जरा सा इसमें यह बताना चाहता हूं कि इसमें क्या कठिनाइयां हैं। हमने जिलेवार आंकड़े कृषि, पशुपालन, उद्योग, मछली उद्योग, खनन, इंडस्ट्री इत्यादि से संबंधित इकट्ठे किये हैं। इसमें जो कृषि है और उससे जो संबंधित विभाग हैं, उनको प्राइमरी चीज कहा गया है---जो उत्पादन का प्राइमरी क्षेत्र है, उसके आंकड़े सूबे के भी इकत्रित किये गये हैं और जिलेवार भी किये गये हैं। इसके अलावा, उद्योग, इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज जहां से आंकड़े उपलब्ध होसकते हैं, ये हैं। लेकिन उसके अलावा उत्पादन के तथा आमदनी के और बहुत से आइटम रह जाते हैं

जिनमें निर्माण गृह, विद्युत् गृह, जलपूर्ति, परिवहन, संचार, रेलवे, परिवहन, डाक-तार एवं टेलीफोन तथा संचार व्यवस्था सम्मिलित है। व्यापार, जलपानगृह, बैंक, बीमा, आवासगृह एवं तत्संबंधी सेवायें, अन्य सेवायें आदि आती हैं। तो इसमें एक कठिनाई है। ये जो आंकड़े बताये हैं प्राइमरी और सेकेण्डरी हैं--यानी कृषि से संबंधित प्राइमरी और उद्योग। उन्हीं में 70 प्रतिशत आमदनी का समावेश हो जाता है। वे सूबे लेविल पर पूरे सूबे के और जिलेवार भी आंकड़े इकट्ठा किये गये हैं।

इसकी जिलेवार किताबें बनायी जा चुकी हैं। एक-एक किताब में बहुत शीघ्र माननीय सदस्यों को भिजवाने वाला हूं। आप इस तरीके से समझें। उसमें केन्द्र की सर्विसेज भी शामिल हैं, बैंक हैं, केन्द्र के और मुहकमें हैं। वहां पर कहां कहां के लोग काम करते हैं, कितनी तनख्वाह पाते हैं, सूबे की सर्विसेज में भी कौन आदमी किस जिले का रहने वाला है, कहां तनख्वाह पा रहे हैं। यह कठिनाई आती है कि आमदनी उस जिले की जोड़ी जाय जहां काम करते हैं या जहां के निवासी हैं वहां जोड़ी जाय। यदि फर्जी और अन्दाजन आंकड़े हो जायं, जिनकी बिनापर कोई योजना न बनायी जाय। केन्द्र ने यह अपने अनुभव से यह बात बतायी उनके परामर्श से उस पर आगे प्रयास नहीं किया गया। छोड़ दिया गया।

जहां तक क्षेत्रीय संतुलन का सवाल है माननीय सदस्य ने यह बात कही कि प्रदेश में केवल 5--6 क्षेत्र, पश्चिमी, केन्द्रीय, पूर्वी, पहाड़ी और बुन्देलखंड नहीं हैं। यह सही है कि इनमें कुछ क्षेत्र अधिक पिछड़े हैं, कुछ इसमें पिछड़े नहीं हैं। उनमें से कुछ में आमदनी, पैदावार और सुविधायें अधिक हैं। आगे जो योजना बनायी जा रही है रोलिंग प्लान, छठे प्लान में जो कार्यकारी दस्ता बनाया गया है उनको हिदायत की गयी है वह ध्यान रखें कि जिन इलाकों में सूबे के उतनी तरक्की नहीं हुई है वहां सुविधायें बढ़ाने की कोशिश करें।

एक चीज और निवेदन करनी है। कुछ ऐसी योजनायें हैं। अधिकतम योजनाएं जो सूबे के लेविल पर बनती हैं, वह इस तरह से बनायी जाती हैं कि जो पिछड़े हुए इलाके हैं उनमें लाभ अधिक होना चाहिये, जैसा कि तीन वर्षों में न्यूनतम पीने के पानी की सुविधा प्रदान करने के लिये कुएं और डिग्गी निर्माण करने के लिये 25.2 लाख वार्षिक व्यय था। 1977-78 में 264 लाख और 1978-79 में 690 लाख रुपये का प्राविधान किया गया।

इस बात से सहमत होंगे कि जो विकसित जिले हैं उनमें पीने के पानी की विशेष आवश्यकता नहीं है। पिछड़े इलाकों में यह आवश्यकता है। वहीं पर खर्च किया जायगा, अधिकतर यह रुपया।

इसी प्रकार ग्रामीण विद्युतीकरण की बात है। पिछड़े इलाकों में विद्युतीकरण बहुत कम है। उनमें अधिकतर योजनायें लागू करने का विचार है। प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए धनराशि लगायी गयी है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि किन-किन पिछड़े इलाकों में दिये हैं। गोंडा, बहराइच में 100 और 150 प्राइमरी स्कल और जूनियर हाई स्कूल रखे हैं और पश्चिमी जिलों में केवल 7 और 5 स्कूल रखे हैं। इसी प्रकार अस्पतालों की भी प्लानिंग की गयी है। इसके अलावा 15 करोड़ रुपया 1977-78 में क्षेत्रीय नियोजन के लिये रखा था। इस वर्ष के बजट में भी माननीय वित्त मंत्री ने बताया कि 25 करोड़ रुपया रखा गया है। उसमें पिछड़े इलाकों में अधिकतर प्रोजेक्ट बनाये जायेंगे जो चीजें वहां पर उपलब्ध हैं, उन पर तेजी से काम करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ही सड़कों का भी है। 1976-77 में

[श्री लक्ष्मण सिंह]

सड़कों पर 22 करोड़ का प्राविधान था। 1977-78 में 45 करोड़ का और 1978-79 में 60 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। यह कोशिश की जा रही है कि आबादी के हिसाब से, एरिया के हिसाब से जहां कम सड़कें हैं उन इलाकों में अधिक सड़कें, लिंक रोड या बैसी रोड्स बनायी जायं। तो मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है कि जो पिछड़े इलाके हैं उनको बराबरी के हिसाब से नहीं वितरण किया जायेगा। मेरे पास फसल के आंकड़े हैं, पूरे प्रदेश के हैं और जिलेवार भी हैं। पूरे सूबे का प्रतिशत 133.6 है और फैजाबाद का 139.6 प्रतिशत है। इस प्रकार से सिंचित बोई हुई फसल का प्रतिशत सूबे का 45.3 है और फैजाबाद का 60.5 है। खाद का प्रयोग प्रति हैक्टर सूबे का 17.88 है और फैजाबाद का 28.72, विद्युत का सूबे का औसत 36.2 प्रतिशत है और फैजाबाद का 61.91 प्रतिशत प्रतिकिलो-वाट है। इसी तरह से औद्योगिक उत्पादन प्रति वर्कर सूबे का 39.18 और फैजाबाद का 47.81। शिक्षा और अस्पताल के क्षेत्र में कुछ सूबे की अपेक्षा फैजाबाद में कमी है। सड़कों का औसत ले लीजिए। सूबे का 129.5 प्रतिहजार किलो मीटर और फैजाबाद का 135.4 है। यह आंकड़े मैंने इसलिये रखा कि पिछली बार माननीय सदस्य ने फैजाबाद के बारे में कहा था। मैंने यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि आपका जिला सूबे के हिसाब से बहुत पिछड़ा हुआ नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री संक्षेप में कहें।

श्री लक्ष्मण सिंह--

मैं आधा मिनट में समाप्त करता हूं। मैं एक और निवेदन कर दूं कि आपने इसको 4-5 सेक्टर में बांटा है, तहसील वार, ब्लाक वाइस और व्यक्ति व्यक्ति के आंकड़े निकालना व्यावाहरिक नहीं होगा। आप एक जिले और एक हल्के का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन सूबे के संबंध में जितनी मेरी जिम्मेदारी है उतनी आपकी भी है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि शासन की यह नीति नहीं है कि जो पिछड़े इलाके हैं उनको तेजी से आगे बढ़ा कर बराबरी के स्तर पर न लाया जाये। मगर उसमें समय लगेगा और यह केवल जिलेवार आंकड़े इकट्ठा करने से संभव नहीं है। अगली जो योजना है उसमें हमें आशा है कि कुछ सफलता मिल सकेगी।

श्री अधिष्ठाता--

आप केवल प्रश्न ही करें।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो प्रश्न हमारे सामने आया है वह बड़ी नीति का है।

श्री शम्भू नाथ (जिला जौनपुर)--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, यह बड़ा अहम सवाल है। कम से कम 2 1/2--3 करोड़ जनता का सीधा सवाल है, उनके विकास का संबंध इससे जुड़ा हुआ है। मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उससे माननीय सदस्यों के प्वाइन्टेड प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला है। मेरी प्रार्थना है कि चूंकि यह एक अहमसवाल है, इसलिये सदन का समय पूरी तरह से बहस करने के लिए बढ़ा दिया जाय ताकि जितने माननीय सदस्य इसमें रुचि रखते हों, अपने-अपने विचार रख सकें।

श्री अधिष्ठाता---

आप नियम 49 को देखें। इसमें दिया हुआ है कि इसके अनुरूप चर्चा करने के लिये आधे घंटे का समय निश्चित है। इसके लिए अगर आप अधिक समय चाहते हैं तो नियमों के अनुसार और समय लीजिए और विवाद कीजिए।

श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)---

इसमें कोई पाबन्दी नहीं है।

श्री खान गुफरान जाहिदी (जिला फतेहपुर)---

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है। आपने कहा कि आधे घंटे इस पर चर्चा होगी। तो प्रश्नों के रूप में चर्चा नहीं होती। इसमें बहस होगी और माननीय सदस्य अपनी-अपनी बात रखेंगे।

श्री अधिष्ठाता---

आप जरा नियम 49 को पढ़ लीजिए इसमें यह है कि "अध्यक्ष किसी ऐसे पर्याप्त लोक महत्व के विषय पर जो सदन में हाल के प्रश्नोत्तर का विषय रहा हो, चर्चा करने के लिये आधे घंटे का समय नियत कर सकेंगे।" आगे इसमें यह दिया हुआ है कि "सदन के समक्ष कोई औपचारिक प्रस्ताव न होगा और न मत लिये जावेंगे। जिस सदस्य ने सूचना दी हो वह एक संक्षिप्त वक्तव्य द्वारा उस विषय का पुर:स्थापन करेंगे। सम्बद्ध मंत्री संक्षेप में उत्तर देंगे कि ऐसा हुआ। तत्पश्चात् अध्यक्ष अन्य सदस्यों को किसी तथ्य-विषय के अतिरिक्त स्पष्टीकरण के प्रयोजन से प्रश्न पूछने की अनुज्ञा दे सकेंगे। विषय पुर:स्थापित करने वाले सदस्य को उत्तर देने के लिये दूसरी बार बोलने की अनुज्ञा दी जा सकेगी। यानी तिवारी जी को और सम्बद्ध मंत्री के अंतिम कथन होने पर चर्चा समाप्त हो जायेगी। केवल 5 मिनट में यह सब कार्य होना है। मैं घड़ी का समय नहीं बढ़ा सकता हूं। आप क्षमा कीजिए। मैं घड़ी को उल्टी नहीं चलवा सकता हूं। कृपा करके आप शांत होकर बैठ जाइए।

श्री अजीत सिंह सेठी---

मान्यवर, नीति वाले का कहना यह होता है कि आज की समय नीति निर्धारित करन जा रहे हैं। मान्यवर, हमें मालूम नहीं कि हम किस स्थान पर हैं। हमारे स्टेटिस्टिक्स से नहीं पता चलता है कि तरक्की हो रही है या नहीं। जनता पार्टी के मंत्री महोदय से मेरी यह विनती है कि जब आपको अपनी स्टेट का भी पता नहीं है तो आप किसको पिछड़ा कहेंगे और किसको प्रगति यावता? आपका माप दंड क्या रहता है?

श्री श्यामदत्त पालीवाल---

अगर आपको प्रदेश की तरक्की करनी है तो औसत आमदनी निकालनी होगी। अभी आपने जो अपने घोषणापत्र में कहा है कि हमको गरीबी दूर करनी है, यह आप तभी कर सकते हैं जब कि आपके प्रति जिला ही नहीं, प्रति व्यक्ति और प्रति परिवार की औसत आमदनी मालूम होगी। पूरब और पश्चिम की बात कहने से नहीं . .।

श्री अधिष्ठाता---

आप प्रश्न कर रहे हैं या नहीं ?

श्री श्यामदत्त पालीवाल---

जिस जिले में निर्वाचित हुए हैं जब कि प्रदेश में 21 प्रतिशत है तो उस जिले की 12 प्रतिशत है।

श्री अधिष्ठाता---

आप उत्तर न दीजिए।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)---

मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से सहमत नहीं हूं। मेरा सीधा आरोप है कि 30 वर्ष में विकास और निर्माण का कार्य जरूरतों को ध्यान में रख कर नहीं किया गया, बल्कि राजनैतिक प्रभाव को ध्यान में रख कर किया गया। तो क्या अब राजनैतिक प्रभाव का ध्यान न देकर जरूरत पर ध्यान दिया जायगा ?

श्री रियासत हुसैन (जिला---मुरादाबाद)---

क्या माननीय मंत्री जी ने जो अपनी कठिनाई बतलाई, इस चीज को देखते हुए जो आदमी का परमानेंट एड्रेस हो, चाहे वह किसी भी सर्किल में हो, जहां का वह रहने वाला हो, उसको आधार बनाकर स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के जरिये से इकट्ठा करने की कृपा करेंगे ?

श्री खान गुफरान जाहिदी---

मान्यवर, जो 26 जिलों को पिछड़ा जिला करार दिया गया, वह किस आधार पर, अगर पिछली सरकार ने ऐसा कहा था, तो क्या पिछले 30 साल में अमीर अमीर और गरीब, गरीब इलाके हो गये ?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

मान्यवर, मुझे दुख है कि माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का सीधा उत्तर न देकर एक संकल्प का उत्तर दे दिया, जो अभी लंबित है। मान्यवर, कहीं-कहीं पर पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था की जायगी, बिजली की व्यवस्था से रहन सहन का स्तर नहीं उठेगा। मान्यवर, मेरा सीधा आरोप है कि जब तक आप रहन-सहन के स्तर को उठाने के लिए परकैपिटा इंकम की विषमता को मिटाने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक इस प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों का उत्थान नहीं होने वाला है। मान्यवर, उस विषमता को दूर करने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं। यह फैजाबाद जिले के बारे में जो उन्होंने आंकड़े दिये हैं, किस आधार पर दिये हैं? वह भ्रामक आंकड़े हैं। जब वह आंकड़ों का आंकड़े से मुकाबिला करेंगे, तो मैं सरकारी आंकड़ों से साबित करूंगा कि इन्होंने गलत बयानी की है। इस तरह से जान बचाने से आप सूबे के साथ न्याय नहीं कर पावेंगे। आप इस बात का पता लगावें, साफ शब्दों में आश्वासन दें कि अब तक भले न पता लगा पाये हों, आप परकैपिटा इन्कम की जो विषमता है, एक जिले से दूसरे जिले से, जिससे आदमी के रहन-सहन के स्तर को आंका जा सकता है, वे आंकड़े उस समिति के सामने रखें, जिसको आगामी योजना बनानी है ?

श्री लक्ष्मण सिंह---

मान्यवर, मैंने निवेदन किया, जैसा माननीय रियासत हुसैन साहब ने सुझाव दिया है कि परमानेंट एड्रेस मालूम करा लें, अगर कोई आदमी कहीं नौकरी करता है, तनख्वाह पाता है, तो मैंने शुरू में निवेदन किया था कि उससे कोई प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है, और जैसा कि उन्होंने आंकड़े इकट्ठा करने की बात कही, तो एक दिन में, एक महीने में, दो महीने में यह काम नहीं होता, इसमें अधिक समय लगता है और जो लोग घर-घर जाकर आंकड़े इकट्ठा करते हैं, उसमें उनको कठिनाई भी होती है। आप अगर इसकी तफसील में जाय तो पायेंगे कि कई दफे प्राइमरी स्कूल के अध्यापक और बी0 एल0 डब्लू0 पंचायत के सचिव जो हैं, उन लोगों से आंकड़े इकटठा कराये गये। अभी-अभी कुछ गणना और हुई थी, कृषि के कुछ आंकड़े उपलब्ध थे, भारत सरकार ने कुछ आंकड़े इकट्ठे कराये। जो बाकायदा रिकग्नाइज्ड उद्योग हैं, छोटी-छोटी दूकानें करते हैं, छोटे-छोटे व्यापार करते हैं, वह आंकड़े हमने इकट्ठा कराये, तो उसमें हमको कई दफे कठिनाईज

हुई। प्राइमरी स्कूल के वेतनमान जो प्रान्त से मंजूर थे, उसमें बड़ी कठिनाई थी कि उनका असल काम अध्यापन का है, उनको आंकड़े का काम दिया गया। पटवारी का काम दूसरा है, उनको आंकड़े का काम दे दिया गया। तो उनके लिए यह जिलेवार आंकड़े इकट्ठा करना न व्यावहारिक है और न विषमता दूर करने में कोई सहायता मिलने की बात है।

जहां तक आपने कहा कि भ्रामक आंकड़े हैं तो ये वही आंकड़े जो कि पुराने 30 साल से 10 साल से यहां इकट्ठे थे, वही सदन में रखे गये है। उन्हीं में अगर वकील की तरह बहस करें तो कोई नाम नहीं होगा। इसमें कोई राजनीति का दखल नहीं होना चाहिये सड़कों के मामले में भी पिछले साल 6 किलोमीटर हर जिले के लिये, 12 किलोमीटर हर मन्डी समिति की दी जायगी। राजनीति को दखल नहीं आने देंगे। तो इस पर पूरा विचार किया जा रहा है क्योंकि उस अंश को पूरा करने के लिये पूरा प्रयास किया गया और कैसे किया जाय। जो प्रदेश के पास मशीनरी है, जितनी प्रगति हुई है उसके आंकड़े इकट्ठे किये जा रहें है। क्षेत्रों की जिलेवार विषमता को दूर करने के लिये जनता सरकार सजग है। जल्दी इसको पूरा किया जायगा।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, इससे पहले कि 17 आइटम को लें मैं चूंकि माननीय वित्त मंत्री हैं नहीं और जो बात तय हुई थी चाय-पानी के बारे में उसको मैं याद दिलाना चाहता हूं।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

जब जब ऐसा कार्यक्रम रहेगा तो उसकी निश्चित् व्यवस्था रहेगी।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1978†

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

श्रीमन्, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1978 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, यह जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसमें रियासत हुसैन साहब ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है। यह स्वायत्त शासन विभाग की ओर से बहुत क्रांतिकारी कदम है। प्रदेश के स्थानीय निकायों के अन्तर्गत कितने ही मकानों में जल की व्यवस्था नहीं रहती थी लेकिन जल-कर वसूला जाता था। इसी संबंध में एक प्रश्न था आज बाराबंकी के संबंध में। इसमें, विधेयक में, व्यवस्था की गयी है कि आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर हैं, गरीब लोग हैं, जो इस स्थिति में नहीं है कि अपने पैसे से नल का कनक्शन लगा सकें और जिनका वार्षिक मूल्यांकन 360 रुपया है घरों का या 30 रुपया माहवारी हो तो उनसे किसी प्रकार का कोई जल-कर नहीं लिया जायगा। इस प्रकार से प्रदेश की बहुत बड़ी जनसंख्या चाहे किरायेदारों की या मकान मालिकों की जिनसे अभी तक जलकर लिया जाता था, उनसे अब नहीं लिया जायगा, इसको माफ कर दिया गया है। पहले यह संशोधन अध्यादेश द्वारा किया गया था इसलिये यह बिल प्रस्तुत किया गया है। यह पहली दिसम्बर, 1977 से प्रभावी हो चुका है।

दूसरे संशोधन से यह किया गया है कि अभी तक नगरपालिका अधिनियम, नगरमहापालिका अधिनियम जितने कानून हैं उनमें प्राविधान था कि ऐसे जिन मकानों का मूल्यांकन 180 रुपया वार्षिक है और मकान मालिक उनमें स्वयं रहता है और उसके पास दूसरा मकान नहीं है और उसे कोई किराये की आमदनी नहीं है तो उनसे गृह कर नहीं लिया जाता था। तो उस 180 रुपये की परिधि को बढ़ा कर 360 रुपये कर दी गयी है।

---

†दिनांक 4 अप्रैल, 1978 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

हमारे प्रदेश में बहुत लोगों की तादाद ऐसी है चाहे वे किराये के मकान में रहते हों या खुद के मकान में रहते हों जो गरीब हैं। इससे उनको राहत मिलेगी। माननीय रियासत हुसैन साहब ने तो अपना संशोधन आदतन पेश कर दिया है.....

श्री अधिष्ठाता—

उनको आदतन पेश करने का अधिकार है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

तीसरा संशोधन यह किया है कि नगरमहापालिकाओं या नगर पालिकाओं के अन्तर्गत जो स्थानीय निकायों के डिग्री व इन्टरमीडियेट कालिज हैं वहां के टीचर्स पर यह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम तथा उत्तर प्रदेश इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम लागू नहीं होते हैं। जो नगरपालिका अधिनियम हैं वही उन पर लागू होते हैं। अब यह किया जा रहा है कि उन पर विश्वविद्यालय अधिनियम और इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम ही लागू किये जायं। उनकी नियुक्ति के संबंध में और उनकी सेवा शर्तों के संबंध में अब यही अधिनियम लागू किये जायेंगे। आशा है इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

चौथा संशोधन यह किया है कि नगर महापालिका अधिनियम जो 1959 में बना था उसकी धारा 107 में यह प्राविधान था कि जिन कर्मचारियों का वेतन 200 रुपये तक है उनको लोक सेवा आयोग की परिधि से मुक्त रखा गया था। अब इस परिधि को बढ़ा कर 300 रुपये कर दिया है। माननीय सदस्य जानते ही हैं कि अब कर्मचारियों का वेतन उस समय के मुकाबले में काफी बढ़ गया है। लेकिन इसमें वही लोग आयेंगे जो उस समय इसकी परिधि में आते थे।

पांचवा संशोधन भी माफी का ही है। इस तरह से आप देखेंगे कि पिछली सरकार ने प्रदेश की गरीब जनता पर जो करों का अधिभार लगा रखा था, जो छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, वर्तमान शासन ने उन्हीं लोगों को कुछ छूट दी है। मैं समझता हूं इसका सभी माननीय सदस्य समर्थन करेंगे, इसमें बहस की कोई गुन्जाइश नहीं है।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, मैं अपना संशोधन पेश करता हूं। उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1978 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जो एक सप्ताह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जो अपना भाषण दिया, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि उनका कदम जो उन्होंने उठाया है एक अच्छा कदम है, लेकिन दरिया के एक कूजे में बन्द कर दिया है। इसमें भी दो राय नहीं है कि यह छोटा सा विधेयक है, प्रोग्रेसिव भी है, गरीबों की मदद भी करने वाला है, लेकिन 4—4 ऐक्ट्स को आप अमेन्ड कर रहे हैं — इसके हर पैराग्राफ में एक ऐक्ट का एमेंडमेन्ट है। तो इससे आप 5-5 ऐक्ट एमेन्ड कर रहे हैं। और आप इसको इतना मासूम और छोटा सा कह रहे हैं। आपने छोटा सा समझ कर रख दिया है कि इस पर बहस की जरूरत नहीं है, पास करना है। तो पास तो यह हो जायगा। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। आपने कैसे अंदाजा लगा लिया कि जिसका एनुअल एसेसमेन्ट 360 रुपये है वह तो गरीब है और जिसका 361 हो जायगा वह मालदार हो जायगा। यह आपने किस अन्दाजे पर मान लिया। इसीलिये मैं कह रहा हूं कि जब कि दसियों साल पहले का एसेसमेन्ट है, उस समय के हालात के अनुसार यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एसेसमेन्ट किया गया था। तो तब से और अब में बड़ा परिवर्तन है। आपने एक बेस बना लिया कि एनुअल एससमन्ट 360 होगा उसको तो वाटरटैक्स से छूट होगी लेकिन जिसका 400 रुपये एसेसमेन्ट है उसके लिये छूट नहीं होगी। आप सोचिये आज से दस साल पहले के सोर्सेज आफ इनकम क्या थे? मंहगाई का स्तर क्या था? कपड़ा किस भाव पर मिलता था? मकान का किराया कितना था? तो आपने दस साल पहले के आधार पर किया है तो इस चीज को सोचना चाहिये था कि 361 वाला कैसे मालदार हो जायगा। आपने 180 से 360 किया है जिसक माने हैं कि दो गुने। तो क्या आज से दस साल पहले जब एसेसमेन्ट 180 था, तो तब से आज तक मंहगाई केवल दो गुनी हुई है। रुपये की कीमत क्या आठ आने ही रह गयी है। क्या तब से कपड़े का दाम आज केवल दो गुने ही बढ़ा है। क्या खाद्यान्नों की कीमत तब से आज तक केवल दो ही गुने हुई है। मकान का किराया क्या केवल दो ही गुने बढ़ा है। मैं तो कहना चाहता हूं कि तबसे महंगाई आज 10 गुने हो गयी है। और आप कह रहे हैं कि हमने बड़ा भारी काम कर दिया। मैं इसीलिये कहता हूं कि इसको प्रवर समिति को जाना चाहिय और इस पर ठंडे दिल से, गौर से विचार हो और आजकी मौजूदा परिस्थितियों और सोर्सेज आफ इन्कम क्या हैं, तो इन सब चीजों को सोच करके हम वाटर टैक्स और हाउस टैक्स से मुक्त करें। इस पर काफी गंभीरता से विचार होना चाहिये केवल रफली कर देने से काम नहीं चलेगा। इसके बाद आपने दूसरी चीजें ली हैं।

मैं फिर दुहरा रहा हूं कि जितने आपने कदम उठाये हैं वह सब प्रगतिशील हैं, सब अच्छे हैं लेकिन मैं केवल इसलिये कहता हूं कि क्या आप प्यासे के मुंह में 2 बूंद पानी टपका कर उम्मीद करते हैं कि उसकी प्यास बुझ जायगी। अगर प्यासे की प्यास बुझानी है तो उसको उतना पानी पिलायें कि जिससे उसकी प्यास बुझ जाय। दो बूंद पानी पिलाने से तो प्यास बढ़ जायगी और बवाल खड़ा हो जायगा। आज 30--40 रुपये में तो एक कोठरी भी किराये पर नहीं मिलती है। आप अन्दाज लगा लीजिये कि 30 रुपये में कितना बड़ा मकान मिल जायगा और कितना उसका एसेसमेन्ट हो जायगा। तो मैं कहता हूं कि इस पर सोचने की जरूरत है। अगर आपने 30 रुपये तक की छूट दी तो मैं कहना चाहता हूं कि जो 50--60 रुपये पर मकान में रह रहे हैं वह भी गरीब हैं। उनके अन्दर भावना पैदा होगी कि जनता पार्टी ने अपने हिसाब से लगा दिया कि 30 रुपय में जो रह रहे हैं वह गरीब हैं और जो 35 रुपये में रह रहे हैं वह गरीब नहीं ह, वह टैक्स देने लायक नहीं हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आती इसको तो आप ही समझ सकते हैं। मैं यह मानकर चलता हूं कि जो शहर के रहने वाले हैं उनके सबके आर्थिक ढांचे पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिये सही तरीके से सर्वे करने के लिये प्रवर समिति को दें और वह एक सप्ताह में जांच करे कि गरीबी का स्तर क्या हो सकता है। हो सकता है कि 360 रुपये के बजाय 500 रुपये हो जाय गरीबी का स्तर। इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि ठंडे दिल से सोचें और इस विधेयक को एक सप्ताह के लिये प्रवर समिति को सौप दें।

*श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, मैं स्वायत्त शासन मंत्री द्वारा रखे गये विधेयक का स्वागत करता हूं और माननीय रियासत हुसैन जी ने जो कहा तो वह भी जानते हैं कि कोई टैक्स न लगे ऐसा संभव नहीं है। पहले पानी के बम्बे की परिधि की सीमा के अन्दर टैक्स सब को देना पड़ता था। इस विधेयक के अन्दर तय कर दिया कि 360 रुपया सालाना जिसकी आमदनी है वह इस परिधि के बाहर हो जायेंगे। इससे अधिक एसेसमेन्ट वाले मकानों में जहां नल लगे हैं उनको टैक्स देना पड़ेगा। इससे गरीबों को फायदा होगा और वह टोंटी लगा सकते हैं। अभी तक वह महापालिका की टोंटी से काम चलाते हैं। 360 रुपया सालाना जिनके मकान का एसेसमेन्ट है उनको जलकर से मुक्त कर दिया गया है। श्री रियासत हुसैन को इसकी तारीफ करना चाहिये था कि जहां टैक्स का बोझा था वह इस विधेयक से कम हो जावेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रवीन्द्र सिंह]

लेकिन उन्होंने कहा कि प्यासे को यदि पानी की दो बूंद दिया जायेगा तो उसकी प्यास नहीं बुझ सकती है। लेकिन मैं तो इस राय का हूं कि जो संशोधन हैं उसमें कोशिश किया कि जो पिछड़े लोग हैं उन्हें कुछ रियायतें इस विधेयक द्वारा दी जायं। इसलिये मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का मैं स्वागत करता हूं और 3–4 क्रांतिकारी बातों के लिये मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। रियासत हुसैन जी को इस बात के लिये मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिये कि गृहकर और जलकर में छूट देकर उन्होंने ऐसा काम किया है जिससे शहरों के अन्दर रहने वाले छोटे लोगों को राहत मिलेगी उन लोगों को भी जो छप्पर डालकर रह रहे हैं जिनके पास एक–एक कोठरी है, उनके ऊपर गृहकर और जलकर लगते थे, उनके पास कोई टोंटी नहीं है, ऐसे लोग जिनकी आय 150 रु0 है, उनको टैक्स को माफ करके मंत्री जी ने एक अच्छा काम किया है। इसके लिये हमारे माननीय गुलाब सेहरा को भी मंत्री जी को बधाई दी जानी चाहिए कि आगरा महापालिका के अन्तर्गत और हमारे फिरोजाबाद में ऐसे कितने गरीबों को राहत मिलेगी।

इसके बाद मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जो ऐसे प्राइमरी विद्यालय की शिक्षा में जो विभिन्नता है उस विभिन्नता को खत्म कर के मंत्री जी ने नगरपालिका और टाउन एरिया को अच्छा करने का कदम उठाया है जिससे शिक्षा के कर्मचारियों और अध्यापकों को राहत मिलेगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि रियासत हुसैन जी अपने संशोधन को वापस लेकर के इसे जल्दी पारित कराने का कष्ट करें।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

अधिष्ठाता जी.....

एक सदस्य—

अधिष्ठाता जी इधर भी देखें।

श्री अधिष्ठाता—

चारों तरफ अधिष्ठाता का ध्यान है।

श्री गुलाब सेहरा —

जो विधेयक रखा है उस विधेयक में पांच अमेन्डमेन्ट किये और यह 360 को-जो सालाना एसेसमेन्ट की बात की गयी है मेरा उसमें कहना यह है कि जब फिराक दिली दिखानी ही थी तो अच्छी तरह फिराकदिली दिखाते। मंत्री जी यथार्थ से परिचित नहीं हैं। कानपुर, आगरा में 360 रुपये के सालाना एसेसमेन्ट का मतलब हुआ कि जो मकान 30 रुपये माह का हो। मुझे खूब अच्छी तरह जानकारी है कि बड़े बड़े शहर हैं वहां स्लम एरियाज में भी तीस, चालीस रुपये में भी छोटी झोपड़ी लोगों को उपलब्ध नहीं होती, 100 रुपये, 150 रुपये में उपलब्ध होती है। जो सार्वजनिक नल होते थे उस नल की परिधि के भीतर एक निश्चित् परिधि के भीतर जो मकान आते थे उनका गृह कर के साथ जलकर भी लिया जाता था। इसमें मंत्री जी ने 360 की लिमिटेशन रखी है। मंत्री जी को पता नहीं है कि जितने इन्डस्ट्रियल टाउन हैं जैसे आगरा है, फिरोजाबाद है, वहां तीस रुपये में मकान नहीं मिलते। राहत की घोषणा प्रचार के लिये तो ठीक कर दी लेकिन राहत गरीब को कहां मिली यह समझ में नहीं आया। तो मेरा कहना यह था जैसा रियासत भाई ने कहा कि 361 वाले इसकी परिधि में आयेंगे ही नहीं। दूसरी तरफ में यह कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक नल की एक परिधि तक उससे टैक्स फ्री की बात मंत्री जी ने कही लेकिन यथार्थ में वह यह जान लें कि इन शहरों में सार्वजनिक नल नहीं मिल पाते हैं। मैं अच्छी तरह जानता

हूं कि मेरे आगरे में मैंने कितनी ही स्लम बस्तियों में, गरीब बस्तियों में, निर्धन वर्ग की बस्तियों में सार्वजनिक नल की चेष्टा तीन वर्ष से कर रहा हूं लेकिन वहां पानी की कमी है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

कभी आप ने कहा।

श्री गुलाब सेहरा---

कहूंगा आप से। देखेंगे कितनी फिराकदिली सार्वजनिक नल को देते हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि 360 रुपये की जो परिधि निश्चित की, ऐसे मकानों को कवर नहीं करती। मैं जानता हूं कि झुग्गी झोपड़ी में भी 30 रुपये माहवार में नहीं मिलती है तो मेरे विचार से राशि को बढ़ाना है तो ज्यादा बढ़ायें। हाउस टैक्स फ्री की बात की गयी है जिसे 180 रुपये से बढ़ाकर 360 रुपये किया गया है। उसकी राशि बढ़ानी थी। तो जल की व्यवस्था तक राशि बढ़ाते तो कुछ लाभ होता।

तीसरी बात शिक्षा की है। ठीक है, एकरूपता लाने के लिये यह किया गया कि नगरपालिकाओं के अन्दर चलने वाले स्कूलों के अध्यापकों का वेतनक्रम, सुविधायें शिक्षा विभाग के अध्यापकों के अनुसार रहना चाहिये। 1959 में एक विधेयक पास हुआ जिसके अनुसार 200 रुपये पाने वाले व्यक्ति को पब्लिक सर्विस कमीशन से एप्रूवल लेनी होगी अब उसकी परिधि 300 रुपये बढ़ा दी और एक उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दी गयी है कि नयी नियुक्ति में 300 रुपये का यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

नई नौकरियां 300 रुपए की होंगी उनका एप्रूवल पब्लिक सर्विस कमीशन से लेना होगा यानी नए लोगों को यह एप्रूवल लेना होगा। इस तरह से यह एकरूपता नहीं रहेगी, विवाद की बात हो गई। रियासत साहब ने जो संशोधन रखा है प्रवर समिति का वह ठीक है। वहां प्रवर समिति में सब बातों पर विचार हो सकेगा, उसके बाद यह विधेयक लाया जाय तो बेहतर होगा। केवल प्रचार मात्र हेतु परिधि बढ़ाने की घोषणा करने से निर्बल तथा गरीब का कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, 360 रुपए से कोई चीज कवर नहीं हो सकेगी।

*श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)---

माननीय मन्त्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसका मैं तहेदिल से समर्थन करता हूं। रियासत साहब ने जो तर्क पेश किया वह उनको करना चाहिए था। हकीकत यह है कि 360 रु0 की जो सीमा निर्धारित की गई है किसी को भी छूट देने के लिए एक सीमा मुकर्रर होना जरूरी है। आप उस सीमा को बढ़ाने के लिए सुझाव दे सकते हैं लेकिन नीयत पर शक नहीं कर सकते कि गरीबों के फायदे की बात नहीं है।

जहां तक हाउस टैक्स की बात है मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि जब तक एनुअल वैल्युएशन किसी मकान की न बढ़े तब तक उसका टैक्स जब पंचसाला एसेसमेन्ट होता है तब भी न बढ़ायी जाय। अगर कोई स्लेब डाल दे या प्लास्टर बदल दिया जाय यानी कुछ भी उस मकान की वैल्युएशन बढ़ जाय तो असेसमेन्ट बढ़ाना उचित होगा वरना नहीं। 59 में मैं कानपुर नगर महापालिका का सदस्य था। हम लोगों ने एक प्रस्ताव पास किया था कि 150 रु0 के वैल्युएशन वाले मकान का टैक्स माफ और दूसरे साल उसे 180 रु0 कर दिया। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

*बाबा राम अधार यादव (जिला इलाहाबाद)---

अधिष्ठाता महोदय, जो उधर आज बैठे हुए हैं उन्होंने, जब इन बेंचेज पर बैठते थे, तो कभी नहीं सोचा कि दो गुना टैक्स ही माफ कर दिया जाय। आज उनको यह बहुत खल रहा है। जो मन्त्राणी जी हमसे इलेक्शन लड़ीं थीं वे भी स्वशासन मन्त्राणी थीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता--

मन्त्राणी कोई शब्द नहीं होता। वे मन्त्री ही थीं।

बाबा राम अधार यादव--

मन्त्री कर दीजिए। मैं नाम तो लूंगा नहीं उनका। मैं इलाहाबाद नगर महापालिका का सभासद रहा हूं। आगरा व लखनऊ में बड़े-बड़े मकान हैं लेकिन इलाहाबाद में 80 प्रतिशत एरिया ऐसा है जिनके मकानों का मूल्यांकन 360 रु0 से अधिक नहीं होगा। वे बहुत परेशानी में थे। हमारे मन्त्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है वह बहुत सीधा तथा साफ है। उसे पास होने दिया जाय। जिन मकानों में किराएदार होंगे, वे कर से मुक्त नहीं होंगे।

इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय रियासत साहब अपना संशोधन वापस ले लें। क्योंकि यह एक क्रान्तिकारी विधेयक है और इसको सर्वसम्मत से पास किया जाय। हम जानते हैं कि गरीबों की परिधि के अन्दर कितने लोग आते हैं। इसलिए आप इसे पास करें और इस पर बहस बन्द करें।

*श्री राज बृजराज सिंह (जिला खीरी)--

मान्यवर, जो विधेयक माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह एक क्रान्तिकारी विधेयक है। जिस प्रकार मन्त्री जी एक समाजवादी मन्त्री हैं उसी भावना के अनुरूप वे इस विधेयक को लाए हैं। विरोध पक्ष ने तो एक धर्म बना लिया है कि हम हर चीज का विरोध करेंगे। जो गरीबों के लिए, जो समाजवादी है, जो सार्वजनिक हित में है उसका भी विरोध पक्ष के लोग विरोध करेंगे यह उनका धर्म बन गया है। माननीय रियासत साहब हर चीज का बिरोध करेंगे, हर चीज पर संशोधन करेंगे और विलम्ब करेंगे उनका जैसे यह हक हो गया है।

(इस समय 5 बजकर 56 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

इस विधेयक के द्वारा बहुत से लोग जो गरीबी की परिधि में आते हैं, जो न्यूनतम स्तर के हैं उनको लाभ पहुंचेगा। यदि यह 360 रु0 तक की परिधि कम है तो अभी तो यह शुरूआत है, अभी आगे देखिए कि क्या होता है। जनता पार्टी ने जो शुरूआत की है उसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रगुजार होना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए। जो 360 रुपए तक की आमदनी वाले गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए यह कैसे व्यवहारिक हो सकेगा? कवाल टाउन्स में--लखनऊ, आगरा, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद यह कहां तक प्रभावित होगा। हो सकता है, यहां उनकी संख्या नगण्य हो लेकिन हम आशा करते हैं कि इस पर आप आगे विचार करेंगे और इस परिधि को आगे बढ़ायेंगे। मैं माननीय रियासत साहब से उम्मीद करता हूं कि जो संशोधन उन्होंने पेश किया है उसे वे वापस ले लेंगे।

श्री देब बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

जो विधेयक प्रस्तुत किया है वह तो ठीक है कि 360 रु0 तक की आमदनी पर उसे गृह-कर से मुक्त कर दिया और इतनी ही आमदनी पर हाउस टैक्स से उसे मुक्त कर दिया लेकिन आप इसे टाउन एरिया और म्युनिसिपल बोर्ड तक क्यों नहीं ले गए। वहां पर भी गरीब लोग रहते हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

आप संशोधन तो देख लें। जो माननीय सदस्य सुझाव दे रहे हैं, वह संशोधन में है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री देव बहादुर सिंह—

अगर वह है, तो ठीक है। जो पब्लिक स्टैन्ड पोस्ट है उस पर भी 360 रु0 तक की आमदनी वाले को भी जलकर से मुक्त कर दिया। ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि घरों में भी नल लग जांय तो उससे निश्चित रूप से गरीबों को लाभ होगा। यह भी देखा जाता है कि जहां गरीब लोग बसते हैं वहां पीने के पानी की बड़ी कमी होती है। आप यह प्रयास करें कि पानी आपके पास है तो आप उनके लिए पानी की व्यवस्था कर दें और उनको प्राथमिकता दें। साथ ही घरों में सरकार या महापालिका अपने पैसों से नल लगा दें तो मैं समझता हूं कि समाजवादीरूप जो आप देना चाहते हैं, वह मिल जायगा किन्तु इस संशोधन विधेयक मात्र से उसकी पूर्ति नहीं होगी। गृह-कर और जल-कर दोनों में 30 रुपए प्रति माह के हिसाब से कोई मकान न टाउन एरिया में और न म्युनिसिपल बोर्ड में मिलेगा। इसकी आप पुनः जांच करायें और इसकी सीमा को बढ़ा दें, ताकि इसमें अधिक से अधिक, गरीब लोग ही आ सकें। इसके अलावा जो हमारे अनुसूचित और हरिजन जाति के भाई हैं उनको तो निश्चित रूप से इस टैक्स से मुक्त होना चाहिए था, चाहे कोई सीमा हो या न हो। आपको इसमें यह अवश्य रखना चाहिए था, तब आप यह कर देते तो आपकी बिचारधारा अवश्य समाजवादी मालूम पड़ती। यदि वह विचाराधारा कहीं किसी कोने में आपके पास है और जनता पार्टी में जाने के बाद भी बनी हुई है तो आप इसको अवश्य रखें। तो इसका लाभ यह सरकार और इस प्रदेश के हरिजन और अनुसूचित जाति के भाई उठावें, यह मैं चाहता हूं।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वायत्त शासन मन्त्री जी ने जो विधेयक रखा है, मैं उसके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय रियासत भाई और विपक्ष के भाइयों की बातें सुनी हैं। रियासत भाई ने प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, यह संशोधन रखा है, मालूम देता है प्रवर समिति में भेजने का संशोधन तो उन्होंने सायक्लोस्टाइल कराके रख लिया है और इसे सब में वह लगा देते हैं। इनका बस चले तो सदन बैठे ही नहीं और सारा कार्य प्रवर समिति ही करे। 360 रु0 सीमा की बड़ी आलोचना की गई। 360 वाले बड़े गरीब हैं और तो क्या 361 वाले बड़े अमीर हैं। इस तरह से इसको बढ़ाकर 1,000 रु0 भी कर दिया गया होता तब भी आप यही तर्क देंगे, कहेंगे 1,001 रु0 की आमदनी वाले को लेकर। मैं म्युनिसिपल बोर्ड काशीपुर में रहता हूं, रेन्ट कन्ट्रोल के जितने मकान हैं, इनका किराया बहुत कम है। नए मकानों का तो अवश्य किराया ऊंचा है। उसमें 30 रुपए के किराए पर अच्छा खासा मकान मिल जाता है। म तो 20 रु0 मासिक किराए पर रहता हूं और उसमें 3 कमरे हैं, जिसे रियासत भाई मे खुद भी देखा है। तो यह जो विधेयक है, उन लोगों के लिए है, जो किराए के मकानों में रहते हैं। इससे लाभ उनको पहुंचेगा जो गरीब लोग हैं और पुराने रेन्ट कन्ट्रोल के मकानों में रहने वालों को इससे लाभ पहुंचेगा। यों तो इसकी कोई सीमा नहीं है, किन्तु यह एक ऐसा क्रान्तिकारी विधेयक है, जिसे 30 साल में कभी नहीं लाया गया। 30 साल में उधर के बैठे लोगों ने इस कार्य को करके नहीं दिया, फिर भी यह जो क्रान्तिकारी विधेयक आया है, उसमें उनको खामियां नजर आती हैं और प्रवर समिति में भेजने की बात करते हैं। यह भी नहीं कहते हैं कि यह बुरा है। कहते हैं और होता तो अच्छा होता, तो और की तो कोई सीमा नहीं है। जितना करते चले जाओ, कम ही है। कुछ तो चाहते हैं कि सब कर बिलकुल समाप्त हो जाएं और किसी प्रकार का कोई कर शेष न रहे। किन्तु यह तो बहुत ऊंची कल्पना है। कभी ऐसा अवसर शायद ही आवे, किन्तु अभी तो सम्भव नहीं है। हम पिछले 30 सालों से मांग करते रहे हैं, यह बिधेयक पहले आना चाहिए था, 20 वर्ष पहले। उधर बैठे लोग देखें जि से वह मामूली बात समझते हैं, वह वास्तव में अति क्रान्तिकारी विधेयक है। उसे आप अब तक क्यों नहीं ला सके, जिसे बहुत साधारण बताते हैं।

श्री गुलाब सेहरा---

श्रीमन्, सदन में कोरम पूरा नहीं है।

(कोरम होने के कारण घंटी नहीं बजाई गयी और गण पूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।

श्री राम दत्त जोशी---

अन्त में मैं प्रस्तुत विधेयक का हार्दिक समर्थन करते हुए आशा करता हूं कि रियासत भाई अपना संशोधन वापस ले लेंगे।

*श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)---

माननीय रियासत साहब ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसके हक में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। माननीय रियासत साहब के संशोधन पेश करने से ही तो आपको बोलने का राइट प्राप्त हुआ। लालटोपी की बदौलत ही आप बोले। माननीय मन्त्री जी ने गरीबों के लिए कुछ करने की रुचि दिखलाई है। उनकी कोशिश है कि गरीब जनता को कुछ राहत दें। लेकिन वास्तविकता यह है कि गरीब जनता को कुछ प्राप्त ही नहीं है। शहर में ही जाकर देखें कि गरीबों की जो बस्तियां हैं, वहां वाटर लाइन ही नहीं है। मेरे मेरठ में यही हालत है। जब पानी ही नहीं है तो आप राहत किसको दे रहे हैं। यह यश कमाने के लिए आप यहां इसको रख रहे हैं यह बात दूसरी है। 360 रु0 का असेसमेन्ट बहुत कम है। लेकिन मैं कहता हूं कि जो असेसमेन्ट करने वाला अफसर है वह गरीब से भी कमाता है और अमीर से भी कमाता है इसलिए वह जो घपला करते हैं उसको भी रोकने के लिए कोई चीज करें। इसके साथ ही इसको कुछ दिन के लिए आप सोच समझ लें और तब रखें जो हम भी इससे सहमत होंगे।

*श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)---

मान्यवर, यह जो संशोधन विधेयक माननीय मन्त्री जी ने रखा है, एक क्रान्तिकारी कदम है और इससे मेरी जो पूर्व धारणा थी वह भी बदल गई है। जन-मानस में घूमने के बाद मैं एक कवि सम्मेलन में चला गया जहां एक कवि ने कांग्रेस के लिए कहा था :

वह चाट गए उस सावन को शायद यह फागुन पी जायें
दोनों ने कसमें खायीं हैं ये बगिया कैसे जी जायें।

मेरी उस धारणा में परिवर्तन इससे हुआ है। यह क्रान्तिकारी कदम है जो जन साधारण को छूता हुआ है। क्योंकि जल-कर और मकान-कर को लेकर लोग कचेहरियों में घूमते रहते थे और त्रस्त रहते थे। इससे उन को राहत मिलेगी। मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)---

रियासत साहब ने जो संशोधन रखा है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। यह सही है कि मन्त्री जी ने संशोधन विधेयक रखा है, यह गरीब जनता के हक में है। लेकिन मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस प्रदेश के अन्दर सरकार स्वयं मानती है कि 60 परसेन्ट लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। तो इस विधेयक में जो परिधि रखी गई है, वह 360 की है। उससे कितने प्रतिशत लोग लाभान्वित होंगे? अगर प्रतिशत निकाला जाय तो 10 प्रतिशत आएगा। बाकी लोगों के लिए माननीय मन्त्री जी कौन सी बात सोच रहे हैं, कौन सी रियायत प्रदान करेंगे? जैसा कि रियासत साहब ने कहा, यह मूल्यांकन 10/15 साल पहले का अब महंगाई 10 गुना बढ़ गई है। तो इसकी परिधि 500 रु0 कर दी जाय क्योंकि 361 वाले इससे वंचित रह जायेंगे। इसलिए इसको 300 से बढ़ाकर 500 रु0 कर दिया जाय क्योंकि मंहगाई कई गुना बढ़ गई है। इसलिए इसको प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय तो यह बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि मन्त्री जी का विवेक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ही ठीक हो। हो सकता है कि प्रवर समिति और अच्छी राय दे सके। इससे सरकार को भी फायदा होगा। अतः सरकार और पब्लिक, दोनों के हित के लिए यह उचित होगा कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपने प्रभावकारी सुझाव दे सके ताकि उससे जनता का हित हो सके। इसलिए इस सुझाव का मैं समर्थन करता हूं।

श्री कन्हैया लाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)---

मान्यवर, कई साल पहले जब मैं जनसंघ में था, तो मेरे राजनैतिक गुरु श्री मुरली मनोहर जोशी, जो कि पार्लियामेन्ट के मेम्बर हैं, कहते थे कि जो सरकार आम जनता को पानी और हवा न दे सके, वह सरकार निकम्मी है। आज माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी ने उस तरफ एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की है, इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मान्यवर, जैसा कि आपने देखा होगा, जहां भी पाइप नहीं था गरीब हरिजनों के मुहल्लों में, वहां भी उनसे वाटर टैक्स लिया जाता रहा है। 500 से एक हजार गज की दूरी पर ही पाइप थे, तो भी उन हरिजन लोगों के सर पर बाल्टी और डण्डों से मारपीट होती रहती थी। फिर भी उनको पानी न मिलने पर भी वाटर टैक्स जरूर देना पड़ता रहा है। मुझे खुशी है कि माननीय मन्त्री जी ने 360 रुपए तक वालों को मुक्ति दी है उन गरीबों को जो पानी का टैक्स देते थे, जिनके यहां पाइप नहीं थे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जो स्टैन्ड पोस्ट की सीमा है, हरिजनों के इलाकों में, उस सीमा को थोड़ा कम करें। मान्यवर, इलाहाबाद में, 600 स्क्वायर फीट के अन्दर दूसरा पाइप नहीं रखते। जहां हरिजन और पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं, उनके यहां इतनी दूरी की सीमा अधिक है। अब जनसंख्या भी काफी बढ़ गई है। इसलिए जब पानी भरने जाते हैं और शाम और दोपहर को स्नान करते हैं, तो मारपीट बहुत होती है। मैं, आपके माध्यम से, मान्यवर, मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि स्टैन्ड पोस्ट की सीमा को कम करें और इस समस्या को हल करें। माननीय मन्त्री जी तो डा0 राम मनोहर लोहिया के अनुयायी हैं। मान्यवर, लोहिया साहब का विचार था कि गरीबों को जितना अधिक से अधिक शासन सुविधा प्रदान कर सकेगा, उतना ही वह शासन सफल होगा और उसको करना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा जहां वाटर टैक्स शून्य किया है, वहीं पर गृह--कर भी हरिजन क्षेत्रों में समाप्त करने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं।

*श्री खान गुफरान जाहिदी (जिला फतेहपुर)---

मान्यवर, माननीय रियासत साहब ने जो संशोधन पेश कर दिया है और कहा है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, मैं उसकी मुखालिफत करता हूं। वह तो उनका हक है कि वह कहें कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। लेकिन बात यह है कि बहुत से ऐसे काम हैं, जिनके बारे में जो सरकार बनती है, तो उससे यही उम्मीद की जाती है कि कम से कम टैक्स लगाए और ज्यादा से ज्यादा एग्जेशन दे। लेकिन सवाल है कि फिर काम किस तरह से हों? सरकार का काम कैसे चले? इसलिए देखना चाहिए कि दिशा क्या है। अगर इस दिशा से 360 कर दिया जाय और कुछ लोगों को जो शहरों में नीचे हिस्से में रहते हैं, छोटे लोग हैं, जिनकी माली आमदनी कम है, जो 30 रुपए के किराए के मकान में रहते हैं यानी जिनका सालाना वैल्यएशन 360 रुपया आता है, उनको जल से और हाउस टैक्स से मुक्ति दे दी जाय तो। यह एक ऐसा कदम है जो आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर उठेगा और कामन मैन को राहत देगा। इस रुख को देखते हुए, अगर सेलेक्ट कमेटी में भेजने का मकसद यह होता कि इसकी सतह को ऊपर उठाया जाय, 360 के बजाय 501 कर दिया जाय तो ज्यादा लोगों को फायदा हो जाता। लेकिन जैसा कि कांग्रेस के एक माननीय सदस्य ने कहा कि डेढ़ सौ रुपए तक जिनका माहवार किराया है उनको सहूलियत दी जाय। यह किस तरह से सोचा जा सकता है? इसमें ऊपर वाले को फायदा पहुंचाने की बात है। नीचे की सतह जो है 30 से लेकर 60 या 75 की है, ज्यादातर मंझले तबके के लोग हैं। मैं उस संशोधन विधेयक का जो, पेश किया गया है, समर्थन करता

[श्री खान गुफरान जाहिदी]

हूं। इसका मतलब है कि टीचर्स जो कार्पोरेशन में हैं, अध्यापक और अध्यापिकाएं, उनको जो आम कानून है, युनिसवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के मुताबिक, एजूकेशन डिपार्टमेन्ट का कानून है, उनसे अटैच कर देना, यह बहुत बड़ा कदम है। कारपोरेशन में जो आज टीचर्स हैं और जो मुसलसल पीड़ित हैं, वहां पर बेसिक शिक्षा अधिकारी, उनका डुप्लीकेशन करता है। अपनी इच्छा से नियुक्ति करता है। नतीजे में यह मारे-मारे फिरते हैं। जो पे स्केल में फायदा मिलने जा रहा है यह एक बहुत बड़ा सोशलिस्ट कदम है, कि एक तरह का काम करने वाले आदमी को एक तरह का वेतन मिले। माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री खुद एक माने हुए सोशलिस्ट हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। उनका तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि एक तरह के काम करने वाले लोगों को एक तरह का वेतन मिले और उसी तरह की सुविधायें मिले जो टीचर्स को एजूकेशन डिपार्टमेन्ट में मिलती हैं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय गुफरान साहब, कोरम नहीं है। आप बैठ जाइए।

(कोरम के लिए घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मैं मन्त्री महोदय को एक सुझाव जरूर देना चाहता हूं। जब उन्होंने समान्य काम करने वालों की एक नियमावली बना दी है, कुछ एजूकेशन डिपार्टमेन्ट के पास, कार्पोरेशन में, जैसे कानपुर, इलाहाबाद और लखनऊ है, कानपुर में खास तौर पर गवर्नमेन्ट स्कूल्स नहीं हैं। अगर इस नियम के अनुसार कार्पोरेशन के स्कूलों का जब स्तर ऊंचा हुआ, उन के ट्रांसफर का लेविल भी बराबर कर दिया जाय। जब एक पे स्केल एक है तो दूसरी जगह जा सकते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद् की दिक्कतें दूर की जायं। अगर कार्पोरेशन के टीचर्स का ट्रांसफर भी कर दिया जाय तो बड़ी आसानी हो जायगी। जो ऐक्ट में पार्टिकुलरली आए हैं, जिससे एग्जेम्प्शन भी उनको मिल सकता है, अध्यापक और अध्यापिकाओं को सहुलियत दी गई है, एक स्तर पर लाने की बात कही गई है, इस सिलसिले में माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक इनकलाबी कदम उठाया है। यह दूसरा बजट है। अगर इसी तरह से पांच साल चलते रहेंगे तो नीचे के स्तर से सोशलिज्म को जो आना है, यह सिलसिला कायम होगा।

उनकी ख्वाहिश पूरी हो जावेगी और वह उधर के बजाय इधर आ जायेंगे।

*श्री विद्या शंकर (जिला प्रतापगढ़)—

माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने जो विधयक पेश किया है वह क्रांतिकारी एवं प्रगतिशील है और मैं उसका समर्थन करता हूं। विरोधी पक्ष की ओर से यह तर्क दिया जा रहा है कि 360 रुपये की जो वैलुएशन की गयी है, वह कम है, मैं कहना चाहता हूं कि इस मंहगाई के जमाने में जहां इतना मंहगा मीटीरियल है, तो जिसके पास पैसा अधिक होगा वही मकान बनायेगा अगर वह मकान बनाता है तो वह संपत्ति वाला है। 360 रुपये की जो छूट दी गयी है वह एलाटमेन्ट के मकानों के सम्बन्ध में है या उन मकानों के सम्बन्ध में है जो पुराने मकान हैं। थोड़े माने में मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनको छूट दी गयी है। उन लोगों को छूट नहीं दी गयी है जिनके पास दर्जनों मकान हैं। रेन्ट कन्ट्रोल में प्राविजन है कि अगर वाटर टैक्स लिया जाता है तो वह किरायेदार से लिया जाता है और इस प्रकार जो टैक्स दे सकता है वह फिर बच जाता है, मकान मालिक बच जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा प्राविधान किया जाये, जिससे कि जिन लोगों के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पास दर्जनों मकान हैं उनका अलग से वैलुएशन किया जाय और उन पर टैक्स लगाया जाय। मैं बड़ी हैरत में हूं, रियासत हुसैन साहब लाल टोपी लगाते हैं और पुराने समाजवादी भी हैं और हमारे साथी भी हैं, उन्होंने इस बिल का समर्थन नहीं किया, यह अफसोस की बात है ।

शहर में तीन प्रकार के लोग रहते हैं। एक तो पिछडे हुए और गरीब, दूसरे मध्यम वर्ग के लोग तथा तीसरे वे लोग हैं जो समृद्धिशाली हैं। तो मैं कहूंगा कि मध्यम वर्ग के लोगों को भी मालवीय जी ने राहत दी है। 360 रुपये के वैलुएशन में 30 रुपये के किराये का मकान मिल सकता है। 3–4 कमरे का मकान मिल सकता है। रियासत साहब अगर दर्जनों मकान रखने वालों को छूट देना चाहते हैं तो वह इसका समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन यह बिल बड़ा ही क्रांतिकारी बिल है। वह इस पर पुनः विचार करें और उन्होंने जो संशोधन पेश किया है उसको वापस ले लें ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय––

मान्यवर, एक सुझाव की ओर माननीय रियासत हुसैन ने मेरा ध्यान आकर्षित किया है कि इसकी परिधि 360 रुपये ही क्यों रखी गयी । माननीय रियासत साहब को तो इस शासन को बधाई देनी चाहिये कि इस शासन ने जो किरायेदार आर्थिक दृष्टि मे कमजोर हैं उनके लिये माफी का कदम उठाया है। माननीय गुफरान जाहिदी साहब ने कहा है कि 5 वर्ष के लिये चुनाव हुआ। 5 वर्ष के लिये सरकार होती है। तो हमने पहले ही वर्ष में ये कदम उठाये हैं। अभी तो 4 वर्ष शेष हैं।

हमारा जो आवास विकास परिषद है यह सम्पूर्ण देश में है। उनको मकान बनाने के लिये रुपया दिया जाता है तो जो आय की सीमा है आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, जो एकोनोमिकली वीकर सेक्शन है यह सारे प्रदेश में प्रचलित है और इसमें वे ही आते हैं जिनकी मासिक आय 350 रुपये तक है । तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसका कोई आधार नहीं है लेकिन फिर भी जो नगर महापालिकायें हैं, जो हमारा पुराना म्युनिसिपल ऐक्ट था वह 1958–59 में बना था तो कहीं न कहीं कोई सीमा रखनी थी तो इसलिये उसमें यह सीमा रखी गयी थी। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में माननीय विद्याशंकर जी पाण्डेय ने जो सुझाव दिया है मैं चाहूंगा कि वे इसको लिख कर दे दें तो अच्छा होगा । इस बहस में माननीय रियासत हुसैन, माननीय देव बहादुर सिंह, रवीन्द्र सिंह, माननीय रामदत्त जोशी, माननीय अजीत सिंह सेठी, माननीय वीरेन्द्र चतुर्वेदी, माननीय मित्र सेना, माननीय कन्हैया लाल सोनकर, माननीय खान गुफरान जाहिदी, माननीय विद्याशंकर ने हिस्सा लिया है और मैं उन सब के सुझावों का स्वागत करते हुए माननीय रियासत हुसैन से निवेदन करूंगा कि सदन की भावनाओं का आदर करते हुये वे अपने संशोधन को वापस ले लें। वे पिछली विधान सभा में भी सदस्य रह चुके हैं और उस समय भी वे विरोध पक्ष में थे लेकिन उस समय की सरकार ने माफी का कोई कदम नहीं उठाया था। तो कम से कम इस कदम को तो तत्काल स्वीकार कर लेते ? यदि आपका संशोधन स्वीकार कर लिया जाय तो इसका मतलब यह होगा कि यह विधेयक प्रवर समिति में जायगा और वहां पर 15 दिन, 20 दिन लग सकते हैं, जिससे इसमें और देरी हो सकती है तो इसको उन्हें तुरन्त स्वीकार कर लेना चाहिये ।

श्री रियासत हुसैन––

वैसे तो माननीय सदस्यों को जो उधर बैठने वाले हैं मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिये कि मैंने संशोधन प्रस्तुत किया और उनको बोलने का मौका मिला। बात तो उन्होंने मेरी ही कही ।

श्री अध्यक्ष––

अगर आप यह संशोधन पेश न करते तो भी आपको बोलने का मौका मिल सकता था ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, जिन माननीय सदस्यों ने मेरे संशोधन पर चर्चा में भाग लिया मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं । मान्यवर, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि कलई करने का काम मुरादाबाद में ही हुआ करता था लेकिन अब पता चला है कि इलाहाबाद में भी होने लगा है । मैं इसलिये कह रहा हूं कि माननीय मंत्री जी शहर के उन हल्कों के रहने वाले हैं, जहां पर माल-दार और रईस लोग बसते हैं, जिनकी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जिनके कम्पाउन्ड हैं उनको माफी दे दी है, स्टाम्प ड्यूटी पर सरचार्ज भी समाप्त हो जायगा ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

यह नहीं है । कौन खरीदेगा स्टाम्प ? जहां पर आवास एवं विकास परिषद् है वहां पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया जाता है । एक चीज पर 2 प्रकार का टैक्स नहीं लगता है।

श्री रियासत हुसैन---

मान्यवर, स्टाम्प ड्यूटी जो है उसके सरचार्ज को भी एक्जेम्पट कर दिया है । वह स्टाम्प ड्यूटी कौन देता है ? क्या स्टाम्प ड्यूटी को देने वाला वह आदमी है, जो 10 रूपये की कोठरी में रहता है । इसलिये यह बात सोचनी है कि गरीब के हिस्से में आयेगा खिलौना और बड़े आदमी के हिस्से में आयेगा हलवा । जनता पार्टी का प्रचार करके हमने 360 रुपये के ऐसेस-मेंट वालों को मुक्त कर दिया । इससे अगर आप तसल्ली समझते हैं तो शायद इससे 10 या 15 प्रतिशत आदमियों को फायदा होगा, ज्यादा को नहीं ।

श्री अध्यक्ष---

नियम, 291 के अनुसार अब आप यह पुनरावृत्ति कर रहे हैं । आपको उत्तर देने का अधिकार केवल उन दलीलों से है, जो इस तरफ से कही गयी है ।

श्री रियासत हुसैन---

मैं मान्यवर, अब भी निवेदन करता हूं कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

मुझे केवल एक बात कहनी है ।

श्री अध्यक्ष ---

अब आप कितना भी समझाने की कोशिश करें...

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

मैं मान्यवर, समझा सकता हूं, लेकिन किसी को समझ नहीं दे सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1978 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जो एक सप्ताह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1978 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 2 से 12 तक

अध्याय 2

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 स 1959 की धारा 8-क का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 8—क में, उपधारा (1) में, खण्ड (क) में, शब्द "विशिष्ट सदस्य" निकाल दिये जायेंगे ।

धारा 107 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 107 में—

(एक) उपधारा (2) में, शब्द "दो सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "तीन सौ एक रुपये" रख दिये जायेंगे;

(दो) उपधारा (5) में शब्द "पचास रुपये" के स्थान पर शब्द "एक सौ अस्सी रुपये" रख दिये जायेंगे ।

नयी धारा 108—क का बढ़ाया जाना

4—मूल अधिनियम की धारा 108 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

"108—क—धारा 107 और 108 में किसी बात के होते हुये भी—महापालिकाओं द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं के अध्यापकों की नियुक्ति ।

(क) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में यथा परिभाषित किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध और किसी नगर महापालिका द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय में किसी अध्यापक की नियुक्ति उस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार की जायगी; और

(ख) इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अनुसार मान्यता प्राप्त और किसी नगर महापालिका द्वारा अनुरक्षित किसी संस्था के अध्यापक या प्रधान की नियुक्ति उस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार की जायगी ।"

धारा 110 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 110 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"(1) महापालिका के किसी पदाधिकारी या सेवक को, जिस प्राधिकारी द्वारा वह नियुक्त किया गया था उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत न किया जायगा न हटाया जायगा न अन्य प्रकार से दण्डित किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि उस पदाधिकारी या सेवक की स्थिति में, जिसे धारा 107 के अधीन राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से नियुक्त किया जाना अपेक्षित है, सम्बद्ध प्राधिकारी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह किसी ऐसे पदाधिकारी या सेवक को पदच्युत करने, हटाने या पंक्तिच्युत करने की आज्ञा देने के पूर्व विहित रीति से आयोग से परामर्श करें ।"

धारा 175 प्रति का—स्थापन

6—मूल अधिनियम की धारा 175 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"175—धारा 173 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन कर इस निर्बन्धन के अधीन रहते हुये लगाया जायगा कि निम्नलिखित पर ऐसा कर न लगाया जाय,—

(1) किसी ऐसी भूमि पर जिसका उपयोग एकमात्र कृषि प्रयोजनों के लिये किया जाता हो, जब तक कि महापालिका द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिये जल सम्भरित न किया जाय; या

(2) किसी ऐसे भू-खण्ड या भवन पर जिसका वार्षिक मूल्य तीन सौ साठ रुपये से अधिक न हो और जिसे महापालिका द्वारा जल सम्भरित न किया जाता हो; या

(3) किसी ऐसे भू-खण्ड या भवन पर जिसका कोई भाग निकटतम बम्बा या अन्य जल-कल से जहां पर जनता को महापालिका द्वारा जल उपलब्ध कराया जाता हो, उस नगर के लिये विहित अर्ध व्यास के भीतर न हो।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये,—

(क) 'भवन' में उसका अहाता (यदि कोई हो), और, जहां एक ही सामान्य अहाते में अनेक भवन हों, वहां ऐसे समस्त भवन और सामान्य अहाता भी सम्मिलित है;

(ख) 'भू-खण्ड' का तात्पर्य किसी ऐसे भूमि के खण्ड से है जो किसी एकल अध्यासी द्वारा या अनेक अध्यासियों द्वारा सामान्य रूप से धृत हो जिसका कोई भी भाग किसी दूसरे भाग से किसी अन्य अध्यासी या अध्यासियों की भूमि या सार्वजनिक सम्पत्ति के द्वारा पूर्णतया पृथक्-कृत न हो।"

धारा 177 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 177 में, खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्—

(ङ) किसी ऐसे भवन या भूमि के जिसका वार्षिक मूल्य तीन सौ साठ रुपये या इससे कम हो, प्रतिबन्ध यह है कि उसके स्वामी का उसी नगर में कोई अन्य भवन या भूमि न हो, और"

अध्याय तीन

यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 का संशोधन

यू० पी० ऐक्ट संख्या 2, सन् 1916 की धारा 73 का संशोधन

8—यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 73 में, उपधारा (2) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह है कि किसी संस्था के प्रधान या अध्यापक की नियुक्ति यथास्थिति, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 या इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के उपबन्धों द्वारा नियंत्रित होगी।"

धारा 129 का प्रतिस्थापन

9—मूल अधिनियम की धारा 129 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

"129—धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड (दस) के अधीन कर, इस निर्बन्धन के अधीन रहते हुये लगाया जायगा कि निम्नलिखित पर ऐसा कर न लगाया जाय—

(एक) किसी ऐसी भूमि पर जिसका उपयोग एक मात्र कृषि प्रयोजन के लिये किया जाता हो, जब तक कि बोर्ड द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिये जल सम्भरित न किया जाय, या

(दो) किसी ऐसे भू-खण्ड या भवन पर जिसका वार्षिक मूल्य तीन सौ साठ रुपये से अधिक न हो, और जिसे बोर्ड द्वारा जल सम्भरित न किया जाता हो, या

(तीन) किसी ऐसे भू-खण्ड या भवन पर जिसका कोई भाग निकटतम बम्बा या जल-कल से, जहां पर जनता को बोर्ड द्वारा जल उपलब्ध कराया जाता हो उस म्युनिसिपैलिटी के लिये विहित अर्द्धव्यास के भीतर न हो ।

स्पष्टीकरण:—इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

(क) 'भवन' में उसका अहाता (यदि कोई हो), और जहां एक ही सामान्य अहाते में अनेक भवन हों, वहां ऐसे समस्त भवन और सामान्य अहाता भी सम्मिलित है,

(ख) 'भू-खण्ड' का तात्पर्य किसी ऐसे भूमि के खण्ड से है जो किसी एकल अध्यासी द्वारा, या अनेक अध्यासियों द्वारा सामान्य रूप से, धृत हो, जिसका कोई भी एक भाग किसी दूसरे भाग से किसी अन्य अध्यासी या अध्यासियों की भूमि या सार्वजनिक सम्पत्ति के द्वारा पूर्णतया पृथक्-कृत न हो ।"

अध्याय चार

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम, संख्या 43 सन् 1975 की धारा 55 का संशोधन

10—उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा 55 में खण्ड (ख) में, उपखण्ड (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्—

"(1) जिसका कोई भाग निकटतम स्थायी नल या अन्य जल-कल से, जहां परजनता को जल संस्थान द्वारा जल उपलब्ध कराया जाता हो, विहित अर्धव्यास के भीतर न हो; या

(2) जिसका वार्षिक मूल्य तीन सौ साठ रुपये से अधिक न हो, और जिसे जल संस्थान द्वारा कोई जल सम्भरित न किया जाता हो ।"

अध्याय पांच

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 का संशोधन

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 1, सन् 1966 की धारा 62 का संशोधन

11—उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 62 में, उपधारा (5) में शब्द "उस सीमा तक जहां तक इस धारा के उपबन्धों के प्रतिकूल हों, प्रभावी न रह जायेंगे" के स्थान पर शब्द "किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में जिसमें यह अधिनियम प्रवृत्त हो, लागू न होंगे" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ।

अध्याय छः

प्रकीर्ण

निरसन और अपवाद

12—(1) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1977 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उ0 प्र0 अध्यादेश संख्या 18, 1977

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित अध्याय दो, तीन और चार में उल्लिखित किसी अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उपर्युक्त अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों वह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तथा 12 इस विधेयक के अंग माने जांय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1978

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959, यू0पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916, उत्तर प्रदेश जल-सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 और उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायगा ।

(2) यह धारा और धारा 3 और 5, और धारा 4 का वह भाग जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 108—क में खण्ड (ख) बढ़ाया गया है, तुरन्त प्रवृत्त होगा जबकि इस अधिनियम का शेष भाग 1 दिसम्बर, 1977 से प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1978 पारित किया जाय ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1978 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 32 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
13 अप्रैल, 1978

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 25 का उत्तर पीछे पृष्ठ 767 पर) ।

नगरपालिका, बांदा के अन्तर्गत प्रश्नगत प्लाटों के पट्टे सम्बन्धित सात व्यक्तियों के नाम किये जाने की विवरण सूची :

क्रम-संख्या	प्लाट सं0		व्यक्ति का नाम	तिथि
1	2362	अंश भाग	श्री श्यामस्वरूप सहगल	1-4-1968
	2362	,,	श्री मनगी लाल	20-3-1938
	2362	,,	श्री जगन्नाथ प्रसाद	5-10-1962
	2362	,,	श्री तुलसी दास	5-10-1962
2	10560		श्री बद्री प्रसाद	15-12-1953
3	10571		श्री जफरअली खां	9-1-1948
4	10572			
5	10573			
6	1641		श्री राधेश्याम	8-6-1950
7	10710		किसी के नाम आवंटन नहीं किया गया है	..

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 61 का उत्तर पीछे पृष्ठ 778 पर) ।

मांगों की सूची

1--मजदूरों का वर्ष 1975-76 एवं 1976-77 का वेतन बकाया तुरन्त भुगतान कर ।

2--मजदूरों की सर्विस बुक तुरन्त बनायी जाय ।

3--जिन मजदूरों से सिक्योरिटी के रूप में भी धन लिया गया है उसकी उन्हें तत्काल रसीद दिया जाय ।

4--वर्ष 1976-77 में आधे अवधि से अधिक काम किये हों उन्हें काम पर तुरन्त बुलायें ।

5--औद्योगिक विवाद अधिनियम एवं Industrial standing order में जो भी मजदूरों को निदेशित एवं प्राप्त है उन्हें अविलम्ब पूरा किया जाये ।

6--जिस स्थान एवं पद पर जो मजदूर काम करता चला आ रहा है उसका स्थान एवं पद परिवर्तन मत किया जाये ।

7--आवेदन देने पर जो भी वेतन कट गया है उसे उस मजदूर को दिया जाये तथा भविष्य में इस प्रक्रिया को मत दोहराया जाय ।

8--मजदूरों को प्रत्येक माह पारिवारिक खर्च के लिये उत्पादन दर पर चीनी दिया जाये ।

9--पूरे वर्ष तक कार्य करने वाले मजदूरों का नाम, संख्या घोषित किया जाय ।

10--मजदूरों के लिये आवास की व्यवस्था की जाये ।

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 780 पर) ।

प्रश्न में इंगित 12 राजकीय नलकूपों की सूची

क्रम-संख्या	राजकीय नलकूप का नाम	अर्जित होने की तिथि
1	अहमदपुर	27-3-78
2	सरसवां	27-3-78
3	कविराम्पुर	1-10-77
4	झंझोर	24-10-77
5	रघुनाथपुर	25-2-78
6	कनियर द्वितीय	18-3-78
7	दानपूर	27-2-78
8	पिड़ा दिक्षिणी	25-2-78
9	जनक पट्टी (मकसूदन पट्टी)	22-3-78
10	सोनपुरवा	3-3-78
11	अहिरानी .	29-3-78
12	लक्ष्मीपुर	29-3-78

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 782 पर) ।

जिला चिकित्सालय, गोरखपुर में कार्यरत चिकित्सकों की सूची :

चिकित्सक का नाम	पद	तैनाती की तिथि
1—डा0 टी0 सी0 पांडे	अधीक्षक	26-8-77
2—डा0 आनन्द खन्ना	सीनियर सर्जन, ई0 एन0 टी0	26-7-76
3—डा0 एस0 पी0 सरीन	बी0 डी0 क्लीनिक	27-9-74
4—डा0 पी0 एन0 अवस्थी	सीनियर फिजिशियन	जुलाई, 1976
5—डा0 बी0 जी0 माथुर	सीनियर आर्थोपेडिक सर्जन	अगस्त, 1974 सस्पेन्ड हैं ।
6—डा0 एम0 एच0 जीलानी	सीनियर पैथालाजिस्ट	31-10-76
7—डा0 जी0 एन0 तिवारी	चाइल्ड स्पेशलिस्ट	13-2-76
8—डा0 एस0 सी0 तिवारी	रेडियोलाजिस्ट	5-1-76
9—डा0 पी0 एन0 पांडे	एनेस्थटिस्ट	1-9-74
10—डा0 एजाज अहमद	तदेव	22-11-75
11—डा0 घनश्याम श्रीवास्तव	जी0 डी0 एम0 ओ0	4-10-62
12—डा0 एम0 भार्गव	डेन्टल सर्जन	27-9-74
रिजर्व ड्यूटी		
13—डा0 एन0 के0 श्रीवास्तव		26-7-74
14—डा0 के0 के0 मल		जुलाई, 1975
15—डा0 बी0 के0 वर्थवाल		5-7-75
16—डा0 आई0 पी0 सिंह		21-7-75
17—डा0 एन0 स्वरूप		1-10-74
18—डा0 ओ0 पी0 मित्रा		11-4-77
19—डा0 हरिहर सिंह		23-1-77
20—डा0 जी0 के0 अग्रवाल		15-10-77

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 785 पर) ।

समझौते की शर्तें

परिषद् तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के मध्य (मुख्य मंत्री, विद्युत् एवं वित्त मंत्री के निर्देशन में) निम्नलिखित निर्णय लिये गये :—

(1) मजदूरी पुनरीक्षण, इसके पश्चात् बनाये गये सिद्धान्तों एवं प्रक्रिया के अनुसार 1 अप्रैल, 1974 से लागू होगा ।

(2) परिवर्तनीय महंगाई भत्ता सूत्र के अन्तर्गत जीवन निर्वाह सूचकांक को निष्प्रभावी करने हेतु केन्द्रीय मजदूरी परिषद् ने 171 प्वाइन्ट से ऊपर 0.75 पैसा प्रति प्वाइन्ट की दर को संस्तुति की थी (शिमला सिरीज जीवन निर्वाह सूचकांक 1960–100) । इस सम्बन्ध में यह सहमति हुई कि 1 अप्रैल, 1977 से 258 अंकों के ऊपर परिवर्तनीय महंगाई भत्ते को निष्प्रभावी करने की (अक्तूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर, 1973 के औसत जीवन निर्वाह सूचकांक के आधार पर) 310 अंक तक (जनवरी, फरवरी एवं मार्च, 1977 के औसत जीवन निर्वाह सूचकांक के आधार पर) बढ़ाकर 1 रुपया प्रति अंक कर दी जायेगी तथा 310 अंकों के ऊपर 1.30 रुपया प्रति अंक कर दी जायेगी । इसके अतिरिक्त 35 रुपयों की अन्तरिम सहायता (जो मूल रूप में 1 जुलाई, 1977 से स्वीकृत की गयी थी और अब 1 अप्रैल, 1977 से कर दी गयी है) का भुगतान किया जायेगा । उपरोक्त निष्प्रभावी करने की दरें उन सभी श्रेणियों के कर्मचारियों पर लागू होंगी जो पूर्व की भांति मजदूरी परिषद् (वेज बोर्ड) के वेतनमान पा रहे हैं । तद्नुसार 267 रुपये की वर्तमान मजदूरी (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) जो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के निम्नतम् श्रेणी के नियमित कर्मचारी को 1 अप्रैल, 1977 से स्वीकृत है (जब कि शिमला सिरीज का जीवन निर्वाह मूल्य सूचकांक 1960 में 310 अंकों पर 100 अंकों के बराबर है) को बढ़ाकर उपरोक्त तिथि से 315 रुपया प्रति माह कर दिया जायगा जिसका विवरण निम्नलिखित है :

	रु0
(अ) वर्तमान मजदूरी (मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता) 1 अप्रैल, 1977 को	267
(ब) अन्तरिम सहायता (जो मूल रूप में 1 जुलाई, 1977 से स्वीकृत की गयी थी) और अब 1 अप्रैल, 1977 से स्वीकार की गयी है	35
(स) अतिरिक्त महंगाई भत्ता (परिवर्तनीय महंगाई भत्ते को 253 अंकों से लेकर 310 अंकों तक, 0.75 पैसे प्रति अंक की दर के स्थान पर 1 रुपया प्रति अंक की दर से लागू होने से उत्पन्न अन्तर)	13
योग ..	315

(3) उपरोक्त सूत्र के अनुसार जुलाई, 1977 का मूल वेतन एवम् महंगाई भत्ता मिला कर लगभग 325 रु0 प्रति मास करने पर सहमति प्रकट की गई । यह 317 अंकों के आधार पर था और पुनः इस बात पर भी सहमति प्रकट की गई कि यदि औसत जीवन निर्वाह सूचकांक 317 अंकों से नीचे गिर जाता है तब भी मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता मिला कर वेतन 325 रुपये प्रति मास से कम नहीं किया जायेगा और परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (317 अंकों पर) जो कि सभी कर्मचारियों को मजदूरी परिषद् के वेतन क्रम के अनुसार दिया जा रहा है तब तक कम नहीं किया जायेगा, जब तक कि यह कर्मचारियों की मजदूरी में संविलीन नहीं कर दिया जाता है ।

(4) इस बात पर भी सहमति प्रकट की गई कि परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का (0.75 पैसे के स्थान पर 1 रुपया) 1 अप्रैल, 1974 से 31 मार्च, 1977 तक का बकाया भुगतान नहीं किया जायगा ।

मुख्य मंत्री जी ने सद्भावना स्वरूप, मस्टर रोल एवम् कैजुअल कर्मचारियों को छोड़ कर, सभी कामगारों व कर्मचारियों को चाहे वे मजदूरी परिषद् के अन्तर्गत आते हों अथवा नहीं, 1 अप्रैल, 1977 से लागू होने वाले उपरोक्त बकाया लाभों के अतिरिक्त 100 रुपये दिये जाने की घोषणा की ।

(5) उपरोक्त मद (2), (3) एवम् (4) का भुगतान नकद किया जायेगा ।

(6) मजदूरी समिति (राज्य सरकार द्वारा जैसी भी पुनर्गठित की जायेगी) अब सम्पूर्ण मजदूरी के ढांचे (मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता) के अन्तर्गत ही केवल वेतनमानों को पुनर्गठित करने हेतु अपनी रिपोर्ट यथा सम्भव शीघ्रातिशीघ्र परन्तु 31 अक्तूबर, 1978 से पूर्व प्रस्तुत करेगी । समिति अपनी अन्तरिम रिपोर्ट अथवा संस्तुतियां भी राज्य सरकार को भज सकती है ताकि कर्मचारियों को पेंशन सम्बन्धी अथवा अन्य किसी प्रकार के लाभ प्राप्त होने में कोई कठिनाई न हो ।

(7) यह समझौता 1 अप्रैल, 1977 से पांच वर्ष के लिय लागू होगा और इस काल में परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की दर को निष्प्रभावी करने के प्रश्न पर पुर्नविचार नहीं किया जायेगा।

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 786 पर) ।

वर्ष 1977–78 में फैजाबाद जनपद में आर0 ई0 सी0 योजना के अन्तर्गत विकास खण्डवार ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य एवं उपलब्धियां :

क्रम-संख्या	योजना का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्रामों क विद्युतीकरण	
			लक्ष्य	उपलब्धियां (मार्च, 1978 तक)
1	2	3	4	5
1	फैजाबाद–1	1—भीटी	2	1
		2—कटेहरी	1	..
		3—अकबरपुर	1	..
		4—जलालपुर	2	2
		5—भीवन	..	..
2	फैजाबाद–2	1—मिल्कीपुर	7	3
		2—हरिग्टन गंज	10	4
3	फैजाब'द–3	1—पूरा बाजार	7	3
		2—माया बाजार	7	5
4	फैजाबाद–1	1—बसखारो	2	2
		2—टांडा	1	..
		योग ..	40	20

पी० एस० यू० पी०—19 एल० ए०—21–7–'78—845 (हिन्दी)

उत्तर प्रदेश विधान सभा